चतुर्दश माला, खंड 2, अंक 5

FOR REFERNCE ONLY.

शुक्रवार, 9 जुलाई, 2004
18 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते
Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 18.2.05

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी सस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 9 जुलाई, 2004/18 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	1-49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	50-88
अतारांकित प्रश्न संख्या 496 से 632, 634 से 648 और 650 से 651	88-273
सभा पटल पर रखे गए पत्र	273-308
सभा का कार्य	308-311
समिति के लिए निर्वाचन	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	312
कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	312
सदस्यों द्वारा निवेदन	
तहलका टेप मामले में फोरेंसिक लेबोरेट्री, लंदन द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाने के बारे में	319-320
रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2004-05	343-365
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	343-348
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	348-350
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	350-355
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	355-361
श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन	361-363
श्री राम कृपाल यादव	369-378
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का विघटन	
श्री शिवराज वि. पाटील	363-365

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित	379-387
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)	
श्री बसुदेव आचार्य	379
(दो) आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004	
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	379-380
(तीन) मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004	
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	380
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 155 का संशोधन)	
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	380-381
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)	
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	381
(छह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुसूची का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	381-382
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)	
श्री बसुदेव आचार्य	382
(आठ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुसूची का संशोधन)	
श्री पुन्नू लाल मोहले	382-383
(नौ) परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2004	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	383
(दस) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	383-384
(ग्यारह) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक, 2004	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	384

विषय		कॉलम
(बारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)	
	श्री बसुदेव आचार्य	385
(तेरह)	प्राकृतिक आपदा पीड़ित (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2004	
	श्री सुरेश चन्देल	385-386
(चौदह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)	
	श्री मोहन सिंह	386
(पन्द्रह)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अध्याय चार 'क' का अंत:स्थापन)	
	श्री मोहन सिंह	386-387
(सोलह)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2004	
	श्री मोहन सिंह	387
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प–विचाराधीन		387-434
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण		
	श्री एस. अजय कुमार	388-390
	श्री मोहन सिंह	390-394
	प्रो. रासा सिंह रावत	394-399
	श्री सी. के. चन्द्रप्पन	399-402
	श्री रामदास बंडु आठवले	402-405
	श्री वरकला राधाकृष्णन	405-409
	प्रो. एम. रामदास	409-413
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	413-418
	श्री एन. एन. कृष्णदास	418-420
	डा. बाबू राव मिडियम	420
	श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	420-422
	श्री पी. करुणाकरन	422-424
	डा. सिबैस्टियन पॉल	424-425

विषय	कॉलम
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	425-426
श्री वीरचन्द्र पासवान	426-434
अनुबंध-I	434-439
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	434-436
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	436-439
अनुबंध-II	440-442
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	440
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	440-442

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :

"मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए पी जे अब्दुल कलाम
भारत के राष्ट्रपति।"

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित।

लोक सभा

शुक्रवार, 9 जुलाई, 2004/18 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी के बजट में बिहार के साथ धोखा हुआ है।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पहले बिहार को चार हजार करोड़ रुपये मिले थे, जिसे इन्होंने अब 2500 करोड़ रुपये कर दिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे नोट कर लिया गया है। श्री प्रभुनाथ सिंह, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया प्रश्न काल चलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह, यह इस बात को उठाने का समय नहीं है। आपको बजट संबंधी वाद–विवाद के दौरान बोलने दिया जाएगा। प्रश्न सं. 61–श्री गिरिधारी यादव।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार

+

*61. **श्री गिरिधारी यादव :***
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मित्रा समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन सी हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को देश के सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक बैंक–वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ङ) बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सीबीआई ने हाल ही में कुछ बैंकों के अधिकारियों के यहां छापे मारे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) सरकार द्वारा बैंकों में भ्रष्टाचार रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को अगस्त, 2001 में प्रस्तुत की गई मित्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें दो भागों में हैं :

भाग–I देशी निवारक उपायों से संबंधित; तथा

भाग–II निषेधी पहलुओं, जिनमें कार्यान्वयन के लिए विधायी परिवर्तन अपेक्षित हैं, से संबंधित।

मित्रा समिति की मुख्य सिफारिशों में उत्कृष्ट आचार संहिता, आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, वित्तीय धोखाधड़ियों का अपराधीकरण, गम्भीर वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच के लिए अलग से जांच प्राधिकारी, ऐसे अपराधों की न्यायिक जांच के लिए विशेष न्यायालय तथा वित्तीय धोखाधड़ियों से निबटने के लिए एक अलग अधिनियम शामिल है।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने मित्रा समिति के भाग–I में दी गई सिफारिशें कार्यान्वित की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किया है। सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय स्थापित किया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 (मार्च, 2004 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए गए धोखाधड़ी के मामलों की बैंक–वार संख्या दर्शाने वाला ब्योरा अनुबंध–I के रूप में संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 के दौरान सूचित किए गए मामलों की तुलना में वर्ष 2003 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में तथा कुछ सीमा तक आवास ऋणों/वैयक्तिक खंड में धोखाधड़ी के मामले बढ़ना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कैलेंडर वर्ष 2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 493 कर्मचारियों को भ्रष्ट आचरण के मामलों में उनकी संलिप्तता के लिए बड़े/छोटे दंड दिए गए थे और कैलेंडर वर्ष 2003 के दौरान 509 कर्मचारियों को दंड दिया गया। इससे पता चलता है कि वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या ाम मात्र की वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों में वृद्धि के कुछ कारण हैं : समाज में कुल मिलाकर नैतिक मूल्यों में गिरावट, दोषसिद्धी की लम्बी प्रक्रिया, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा लिया गया काफी लम्बा समय, आदि।

(च) और (छ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उसने सरकारी क्षेत्र के 17 बैंकों के 59 कर्मचारियों के विरुद्ध 43 मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने यह भी सूचित किया है कि 1.1.2004 से 30.6.2004 के दौरान सीबीआई द्वारा छापे मारे गए थे। ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध–II में दिया गया है।

(ज) सरकार ने बैंकिंग उद्योग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बैंकों को सतर्कता ढांचा सुदृढ़ करने तथा निवारक एवं निषेधात्मक उपाय शुरू करने की सलाह दी गई है। सतर्कता प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा स्थल पर निरीक्षण के दौरान की जाती है। भ्रष्टाचार रोकने के उपायों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली का प्रारम्भ; बैंकों में सर्वोच्च स्तर पर आंतरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा मशीनरी की कार्यप्रणाली की निगरानी; कर्मचारियों की ड्यूटियों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण; स्टाफ का आवधिक रोटेशन; द्रुत अनुशासनिक कार्रवाई तथा दोषी कर्मचारियों को निवारक सजा; भर्ती के समय उम्मीदवारों का गहन अनुवीक्षण शामिल है। भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए बैंकों में एक शक्तिशाली सतर्कता ढांचा बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के अधिकारियों में से महाप्रबंधक के स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था काफी प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है क्योंकि ये अधिकारी बैंक के बाहर से लिए गए हैं तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 (मार्च तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यथा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा।

बैंक का नाम	2002	2003	2004 (मार्च तक)
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	416	477	68
(ओवरसीज शाखा)	*04*	*10*	*00*
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	20	19	07
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	39	48	18
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	18	18	01
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	09	15	02
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	11	08	17
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	09	08	04
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	08	15	03
इलाहाबाद बैंक	49	36	09
आन्ध्रा बैंक	49	52	12
बैंक ऑफ बड़ौदा	85	146	68
(ओवरसीज शाखा)	*01*	*09*	*03*
बैंक ऑफ इंडिया	77	97	38
(ओवरसीज शाखा)	*02*	*02*	*01*

1	2	3	4
बैंक आफ महाराष्ट्र	06	10	02
केनरा बैंक	192	164	48
(ओवरसीज शाखा)	*00*	*00*	*00*
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	45	108	22
कार्पोरेशन बैंक	44	101	11
देना बैंक	26	46	14
इंडियन बैंक	75	75	16
इंडियन ओवरसीज बैंक	48	54	14
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	28	24	08
पंजाब नेशनल बैंक	65	267	64
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	22	30	06
सिंडिकेट बैंक	118	103	34
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	64	59	15
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	45	42	10
यूको बैंक	42	91	14
विजया बैंक	26	59	11
कुल	1643	2193	540

(आंकड़े अनंतिम)

अनुबंध-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों का ब्यौरा जिनमें 1.1.2004 से 30.6.2004 के दौरान सी.बी.आई. द्वारा छापे मारे गए हैं।

बैंक का नाम	दर्ज मामलों की संख्या	अधिकारियों की संख्या जिनके यहां छापे पड़े
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	05	07
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	01	02
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	02	02
इलाहाबाद बैंक	02	05
आन्ध्रा बैंक	02	01
बैंक ऑफ बड़ौदा	01	02
बैंक ऑफ इंडिया	01	01
केनरा बैंक	03	02
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	06	12
कार्पोरेशन बैंक	01	03
देना बैंक	02	02
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	03	06
पंजाब नेशनल बैंक	05	06
सिंडिकेट बैंक	02	01
यूको बैंक	04	03
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	02	02
विजया बैंक	01	02
कुल	43	59

(आंकड़े अनंतिम)

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि मित्रा कमेटी की सिफारिशें आने के बावजूद जब धोखाधड़ी और भ्रष्टाधार के मामलों में वृद्धि हो रही है, तो सरकार कौन से कारगर कदम उठाने जा रही है ताकि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मित्रा समिति की सिफारिशें दो भागों में हैं। पहले भाग का संबंध इन–हाउस निवारक उपायों से है। भा. रि. बैंक ने इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

की है और सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सिफारिशों का कार्यान्वयन करने की सलाह दी है। भा. रि. बैंक ने हमें यह सलाह दी है कि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है और इनकी निरंतर निगरानी की जाएगी।

विधायी परिवर्तनों से संबंधित मित्रा समिति की सिफारिशों के दूसरे भाग के संबंध में, सरकार विधि मंत्रालय के परामर्श से उन विधायी परिवर्तनों की जांच कर रही है जो उन सिफारिशों को लागू करने के लिए किए जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस संबंध में कोई इंडीपैंटेंट कमेटी बनाने का विचार रखती है ताकि कारगर तरीके से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई इंडीपैंडेंट कमेटी बैंक–वार बनाने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, ऐसी पर्याप्त सरकारी एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों को देखती हैं और मैं विनम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि एक अन्य समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तथापि, गंभीर प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने के लिए कम्पनी कार्य विभाग के अंदर गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय का गठन एक स्वतंत्र कार्यालय के रूप में किया गया है। गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय अब कम्पनी अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस संबंध में एक अलग विधान की आवश्यकता की जांच उचित समय आने पर की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत गंभीर है लेकिन उत्तर बहुत साधारण रूप से दे दिया गया है। इससे पहले इसी सदन में 19.12.2003 को तारांकित प्रश्न 270 पूछा गया था। मैं उसका रेफरैंस इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उस समय इस क्वैश्चन के उत्तर में धोखाधड़ी के 1353 मामले इस सदन में रिपोर्ट किये गये थे, जिनमें से केवल 113 मामले ही सीबीआई को दिये गये जबकि 1240 मामलों में धोखाधड़ी के अपराधी उसी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। सन् 2002 में 1643 ऐसे प्रकरण रिपोर्ट किए गए, जो आंकड़े आरबीआई द्वारा आज के सवाल में दिए गए हैं, उनमें से केवल 159 केस सीबीआई को सौंपे गए, बाकी 1484 धोखाधड़ी के अपराधी उसी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। वर्ष 2003 में 2193 धोखाधड़ी के मामले रिपोर्ट किए गए जिनमें से 170 मामले सीबीआई को सौंपे गए और बाकी मामलों के 2023 अपराधी आज भी उसी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा प्रश्न एक ही है कि क्या मित्रा समिति की सिफारिशें फेथफुली, बाई लैटर एंड स्पिरिट लागू की जाएंगी या नहीं क्योंकि मित्रा समिति ने दो पार्ट्स में अपनी रिकमैंडेशन्स दी हैं। जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि पहले पार्ट के दस हैड्स हैं, जिनमें अलग–अलग सिफारिशें की गई हैं। मेरे पास उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है। उन सिफारिशों के आधार पर सैंट्रल विजिलैंस कमिश्नर ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। उस हाई पावर कमेटी ने एक सब–कमेटी बनाई और सब–कमेटी ने उसकी बिल्कुल लीपा–पोती कर दी। एक भी सिफारिश की फेथफुली पालना नहीं की गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : चूंकि आप एक ही सवाल पूछने देंगे, दूसरा नहीं करने देंगे, मेरा एक ही सवाल है कि मित्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी या नहीं? दूसरे, उसमें जो सिफारिशें थीं, उनमें से एक आपने स्वीकार की है, जो सिफारिश आरबीआई ने भी की है। वह सिफारिश यह थी कि एक नया स्टैट्यूट लाया जाए क्योंकि आज जितने कानून विद्यमान हैं, वे बैंक फ्रॉड से निपटने में असफल रहे हैं, नकारा साबित हो रहे हैं। इसी तारतम्य में फाईनेंशियल फ्रॉड इनवैस्टीगेशन प्रॉसीक्यूशन, रिकवरी एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाने की सिफारिश भी की गई थी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें सर्वहारा वर्ग का जिक्र था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात है। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप आरबीआई की सिफारिशों के अनुसार लैजिसलेशन तुरंत लाने की कोशिश करेंगे और ऐसा यहां आश्वासन देंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मित्रा समिति की सिफारिशें वर्ष 2001 में सरकार को प्रस्तुत की गई थीं। मुझे विश्वास है और जैसा कि मैं रिकार्ड में देख रहा हूं, उनका वर्ष 2002 और 2003 में अक्षरशः निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि मैं विभिन्न सिफारिशों को भी निष्ठापूर्वक लागू करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया संक्षेप में बताइए और इस मुद्दे पर बात कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : धोखाधड़ी संबंधी अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मित्रा समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लागू की गई है? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सतर्कता संबंधी इन–हाउस कार्यवाही बहुत ही पर्याप्त है? अनेक अधिकारी 10 से 12 वर्ष तक एक ही पद पर बने हुए हैं। कार्य और स्थानांतरण बारी–बारी से नहीं हो रहे हैं। ये सब चीजें बैंकिंग उद्योग में चल रही हैं। अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह एक विधान लाए।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को प्रश्न के रूप में रखिए; आपका अनुरोध प्रश्न नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह बैंकिंग उद्योग में इस समय व्याप्त धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक विधान लाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मित्रा समिति की रिपोर्ट के भाग–I में जो कुछ भी अंतर्विष्ट है, उसे भा. रि. बैंक द्वारा सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह देते हुए लागू किया गया है तथा भा. रि. बैंक ने यह सूचना दी है कि ये उपाय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किए गए हैं। तथापि, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी व्याप्त है। परंतु उसके लिए एक विशेष विधान बनाया जाना इसका उत्तर नहीं है। बल्कि इसका उत्तर यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के विभिन्न स्तरों पर समुचित पर्यवेक्षण और समुचित जवाबदेही हो। हम सब इस बात से सहमत हैं कि बैंकों को वाणिज्यिक और प्रयोजनमूलक स्वायत्तता अवश्य प्राप्त हो। उन्हें वाणिज्यिक और प्रयोजनमूलक स्वायत्तता देने के बाद हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों को उनके अधीन होने वाले सभी कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाये। इस बारे में मेरा मानना है कि भा. रि. बैंक एक विनियामक के रूप में इसकी जांच कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वामी के रूप में सरकार अत्यंत सतर्क भी रहेगी और अपने नियंत्रण में होने वाले सभी कार्यों के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से जवाबदेह ठहराएगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इस प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई है कि धोखाधड़ी की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े सन् 2002 और 2003 में निरंतर बढ़े हैं, परंतु उसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि सतर्कता विभाग द्वारा छापे मारे गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के यहां छापे मारे गये, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? नियमों में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी प्रावधान है और एफ.आई.आर. दर्ज करने का भी प्रावधान है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई गई है, कितने लोगों को दोषी पाया गया है तथा कितने लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? अगर नहीं की गई है, तो क्यों नहीं की गई? वर्तमान में भी ये कानून मौजूद हैं, फिर इन कानूनों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं निश्चित रूप से वर्ष 2002, 2003 तथा कैलेंडर वर्ष 2004 में मार्च, 2004 तक के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। जिनके संबंध में दोष सिद्ध हुआ है, उनकी संख्या इस प्रकार है : 2002–8; 2003–26, और मार्च, 2004–4। जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई द्वारा बड़ा या छोटा जुर्माना लगाया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है : 2002–493; 2003–509; और मार्च, 2004 तक–151। बड़ा जुर्माना लगाकर जिन लोगों को बर्खास्त/सेवा–मुक्त/निष्काषित किया गया, उनकी संख्या इस प्रकार है–2002–06; 2003–84; और मार्च, 2004 तक–29।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष जी, एफ.आई.आर. दर्ज

किए गए मामलों के बारे में भी मैंने पूछा था कि कितने लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपको जानकारी मिली है? अन्यथा, जानकारी माननीय सदस्य को भेजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य को जानकारी भेज दूंगा। प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या अधिक होगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मित्रा कमीशन की रिपोर्ट के दो हिस्सों का उल्लेख किया है। पहले हिस्से का इम्पलीमेंटेशन तो आर.बी.आई. ने कर दिया लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जिसे भारत सरकार को लागू करना था, उसमें केसेज के स्पीडी डिस्पोजल के लिए स्पेशल कोर्ट्स और आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की तर्ज पर, इन धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक सेपरेट एक्ट की संस्तुति मित्रा कमीशन द्वारा की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिए भारत सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक अलग विधान पारित करने संबंधी प्रश्न की जांच की जा रही है। इस समय कम्पनी कार्य विभाग के अंतर्गत गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय एक स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। विधान की आवश्यकता के संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि इसकी जांच की जा रही है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा विशेष न्यायालयों की स्थापना है। हमने विशेष न्यायालयों में भेजे जाने हेतु चूककर्ताओं के मामलों के संबंध में कुछ संशोधन किए हैं। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानकारी ले सकता हूं कि क्या सरकार इन धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों को शीघ्र न्यायनिर्णयन तथा विचारण के लिए विशेष न्यायालयों को सौंपे जाने पर विचार करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : जब कभी किसी विधान को अंतिम रूप दिया जाएगा, जब कभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विधान आवश्यक है और यदि हम यह निर्णय लेते हैं कि ऐसा विधान तैयार किया जाना चाहिए तो निश्चय ही उस विधान के भाग के रूप में हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि जैसा कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि निर्माण और विकास की मद में जो पैसा केन्द्र से भेजा जाता है, उसका सिर्फ 15 प्रतिशत ही खर्च हो पाता है और बाकी 85 प्रतिशत पैसा इधर–उधर हो जाता है। अगर ऐसा है तो जो पैसा आप एसजीआरवाई या अन्य तमाम स्कीमों के अंतर्गत भेजते हैं, क्या उनकी जांच के लिए कोई परमानेंट एजेंसी आप बनाना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत उत्तर दिया है, तथापि मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने बैंकिंग उद्योग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं और उन उपायों का यहां विवरण दिया गया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसा महसूस करते हैं कि ये उपाय बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पर्याप्त हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ये उपाय भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कभी संतोषजनक स्तर नहीं हो सकता। जब तक कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर लेते, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ?

पिछली सरकार ने कुछ उपाय किए थे। मैं समझता हूँ कि वे संतोषजनक उपाय हैं। यदि वे उपाय संतोषजनक नहीं हैं तो मैं उचित कार्रवाई करूंगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को वापस लेना

***62. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य** : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोयला और खान मंत्रालय से संबंधित कुछ योजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग़) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में इस मंत्रालय से संबंधित कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 62, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकालो।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जब तक दागी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से नहीं निकाला जाता, हम सदन में उनका जवाब नहीं सुनेंगे। इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(तत्पश्चात् डा. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सब खड़े क्यों हैं? डा. शांडिल्य, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

डा. शांडिल्य जो कह रहे हैं, उसे छोड़कर अन्य बातों को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : महोदय, हमारे देश में इस मुद्दे के संबंध में व्यापक गुंजाइश है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक तथ्य है कि ओपनकास्ट खानों की तुलना में भूमिगत खानों से अच्छी किस्म का कोयला प्राप्त होता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि भूमिगत खानों से कम खनन होने के कारण देश में अच्छी किस्म के कोयला का उत्पादन कम है?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित है?

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन : माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार को खानों में कार्यरत कामगारों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है? यदि ऐसा है तो कामगारों की सुरक्षा विशेषकर भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगारों की सुरक्षा सहित उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपका मुख्य प्रश्न केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के बारे में है। कृपया उस पर अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

मंत्री महोदय, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं?

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह पूरक प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह विषय प्रश्न में शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

+

*63. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके प्रायोजित बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में इन बैंकों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों को कितना लाभ और हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या तथा प्रायोजक बैंकों की संख्या से संबंधित राज्य–वार ब्योरे संलग्न अनुबंध–I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण के तहत कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण

(करोड़ रु. में)

	2000–01	2001–02	2002–03
संवितरित राशि	5894.77	7142.70	8846.60
कुल संवितरित ऋणों की तुलना में प्रतिशत	66.81	67.57	69.98

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ/हानि का ब्योरा संलग्न अनुबंध–II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के लिए कई विकल्पों के सुझाव मिले हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से अलग रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्षेत्रीय या राज्य–स्तर पर समामेलन, प्रायोजक बैंकों के साथ विलय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों का अनुषंगी बनाना, उनको राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में मिलाना, आदि शामिल हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नया अभिशासन मानक अपनाते हैं और जो विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करते हैं, वे पुनर्गठन के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

अनुबंध-I

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या एवं प्रायोजक बैंकों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	आर.आर.बी. की संख्या	प्रायोजक बैंकों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	5	2
4.	बिहार	16	4
5.	छत्तीसगढ़	5	3
6.	गुजरात	9	3
7.	हरियाणा	4	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	2
10.	झारखंड	6	2
11.	कर्नाटक	13	6
12.	केरल	2	2

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	19	8
14.	महाराष्ट्र	10	3
15.	मणिपुर	1	1
16.	मेघालय	1	1
17.	मिजोरम	1	1
18.	नागालैंड	1	1
19.	उड़ीसा	9	5
20.	पंजाब	5	3
21.	राजस्थान	14	6
22.	तमिलनाडु	3	2
23.	त्रिपुरा	1	1
24.	उत्तर प्रदेश	36	10
25.	उत्तरांचल	4	2
26.	पश्चिम बंगाल	9	3

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लाभ और हानि

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लाभ/हानि 2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	362.01	365.38	791.68
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	2208.64	2906.80	3261.38
3.	हिसार–सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	352.72	323.47	431.45
4.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	180.40	181.36	204.17
	हरियाणा	**3103.77**	**3777.01**	**4688.68**
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	404.14	404.14	288.25
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	160.53	160.53	123.18
	हिमाचल प्रदेश	**564.67**	**564.67**	**411.43**
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	762.10	868.47	991.61
8.	इलाका ग्रामीण बैंक	–636.61	–618.62	–1210.48
9.	कामराज ग्रामीण बैंक	3.61	87.06	–371.17
	जम्मू एवं कश्मीर	**129.10**	**336.91**	**-590.04**
10.	शिवालिक ग्रामीण बैंक	544.98	751.02	905.23
11.	कपूरथला फिरोजपुर ग्रामीण बैंक	225.46	504.72	858.13
12.	गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक	862.01	1076.65	1203.41
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	508.89	415.94	361.78
14.	फरीदकोट भटिंडा ग्रामीण बैंक	185.35	176.32	215.26
	पंजाब	**2326.69**	**2924.65**	**3543.81**
15.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	536.71	436.46	630.18
16.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	262.18	390.14	548.60
17.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	642.44	89.49	1147.14
18.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–447.96	–370.06	–629.70
19.	अलवर भरतपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	413.10	702.62	971.51
20.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–473.27	–65.47	8.84
21.	हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	201.35	113.58	49.50
22.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	–60.32	2.54	33.44
23.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	4.94	57.86	16.82
24.	बुंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77.17	69.48	18.88

1	2	3	4	5
25.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	218.30	261.14	385.19
26.	डूंगरपुर बांसवाड़ा ग्रामीण बैंक	4.34	9.12	2.44
27.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	143.64	82.39	88.98
28.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10.62	28.55	–99.58
	राजस्थान	**1522.62**	**2580.29**	**3170.24**
29.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	–179.28	–835.94	–1118.66
	अरुणाचल प्रदेश	**-179.28**	**-835.94**	**-1118.66**
30.	प्राग्यजोतिष ग्रामीण बैंक	7.83	55.16	340.06
31.	लाखीमी गोयनलिया बैंक	375.36	67.48	53.75
32.	काचर ग्रामीण बैंक	191.55	179.58	18.82
33.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	–162.66	–99.89	–325.50
34.	सुभांशी गोयनलिया बैंक	87.81	93.21	61.38
	असम	**499.89**	**295.54**	**148.51**
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	–32.04	–116.07	–214.90
	मणिपुर	**-32.04**	**-116.07**	**-214.90**
36.	खासी जयंतिया ग्रामीण बैंक	262.61	387.27	310.09
	मेघालय	**262.61**	**387.27**	**310.09**
37.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	20.27	34.32	29.16
	मिजोरम	**20.27**	**34.32**	**29.16**
38.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	9.14	2.38	–16.15
	नागालैंड	**9.14**	**2.38**	**-16.15**
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	–818.78	25.96	205.01
	त्रिपुरा	**-818.78**	**25.96**	**205.01**
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	1017.50	1172.75	1524.81
41.	चम्पारण ग्रामीण बैंक	–496.69	16.97	–967.82
42.	मगध ग्रामीण बैंक	1408.01	1884.80	166.93
43.	कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	252.45	556.67	65.99
44.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20.79	–160.85	–1586.99
45.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–281.10	–56.12	–752.08
46.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20.23	–226.88	–607.76
47.	नालंदा ग्रामीण बैंक	–226.00	–78.44	156.73
48.	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	101.61	104.32	–576.87
49.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	130.59	–138.77	–208.14
50.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	450.06	411.17	492.01
51.	सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–34.74	6.59	–757.44
52.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	422.03	612.10	643.41
53.	पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक	70.83	187.34	19.28
54.	भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82.96	2.11	–608.99
55.	बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	215.66	123.80	65.30
	बिहार	**3154.19**	**4417.56**	**-1261.63**
56.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	174.51	–69.70	–918.36
57.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	125.69.	45.38	–604.57
58.	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	139.58	59.47	–423.52
59.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–137.49	–336.86	–413.31
60.	गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	59.77	161.96	152.93
61.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	312.83	189.40	236.77
	झारखंड	**674.91**	**49.65**	**-1970.06**

1	2	3	4	5
62.	पुरी ग्रामीण बैंक	–148.86	17.96	48.11
63.	बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	–708.29	–628.95	–1596.85
64.	कट्टक ग्राम्या बैंक	–209.50	–998.89	–988.45
65.	कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक	178.00	–399.90	–337.17
66.	काालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	17.25	–805.61	–188.44
67.	बैतारनी ग्रामीण बैंक	102.98	14.40	115.00
68.	बालासोर ग्रामीण बैंक	–926.34	–1056.76	–1285.99
69.	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	305.80	308.76	863.72
70.	ढेंकनाल ग्रामीण बैंक	280.57	300.58	287.82
	उड़ीसा	**-1108.39**	**-3248.41**	**-3082.25**
71.	गौर ग्रामीण बैंक	109.75	411.85	93.99
72.	माल्लाभूम ग्रामीण बैंक	266.33	240.78	12.88
73.	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक	155.35	125.13	–495.01
74.	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	64.42	104.06	–353.00
75.	नदिया ग्रामीण बैंक	183.87	107.04	35.04
76.	सागर ग्रामीण बैंक	503.16	512.48	202.61
77.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	68.04	323.36	23.52
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	121.53	298.98	366.10
79.	मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक	55.81	121.59	126.07
	पश्चिम बंगाल	**1528.26**	**2245.27**	**12.20**
80.	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–230.55	–213.75	–164.06
81.	सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	61.35	30.77	42.92
82.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–437.06	–414.11	–396.46
83.	दुर्ग–राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	151.68	164.29	411.55
84.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	176.93	110.30	91.88
	छत्तीसगढ़	**14.25**	**-77.98**	**-14.17**
85.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	206.17	220.51	191.16
86.	रिवा–सिधी ग्रामीण बैंक	658.79	408.39	121.97
87.	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	250.45	178.92	9.79
88.	शारदा ग्रामीण बैंक	230.65	128.25	180.76
89.	झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–92.16	61.75	–208.47
90.	शिवपुरी–गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	123.41	201.21	51.51
91.	दामोह–पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	263.34	268.96	43.13
92.	देवास–शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	160.25	261.90	335.04
93.	निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–20.13	–2.86	–99.47
94.	मंडला–बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21.11	90.42	40.11
95.	छिंदवाड़ा–सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28.88	83.41	13.80
96.	राजगढ़–सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41.58	78.96	10.95
97.	शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–76.28	21.14	14.20
98.	रतलाम–मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	117.84	171.27	136.39
99.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	103.53	141.04	31.02

1	2	3	4	5
100.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–189.84	–284.41	–241.45
101.	इंदौर–उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.50	–23.53	44.97
102.	ग्वालियर–दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	150.74	191.23	145.64
103.	विदिशा–भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	289.53	293.40	328.72
	मध्य प्रदेश	**2269.36**	**2489.96**	**1149.77**
104.	नैनिताल–अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	396.76	365.52	407.40
105.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	217.15	204.84	274.90
106.	गंगा–यमुना ग्रामीण बैंक	90.67	105.49	28.18
107.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	139.42	86.84	46.02
	उत्तरांचल	**844.00**	**762.69**	**756.50**
108.	प्राथमा बैंक	2617.03	2669.10	3662.09
109.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2860.11	2879.92	1321.99
110.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1979.66	2011.49	2017.84
111.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	506.24	518.60	491.01
112.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	347.55	404.43	325.95
113.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	621.92	300.85	458.67
114.	भगीरथ ग्रामीण बैंक	1930.08	1766.33	1826.37
115.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	611.36	682.59	374.04
116.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	145.79	162.73	276.36
117.	अवध ग्रामीण बैंक	1032.60	760.72	798.07
118.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	335.42	692.19	715.51
119.	श्रावस्ती ग्रामीण बैंक	966.30	643.87	682.92
120.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	314.26	87.34	–91.15
121.	किसान ग्रामीण बैंक	202.82	317.43	264.23
122.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	–296.64	–101.73	–430.06
123.	काशी ग्रामीण बैंक	580.41	908.68	681.27
124.	बस्ती ग्रामीण बैंक	1040.57	1209.78	620.23
125.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	405.14	491.89	75.25
126.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	399.29	515.52	583.83
127.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	590.39	626.70	686.09
128.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	132.63	143.29	138.95
129.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	510.56	539.05	625.88
130.	देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	697.74	754.57	706.11
131.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1168.63	1221.29	1402.50
132.	तुलसी ग्रामीण बैंक	580.28	425.42	649.47
133.	एटा ग्रामीण बैंक	221.46	95.61	501.27
134.	गोमती ग्रामीण बैंक	393.59	641.29	458.61
135.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	256.66	281.73	453.96
136.	रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–239.09	–273.87	15.61
137.	विदुर ग्रामीण बैंक	332.69	501.71	502.11
138.	शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	728.14	768.25	771.50

1	2	3	4	5
139.	विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	51.90	63.62	112.07
140.	सरयु ग्रामीण बैंक	754.30	907.72	986.22
141.	जमुना ग्रामीण् बैंक	190.19	300.23	458.29
142.	मुजफ्फरनगर ग्रामीण बैंक	136.39	311.11	265.10
143.	हिंडन ग्रामीण बैंक	202.58	155.47	165.28
	उत्तर प्रदेश	**23106.37**	**24229.45**	**23553.44**
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	359.25	585.33	592.39
145.	जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक	465.00	339.46	402.10
146.	बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक	181.59	65.27	100.07
147.	पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक	104.75	109.47	138.02
148.	सुरेन्दनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	203.20	288.42	276.75
149.	वलसाड–डांग ग्रामीण बैंक	331.47	423.60	440.00
150.	सूरत–भरूच ग्रामीण बैंक	42.95	–156.73	51.18
151.	साबरकांथा–गांधीनगर ग्रामीण बैंक	216.09	247.01	255.10
152.	जूनागढ़–अमरेली ग्रामीण बैंक	209.79	154.87	144.98
	गुजरात	**2114.09**	**2056.70**	**2400.59**
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	50.79	5.18	–1109.38
154.	औरंगाबाद–जालना ग्रामीण बैंक	455.29	502.35	–323.85
155.	चन्द्रपुर–गढचिरोली ग्रामीण बैंक	73.15	101.97	–295.51
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	132.62	159.68	11.98
157.	रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	57.31	–135.48	4.37
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	37.33	10.86	2.36
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	–24.11	–215.48	–123.39
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	153.60	160.94	136.26
161.	बुलढाणा ग्रामीण बैंक	124.57	196.85	131.77
162.	थाने ग्रामीण बैंक	205.24	162.68	130.25
	महाराष्ट्र	**1265.79**	**949.55**	**-1435.14**
163.	नागार्जुना ग्रामीण बैंक	378.04	101.30	611.32
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	1102.41	1556.80	2150.14
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	502.54	632.07	529.50
166.	श्री अनंथा ग्रामीण बैंक	1035.40	1112.86	1737.55
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	548.73	256.82	375.51
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	259.11	422.74	508.77
169.	संगमेश्वरा ग्रामीण बैंक	724.75	545.87	557.93
170.	मंजीरा ग्रामीण बैंक	612.40	621.64	357.89
171.	पिन्नाकीनी ग्रामीण बैंक	810.55	312.66	845.21
172.	काकथिया ग्रामीण बैंक	128.88	–319.66	–230.99
173.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	165.89	301.45	330.30
174.	श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक	165.16	104.63	113.78
175.	गोलकोंडा ग्रामीण बैंक	181.12	179.77	206.24
176.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	181.23	204.97	278.24
177.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	196.60	189.92	196.12
178.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	86.52	68.18	266.16
	आंध्र प्रदेश	**7080.33**	**6292.02**	**8833.67**
179.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	1603.00	1610.00	1810.00
180.	मल्लाप्रभा ग्रामीण बैंक	1579.51	920.26	1714.11
181.	कावेरी ग्रामीण बैंक	197.42	665.50	178.45

1	2	3	4	5
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	963.87	422.55	535.81
183.	चित्रदुर्गा ग्रामीण बैंक	382.80	543.81	553.28
184.	कल्पतरु ग्रामीण बैंक	500.05	279.91	280.83
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	387.58	493.72	474.77
186.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	1187.69	1258 36	1368.20
187.	चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक	176.88	134.43	–96.04
188.	सहयाद्रि ग्रामीण बैंक	252.03	262.72	284.64
189.	नेत्रवती ग्रामीण बैंक	83.27	109.51	113.54
190.	वारद ग्रामीण बैंक	64.15	205.26	221.58
191.	विश्वराया ग्रामीण बैंक	100.86	145.55	162.66
	कर्नाटक	**7479.11**	**7051.58**	**7601.83**
192.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	1474.58	1193.33	1853.72
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	1785.43	905.16	1129.93
	केरल	**3260.01**	**2098.49**	**2983.65**
194.	पांडयान ग्रामा बैंक	515.74	815.91	1375.00
195.	आदियामान ग्रामा बैंक	186.75	253.61	291.07
196.	वल्लालार ग्रामा बैंक	215.35	177.16	167.47
	तमिलनाडु	**917.84**	**1246.68**	**1833.54**
	कुल योग	60061.69	60787.21	51929.12

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में मंत्री जी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण के संबंध में गत तीन वर्षों के आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध कराई है। मंत्री जी ने वर्ष 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003 की राशियों के संबंध में बताया है, लेकिन मार्च 2003–2004, जब से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ, उसमें अप्रैल, मई और जून, तीन महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। मैं इस अवधि के भी आंकड़े मंत्री जी से जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि जो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कार्य कर रहे हैं, उनमें से कितने बैंक लाभ में चल रहे हैं, और कितने बैंक घाटे में चल रहे हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो बैंक घाटे में चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करके और घाटों के कारणों का पता लगाकर, यदि उनमें कोई अनियमितता पाई जाती है, तो मंत्री जी उस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे, जिससे वे लाभ की स्थिति में आ सकें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 2003–04 के लिए आंकड़े लेखों के अंकेक्षण के बाद ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार लाभ अथवा घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में यह पता चला है कि 156 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ कमा रहे हैं और 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं। परन्तु, यदि आप संचित घाटे की स्थिति के बारे में देखेंगे तो यह पाएंगे कि पिछले संचित घाटे के कारण 97 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचित घाटा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, प्रश्न (घ) और (ङ) के उत्तर में कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के लिए कई विकल्पों के सुझाव मिले हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से अलग रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्षेत्रीय या राज्य–स्तर पर समामेलन, प्रायोजक बैंकों के साथ विलय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों का अनुषंगी बनाना, उनको राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में मिलाना आदि शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समायोजित करके राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का कोई प्रस्ताव है? अगर है, तो इस प्रस्ताव को सरकार कब तक अमल में लाएगी? इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ब्याज दर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों से ज्यादा है। क्या आप इन बैंकों की ब्याज दर भी नेशनलाइज्ड बैंकों के समान करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे विचार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन करना इसका सही समाधान नहीं है। वस्तुतः, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों के एक दल ने इस प्रस्ताव की जांच की थी और उसने यह सिफारिश की थी कि यह सही समाधान नहीं है।

ब्याज दरों के संबंध में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी जमा राशि में से ऋण देते हैं। पुनर्वित्तपोषण की व्यवस्था लगभग 30 प्रतिशत तक अथवा लगभग उतने के लिए है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाने वाली लगभग 70 प्रतिशत निधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशि से ली जाती है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशि अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दर पर ली जाती है। अतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण ब्याज दर उसकी जमा दर के अनुपात में हो। अतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण ब्याज दरों और वाणिज्यिक बैंकों की ऋण ब्याज दरों के बीच समानता लाना सम्भव नहीं होगा।

श्री दुष्यंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इसके प्रायोजक बैंक वर्ष–दर–वर्ष घाटे में चल रहे हैं। यह निर्धन किसानों, ग्रामीण कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों जैसे ग्रामीण लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह इन बैंकों को किस प्रकार से आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना पाएंगे ताकि गांवों में रहने वाले आम आदमी अथवा किसान को वित्तीय सहायता मिल सके और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात कही है माननीय युवा सदस्य ने।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं। परन्तु, मैं यह भी कहूंगा कि परवर्ती सरकारों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनरुज्जीवित करने के लिए क्रमशः कई कदम उठाए हैं। वर्ष 1994–95 से मार्च, 2000 तक परवर्ती सरकारों ने 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनःपूंजीकरण के रूप में 2188 करोड़ रुपये लगाए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में 157 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ की स्थिति में आ गए हैं। परन्तु मेरे विचार से पर्याप्त समय, बेहतर प्रशासन, समुचित निगरानी की व्यवस्था होने से शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लाभ की स्थिति में आ जाएंगे।

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे अपने प्रश्न का भाग (ख) बना दीजिए। मैं उन्हें इसलिए अनुमति दे रहा हूं क्योंकि वह पहली बार सदस्य बनकर आए हैं। इसे दोहराया न जाए और अन्य सदस्य भी इसका अनुकरण न करें।

श्री दुष्यंत सिंह : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित तेईस में से अट्ठारह बैंक हमेशा घाटे में चलते रहते हैं। ये हमेशा घाटे में चलते रहते हैं।

मेरे पास 'द बिजिनेस स्टेण्डर्ड' में प्रकाशित एक लेख है जिसमें यह बताया गया है कि क्रमशः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित तेईस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से अट्ठारह बैंकों ने 611.20 करोड़ रुपये का घाटा और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित तीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से इक्कीस बैंकों ने 584.97 करोड़ रुपये का संचित घाटा दर्शाया है तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ग्यारह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं। वे बैंक हमेशा घाटे में चलते रहते हैं। ऐसे घाटे से बचने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार इनकी जांच करने और इनके पुनर्गठन हेतु नाबार्ड जैसे शीर्ष बैंक की स्थापना करेगी ताकि ग्रामीण लोग, ग्रामीण कारीगर, भूमिहीन मजदूर, आम जनता और साधारण लोग लाभान्वित हो सकें, जैसा कि आपकी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है?

श्री पी. चिदम्बरम : यह सही है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप संचित घाटे की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि 97 बैंकों को संचित घाटा हुआ है। परन्तु, यदि आप इस बात पर विचार करेंगे कि पिछले वर्ष कितने बैंक लाभ की स्थिति में आ गए थे और कितने बैंक घाटे में चल रहे थे, इस संबंध में मैंने यह बताया था कि इस समय केवल 40 बैंक घाटे में चल रहे हैं। इनमें से कुछ बैंक क्रमशः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य प्रायोजित बैंकों के अधीन हैं।

निश्चित रूप से उठाए गए कदमों से 157 बैंकों में सुधार हुआ है और 40 बैंक अभी भी घाटे में चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि और कदम उठाकर हम अन्य 40 बैंकों को भी लाभकारी

बना सकते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि 18 जून को घोषित किए गए ऋण पैकेज को भी कार्यान्वित किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य के साथ–साथ अन्य माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वह अतःसत्रावधि में कृपया अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें और वापस आकर मुझे बताएं कि क्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में बैंक ऋण पैकेज को लागू कर रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'घ' भाग में सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों में सुधार लाने के बारे में पूछा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को जो ऋण प्रदान किया जाता है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते, बिना पैसा दिए, कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने हेतु और ग्राहक सेवाओं में सरलीकरण हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं इस तथ्य को निश्चित रूप से छिपाना नहीं चाहूंगा कि संभवतः ऋण वितरण में कुछ स्तर तक भ्रष्टाचार भी है। परन्तु, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक प्रायोजक बैंक के अधीन कार्यरत है। जैसा कि मैंने कल अपने बजट भाषण में कहा था कि मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन के लिए संबंधित बैंक को पूर्णतः जिम्मेवार ठहराऊंगा।

श्री के. एस. राव : महोदय, यह बताते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल एक बैंक ही घाटे में चल रहा है। अन्य बैंक समेकित रूप से 88 करोड़ रुपए का लाभ कमा रहे हैं। उन दिनों में अथवा आजकल भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से किसानों, कारीगरों आदि को अधिक से अधिक ऋण का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के. एस. राव : जी हां, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

आंध्र प्रदेश के उधारकर्ताओं के अनुशासन, चरित्र, ईमानदारी और पुनर्भुगतान स्तर को देखते हुए और यह भी जानते हुए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हजारों करोड़ रुपये की गैर–निष्पादक आस्तियां हैं, क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुछ राशि को उस क्षेत्र अथवा जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अंतरित कर दी जाए और घटी हुई ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था की जाए क्योंकि वे लाभ कमा रहे हैं और घाटे में नहीं चल रहे हैं? अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे बैंकों, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान कर रहे हैं को प्रोत्साहित करेंगे जो कि आज हमारा उद्देश्य है।

श्री पी. चिदम्बरम : जब माननीय सदस्य अपना पैसा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं तो मैं उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कैसे अंतरित कर पाऊंगा? मैं यह नहीं कर सकता। अतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य बैंक की जमा राशि के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। मुझे एक बैंक की जमा राशि को किसी अन्य बैंक में अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पांडा, कृपया सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पांडा : मेरा सीधा प्रश्न यह है। जहां तक मुझे याद है वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करते हुए एक शीर्ष बैंक गठित करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश अभी भी लागू है। परन्तु, आज माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि वह केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से इस मामले की वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपने का अनुरोध कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है और यह प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रबोध पांडा : मेरा प्रश्न यह है। क्या यह इस मामले को वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपने पर विचार कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस मामले को पुनः स्थायी समिति को सौंपने वाले हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसके लिए संहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी तरह गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न के दौरान मैंने आपको अवसर दिया था। आप अब इस पर नहीं बोल सकते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको अन्य सदस्यों के सामने गलत दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अनुबंध–II में उन्होंने ब्यौरा दिया है। उसमें उन्होंने बैंक के बारे में बताया है कि वह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। वस्तुतः वह उस राज्य में नहीं आता। उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की है। आप सरकार को यह निदेश दें कि वह...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अब राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक गठित करने हेतु कोई प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं है। मेरे विचार से यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं का समाधान नहीं है। प्रायोजक बैंकों को पूर्णतः जवाबदेह बनाया जाए और हम उन्हें जवाबदेह मानते हैं। हम बाकी बैंकों में बदलाव ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने पहले ही कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद ताहिर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि ग्रामीण स्तर के लोगों को आसानी से ऋण मिले जिससे वे अपना मनपसन्द कारोबार शुरू कर सकें जबकि जमीनी हकीकत यह है कि इन बैंकों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि अधिकारियों की अच्छी सेवाभगत की जाती है तो आसांनी से ऋण मिल जाता है, चाहे उद्योग लगे या न लगे जबकि वास्तव में जो जरूरतमंद हैं, उनको ऋण नहीं मिलता है। क्या सरकार ऐसी प्रणाली विकसित करेगी कि ऋण देते समय व्यक्तियों को किसी भी तरह का घूस या कमीशन न देना पड़े जिससे जरूरतमंदों को ऋण मिले और ऋण का दुरुपयोग न हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम प्रायोजक बैंक को कार्यनिष्पादन के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। इससे निष्पादन में सुधार होगा।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया है। आप अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

अब मैं प्रो. रामदास को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। मैंने आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। आप प्रश्न काल के दौरान इस प्रकार खड़े नहीं हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने जो भी जानकारी प्रस्तुत की है वह गलत है। अनुबंध–II में उड़ीसा के अंतर्गत उल्लिखित बैंक उड़ीसा में नहीं है। उन्होंने यह कैसे प्रस्तुत किया है? यह तो गंभीर चूक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके पास पर्याप्त उपबंध है। नियमों में कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त उपबंध हैं। यदि माननीय मंत्री जानबूझकर गलत उत्तर देते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। कृपया सहयोग कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए पहले से खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। आप तो सम्मानित सदस्य हैं। आप गलत परंपरा स्थापित मत कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : अनुपूरक प्रश्न तो मैंने ही प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। इसके बाद मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा।

प्रो. एम. रामदास : मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया पूछिए।

प्रो. एम. रामदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के बारे में डा. ए. एन. खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि ऋण पुनरीक्षा समिति ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

इस समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में एक विचार यह था कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कई मामलों में वित्तीय घाटा हुआ है और यहां तक कि बैंकों के घाटे के कारण जमा राशि भी कम हुई है। अतः, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कृषि ऋण के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कोई स्थान नहीं है और समिति ने यह सिफारिश की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों के साथ विलय किया जाए। क्या माननीय मंत्री खुसरो समिति की इस सिफारिश पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरा उत्तर नकारात्मक है और मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक को अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह एक ही तरह के प्रश्न न पूछें।

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इस विशेष क्षेत्र का पुनर्गठन करने और इसे समर्थ बनाने के लिए कारगर उपाय पहले से ही किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना सवाल पूछिए। यह प्रशंसा करने का समय नहीं है।

श्री अधीर चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन लाभार्थियों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने से पूर्व और उसके बाद उनकी आय पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए अभी तक कोई अध्ययन किया गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अब तक कितनी गैर–निष्पादित आस्तियां जमा हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यहां दो प्रश्न हैं। आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे किसी भी लाभार्थी, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है, के स्तर के संबंध में किए गए किसी अध्ययन के बारे में पता नहीं है। मुझे ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। किन्तु यदि किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के किसी समूह का ऐसा कोई अध्ययन है तो मैं पता लगाऊंगा और आपको बता दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 में, वर्तमान प्रधानमंत्री ने, जब वे वित्त मंत्री थे, घोषणा की थी कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण निधियां प्रदान की जाएंगी। सिर्फ 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसी निधियां दी गई हैं। आज तक उन्हें कोई पुनर्पूंजीकरण निधि प्राप्त नहीं हुई है जिनसे वे अर्थक्षम बन सकें। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 40 अब घाटे में चल रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 को पुनर्पूंजीकरण निधियां प्रदान की हैं। शेष 9 बैंकों में से दो को किसी पुनर्पूंजीकरण सहायता की आवश्यकता नहीं है और 7 बैंकों का पुनर्पूंजीकरण के लिए चयन नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया योजना–संसाधनों की अनुपलब्धता

और गैर–योजना में संसाधनों की कमी के कारण पूरी नहीं की जा सकी। मैं इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान दूंगा कि क्या सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर इस वर्ष ध्यान दिया जा सकता है अथवा अगले वर्ष। मैं 24 मई, 2004 तक जो कुछ हुआ उसके बारे में बोल रहा हूं।

जहां तक उन्हें लाभकारी बनाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर उनके कर्मचारियों और उनके प्रबंधन पर भरोसा करें। 157 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभकारी हैं और हम बचे हुए 40 बैंकों को भी लाभकारी बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, धन्यवाद।

इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक। श्री रामदास बंडु आठवले, आपके पास कोई प्रश्न है?

श्री रामदास बंडु आठवले : जी नहीं, महोदय।

कृषकों के लिए राहत पैकेज

+

*64. **श्री सुरेश कुरुप** :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आगामी कुछ वर्षों हेतु कृषि ऋण की आवक में वृद्धि करने हेतु कृषकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषकों के बकाया ऋणों की वसूली का पुनर्निर्धारण करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और एकमुश्त–निपटान योजना भी आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे लघु और सीमांत कृषकों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 18 जून, 2004 को कृषि ऋण के संबंध में की गई घोषणा में 3 वर्षों में कृषि ऋण के प्रवाह को दुगुना करने और निम्नलिखित राहत उपायों की परिकल्पना की गई है :

(i) ऋण की भुगतान अनुसूची पुनः बनाना/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण और आपदाग्रस्त किसानों के लिए नए ऋण।

(ii) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एकबारगी निपटान।

(iii) उन किसानों को नए ऋण, जिनके पूर्ववर्ती ऋणों का समझौते या बट्टे खाते द्वारा निपटान कर दिया गया है।

(iv) गैर--संस्थागत ऋणदाताओं के कर्जदार किसानों के लिए ऋण।

भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने घोषणा के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 24 जून और 29 जून, 2004 को वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले ही मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा उन सभी किसानों, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार 2 या इससे अधिक वर्षों तक उत्पादन एवं आय की हानियां हुई हैं, के ऋणों की अवधि पुनर्निर्धारित की जाएगी। भुगतान अनुसूची पुनः बनाई जाएगी, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार ने ऐसे जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया हो। ऐसे उधारकर्ताओं के खातों (फसल ऋणों और सावधि कृषि ऋणों) में 31 मार्च, 2004 तक बकाया/उपचित ब्याज को 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उस खाते में बकाया मूलधन के साथ मिला दिया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित की गई रकम, दो वर्षों के प्रारंभिक अधिस्थगन सहित, चालू ब्याज दरों पर 5 वर्षों की अवधि में प्रतिदेय होगी। स्थायी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पहले से पुनर्निर्धारित ऋणों के लिए 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उस पर ब्याज सहित अतिदेय किस्तों को पुनर्निर्धरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उन लघु एवं सीमांत कृषकों, जिन्हें 24 जून, 2004 तक चूककर्ताओं के रूप में घोषित किया गया है और जो नए ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं, के संबंध में एकबारगी

निपटान योजना के लिए स्वयं अपने मार्गनिर्देश तैयार करें। बैंक एकबारगी निपटान संबंधी मार्गनिर्देशों के चूककर्ताओं को अधिसूचित करने का कार्य अधिक से अधिक 30 सितम्बर, 2004 तक पूरा करेंगे और ऐसे चूककर्ताओं के एकबारगी निपटान के लिए प्राप्त आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अन्दर कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त के अनुसार, खातों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनर्निर्धारित कर दिए जाने पर, संबंधित किसान नए ऋणों के लिए पात्र हो जाएंगे। बैंक लघु एवं सीमांत कृषकों के उन सभी मामलों की भी समीक्षा करेंगे, जहां केवल इस आधार पर ऋण देने से इन्कार कर दिया गया है कि ऋण खाते का निपटान एकबारगी निपटान के माध्यम से किया गया था। इन उपायों के क्रियान्यन से अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषक लाभान्वित होंगे और नए ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

श्री सुरेश कुरुप : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे अरसे के बाद इस सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें कृषि पर जोर दिया गया है। संपूर्ण देश इसके लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा कर रहा है। परंतु मुझे सरकार द्वारा घोषित उपायों के संदर्भ में अपनी आशंका व्यक्त करने दीजिए। हमारे देश में किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि एक ओर तो उन्हें उनके उत्पाद की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है और दूसरी ओर वसूली संबंधी समस्याएं भी सामने थीं। अतः मेरा मुद्दा यह है कि असाधारण मामलों में, जहां दो या तीन वर्षों से लगातार फसलें बर्बाद हो रही हैं, सरकार को ऋण माफी के बारे में सोचना चाहिए और अन्य मामलों में, सरकार ब्याज माफ करने पर विचार कर सकती है। इन उपायों से ही किसान लाभान्वित होंगे। जिन किसानों ने आत्महत्या की है वे मझोले और छोटे किसान हैं। अतः किसानों की मदद करने के लिए सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए।

संपूर्ण देश में कतिपय किसानों और संगठनों ने इस तरह की मांग की है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : किसान संस्थागत ऋण लेते हैं, किसान गैर–संस्थागत ऋण भी लेते हैं। किसानों को, जो महाजनों और स्थानीय ऋण स्रोतों से उधार लेने के लिए बाध्य हैं, हमारा प्रयास यह रहता है कि उन्हें संस्थागत ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए। मैं उन किसानों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं जिन्हें आत्महत्या करने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसे किसानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राहत प्रदान की जा रही है और प्रधानमंत्री ने भी जब आंध्र प्रदेश का दौरा किया कतिपय राहत संबंधी उपायों की घोषणा की थी। इसलिए, संस्थागत ऋण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए, जून–18 पैकेज की घोषणा की गई है। मेरे विचार से हमें जून–18 पैकेज का उचित परीक्षण करना चाहिए और तत्पश्चात् कुछ समय बाद हमें जून–18 पैकेज और उसके परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैं प्रधानमंत्री द्वारा, जब वे आंध्र प्रदेश गए थे और उन किसानों ने जिन्होंने आत्महत्या की थी, के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की, व्यक्त इस चिंता की सचमुच प्रशंसा करता हूं। मैं केरल के, विशेषकर वायनाड और पलक्कड जिले के किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामले इस सम्मानीय सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। वायनाड जिले में ही अकेले 91 किसानों ने आत्महत्या की है, परंतु दुर्भाग्यवश देश की जानकारी में यह बात नहीं लाई गई।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राहत संबंधी उपायों जैसा कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में घोषणा की थी केरल के उन किसान परिवारों को भी देगी जिन्होंने आत्महत्या की थी?

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य यह बात निश्चित रूप से जानते होंगे कि क्या राज्य सरकार ने उन्हें पहले ही कुछ राहत दी है या नहीं। परंतु यदि राज्य सरकार या माननीय सदस्य राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजते हैं तो मैं इस प्रस्ताव पर अवश्य ही ध्यान दूंगा। मुझे उन परिवारों से गहरी सहानुभूति है मुझे अत्यंत खेद है और मैं इन मामलों पर ध्यान दूंगा।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने उन किसानों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है जिन्होंने आत्महत्या की है। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि यह पैकेज भी संपूर्ण देश में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने के कारण गया है। जब हम प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहेगी और उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और वे हमारे उन विचारों से सहमत हुए कि कतिपय ऋण राशि को माफ किया जा सकता है और साथ ही ब्याज कम किया जा सकता है। पैकेज संपूर्ण देश के किसानों की सच्ची भावनाओं और प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त चिंता को नहीं दर्शाता।

क्या माननीय मंत्री कतिपय ऋण अर्थात् संस्थागत ऋण की राशि, चाहे जो भी हो—को माफ करने और उसके बाद ब्याज दर को कम करने पर जो चार प्रतिशत हो सकती है पर विचार करेंगे? क्या वे इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : वस्तुतः ये प्रश्न के दो भाग हैं और मैं इन दोनों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जहां तक ऋण माफी का प्रश्न है, मुझे संस्थाओं के बही—खातों को भी ध्यान में रखना होगा। ऋण माफी मुफ्त में नहीं हो जाती है, किसी और को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें इसका गहन अध्ययन करके पता लगाना होगा कि इसका बोझ किस पर पड़ेगा। क्या इसका बोझ बैंक उठाएंगे या इसका बोझ राजकोष को वहन करना पड़ेगा। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर मैं तत्काल उत्तर दे सकता हूं कि, 'हां हम ऋण माफ कर देंगे' क्योंकि ऋण माफी की कीमत होती है और हमें सावधानीपूर्वक इस पर विचार करना होगा कि बैंकिंग प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

दूसरा, जहां तक ब्याज का संबंध ऋण दर अपरिहार्य रूप से उन दरों से संबंधित होती हैं जिस दर पर बैंकों में धनराशि उपलब्ध होती है। आज कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसे 3 प्रतिशत पर ऋण नहीं मिलेगा वह 4 प्रतिशत पर उधार कैसे दे सकता है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक बैंक को लीजिए। वाणिज्यिक बैंक की जमा दरें ऋण दरों को निर्धारित करती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा दरें ऋण दर को निर्धारित करती हैं। इस देश के ब्याज दर ढांचे को देखते हुए, मैं नहीं समझता कि कोई भी तीन प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक में जमा करेगा जिसे चार प्रतिशत की दर पर उधार दिया जा सकता है। इसके लिए ऐसी कोई ऋण प्रणाली नहीं है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : सरकार, ब्याज दर को कम कर सकती है और साथ ही ऋण माफ कर सकती है। यदि हम ऋण माफी की मांग कर रहे हैं हम यह नहीं कहते कि बैंक ही सारा बोझ उठाए। यह सरकार का काम है। आप विभिन्न क्षेत्रों में यह कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न पर हम तब चर्चा कर सकते हैं जब हम बजट पर आम चर्चा कर रहे होते हैं। यदि हमें इसका भार राजकोष पर डालना है तो हमें बजट में इसका प्रावधान करना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें कुछ अन्य मदों पर व्यय में कटौती करनी होगी। हम इस मुद्दे पर चर्चा बजट पर सामान्य चर्चा के भाग के रूप में कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि लोन्स भी वेव नहीं करेंगे और इंट्रस्ट भी वेव नहीं किया जाएगा। एक तरफ आप इंट्रस्ट भी वेव न करें, लोन्स भी वेव न करें और उनको एकमुश्त भी कुछ न दें और दूसरी तरफ सरकार अपनी सबसिडी टोटल में से कम कर रही है, उत्तर में लिखा है कि हमने यह पैकेज दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि पहली सरकार के पैकेज और इस पैकेज में क्या फर्क है? उन्होंने भी कहा था कि तीन साल में डबल कर दिया जाए, आप भी वही कह रहे हैं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में फार्मर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, वह यही था कि उनका इंट्रस्ट वेव किया जाएगा खासकर जहां ड्राउट हुआ। जहां ड्राउट नहीं भी हुआ है, जैसे पंजाब, केरल और दूसरे राज्यों में भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसका एक ही हल है कि या तो इंट्रस्ट को वेव करें या लोन को वेव करें। बाकी सब लिप सिम्पैथी है। मंत्री जी आप साफ बताएं कि किस तरह से आप किसानों को फायदा पहुंचाएंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य ने मेरे सम्माननीय पूर्व मंत्री का उल्लेख किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे सम्माननीय पूर्ववर्ती मंत्री ने ब्याज को माफ करने की पेशकश की थी या मूल राशि को। मुझे उनके द्वारा दिया गया ऐसा कोई वक्तव्य याद नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा था कि वे ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे उत्तर देने दीजिए। हमारे सत्ता में आने के बाद हमने एक राहत पैकेज की घोषणा की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सबसे संतोषजनक पैकेज है किन्तु यह पैकेज विद्यमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम है। मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस पैकेज का उचित परीक्षण किया जाए और इसकी उचित समयावधि के बाद समीक्षा की जाए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उस समय तक न जाने कितनी आत्महत्याएं और हो जाएंगी। तब तक क्या करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जहां तक देश का प्रश्न है आपने अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारने के लिए मैं आपका आभारी हूं। संपूर्ण देश में—जैसा कि श्री रामजीलाल सुमन ने यहां एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि किसान बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक यह है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और दूसरा यह कि—जिसके लिए अन्य सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की है—वे ऋण पर ब्याज दर और ऋण की राशि वापस नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री जी ने सभा में जिस पैकेज की घोषणा की है वह संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे?

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे सभा में ऋण या ऋण पर ब्याज दर को समाप्त करने की घोषणा करें। किसानों को कुछ राहत मिलनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : हम माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना से सहमत हैं परंतु ऐसी घोषणा करना मेरे लिए संभव नहीं है। इस मामले की अत्यंत सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी होगी। किसी ऋण को माफ करने या ब्याज को माफ करने के लिए कीमत चुकानी होती है। हम निश्चित रूप से माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को ध्यान में रखेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ने सभा में घोषणा की थी कि सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति 5 वर्षों के भीतर कर दी जाएगी। सभा में यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को अभी तक देश के किसी भी भाग में विशेषकर सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया गया है। सरकार ने बहुत सारे राहत उपायों की घोषणा की है। यह ठीक है। मैं बहुत खुश हूं। लेकिन उन राहत उपायों को व्यावहारिक रूप से कार्यरूप नहीं दिया जाता है। कुल ऋण का 18 प्रतिशत बैंकों द्वारा दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये दिशा–निर्देश दिए गए हैं। मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति का सदस्य था। मैंने संपूर्ण देश में इसके बारे में समीक्षा की थी परंतु बैंकों द्वारा कुल ऋण की 13 या 14 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं दी गई थी।

अतः इन सभी राहत उपायों को उचित रूप से कार्यान्वित करना होगा। आपको प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य के सभापतित्व में एक समिति का गठन करना होगा ताकि वह सरकार को इस आशय की जानकारी दे सके कि सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं, यदि सरकार के निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं होता है तो आपको कार्रवाई करनी होगी अन्यथा ये राहत संबंधी उपाय कार्यान्वित नहीं हो पाएंगे।

क्या मंत्री जी इन सभी राहत उपायों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से निगरानी समितियां नियुक्त करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कुछ देर पहले ही मैंने कहा था और मैं फिर दोहराता हूं और मैं माननीय सदस्यों से सम्मानपूर्वक आग्रह करता हूं कि वे अंतरसत्रावधि में अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करें और मुआइना करें कि क्या इन उपायों को लागू किया जा रहा है। यदि इनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है तो कृपया मेरे ध्यान में यह बात लाई जाए और मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं वायनाड जिले से हूं जहां आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले पांच वर्षों में कॉफी और काली मिर्च की कीमतें गिर रही हैं। पांच वर्ष पूर्व यह 67 रु. प्रति किलो थी, आज यह 17 रु. प्रति किलो है। काली मिर्च और अन्य फसलों के मामले में भी यही बात है। यहां आपने कहा है कि ब्याज राशि को मूल राशि में मिला दिया जाएगा। एकबारगी निपटान के अंतर्गत आप मूलधन और ब्याज दोनों को मिला रहे हैं। अर्थात् ब्याज राशि और बकाया राशि मूल राशि बन जाती है और इस मूल राशि पर आप पुनः ब्याज वसूलते हैं। किसान किस प्रकार से इसे चुकाएंगे? इसमें क्या राहत मिल रही है? निश्चित रूप से आप ऐसी कौन सी राहत किसानों को दे रहे हैं? सर्वप्रथम लाभकारी मूल्यों में गिरावट आ रही है। दूसरे कर्ज न चुका सकने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अब इन राहत उपायों में आप उन्हें ब्याज पर ब्याज चुकाने के लिए कह रहे हैं अर्थात् चक्रवृद्धि ब्याज...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपना मुद्दा प्रस्तुत कर दिया है।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : आपने किसानों को विशेषकर वायनाड जिले के किसानों को क्या राहत प्रदान की है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य, जिन्हें

वित्त संबंधी मामलों की अच्छी जानकारी है, से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया कृषि ऋण पैकेज का पैरा 10, उप पैरा 1, 2, 3 और 4 पढ़ें। इन परिस्थितियों में मैं इससे अधिक राहत नहीं दे सकता था। मैंने कहा : "इसकी समीक्षा करने के पश्चात् इसे पूरा अवसर देने के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या किया जा सकता है।" यह कहना सही नहीं होगा कि कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। इस पैकेज की बहुत सराहना की गयी है और कार्यान्वयन के समय देखते हैं कि वास्तव में कितनी राहत पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है। कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कल के बजट भाषण में उन्होंने लघु एवं सीमान्त किसानों पर अच्छा फोकस देने का प्रयास किया था, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ के इलाकों में, जहां किसान परेशान रहते हैं, वहां ऋण खातों का निपटान नहीं होने के कारण बैंक उन्हें ऋण नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इलाके बाढ़ और सुखाड़ के लिए चिह्नित हैं, उन इलाकों में लघु और सीमान्त किसानों के बैंक ऋणखातों का निपटान नहीं होने के बावजूद क्या उन्हें ऋण देने पर विचार करेंगे?

इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो लघु और सीमान्त किसान ऋण लेते हैं और समय पर ऋण का भुगतान नहीं देने के कारण बैंक के पदाधिकारी जब उन्हें जेल भेज देते हैं, तो जेल में रहने, सोने, भोजन करने एवं पखाना फिरने पर जो पैसा खर्च होता है, उस सब पैसे को जोड़कर उन किसानों से वसूला जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश देंगे कि जो कृषक ऋण नहीं देने के कारण जेल में जाएं, उनके जेल में रहने का खर्च उनसे नहीं वसूल जाएगा?

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अपराधियों को जेल में रखने से उनके ऊपर जो व्यय होता है, उसे राज्य सराकार अपराधियों से नहीं वसूलती है, बल्कि स्वयं वहन करती है, लेकिन किसान यदि ऋण नहीं चुकाने के कारण जेल में जाते हैं, तो राज्य सरकार उन पर जेल में होने वाले खर्च को वसूलने का काम करती है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि किसानों से इस धन की वसूली न की जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जेल में रहने वाले लोगों से पैसा वसूला जाता है!

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सच्चाई जानते हैं। मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जहां किसी किसान को ऋण नहीं चुकाने के कारण बैंक द्वारा जेल भेजा गया है। मैं जानता हूं कि कानून के अंतर्गत ऋण का भुगतान न किए जाने के कारण कारावास की सजा का कोई प्रश्न नहीं उठता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जो कृषक बैंक का ऋण नहीं चुकाने के कारण जेल में जाते हैं, उनसे उनके जेल में रहने का खर्च बिहार सरकार वसूलती है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बिहार राज्य में जो किसान जेल में जाते हैं उनसे उनके जेल में रहने का खर्च वसूला जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनेक अवसर प्रदान कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इसीलिए, मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। मैंने पहले ही सात अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे दी है। मैं आगे और प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाएं। अधिक समय न लें। केवल पांच मिनट का समय शेष है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री प्रभुनाथ सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे उन मामलों के ब्यौरे माननीय मंत्री जी को भेज दें। उन्होंने बताया कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे जानकारी देते हैं, तो मैं निश्चित रूप से देखूंगा कि ऐसी घटनाएं न हों।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां लालू जी बैठे हुए हैं, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बिहार में जो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, जो किसान जेल में जाते हैं।...*(व्यवधान)* हम आपको यह रिटन में भेज देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : आप मुझे वे विवरण भेज दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस, क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैंने दो बार आपका नाम पुकारा है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, उन्होंने ऋण के पुनर्गठन संबंधी दिशा–निर्देशों के संबंध में किसान का उल्लेख किया है, जो लगातार दो या उससे अधिक वर्षों तक उत्पादन करता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आय में घाटा उठाता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। बहुत कम समय शेष बचा है।

श्री पी. सी. थामस : काली मिर्च, कॉफी, चाय और रबड़ जैसी कुछ फसलें एक वर्ष के बाद ही बर्बाद हो जाती हैं। इनमें दूसरी आपदा का सामना करने का कोई अवसर नहीं बचता।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. सी. थामस : अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा दिशा–निर्देश में परिवर्तन करें और दोबारा खेती करने के लिए इस ऋण की राहत सभी किसानों को इस बात पर विचार किए बिना उपलब्ध कराएं कि वह क्या बोता है। कुछ राज्य सरकारें सही ब्यौरे भी नहीं देती हैं। केरल में आत्महत्या की घटनाओं के बारे में केरल सरकार ने सही ब्यौरा नहीं दिया था। इसी कारण कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था कि केरल में आत्महत्या का कोई मामला नहीं था और अब हम, संसद सदस्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा जवाब दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। बहुत कम समय शेष बचा है।

श्री पी. सी. थामस : समाचार–पत्रों में छपा था कि संसद सदस्य इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया राज्य सरकार की रिपोर्टों के आधार पर कोई निर्णय न लें। और ना ही दो अथवा तीन आपदाएं घटित होने का इंतजार करें। अतः इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे माननीय सहयोगी पैरा 10 का उप–पैरा (1) पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे पैरा 10 का उप–पैरा (2) भी पढ़ें। "यदि किसान पर ऋण बकाया है और वह नया ऋण लेने के लिए अयोग्य बन गया है, तथा चूंकि पहले लिए गए ऋण को अवमानक और संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है, तो इसके पुनः निर्धारण के लिए संबंधित बैंकों द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे–वे जारी किये जा चुके हैं, ताकि ऐसे किसान भी ऋण पाने के लिए पात्र बन सकें।" आप सभी उप–पैराग्राफों को एक साथ पढ़ें। मेरा अनुमान है कि एक अथवा अन्य किसी उप–पैरा के अंतर्गत सभी किसान कवर हो जाएंगे।

श्री सुधांशु सील : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुष्पकृषि व्यवसाय के संबंध में माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने कल बताया था कि वे पुष्पकृषि व्यवसाय संबंधी संभावनाओं का पता लगाने पर अधिक जोर देंगे। इन फूलों का उत्पादन पुष्प उत्पादकों द्वारा किया जाता है, किन्तु हमारे देश में हमारे पास उचित आधारभूत–ढांचा उपलब्ध नहीं है। आप जानते हैं, हम जैसे ही फूलों को खेतों से तोड़ते हैं, हमें विभिन्न स्थानों पर वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटेड वैन और कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए पुष्प–उत्पादकों को राज–सहायता दी जानी चाहिए। क्या आपकी इन पुष्प उत्पादकों को अधिक सहायता देने की कोई योजना है, ताकि वे पुष्पकृषि व्यवसाय को बेहतर ढंग से कर सकें? इसका बहुत बड़ा विश्वव्यापी बाजार है। अतः क्या आपकी इन पुष्प उत्पादकों को और अधिक सहयोग देने की कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय : ये पुष्पकृषि से जुड़े किसानों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : जब बागवानी के लिए मिशन तैयार किया जाता है, तो इसमें पुष्प भी निश्चित रूप से शामिल होंगे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पूरे देश के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा इस सदन में की गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए। आप विशेष प्रश्न पूछिए। बहुत कम समय शेष बचा है।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : हमारे यहां कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ओलावृष्टि हुई है, आगजनी हुई है जिसमें किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे किसान भी हैं, जिन्होंने फर्जी इंतख़ाब खतौनी लगाकर बैंकों से ऋण ले लिया है, लेकिन आज उनकी खेती नीलामी के कगार पर है। क्या मंत्री जी इस राहत पैकेज से कुछ सहायता उन किसानों को प्रदान करने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यदि किसानों को फर्जी कागजों के आधार पर ऋण दिया गया है, तो मैं उन्हें राहत कैसे दे सकता हूं।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय, हम सभी जानते हैं कि किसान इसलिए पीड़ित हैं, क्योंकि आदान की लागत बढ़ती जा रही है जबकि उत्पाद का मूल्य लगातार घट रहा है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपाय केवल अस्थायी समाधान हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि उनके द्वारा प्रस्ताव किया गया दीर्घ कालीन समाधान क्या है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर अवश्य विचार करूंगा।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विमानपत्तनों के विकास/निर्माण में भागीदारी

*65. **श्री एन. एन. कृष्णदास :**
श्री निहाल चन्द :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे विमानपत्तनों के विकास/निर्माण में गैर–सरकारी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी एयरलाइन कंपनियों को घरेलू विमान सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विकसित किए गए विमानपत्तनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा निकट भविष्य में किन–किन विमानपत्तनों के विकसित किए जाने की योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 1997 की 'विमानपत्तन आधारभूत संरचना की नीति' के अनुसार हवाईअड्डा परियोजनाओं में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी स्वचालित अनुमोदन मार्ग द्वारा तथा 100 प्रतिशत तक की भागीदारी विशेष अनुमति द्वारा अनुमत है।

तथापि, जहां तक दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना की प्रक्रिया का संबंध है, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी में अधिकतम अनुज्ञेय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) 49 प्रतिशत तक ही सीमित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा भारत सरकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 26 प्रतिशत इक्विटी रखेंगे। शेष 25 प्रतिशत इक्विटी भारतीय सत्ता (भारतीय कंपनियों) द्वारा रखी जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय कम्पनी की परिभाषा वह कम्पनी है जो कि भारत में निगमित है तथा 100 प्रतिशत भारतीय सत्ता के स्वामित्व में है।

(ग) इस समय विदेशी एयरलाइन कम्पनियों के लिए घरेलू हवाई सेवाओं को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के कई हवाईअड्डों का विकास/स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण किया गया है जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के हवाईअड्डे शामिल हैं। भारत के कई राज्यों में ऐसे कई हवाईअड्डे हैं जिनका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास/स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण किया जाना है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

*66. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री ए. के. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न शहरों/नगरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ये कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनके कब तक स्थापित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकारों द्वारा सरकारी, निजी, संयुक्त क्षेत्र में नए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों तथा निजी संवर्धनकर्त्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक 25 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रूप–रेखाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) नए विशेष आर्थिक विस्तृत बुनियादी संरचना के स्वरूप की परियोजनाएं हैं जिनकी परिपक्वता अवधि लंबी है। स्थापना के लिए अनुमोदित 25 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से इन्दौर (म.प्र.), साल्ट लेक (प. बंगाल), जयपुर (राजस्थान), जोधपुर (राजस्थान) और मुरादाबाद (उ.प्र.) अब प्रचालन के लिए तैयार हैं। अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। चूंकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को निजी/संयुक्त क्षेत्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन दिया गया है इसलिए वह समय–सीमा बताना संभव नहीं है जिसमें क्षेत्रों को संभावित रूप से स्थापित किया जा सके। तथापि, वाणिज्य विभाग द्वारा परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संवर्धनकर्त्ताओं के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

विवरण

अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रूप–रेखाएं

क्र.सं.	स्थान	विकासकर्त्ता का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पोसित्रा (गुजरात)	गुजरात पोसित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	बहु–उत्पाद
2.	नानगुनेरी (तमिलनाडु)	तमिलनाडु औद्योगिक विास निगम लि.	–वही–
3.	नवी–मुम्बई (महाराष्ट्र)	सिटी एण्ड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (सीआईडीसीओ)	–वही–
4.	पारादीप (उड़ीसा)	उड़ीसा सरकार	–वही–

1	2	3	4
5.	गोपालपुर (उड़ीसा)	उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम	बहु–उत्पाद
6.	कुल्पी (प. बंगाल)	प. बंगाल सरकार	–वही–
7.	साल्ट लेक, कोलकाता (प. बंगाल)	प. बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि.	रत्न एवं आभूषण
8.	भदोही (उ.प्र.)	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	बहु–उत्पाद
9.	कानपुर (उ.प्र.)	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	–वही–
10.	ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकारण	–वही–
11.	मुरादाबाद (उ.प्र.)	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास लि.	हस्तशिल्प
12.	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रकचर कारपोरेशन लि.	बहु–उत्पाद
13.	इन्दौर (म.प्र.)	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	–वही–
14.	हसन (कर्नाटक)	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	–वही–
15.	वल्लारपदम/पुतुव्पीन (केरल)	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट आधारित एसईजैड
16.	काकिनाड़ा (आंध्र प्रदेश)	काकिनाड़ा सीपोर्ट्स लि.	–वही–
17.	कोप्ता (महा–मुम्बई) (महाराष्ट्र)	गुजरात पोसित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रकचर लि.	बहु–उत्पाद
18.	सितापुरा, जयपुर (राजस्थान)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि.	रत्न एवं आभूषण
19.	बोरान्डा, जोधपुर (राजस्थान)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि.	हस्तशिल्प एवं ग्वारगम
20.	दाहेज (गुजरात)	गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलवपमेंट कारपोरेशन	बहु–उत्पाद
21.	बहिकमपडी (कर्नाटक)	केनरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री	–वही–
22.	मुन्द्रा (गुजरात)	मैसर्स मुन्द्रा स्पेशन इकॉनोमिक जोन लि.	–वही–
23.	रांची (झारखंड)	मैसर्स रांची इन्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट अथॅरिटी	–वही–
24.	ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)	मैसर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडिक्राफ्ट्स	हस्तशिल्प
25.	कोलकाता (प. बंगाल)	मैसर्स एमएल डालमिया एण्ड कं. लि.	चर्म उत्पाद

वस्त्र उद्योग में चीन से प्रतिस्पर्धा

*67. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का वस्त्र उद्योग चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वस्त्र उद्योग द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) देश में वस्त्र उत्पादन में सुधार लाने में सरकार द्वारा कौन–कौन सी बाधाओं का पता लगाया गया है; और

(घ) इन बाधाओं को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां। विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश में भारतीय वस्त्र उद्योग चीन सहित अनेक देशों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, कम उत्पादकता, उत्पादन की उच्च लागत, वित्तीय शुल्क में ढांचागत विसंगतियां, उच्च ब्याज दर, अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं आदि ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं जिनसे भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवंबर, 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की और भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और आधुनिकीकरण किया जा सके।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।

(3) वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए टीयूएफएस के अनुरूप विशिष्ट मशीनों में निवेश करने के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता उपलब्ध है जिसमें सहायता की अधिकतम सीमा 12 लाख रु. है।

(4) 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण वाले ऐसे संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

(5) लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित करना। साथ ही निटिंग/हौजरी क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करना।

(6) वस्त्र उत्पादन को प्रतिस्पर्द्धा बनाने के प्रयोजन से विभिन्न पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के वास्ते निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई।

(8) महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र विकास योजना (टीसीआईडीएस) भी शुरू की गई है।

(9) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया।

(10) घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए अनेक वस्त्र मदों के आयात पर सम मूल्य और विशिष्ट शुल्क का सम्मिश्रण "इसमें से जो भी अधिक हो के आधार पर" लागू करना।

(11) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान करना। कुछ विशिष्ट मशीन मदों पर सीमा शुल्क घटाकर और उत्पाद शुल्क समाप्त कर मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है।

(12) वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार विपणन विकास सहायता (एम डी ए) योजना के तहत वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(13) नियमित आधार पर आयात की बारीकी से मॉनीटरिंग ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को आयात के कारण कोई गंभीर खतरा नहीं पहुंच रहा है। यदि कोई अनुचित व्यापार की परिपाटियां जानकारी में आती हैं तो आवश्यक होने पर डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(14) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(15) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

(16) कतिपय अपवादों के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई; और

(17) वापसी मार्ग के माध्यम से निर्यात पर करों एवं शुल्कों की वापसी।

एन.टी.सी. की रुग्ण मिलें

*68. **श्री परसुराम माझी :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एन.टी.सी. के अंतर्गत वस्त्र मिलों की संख्या राज्य–वार कितनी है;

(ख) इनमें से रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या एन.टी.सी. की इन रुग्ण मिलों में से किसी मिल का पुनरुद्धार किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बंद पड़ी घाटे में चल रही एन.टी.सी. मिलों के लिए सरकार की नीति क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) 65 मिलों को बंद करने के बाद एन.टी.सी. के पास 54 मिलें हैं जिनमें से 53 मिलें चल रही हैं और एक बंद होने वाली है। मिलों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) ये सभी 54 मिलें रुग्ण हैं।

(ग) और (घ) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजनाओं के अनुसार 53 मिलों का पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है। इन मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार की नीति है कि सभी पुनरुद्धार–योग्य मिलों का पुनरुद्धार किया जाए और पुनरुद्धार न किए जाने योग्य मिलों को उनके प्रभावित कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद बंद कर दिया जाए। इस नीति के अनुसार 66 गैर–अर्थक्षम मिलों में से 65 मिलों को आईडी अधिनियम के तहत पहले ही बंद कर दिया गया है। तथापि, इस नीति की पुनरीक्षा की जा रही है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

एन.टी.सी. के अंतर्गत मिलों की राज्यवार संख्या

मिलों की सं.

क्र.सं.	राज्य	चालू	बंद	बंद की जाने वाली
1.	पंजाब	2	2	
2.	राजस्थान	3	1	
3.	छत्तीसगढ़	0	1	
4.	मध्य प्रदेश	2	4	
5.	उत्तर प्रदेश	2	9	
6.	महाराष्ट्र	17	18	
7.	गुजरात	2	9	
8.	आंध्र प्रदेश	2	4	
9.	कर्नाटक	2	2	
10.	केरल	5	0	
11.	पांडिचेरी (माहे)	1	0	
12.	असम	1	0	
13.	बिहार	1	1	
14.	उड़ीसा	1	0	
15.	प. बंगाल	3	9	
16.	तमिलनाडु	8	5	
17.	पांडिचेरी	1	0	1
	कुल	53	65	1

विवरण-II

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

53 अर्थक्षम मिलों की संख्या

क्र.सं.	मिल का नाम	अवस्थिति
1	2	3
I. एनटीसी (एपीकेकेएम) लि.		
(क) आंध्र प्रदेश	1. तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनी गुंटा
	2. अनंतपुर कॉटन मिल्स	टाटापटरी
(ख) कर्नाटक	3. मिनर्वा मिल्स	बेंगलूर
	4. श्री यल्लमा कॉटन मिल्स	देवंगीर
(ग) केरल	5. अलगप्पा टैक्स. मिल्स	अलगप्पा नगर
	6. कन्नानूर स्पि. एंड विवि. मिल्स	कन्नानूर
	7. केरल लक्ष्मी मिल्स	तिरुचूर
	8. विजय मोहनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
	9. पार्वती मिल्स	किलन
(घ) माहे	10. कन्नानूर स्पि. एंड विवि. मिल्स	माहे
II. एनटीसी (डीपीआर) लि.		
(क) पंजाब	11. खरड़ टैक्सटाइल मिल्स	खरड़
	12. सूरज टैक्स. मिल्स	मलौट
(ख) राजस्थान	13. उदयपुर कॉटन मिल्स	उदयपुर
	14. महालक्ष्मी मिल्स	ब्यावर
	15. श्री विजय कॉटन मिल्स	श्री विजयनगर
III. एनटीसी (गुजरात) लि.		
(क) गुजरात	16. अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद
	17. राजनगर टैक्स. मिल्स नं. 1	अहमदाबाद
IV. एनटीसी (एमएन) लि.		
(क) महाराष्ट्र	18. इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाइ वर्क्स	मुंबई
	19. इंडिया यूनाइटेड नं. 1	मुंबई
	20. कोहिनूर मिल्स नं. 1	मुंबई
	21. टाटा मिल्स	मुंबई
	22. पोदार मिल्स	मुंबई
	23. रब्बा मिल्स	हिंगनघाट
	24. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	मुंबई
	25. सावतराम रामप्रसाद मिल्स	अकोला
V. एनटीसी (एमपी.) लि.		
(क) मध्य प्रदेश	26. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
	27. न्यू भोपाल टैक्स. मिल्स	भोपाल
VI. एनटीसी (एमएम) लि.		
(क) महाराष्ट्र	28. अपोलो टैक्स. मिल्स	मुंबई
	29. बरसी मिल्स	बारसी
	30. चालीसगांव टैक्स. मिल्स	चालीस गांव
	31. फिनले मिल्स	मुंबई
	32. धुले टैक्स. मिल्स	धुले
	33. गोल्डमोहन मिल्स	मुंबई
	34. नंदेढ़ टैक्स. मिल्स	नंदेढ़
	35. न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यू. मिल्स	मुंबई
	36. औरंगाबाद टैक्स. मिल्स	औरंगाबाद
VII. एनटीसी (उ.प्र.) लि.		
(क) उत्तर प्रदेश	37. स्वदेशी कॉटन मिल्स	मऊनाथभंजन
	38. स्वदेशी कॉटन मिल्स	नैनी

1	2	3
VIII. एनटीसी (उ.प्र.) लि.		
(क) प. बंगाल	39. लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	रिसरा
	40. सोदपुर कॉटन मिल्स	सोदपुर
	41. आरती कॉटन मिल्स	दास नगर
(ख) बिहार	42. बिहार कोआप. मिल्स	मोकामा
(ग) उड़ीसा	43. उड़ीसा कॉटन मिल्स	भगतपुर
(घ) असम	44. एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	चंद्रपुर
IX. एनटीसी (टीएन एंड पी) लि.		
तमिलनाडु	45. कंबोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
	46. कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स	कोयम्बटूर
	47. पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
	48. पॉयनियर स्पिनर्स मिल्स	कमुडाकुडी
	49. श्री रंगविलास स्पि. एंड विवि. मिल्स	कोयम्बटूर
	50. कालेश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट्स	कलयरकोइल
	51. श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर
	52. कोयम्बटूर स्पि. एंड विवि. मिल्स	कोयम्बटूर
पांडिचेरी	53. श्री भारती मिल्स	पांडिचेरी

बाल्को की बिक्री संबंधी समझौता

*69. **श्री सुनील खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टरलाइट के साथ किए गए बाल्को बिक्री समझौते के मुताबिक सरकार की शेष 49 प्रतिशत इक्विटी स्टरलाइट को हस्तांतरित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो बाल्को की परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या एआईटीसूयी (ऐटक) सीआईटीयू (सीटू) जैसी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और अन्य प्रतिनिधित्व निकायों ने सरकार से बाल्को के बिक्री समझौते की समीक्षा करने तथा सरकार की शेष 49 प्रतिशत इक्विटी को बेचने के प्रस्ताव को रोकने की बात कही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बाल्को को बेचने के मामले की कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारत सरकार, मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एसआईआईएल) और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को–कंपनी) के बीच संपन्न शेयरधारक करार के खंड–वाक्य 5.8 के अनुसार, समापन तारीख के बाद, तीन वर्ष बीतने पर (अर्थात् 2 मार्च, 2004) और उसके बाद कभी भी, अनुकूल साझीदार के पास, सरकार को नोटिस ("कॉल नोटिस") जारी करने का विकल्प होगा जिसमें यह अपेक्षित होगा कि सरकार, कॉल नोटिस ("कॉल नोटिस") प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अन्दर उस समय कंपनी में सरकार द्वारा धारित सब–के–सब वोटिंग इक्विटी शेयर ("कॉल्ड शेयर") अनुकूल साझीदार को बेच दे और उस दशा में सरकार उपरोक्त कॉल्ड शेयरों को बेचने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य होगी। पार्टियां, कॉल्ड शेयरों का उचित मूल्य कॉल नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद 30 दिन के अन्दर तय करवाएंगी।

अनुसूची 6.1 (क) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक वोटिंग इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य तय करने में स्वतंत्र मूल्य निर्धारक विभिन्न कारकों को ध्यान में रखेगा परन्तु ये कारक निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे–

(i) डिस्काउण्टेड कैश फ्लो के सिद्धांत;

(ii) तुलनात्मक सौदों के सामान्यता उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन गुणज;

(iii) यदि कंपनी सूचीबद्ध हो, तो कंपनी के वोटिंग इक्विटी शेयरों का उस स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत किया गया वर्तमान मूल्य जिसमें मुख्यता उनका व्यवसाय किया जाता है;

(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा–निर्देश और मूल्य निर्धारण के सिद्धांत, यदि लागू हों;

(v) क्या कंपनी के वोटिंग इक्विटी शेयर जो क्रय और विक्रय के सौदों के अध्यधीन हों, कंपनी के सभी निर्गमित तथा बकाया वोटिंग इक्विटी शेयरों का अल्पांश भाग है अथवा अधिकांश भांग है;

(vi) क्या ऐसे इक्विटी शेयरों का उनसे जुड़ी कंपनी के संबंध में कोई संविदात्मक अधिकार है तथा उसके आधार पर इनके मूल्यांकन के लिए उपयुक्त छूट अथवा प्रीमियम लागू किया जाएगा;

(vii) यदि विक्रेता पक्ष दिवालिया हो तो शेयरों से संबद्ध प्रतिबंधों तथा बाध्यताओं का अनुमान लगाने के लिए छूट के सिद्धांत।

स्वतंत्र मूल्य निर्धारक द्वारा प्राक्कलित मूल्यांकन एक विशेषज्ञ के रूप में निकाला जाता है न कि किसी निर्णायक अथवा मध्यस्थ के रूप में और वह पार्टियों के लिए अन्तिम व बाध्यकारी होगा और ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

बाल्को में भारत सरकार द्वारा धारित 10,81,06,005 इक्विटी शेयरों (कुल का 49 प्रतिशत) का अधिग्रहण करने के लिए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड से दिनांक 19 मार्च, 2004 को कॉल नोटिस प्राप्त हो गया है।

(ग) भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ (इनटुक) ने सरकार से बिक्री करार की समीक्षा करने और बाल्को में सरकार द्वारा धारित शेष बचे 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की बिक्री रोकने का आग्रह किया है।

(घ) अनुकूल साझीदार द्वारा जिस कॉल ऑप्शन का उपयोग किया गया है वह विनिवेश के समय सम्पन्न शेयरधारक करार के उपबंधों के अधीन है जिसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा कॉल्ड शेयरों को बेचा जाना अपेक्षित है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 10 दिसम्बर, 2001 के निर्णय में बाल्को के विनिवेश के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति और प्रक्रिया को वैध ठहराया था।

फालतू भूमि की बिक्री

*70. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय एनटीसी मिलों की फालतू भूमि को बेचने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एनटीसी मिल के पास कुल कितनी भूमि है;

(ग) क्या ऐसी फालतू भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि का एनटीसी की विभिन्न रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने तथा उनकी प्रौद्योगिकियों के उन्नयन पर निवेश किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) बेचने के लिए पहचान की गई ज्यादा भूमि और 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार ऐसी भूमि को बेचने की स्थिति संबंधी ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ज्यादा भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग/निवेश मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए किया जाएगा; यथा :

(1) आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन;

(2) कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन धनराशि;

(3) देयताओं का परिसमापन/सांविधिक देय राशि का भुगतान;

(4) प्रेसिंग ऋणदाताओं को भुगतान;

(5) बांड की व्यवस्था करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	मिल का नाम	राज्य	स्थिति	क्षेत्र	जमीन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	एनटीसी (एपीकेके एंड एम) लि.				
1.	मिनेर्वा मिल, बंगलौर	कर्नाटक	अर्धक्षम	57.79	एफएच

1	2	3	4	5	6
2.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	केरल	अर्थक्षम	30.11	एफएच
3.	आजमजाही मिल्स, वारांगल	आंध्र प्रदेश	गैर अर्थक्षम	200.25	एफएच
4.	नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	आंध्र प्रदेश	गैर अर्थक्षम	10.84	एफएच
5.	अदोनी मिल्स, अदोनी	आंध्र प्रदेश	गैर अर्थक्षम	7.17	एफएच
6.	नटराज स्पिनिंग मिल्स, निरमल	आंध्र प्रदेश	गैर अथक्षम	70.00	एफएच
7.	एमएसके मिल्स, गुलबर्गा	कर्नाटक	गैर अर्थक्षम	205.32	एफएच
8.	श्री येलम्मा, तोलाहून्स	कर्नाटक	अर्थक्षम	98.80	एफएच
9.	तिरुपति मिल्स, रेन्नगुन्टा	आंध्र प्रदेश	अर्थक्षम	47.36	एफएच
10.	अनन्तपुर मिल्स, तदपतरी	आंध्र प्रदेश	अर्थक्षम	9.25	एफएच
11.	अलगप्पा मिल्स, अलगप्पा	केरल	अर्थक्षम	8.06	एफएच
	कुल			**744.95**	
	एनटीसी (डीपी एंड आर) लि.				
12.	अजुधिया मिल्स, आजादपुर	दिल्ली	बंद	8.98	एफएच
13.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	राजस्थान	अर्थक्षम	29.77	एफ.एच
14.	एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	राजस्थान	गैर अर्थक्षम	18.28	एफएच
15.	दयालबाग मिल्स, अमृतसर	पंजाब	गैर अर्थक्षम	9.84	एलएच
16.	पानीपत वूलेन, खरर	पंजाब	गैर अर्थक्षम	20.29	एफएच
17.	महालक्ष्मी, ब्यावर	राजस्थान	अर्थक्षम	5.17	एफएच
	कुल			**92.33**	
	एनटीसी (गुजरात) लि.				
18.	अहमदाबाद न्यू टैक्स., अहमदाबाद	गुजरात	अर्थक्षम	7.45	एफएच
19.	राजकोटा टैक्सटाईल, राजकोट	गुजरात	गैर अर्थक्षम	8.72	एफएच
20.	अहमदाबाद जूपीटर, अहमदाबाद	गुजरात	गैर अर्थक्षम	22.44	एफएच
21.	जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	गुजरात	गैर अर्थक्षम	16.30	एफएच
22.	राजनगर–1, अहमदाबाद	गुजरात	अर्थक्षम	12.11	एलएच
23.	न्यू मानकचौक, अहमदाबाद	गुजरात	गैर अर्थक्षम	8.99	एलएच

1	2	3	4	5	6
24.	महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर	गुजरात	गैर अर्थक्षम	16.32	एलएच
25.	हिमाद्रि टैक्सटाईल मिल्स, अहमदाबाद	गुजरात	गैर अर्थक्षम	7.22	एफएच
26.	पेटलाड टैक्सटाईल, पेटलाड	गुजरात	गैर अर्थक्षम	29.28	एलएच
27.	विरमगाम टैक्सटाईल, विरमगाम	गुजरात	गैर अर्थक्षम	50.91	एफएच/एलएच
28.	फाईन निटिंग मिल्स	गुजरात	गैर अर्थक्षम	8.38	
	कुल			**188.12**	
	एनटीसी (एमएन) लि.				
29.	इन्दु मिल्स नं. 1, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	8.71	एफएच
30.	इन्दु मिल्स नं. 6, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	4.57	एफएच
31.	इन्दु मिल्स नं. 2, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	16.04	एफएच
32.	जाम मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	7.99	एफएच
33.	इन्दु मिल्स नं. 4, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	7.79	एफएच
34.	सीताराम मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	8.43	एफएच
35, 36, 37.	कोहिनूर नं. 1, 2 और 3, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	19.39	एलएच
38.	टाटा मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	10.63	एलएच
39.	मॉडल मिल्स, नागपुर	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	33.31	एफएच
40.	आरएसआरजी मोहता एस एंड जी मिल्स, अकोला	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	15.81	एफएच
41.	विदर्भ मिल, बेरार अचलपुर	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	17.05	एफएच
42.	इन्दु मिल्स नं. 3, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	5.4	
	कुल			**155.11**	
	एनटीसी (एमपी) लि.				
43.	न्यू भोपाल मिल्स, भोपाल	मध्य प्रदेश	अर्थक्षम	79.10	एफएच
44.	बुरहानपुर तपति, बुरहानपुर	मध्य प्रदेश	अर्थक्षम	42.85	एफएच
45.	इंदौर मालवा, इंदौर	मध्य प्रदेश	गैर अर्थक्षम	103.80	एफएच
46.	हीरा मिल्स, उज्जैन	मध्य प्रदेश	गैर अर्थक्षम	69.20	एफएच
47.	कल्याणमल, इंदौर	मध्य प्रदेश	गैर अर्थक्षम	33.57	एफएच

1	2	3	4	5	6
48.	स्वदेशी इंदौर	मध्य प्रदेश	गैर अर्थक्षम	15.32	एफएच
49.	बंगाल नागपुर मिल्स, राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	गैर अर्थक्षम	52.10	एफएच
	कुल			**395.94**	
	एनटीसी (एसएम) लि.				
50.	अपोलो मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	9.98	एफएच
51.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	6.52	एफएच
52.	मधुसूदन मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	18.05	एफएच
53.	मुंबई मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	23.83	एफएच
54.	ज्यूपिटर मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	10.91	एफएच
55.	एलफिंस्टन मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	8.91	एफएच
56.	भरत मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	8.37	एफएच
57.	न्यू हिन्द मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	8.33	एलएच
58.	दिग्विजय टैक्सटाईल मिल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	9.33	एलएच
59.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	15.74	एफएच
60.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	महाराष्ट्र	गैर अर्थक्षम	2.39	एफएच
61.	नांदेड़ मिल्स, नांदेड़	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	91.42	एफएच
62.	चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	17.54	एफएच
63.	धूले मिल्स, धूले	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	12.80	एफएच
64.	बरशी मिल्स, बरशी	महाराष्ट्र	अर्थक्षम	36.50	एल.एच
	कुल			**280.62**	
	एनटीसी (यूपी) लि.				
65.	स्वदेशी कानपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	55.86	एफएच
66.	एथर्टन मिल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	20.70	एफएच
67.	लक्ष्मी रतन मिल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	13.48	एफएच
68.	स्वदेशी मिल्स, मुनथभंजन	उत्तर प्रदेश	अर्थक्षम	9.20	एफएच
69.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	29.67	एलएच

1	2	3	4	5	6
70.	मयूर मिल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	37.28	एलएच
71.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	8.14	एफएच/एलएच
72.	रायबरेली मिल्स, रायबरेली	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	30.43	एफएच
73.	लॉर्ड कृष्णा, सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	24.70	एफएच
74.	बिजली कॉटन मिल, हाथरस	उत्तर प्रदेश	गैर अर्थक्षम	7.56	एलएच
	कुल			**237.02**	
	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.				
75.	लक्ष्मी नारायण, रिशरा	पश्चिम बंगाल	अर्थक्षम	14.83	एफएच
76.	रामपुरिया, सेरामपुर	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	30.60	एफएच
77.	बंगाल लक्ष्मी, सेरामपुर	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	27.97	एफएच
78.	बंगाश्री, सुखचर	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	29.08	एफएच
79.	सेंट्रल कॉटन, बेलूर	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	11.67	एफएच
80.	ज्योति वीविंग, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	4.29	एफएच
81.	श्री महालक्ष्मी, पाल्टा	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	11.24	एफएच
82.	बंगाल फाईन–2, कट्टागंज	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	19.44	एफएच
83.	बंगाल फाईन–1, कोन्नागर	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	18.83	एफएच
84.	गया काटन मिल्स, गया	बिहार	गैर अर्थक्षम	32.77	एफएच
85.	आरती कॉटन मिल्स, हावड़ा	पश्चि बंगाल	गैर अर्थक्षम	6.25	एफएच
86.	मनिद्रा बी.टी., कोरसीमबाजार	पश्चिम बंगाल	गैर अर्थक्षम	35.28	एफएच
87.	उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर	उड़ीसा	अर्थक्षम	62.17	एफएच
88.	बिहार कॉ–आपरेटिव, मोकामा	बिहार	गैर अर्थक्षम	22.20	एफएच
89.	एसोसिएटेड इंडस, चंद्रपुर	असम	गैर अर्थक्षम	50.00	एफएच
	कुल			**376.62**	
	एनटीसी (टीएनपी) एंड (एचसी) लि.				
	एनटीसी (टीएनपी) लि.				
90.	कोथनदरम मिल्स, मदुरई	कोयम्बटूर	बंद	2.66	एफएच
91.	श्री रंग विलास, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	अर्थक्षम	17.2	एफएच

1	2	3	4	5	6
92.	पंकजा, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	अर्थक्षम	11.07	एफएच
93.	कोयम्बटूर मुरुगन, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	अर्थक्षम	2.31	एफएच
94.	ओम पारशक्ति, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	गैर अर्थक्षम	14.25	एफएच
95.	कृष्णावैनी, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	गैर अर्थक्षम	4.52	एफएच
96.	बालाराम वर्मा, तिरुनेलवेली	कोयम्बटूर	गैर अर्थक्षम	20.2	एफएच
97.	सोमसुन्दरम, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	गैर अर्थक्षम	7.43	एफएच
98.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	अर्थक्षम	3.45	एफएच
99.	कोयम्बटूर एस एंड डब्ल्यू मिल्स, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	अर्थक्षम	20.49	एफएच
100.	कालीश्वर 'ए', कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	गैर अर्थक्षम	16.06	एफएच
101.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	पांडिचेरी	गैर अर्थक्षम	42.3	एफएच
	कुल			**161.94**	
	कुल योग			**2697.53**	

टिप्पणी : एफएच = स्वतंत्र धारक एलएच = लीज धारक

विवरण-II

31.5.2004 की स्थिति के अनुसार जमीन की बिक्री की स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	मिल का नाम	बिक्री के लिए उपलब्ध जमीन का कुल क्षेत्र (एकड़ में)	बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन का क्षेत्र (एकड़ में)	विज्ञापित जमीन का आरक्षित मूल्य (करोड़ रु.)	वह कीमत जिस पर विज्ञापित जमीन बेची गई (करोड़ रु.)
	1	2	3	4	5
	एनटीसी (एपीकेके एंड एम) लि., बैंगलौर				
1.	अलगप्पा मिल्स, त्रिचुर	8.06	7.34	0.80	0.78
2.	मैसूर मिल्स (एपीकेके एंड एम)	25.66	18.69	84.35	79.16
3.	नटराज मिल्स (एपीकेके एंड एम)	70.00	70.00	2.31	2.31
4.	एमएसके मिल्स, गुलबर्ग	208.42	165.20	16.62	17.08
5.	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	11.48	(जमीन) 9.8326	22.32	24.35
6.	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	30.00	28.16	67.03	69.17

1		2	3	4	5
7.	केरल लक्ष्मी मिल्स	27.44	27.44	3.97	2.15
8.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	201.09	65.69	13.16	18.00
	एनटीसी (डीपी एंड आर) लि., नई दिल्ली				
9.	खरर टैक्सटाईल मिल्स, खरर	8.28	8.28	0.92	1.05
10.	सूरज टैक्सटाईल मिल्स, मलोट	7.05	7.05	0.30	0.56
11.	विजयनगर कॉटन मिल्स	7.83	7.83	2.08	1.95
	एनटीसी (यूपी) लि., कानपुर				
12.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	6.43	6.43	3.15	3.20
13.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरास (यूपी)	7.56	5.83	4.32	4.69
14.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	56.00	5.65	6.60	7.50
15.	लॉर्ड कृष्णा टैक्स. मिल्स	20.53	1.54	1.00	1.08
16.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	4.80	4.80	3.00	3.15
	एनटीसी (एमपी) लि., इन्दौर				
17.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.57	33.57	16.77	20.00
	एनटीसी (एमएन) लि., मुंबई				
18.	आरबीबीए मिल्स				
	(प्लाट नं. 1 पुराने बंगले के साथ)	5.95	0.02	0.04	0.18
	जिनिंग एंड प्रसंस्करण फैक्टरी	5.95	3.05	0.21	0.40
19.	सवतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	0.52	0.09	0.03	0.09
20.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लाट 1 व 2)	51.16	4.99	0.21	0.50
	(प्लाट 6)	51.16	3.22	0.05	0.35
21.	मॉडल मिल्स (प्लाट 3)	40.28	1.32	0.72	1.23
	मॉडल मिल्स (प्लाट 2)	40.28	0.41	0.25	0.36
	मॉडल मिल्स (प्लाट 1) एसटी स्टैंड के नजदीक	40.33	8.35	9.50	9.50
22.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला	37.04	1.10	0.10	0.44
	एनटीसी (एसएम) लि., मुंबई				
23.	बरशी मिल्स, बरशी	1.87	1.87	0.10	0.12

1	2	3	4	5
24. धूले टैक्सटाईल मिल्स, धूले	12.75	12.75	1.31	2.52
25. चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	16.11	16.11	3.01	3.64
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि., कोयम्बटूर				
26. स्वदेशी कॉटन मिल्स	53.30	10.37	13.23	13.23
27. पंकजा मिल्स	1632 वर्ग मीटर	1632 वर्ग मीटर	0.62	0.69
28. ओमपारशक्ति मिल्स	14.25	14.25	4.09	4.50
29. कालीश्वर 'ए' मिल्स (साईट 2)	0.19	0.19	0.57	0.54
30. श्री रंगविलास मिल्स	17.20	6.21	7.82	7.82
कुल			**290.56**	**302.29**

[हिन्दी]

विमानपत्तनों की सुरक्षा

*71. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री बी. विनोद कुमार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा से निपटने के लिए एक विधान लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) देश के सभी हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के अनुबंध–17 तथा भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध लागू हैं।

(ग) और (घ) एक नागर विमानन सुरक्षा विधान को लाने का प्रस्ताव आरंभिक अवस्था में है।

खानों का निजीकरण

*72. **श्री राजनरायन बुधौलिया :** क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक खानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : (क) से (ग) भारत महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से संपन्न है और यह 89 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 ईंधन खनिज, 11 धात्विक खनिज, 11 परमाणु खनिजों समेत 52 अधात्विक खनिज तथा 22 गौण खनिज शामिल हैं। कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के संबंध में खान विभाग खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट, 1957) को प्रशासित करता है। कोयला विभाग, कोयला और लिग्नाइट के लिए एमएमडीआर एक्ट, 1957 को प्रशासित करता है जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विशिष्ट संविधियों के तहत तेल एवं प्राकृतिक गैस को प्रशासित करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु खनिजों को प्रशासित किया जाता है।

भारत के संघीय ढांचे में राज्य सरकारें अपने–अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में खनिजों की स्वामी हैं और इन खनिजों के लिए टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे जारी करती हैं। एमएमडीआर एक्ट की प्रथम अनुसूची के भाग 'ग'

में शामिल दस खनिजों के संबंध में खनन रियायतें प्रदान करने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

खनन क्षेत्र में निजी निवेश प्रचुर मात्रा में हुआ है और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार देश की कुल 3108 खानों में से लगभग दो–तिहाई यानी 2287 खानें निजी क्षेत्र में हैं और 821 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

[अनुवाद]

न्यायालयों में लंबित मामले

*73. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील :**
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में मामले लंबित होने के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय में और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की राज्य–वार/संघ क्षेत्र–वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक और उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित पड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के अनेक कारण हैं। इन कारणों में न्यायाधीश पद–संख्या की अपर्याप्तता, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा न जाना, वकीलों की हड़ताल और मामलों का बार–बार स्थगन जैसे कुछ कारण सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की अनुमानित संख्या और उच्चतम न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक तथा उच्च न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति को आवधिक रूप से मानीटर कर रही है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए किए गए उपायों के अंतर्गत न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना, न्यायाधीश पद–संख्या में वृद्धि करना, विधि के समान प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करना, बातचीत, मध्यस्थता और माध्यस्थम् जैसे विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को बढ़ावा देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, आदि जैसे विशेष अधिकरणों की स्थापना करना भी है।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय	निम्नलिखित तारीख को	लंबित मामलों की संख्या	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	1.7.2004	29,315	1943

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को	लंबित मामलों की संख्या	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	31.12.2003	971819	340076
2.	आंध्र प्रदेश	31.12.2003	145183	4606
3.	बम्बई	31.12.2002	297411	34513
4.	कलकत्ता	30.06.2003	210313	93986
5.	दिल्ली	31.03.2004	97513	17900
6.	गुवाहाटी	31.12.2002	49093	11
7.	गुजरात	31.12.2003	141633	16944
8.	हिमाचल प्रदेश	31.12.2003	21420	38
9.	जम्मू–कश्मीर	31.03.2004	44987	355
10.	कर्नाटक	31.12.2003	114289	747

1	2	3	4	5
11.	केरल	31.12.2003	127327	1227
12.	मध्य प्रदेश	31.12.2003	190876	8113
13.	मद्रास	31.12.2003	239313	4789
14.	उड़ीसा	31.12.2003	172013	7327
15.	पटना	30.09.2003	89289	5822
16.	पंजाब और हरियाणा	31.12.2003	273210	55763
17.	राज़स्थान	31.03.2004	170705	15320
18.	सिक्किम	31.12.2003	69	2
19.	उत्तरांचल	31.12.2003	35861	6718
20.	झारखंड	31.12.2001	14465	उपलब्ध नहीं
21.	छत्तीसगढ़	31.10.2002	39638	उपलब्ध नहीं
	योग		3446397	614257

निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग

*74. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन योजना जैसे—शुल्क प्रति अदायगी (ड्यूटी ड्रावैक), शुल्क मुक्त आपूर्ति प्रमाणपत्र योजना (ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम) और शुल्क छूट पास बुक योजना (ड्यूटी एक्जेम्पशन पास बुक स्कीम) का दुरुपयोग करके सरकार को धोखा दिया है;

(ख) धोखाधड़ी के इन मामलों में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने लोगों को दोषी पाया गया; और

(घ) दिल्ली में निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में विगत दो वर्षों के दौरान 213 कंपनियों ने शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम, शुल्क मुक्त आपूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम तथा शुल्क छूट पास बुक स्कीम जैसी निर्यात संवर्द्धन स्कीमों का दुरुपयोग करके सरकार से धोखाधड़ी की है।

(ख) इन मामलों में 208.11 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ग) इन मामलों में 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों में अभी भी अभियोजन संबंधी कार्रवाई चल रही है, अतः अभी तक किसी को भी दोषी सिद्ध नहीं किया गया है।

(घ) निर्यात संवर्द्धन स्कीमों में ही अनेकों सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई है जिससे इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। इनमें से कुछेक इस प्रकार हैं :

(i) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत जारी किए गए लाइसेंसों का प्रयोग वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा तथा ये अहस्तांतरणीय होंगे।

(ii) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का प्रयोग निर्यात बाध्यता पूरी करने तक वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।

(iii) शुल्क मुक्त आपूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम के तहत निःशुल्क आयात हेतु अंतर्बंधन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(iv) जब कभी भी सरकार के ध्यान में यह बात लायी जाती है कि बेईमान निर्यातकों द्वारा अधिक बीजक बनाकर इस स्कीम का दुरुपयोग किया जा रहा है, तब अधिकतम मूल्यों का उल्लेख किया जाता है ताकि शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के संबंध में बेईमान आयातकों एवं निर्यातकों को अनाभीष्ट लाभ उठाने से रोका जा सके। आज तक 360 प्रविष्टियों के संबंध में अधिकतम मूल्य निर्दिष्ट किए गए हैं।

(v) प्रति अदायगी की सर्व उद्योग दरों में प्रति अदायगी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ताकि अधिक बीजक बनाकर अधिक प्रति अदायगी का लाभ लेने से रोका जा सके। महत्वपूर्ण स्थानों को निर्यात किए गए माल हेतु वर्तमान बाजार मूल्य जांचों की व्यवस्था भी की गई है।

ऐसी धोखाधड़ियों से निपटने के लिए निम्नलिखित और उपाय भी किए गए हैं :

(i) डीजीआरआई द्वारा आसूचना आधारित जांचों के प्रभावों में वृद्धि करना।

(ii) माल/घोषणाओं की गहन जांच हेतु जोखिम–युक्त जिन्सों एवं निर्यातकों के संबंध में विशेष लक्ष्य निर्धारित करना।

(iii) निर्यात माल के बाजार मूल्य का विवेचनात्मक सत्यापन करना।

(iv) सीमा शुल्क निकासी की स्वतः प्रणाली में निर्यात परेषणों की जांच एवं संवीक्षा हेतु आकस्मिक एवं मानदंड–आधारित चयन की व्यवस्था की जा रही है।

शार्ट हॉल मार्गों पर विमान सेवाएं

*75. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े पर्यटन स्थलों और 200–300 कि.मी. की दूरी वाले प्रमुख शहरी नगरों के लिए शार्ट–हॉल मार्गों पर विमान सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से ऐसे मार्गों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन शार्ट–हॉल मार्गों पर अपनी सेवाएं आरंभ करने के लिए गैर–सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को कोई प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन करते हों। सरकार ने छोटे विमानों को शार्ट–हॉल रूटों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं।

बैंकों का विलय

*76. **श्री अधीर चौधरी** :
श्री उदय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनके विलय के लिए क्या मानदंड अपनाया जाएगा;

(घ) क्या इस प्रकार के विलय से अनेक कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय से सरकार को क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(छ) क्या सरकार का विचार इनका विलय करके एक वृहत् विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने का भी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विलय के संबंध में निर्णय संबंधित बैंकों के प्रबंधनों द्वारा लिए जाने हैं। सामान्य शेयर धारक के रूप में सरकार केवल समर्थक की भूमिका निभाएगी।

(ग) और (च) सहक्रियाओं और व्यवसाय अनुपूरकों के सिद्धांतों पर आधारित विलय शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने तथा विलयित कंपनियों की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

(घ) और (ङ) बैंकों से आशा की जाती है कि उनकी विलय योजनाओं में कर्मचारियों के हित सुरक्षित रखे जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नॉन-कोकिंग पावर ग्रेड कोयले की कमी

*77. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्र 'नॉन–कोकिंग पावर ग्रेड' कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : (क) और (ख) यद्यपि कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने योजना आयोग के संरक्षण के अधीन अंतर्मंत्रालयी समूह द्वारा निर्धारित 225.99 मिलियन टन के वार्षिक योजना लक्ष्य की तुलना में विद्युत उपयोगिताओं को वर्ष 2003–04 के दौरान 233.27 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की है, फिर भी कुछ विद्युत स्टेशन संवदेनशील हो गए हैं अर्थात् उनका कोयले का स्टाक 7 दिन के उपभोग की मात्रा से कम है। कुछ विद्युत गृहों के संवदेनशील हो जाने का कारण वृद्धित संयंत्र भार कारक तथा विद्युत हेतु अधिक मांग है।

(ग) विद्युत उपयोगिताओं हेतु अप्रैल–जून, 04 की अवधि के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय की पहल पर रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय वाले एक अंतर्मंत्रालयी समूह द्वारा विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टाक को बनाने के लिए एक आकस्मिक कोयला संचलन योजना बनाई गई थी। सी.आई. एल. तथा भारतीय रेलवे ने विद्युत क्षेत्र को कोयले के प्रेषण तथा संचलन में सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की। इस प्रकार जनवरी से मार्च, 2004 तथा अप्रैल से जून, 2004 की तिमाहियों के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को कोल इंडिया लि. द्वारा पिछले वर्ष की समान तिमाहियों में 112.752 मिलियन टन की वास्तविक आपूर्ति की तुलना में कुल 125.097 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया जा चुका है। अंतर्मंत्रालयी समूह द्वारा दैनंदिन आधार पर सूक्ष्म रूप से प्रबोधन किए जाने के परिणामस्वरूप देश में संवेदनशील विद्युत संयंत्रों की संख्या में भारी कमी हुई है। सभी संबंधितों के समन्वित प्रयासों के कारण यह सुनिश्चित किया जा सका था कि कोयले की अनुपलब्धता के कारण विद्युत उपयोगिताओं में कोई रुकावट नहीं हुई।

कोयला मंत्रालय ने भी विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए नई कोयला परियोजनाओं की स्वीकृति तथा स्थापना में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं।

सरकार ने भी तापीय कोयले पर आयात शुल्क को कम कर दिया है, जो अब 5 प्रतिशत है, ताकि विद्युत गृह विद्युत के बढ़े हुए उत्पादन के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक कोयले का आयात कर सकें।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सा बीमा

*78. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कंपनियां 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के न तो चिकित्सा बीमा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं और न ही वर्तमान चिकित्सा बीमा का नवीकरण करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान मानदंडों के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा बीमा से वंचित रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों ने 'वीसा' जारी करने हेतु 'चिकित्सा बीमा' को अनिवार्य 'पूर्व शर्त' रखा है और इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा बीमा की अनुपलब्धता की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है;

(च) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों हेतु बिना किसी आयु सीमा के चिकित्सा बीमा करने का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने और निर्देश जारी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बीमा कंपनियां 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी चिकित्सा बीमा प्रदान करती हैं। तथापि, प्रतिकूल दावा अनुपात के साथ–साथ विभिन्न बीमारियों के प्रति वरिष्ठ नागरिकों की अति संवदेनशीलता के कारण कुछ बीमा कंपनियां ऐसा बीमा नहीं करती हैं।

(ग) और (घ) बीमा कंपनियां 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नई चिकित्सा बीमा सुरक्षा (कवर) नहीं प्रदान करती हैं। तथापि, बड़ी बीमा कंपनियां अलग–अलग मामलों के आधार पर निरंतर जारी रहने वाली नीति के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों सहित आवेदकों को 'वीजा' ज़ारी करने के लिए कुछ देशों द्वारा पूर्वशर्त के रूप में चिकित्सा बीमा की अनिवार्य आवश्यकता उन कपंनियों से इसकी खरीद करके पूरी की जा सकती है, जो 70 वर्ष से अधिक को आयु

वाले व्यक्तियों को भी विदेशी चिकित्सा बीमा कवर पहले से ही प्रदान कर रही हैं।

(च) और (छ) प्रमुख बीमा कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को भी उनकी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शर्तों के साथ घरेलू एवं विदेशी दोनों चिकित्सा बीमा पालिसियां पहले से ही प्रदान कर रही हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

जी-20 दोहा सम्मेलन

*79. **श्री के. एस. राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के शिष्टमंडल ने दोहा में जी–20 सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के दौरान किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ये समझौते कृषि, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कितने मददगार होंगे;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन के 'दोहा राउंड' की वार्ता में कृषि में व्यापार के उदारीकरण के संबंध में ढांचा तैयार करने के बारे में देशों के बीच किसी राजनीतिक संकल्प पर सहमति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं; दोहा में जी–20 का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) अतः करारों पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कृषि संबंधी वार्ताओं के लिए कार्यढांचे या रूपरेखाओं के संबंध में कोई सहमति नहीं बनी है, और डब्ल्यूटीओ सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी वार्ताएं जारी रखे हुए हैं कि 14 नवंबर, 2001 के दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा–पत्र में निहित उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाए। इन वार्ताओं में भारत का उद्देश्य हमारे देश के उत्पादों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच हासिल करना, विकसित देशों द्वारा व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करना तथा सब्सिडियों को समाप्त करना और विकास संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुचित लोचशीलता हासिल करना, लघु एवं सीमांत किसानों समेत हमारे असुरक्षित तबकों की चिंताओं का निवारण करना और हमारी जनता की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

लघु बचत संबंधी राकेश मोहन समिति

*80. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने लघु बचत संबंधी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु बचतों पर ब्याज की दर में कटौती करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) राकेश मोहन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए कतिपय मानदंडों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई बचत योजना की विशेषताओं से संबंधित अपने सुझाव दिए हैं।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई बचत योजना पर सरकार का निर्णय वर्ष 2004–05 का बजट प्रस्तुत करते समय सदन में पहले ही घोषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विस्फोटकों पर प्रतिबंध

496. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपुल वार के नक्सलवादियों द्वारा अधिकांशतः विस्फोटकों को तैयार करने में गिलेटिन का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा नाइट्रो ग्लेसरिन आधारित विस्फोटकों के उत्पादन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने हेतु निगरानी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) नाइट्रो ग्लेसरिन (एनजी) आधारित विस्फोटक आतंकवादियों तथा समाज विरोधी गुटों (ग्रुपों) की पहली पसन्द है।

(ख) सरकार ने 21.4.2004 को एक अधिसूचना (सं. जीएसआर सं. 59 (ई)) जारी की है, जिसके तहत विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6.1(क) के अंतर्गत देश भर में 1.4.2004 से समूचे देश में विस्फोटक आधारित नाइट्रो ग्लेसरिन को रखने, बिक्री एवं इस्तेमाल की मनाही है।

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार

497. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक भारत और चीन के बीच कुल कितना द्विपक्षीय व्यापार हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीन के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान व्यापार के संबंध में कोई चर्चा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चीन के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) वर्ष 2000–01, 2001–02, अप्रैल–फरवरी, 2003–03 और 2003–04 के दौरान भारत और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही है :

(मूल्य मिल. अम. डालर में)

	2000–01	2001–02	2002–03 (अ)	2002–03 (अप्रैल–फरवरी) (अ)	2003–04 (अप्रैल–फरवरी) (अ)
चीन पीआरपी को भारत के निर्यात	828.68	951.95	1961.11	1693.46	2496.81
चीन पीआरपी से भारत को आयात	1492.49	2036.39	2782.50	2527.17	3611.16
कुल	2321.17	2988.34	4743.61	4220.63	6107.97
व्यापार संतुलन	–663.81	–1084.44	–821.39	–833.71	–1114.35

(अ) : अनंतिम (स्रोत : डीजीसीआईएस)

(ख) जी, हां।

(ग) भारत–चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए सतत आधार पर किए गए उपायों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, सरकारी और व्यापारी दोनों स्तरों पर शिष्टमंडलों को भेजना–बुलाना, सूचना का आदान–प्रदान करना आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) हाल ही में भारत के विदेश मंत्री द्वारा की गई चीन की यात्रा के दौरान व्यापार से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। तथापि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि व्यापार संबंधों के विकास को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है।

तम्बाकू का समर्थन मूल्य

498. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादक किसानों ने बाजार में कम मूल्य को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस इलेंगोवन) : (क) जी नहीं, आंध्र प्रदेश में चल रही नीलामियों में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की कीमत इस जिंस की न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक बनी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी समितियों द्वारा आय-कर अपवंचन

499. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर सहकारी समितियां आय की रिटर्न नहीं भरती हैं और सरकार के करोड़ों रुपये के आयकर का कर अपवंचन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कर विभाग देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत समितियों से कई सौ करोड़ रुपयों का संग्रह करने में विफल हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सहकारी समितियों द्वारा अपनी आयकर रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करने और सहकारी समितियों पर बकाया वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अधिकतर सहकारी समितियां जिनकी आय कराधेय होती है, वे अपनी आय की विवरणियां दाखिल नहीं कर रही हैं अथवा कर के भुगतान का अपवंचन कर रही हैं। जहां कहीं आय की विवरणियां दाखिल करने अथवा देय करों का भुगतान करने में सहकारी समितियों द्वारा कोई चूक इस विभाग के ध्यान में आती है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

तमांग और लिम्बास को राजनैतिक अधिकार

500. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के पारित होने के बावजूद सिक्किम की तमांग और लिम्बास जनजातियों के लोगों को हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों में सुरक्षित विधान सभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तमांग और लिम्बास के प्रति लगातार हो रहे ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन्हें जनजाति के रूप में राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए अलग से विधेयक लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 7 की उपधारा (1क) के उपबंधों के अनुसार, सिक्किम की विधान सभा में भूटिया–लेपचा उद्भव के सिक्किमियों के लिए उस धारा में उपबंधित आरक्षण से अन्यथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक् रूप से स्थानों का आरक्षण नहीं है।

(ग) जी नहीं। गृह मंत्रालय ने, जो सिक्किम विधान सभा की संरचना के विषय से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, यह सूचित किया है कि इस समय सिक्किम विधान सभा में स्थानों को बढ़ाने या सिक्किम विधान सभा में भूटिया और लेपचा के लिए आरक्षित बारह स्थानों के संबंध में तमांग और लिम्बास समुदायों को निर्वाचनों में खड़े होने के लिए पात्र बनाने के संबंध में कोई विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

501. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जेवरात निर्यात

502. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश से कुल कितने मूल्य के जेवरात का निर्यात किया गया है;

(ख) सरकार ने जेवरात के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया है; और

(ग) इस संबंध में कौन–सी निर्यात संवर्धन योजनाएं लागू की जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान विभिन्न देशों को हुआ आभूषण मदों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	स्वर्ण आभूषण	गैर–स्वर्ण आभूषण	नकली आभूषण	कुल
2002–2003	630419.32	43770.67	19595.90	593785.89
2003–2004 (अप्रैल से नव., 03) (अनंतिम)	466683.38	32205.72	14872.10	513761.10

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) कोलकाता।

(ख) और (ग) भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात का संवर्धन करने और विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- सरकार ने निर्यातों के अनुकूल निर्यात आयात नीति तैयार की है और बाजार विकास सहायता (एमडीए) तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों से निधियां उपलब्ध कराई हैं;
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति तैयार की है;
- रंगीन नगीनों के आयात पर शुल्क में रियायतें;
- जीजेईपीसी द्वारा विज्ञापनों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रचार एवं भागीदारी, क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन और बाजार के खुदरा व्यापारियों के साथ सीधे संपर्क के जरिए विदेशों में भारतीय रत्न एवं आभूषणों की छवि का संवर्धन किया जाता है;
- जीजेईपीसी द्वारा परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन करवाकर नए बाजारों को अभिज्ञात किया जाता है। यह डिजाइनों में नवीनतम प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनों को भी भेजती है;
- जीजेईपीसी द्वारा भारत से हालमार्क आभूषणों के निर्यात का संवर्धन किया जाता है ताकि विदेशों में ग्राहकों को भारत में निर्मित आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रति आश्वस्त किया जा सके; और
- सरकार ने आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र तथा मुंबई में भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान की स्थापना हेतु निधियां उपलब्ध कराई हैं।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय

503. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान निकाय ने हाल ही में यह कहा है कि अमेरिका सरकार द्वारा अपने कपास किसानों को दिए गए बड़े अनुकल्पों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मानदंडों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सहित अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से यह आग्रह किया है कि वह अपने विवाद निपटान के तंत्र को उचित बनाए ताकि यह नियमोन्मुख बन सके; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ औद्योगिक देश विश्व व्यापार संगठन के दायरे में गैर–व्यापर से संबंधित मुद्दों को शामिल करने हेतु दबाव डाल रहे हैं, यदि हां, तो इस पर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) सरकार ने ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) ब्राजील के अनुरोध पर कपास उपजकर्त्ताओं को अमरीका द्वारा दी गई सब्सिडियों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय द्वारा मार्च, 2003 में एक विवाद निपटान पैनल का गठन किया गया था। भारत इस विवाद में तीसरा पक्ष है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान समझौते के प्रावधानों और इस विवाद की कार्यशील प्रक्रियाओं के अनुसार, पैनल की रिपोर्ट अभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में परिचालित नहीं की गई है और वह गोपनीय है। इस समय पैनल की रिपोर्ट केवल ब्राजील और अमरीका जो इस विवाद में मुख्य पक्षकार हैं, को उपलब्ध कराई गई है। भारत समेत विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इस निर्णय के संभावित प्रभाव का आकलन डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय द्वारा इस विवाद में पैनल की सिफारिशें अंगीकार किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(घ) डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान समझौते (डीएसयू) के संबंध में चल रही वार्ताओं के एक भाग के रूप में भारत ने कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ डीएसयू में सुधार करने और उसे स्पष्ट करने की मांग करते हुए विशेष चिंता के मुद्दे उठाए हैं।

(ङ) और (च) विगत में कुछ विकसित देशों ने नियम बनाने के लिए गैर–व्यापर संबंधी मुद्दों को डब्ल्यूटीओ के अन्दर लाने की मांग की है। व्यापार एवं डब्ल्यूटीओ ढांचे के साथ उनके संबंधों, यदि कोई हो, को अभिज्ञात करने के लिए 'व्यापार एवं निवेश' और 'व्यापार एवं पूर्तिस्पर्धा नीति' जैसे कतिपय मुद्दों की डब्ल्यूटीओ में जांच की गई है। भारत की स्थिति यह है कि व्यापार के साथ कोई स्पष्ट संबंध न होने से डब्ल्यूटीओ में कोई करार करने हेतु इन दो मुद्दों पर वार्ता नहीं की जानी चाहिए। भारत और अनेक विकसित देशों की स्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इन दोनों मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ में स्पष्ट आम सहमति के अभाव में वार्ता शुरू नहीं हो सकती है।

व्यापार एवं पर्यावरण संबंधी मराकेश निर्णय द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अनुसार 1995 से डब्ल्यूटीओ की व्यापार एवं पर्यावरण संबंधी समिति में व्यापार एवं पर्यावरण के बीच संबंध पर विचार–विमर्श होता रहा है। 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा में व्यापार एवं पर्यावरण के अंतर्गत कतिपय सीमित पहलुओं पर वार्ताओं हेतु अधिदेश दिया गया था। भारत इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और समान विचारधारा वाले अन्य विकासशील एवं विकसित देशों के साथ–साथ अपने विचार व्यक्त कर रहा है।

कुछेक विकसित देशों ने 1996 में सिंगापुर में डब्ल्यूटीओ के प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में व्यापार एवं श्रम मानकों के बीच संबंधों का प्रस्ताव किया था। भारत ने समान–विचार वाले अन्य देशों के सहयोग से इन दोनों सम्मेलनों में इस संबंध को शामिल किए जाने का कारगर विरोध किया था।

मत्स्य निर्यात

504. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मत्स्य निर्यात के संबंध में अमेरिका की नई निर्यात नीति पाटनरोधी अधिनियम के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्य–वार वर्ग–वार कुल कितने मत्स्यन का निर्यात किया गया;

(घ) क्या अमेरिका की आयात नीति के विपरीत प्रभाव से केरल के झींगा निर्यात उद्योग के संरक्षण के लिए कदम उठाने पर विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मत्स्य निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार वर्ग–वार और देश–वार हुई विदेशी मुद्रा के अर्जन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (छ) पाटनरोधी विधान यूएसए और भारत समेत लगभग सभी देशों में विद्यमान है। एक देश द्वारा कीमत संबंधी पहलुओं के आधार पर दूसरे देश से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। यूएसए के सदर्न श्रिम्प अलाएंस (एसएसए) ने यूएसए में भारत सहित चुनिंदा श्रिम्प निर्यातक देशों के खिलाफ पाटनरोधी कार्रवाई दायर की थी। इस कार्रवाई में केरल सहित भारत के श्रिम्प निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एसईएआई) द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस संबंध में समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है। इस मामले में अमरीकी प्राधिकारियों के जांच परिणामों को अभी घोषित किया जाना है।

समुद्री उत्पादों के निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के प्रमुख देशवार और प्रमुख किस्मवार निर्यात तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(I) समुद्री उत्पादों का प्रमुख देश-वार निर्यात

मूल्य : मिल. अम. डालर में

देश	2001–2002	2002–2003	2003–04 (अनंतिम)
यूएसए	299.05	424.51	320.47
यूरोपिय संघ	241.01	287.84	300.25
जापान	383.07	317.17	237.57
चीन	125.66	158.23	144.96
दक्षिण पूर्व एशिया	113.35	133.15	104.12
मध्य पूर्व	38.10	42.40	41.46
अन्य	53.11	61.60	63.03
कुल	1253.35	1424.90	1211.86

(II) समुद्री उत्पादों का प्रमुख किस्म-वार निर्यात

मूल्य : मिलि. अम. डालर में

देश	2001–2002	2002–2003	2003–04 (अनंतिम)
1	2	3	4
प्रशीतित श्रिम	871.03	953.44	783.00
प्रशीतित मछली	150.04	174.63	127.90
प्रशीतित कटलफिश	58.93	86.37	90.92
प्रशीतित स्क्विड	69.36	79.83	78.14
सूखी मदें	14.30	17.46	27.84
जीवित मदें	8.54	11.12	10.07
शीतित मदें	13.39	12.27	12.55
अन्य	67.76	89.78	81.42
कुल	1253.35	1424.90	1211.86

[हिन्दी]

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

505. श्री अजीत जोगी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबों को दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की उच्चतम आय सीमा 50,000 से ज्यादा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) उन व्यक्तियों की, जिनको पिछले तीन वर्ष के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई, संख्या दर्शित करने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों की दशा में आय की सीमा को 50,000/– रु. की विद्यमान अधिकतम सीमा से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संबंध में आय की सीमा वर्ष 2000 में 18,000/– रु. से बढ़ाकर 50,000/– रु. की गई थी।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का नाम	2001–2002	2002–2003	2003–2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	905	522	1236
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	94
3.	असम	15118	14862	22586
4.	बिहार	509	–	730
5.	छत्तीसगढ़	–	–	6364
6.	गोवा	116	231	416
7.	गुजरात	–	798	5021
8.	हरियाणा	1645	1598	1934
9.	हिमाचल प्रदेश	403	363	320
10.	जम्मू–कश्मीर	1579	1193	777
11.	झारखंड	–	8685	507
12.	कर्नाटक	1361	1493	1749
13.	केरल	1017	402	545
14.	मध्य प्रदेश	45300	39845	17594
15.	महाराष्ट्र	7405	6894	5593
16.	मणिपुर	–	–	–
17.	मेघालय	1	29	6
18.	मिजोरम	643	978	680
19.	नागालैंड	69	547	237
20.	उड़ीसा	1692	1521	1398
21.	पंजाब	2102	3159	3420
22.	राजस्थान	2588	5401	7947
23.	सिक्किम	331	324	179
24.	तमिलनाडु	14759	134196	142697
25.	त्रिपुरा	–	42	232
26.	उत्तर प्रदेश	1057372	1037860	791025
27.	उत्तरांचल	–	203	1287
28.	पश्चिमी बंगाल	–	1366	1202
29.	अंडमान और निकोबार	–	–	–
30.	चंडीगढ़	299	448	574
31.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–
33.	दिल्ली	5698	7516	12721
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पांडिचेरी	184	1103	1564
36.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्रकोष्ठ	601	648	820

[अनुवाद]

कृषि ऋण कोष

506. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित कृषि ऋण कोष की स्वीकृति समिति ने विभिन्न राज्यों की लघु सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा और कृषि वन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 176 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) आज की तारीख तक इस कोष के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) कृषि अवसंरचना एवं ऋण

निधि की संस्वीकृतिदाता समिति की पहली बैठक में 9 राज्यों के लिए 176 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)
1.	बिहार	मझौले सिंचाई संघटक	12.73
2.	हिमाचल प्रदेश	सिंचाई एवं बाढ़ संरक्षण	22.48
3.	कर्नाटक	लघु सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण	46.87
4.	केरल	–वही–	3.90
5.	नागालैंड	कृषि वानिकी	4.51
6.	उड़ीसा	लघु सिंचाई एवं बाढ़ संरक्षण	62.27
7.	त्रिपुरा	शीतागार	3.17
8.	उत्तरांचल	लघु सिंचाई	3.47
9.	उत्तर प्रदेश	बाढ़ संरक्षण	16.60
		कुल	176.00

(ग) स्वीकृत निधियों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा तीन वर्ष की अवधि में किया जाएगा।

कृषि निर्यात में कमी

507. श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कृषि निर्यात में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) स्वदेशी कृषि का विकास करना सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। देश में होने वाले सभी आयात सीमाशुल्क की लागू दरों के अधीन होते हैं और वे घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले पर्यावरण एवं सुरक्षा मानदंडों के भी अधीन होते हैं। इससे स्वदेशी प्राथमिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है कि आयातों से स्वदेशी क्षेत्र को कोई क्षति अथवा हानि न पहुंचे। इस प्रयोजनार्थ पिछले पांच वर्षों में गेहूं, चावल, मक्का, खाद्य तेलों, दालों, कपास, लौंग, काली मिर्च, चाय, कॉफी, सुपारी, सेब आदि सहित अनेक उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड

508. श्री पी. सी. थामस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों का राज्य–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना का कार्यकरण कैसा रहा;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों, जिलों तथा गांवों को इस योजना में शामिल कर इसका विस्तार करना चाहती है और इस प्रकार के ऋणों को बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने किसानों के लाभ के लिए एक और योजना आरंभ की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001–2002, 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) योजना का समग्र कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है और इस योजना ने किसानों को किए जाने वाले ऋण संवितरण को निर्बाध एवं किफायती बनाने में सहायता की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार अब तक कुल 4.14 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए योजना के नमूना सर्वेक्षण में इस योजना में और सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं। इस उद्देश्य से कि सभी पात्र कृषि उधारकर्ताओं को कार्ड जारी किए जाएं, बैंकों को यह परामर्श दिया जाएगा कि वे इस योजना के अंतर्गत सभी कृषकों को शामिल करने के लिए कार्य योजना तैयार करें। इसके अलावा, निवेश ऋण और उत्पादन ऋण को एकीकृत करने और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि उधारकर्ताओं द्वारा निर्बाध तरीके से आहरण करने में सुविधा हो। इन ऋणों पर ब्याज युक्तिसंगत दरों पर देय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को भी विद्यमान वित्त की मात्रा की समीक्षा करने का परामर्श देगा।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि को आधार स्तरीय ऋण के प्रवाह में 30 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए कार्य योजना की घोषणा की है।

विवरण

वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान बैंकिंग उद्योग द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	581	615	396
2.	आंध्र प्रदेश	1037738	896096	921403
3.	अरुणाचल प्रदेश	334	2074	3260
4.	असम	13063	42566	54681
5.	बिहार	283218	262095	480620
6.	चंडीगढ़	5	0	1
7.	छत्तीसगढ़	92976	151259	155941
8.	दादरा एवं नागर हवेली	0	4	3
9.	दमन एवं दीव	0	0	0
10.	गोवा	831	1940	1819
11.	गुजरात	404447	455403	246413
12.	हरियाणा	405539	386570	268507
13.	हिमाचल प्रदेश	34738	25122	37232
14.	जम्मू–कश्मीर	12952	6410	5522
15.	झारखंड	87120	33145	57831
16.	कर्नाटक	724942	430635	555639
17.	केरल	274472	355785	392968
18.	लक्षद्वीप	35	34	80
19.	मध्य प्रदेश	496049	507649	1270196
20.	महाराष्ट्र	914705	843401	300458
21.	मणिपुर	475	1458	3130
22.	मेघालय	1574	2093	8481
23.	मिजोरम	1099	1500	1369
24.	नागालैंड	16	1351	2466
25.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	594	435	577
26.	उड़ीसा	353125	506741	536700
27.	पांडिचेरी	4207	3509	2612
28.	पंजाब	607325	197364	152622
29.	राजस्थान	310416	184414	577526
30.	सिक्किम	577	626	1144
31.	तमिलनाडु	728989	605321	357746
32.	त्रिपुरा	2527	4591	8329
33.	उत्तर प्रदेश	2130624	2033625	2283770
34.	उत्तरांचल	74586	72686	79489
35.	पश्चिम बंगाल	340655	207249	477702
	कुल	9340534	8223766	9246633

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

509. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री बी. विनोद कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई प्याज का किस्म–वार ब्यौरा क्या है और इस वर्ष इसके निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या गुलाबी प्याज (रोज ओनियन) उत्पादक प्याज का निर्यात कोटा बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्याज के सीमित निर्यात के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार प्याज के निर्यात की अधिकतम सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रही है जिससे कि किसानों को इसका उचित मूल्य मिल सके; और

(ङ) क्या सरकार प्याज के लिए स्थायी निर्यात नीति तैयार करने और उसे जल्द से जल्द लागू करने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि प्याज उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपये का न्यूनतम मूल्य मिल सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) प्याज के निर्यात के किस्मवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्याज की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2001–2002	4.42	332.42
2002–2003	5.88	361.80
2003–2004 (अप्रैल, 03–नवम्बर, 03)	4.77	355.25

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

चूंकि निर्यात अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों पर निर्भर होते हैं, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं अथवा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान एग्जिम नीति के अनुसार प्याज का निर्यात किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना मुक्त रूप से किया जाता है। प्याज के निर्यात को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नेफेड) और अन्य राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिये सरणीकृत किया जाता है।

नकदी फसलों का उत्पादन

510. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़, चाय तथा अन्य नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे भारत और अन्य एशियाई देश तेल उत्पादक देशों की तर्ज पर एक संस्था/संगठन का गहन करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) भारत चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबड़, काली मिर्च आदि के प्रमुख उत्पादक और खपतकर्त्ता देशों को एक साथ लाने के लिए गठित विभिन्न अंतर सरकारी संगठनों अर्थात् चाय संबंधी अंतर सरकारी समूह, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों की एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय आदि का पहले से ही सदस्य है ताकि इन वस्तुओं से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान और चर्चा की जा सके।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा राज्यों को दी जा रही सहायता

511. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र को प्रदान की गई ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा महाराष्ट्र को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत सिंचाई योजनाओं के लिए दी गई ऋण सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)
2001–2002	81	173.79
2002–2003	63	216.92
2003–2004	शून्य	शून्य
कुल	144	390.71

प्रारम्भ की गई योजनाएं अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, धुले, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड, उस्मानाबाद, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, गोंदिया और नांदुरबार जिलों में हैं।

लघु वित्त एवं लघु ऋण

512. श्री अजय माकन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए लघु वित्त एवं लघु ऋण की व्यवस्था में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों तथा कृषि क्षेत्र को सरकारी बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए संपार्श्विक सेक्योरिटी के मुद्दे को सुलझाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कोई विशेष रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वर्ष 1992 में ही व्यष्टि वित्त एवं व्यष्टि ऋण योजनाओं को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न रणनीतियां एवं नीतियां तैयार करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक भी कृषि सहित सभी क्षेत्रों में व्यष्टि वित्त के विकास के पोषण के लिए सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करके व्यष्टि वित्त पहल को बढ़ावा देने के उपाय करता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 10,79,091 स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) को 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया है। व्यष्टि वित्त एवं व्यष्टि ऋण के कवरेज एवं पहुंच में सुधार के लिए नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) धीमी प्रगति और गरीबी की अधिकता को देखते हुए स्व–सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त राज्यों के रूप में 13 राज्यों की पहचान;

(ii) कारपोरेट स्तर पर बैंकों की सहायता को सूचीबद्ध करना;

(iii) सहकारी बैंकों की भागीदारी में वृद्धि;

(iv) स्व–सहायता समूह के प्रवर्तकों के रूप में कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए ग्रामीण समुदायों, लोक संस्थाओं, ग्रामीण स्वयं सेवकों एवं व्यक्तियों को जोड़ना;

(v) 'स्व–दर निर्धारण' तंत्रों का प्रचार करके विद्यमान स्व–सहायता समूहों की प्रभावकारिता बढ़ाना;

(vi) प्राथमिकता क्षेत्र/कमजोर वर्गों को बैंक उधार के भाग के रूप में स्व–सहायता समूहों का वित्त पोषण।

(ग) और (घ) नाबार्ड द्वारा व्यष्टि ऋण तथा व्यष्टि वित्त संबंधी कार्यक्रम अधिकांशतः गैर सरकारी संगठनों के माध्यम

से क्रियान्वित किए गए हैं। नाबार्ड ने 785 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी है जिन्होंने 72,290 स्व–सहायता समूह की स्थापना की है।

(ङ) और (च) चालू वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से बुनियादी स्तर के ऋण प्रवाह में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। सभी वाणिज्यिक बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों के लिए अपने ऋण के प्रवाह वर्तमान 6.7 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 10 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक ले आएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मई, 2004 को बैंकों से 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण तथा 5 लाख रुपये तक के कृषि कारोबार तथा कृषि क्लीनिकों के मामले में मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षा को माफ कर देने के लिए कहा है।

(छ) और (ज) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004–05 के लिए घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार, 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों को संपार्श्विक प्रतिभूति से छूट प्राप्त है।

(झ) और (ञ) भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने सभी बैंकों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं जिसमें 24 जून, 2004 तक चूककर्ता घोषित किए तथा नए ऋण के लिए अपात्र हो गए छोटे और सीमांत किसानों के एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना तैयार करने सहित मुसीबत के मारे किसानों के लिए राहत उपायों की परिकल्पना की गई है। बैंकों से कहा गया है कि वे अधिक से अधिक 30 सितम्बर, 2004 तक चूककर्ताओं को अधिसूचित करने का कार्य पूरा करें तथा आवेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर ऐसे चूककर्ताओं से प्राप्त आवेदनों की छंटाई करें। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निपटान बिना भेदभव के तथा पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि किसान नए ऋण ले सकें। बैंक प्रबंधन से यह भी कहा गया है कि वे उन मामलों की पुनरीक्षा करें जहां ऋण देने से सिर्फ इस आधार पर मना कर दिया गया है कि ऋण खाते को समझौता अथवा बट्टे खाते के माध्यम से निपटाया गया था।

कोकराझार में अंतर्देशीय विमानपत्तन

513. **श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निचले असम में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र 'बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) के मुख्यालय तथा इसकी प्रशासनिक प्रणाली' बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) कोकराझार में स्थानीय विमानपत्तन की स्थापना करने के लिए उचित कदम उठाए हैं और प्रभावी कार्य योजना तैयार की है जिससे कि विमानपत्तन तक की सुविधा से वंचित इस बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों को विमानपत्तन की सुविधा हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किस समय तक इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोकराझार में घरेलू हवाईअड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोकराझार एक मुख्य राज्य सड़क पर स्थित है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 से लगभग 10 कि.मी. पर है। असम में रूपसी में हवाईअड्डा और पश्चिम बंगाल में कूच बिहार कोकराझार के आसपास है। यह हवाईअड्डा हवाई यातायात के अभाव में गैर प्रचालनात्मक है। ऊपर बताई गई स्थितियों के कारण कोकराझार में हवाईअड्डा बनाए जाने पर अभी विचार नहीं किया जा सकता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. द्वारा सामुदायिक विकास

514. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास के लिए बजट की 20 प्रतिशत राशि को घटकार केवल 5 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) खानों के आसपास के गांवों और विस्थापित लोगों को पेयजल, स्वास्थ्य तथा सड़कों को उपलब्ध कराने पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले की खानों के आसपास गांवों में रहने वाले लोगों में उक्त राशि में कटौती होने से असंतोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सामुदायिक विकास हेतु राशि को पूर्व स्तर पर लाकर विकास कार्य करने पर विचार कर रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास पर व्यय हेतु निधियों को नहीं घटाया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक भाग के तौर पर 1998–99 से 2002–2003 के दौरान खानों के आस–पास स्थित गांवों तथा विस्थापित व्यक्तियों हेतु पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों इत्यादि पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :

(लाख रु. में)

1998–1999 वास्तविक	1999–2000 वास्तविक	2000–2001 वास्तविक	2001–2002 वास्तविक	2002–2003 वास्तविक
966.28	855.31	919.81	1203.21	1436.59

उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 2000–2001 के बाद से व्यय की राशि धीरे–धीरे बढ़ रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

निर्यात कोटा

515. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष का क्रोम अयस्क का निर्यात कोटा नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है और यह 2003 के समान ही रहेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति पहले क्या थी और अब क्या है;

(ग) वर्ष 2003 की तुलना में कोटा न बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात कोटे की समीक्षा के अभाव के कारण इस्पात के निर्माताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) इस्पात निर्माताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। इस्पात मंत्राललय ने यह सिफारिश की है कि इस वर्ष के लिए क्रोम अयस्क निर्यात कोटा उतना ही होना चाहिए जितना कि वर्ष 2003 के लिए था। वर्ष 2002–07 के लिए निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत फरिएबल और लंबी क्रोम अयस्क को राज्य व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत विनियमित किया जाता है और एमएमटीसी के जरिए निर्यात किया जाता है जिसकी अधिकतम मात्रा 4 लाख मी. टन वार्षिक है जो इस प्रकार है :

(क) निम्नलिखित को छोड़कर क्रोम अयस्क (i) बेनिफिसएटेड क्रोम अयस्क फाइंस–कन्संट्रेट्स (औसत फीड ग्रेड 42% (Cr_2O_3) और (ii) नीचे (ख) से (घ) तक उल्लिखित क्रोम अयस्कों की वे श्रेणियां जिनके लिए एसटीईएस (राज्य व्यापार उद्यम) के जरिए अनुमति है।	प्रतिबंधित नीचे (ख) से (घ) में दी गई श्रेणियों के अतिरिक्त लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात की अनुमति है।)	–	कोई अधिकतम सीमा नहीं
(ख) कम सिलिका फरिएबल/फाइन अयस्क जिसमें (Cr_2O_3 52% से अधिक न हो और सिलिका 4% से अधिक हो; और	एसटीई (एमएमटीसी के माध्यम से निर्यात के लिए)	3.6 लाख टन	4.0 लाख टन की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर
(ग) क्रोम लम्प्स जिसमें (Cr_2O_3) 40% से अधिक न हो			
(घ) कम सिलिका फरिएबल/फरिएबल/फाइन क्रोमाइट अयस्क जिसमें 52%-54% (Cr_2O_3) तक हो और सिलिका 4% अधिक हो।	एसटीई (एमएमटीसी के माध्यम से निर्यात कर लिए	04 लाख टन	

तथापि, वर्ष 2002–03 में एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत 4 लाख मी. टन की अधिकतम वार्षिक मात्रा में 1 लाख मी. टन की बढ़ोतरी की गई थी।

(ग) क्रोम अयस्क एक दुर्लभ और समाप्त होने वाला खनिज जिसका अधिक भण्डार उपलब्ध होने के अनुमान के बारे में आगे कोई पता लगाया नहीं जा सकता, होने के कारण घरेलू मूल्य संवर्धन जैसे फैरो क्रोम और चार्ज क्रोम को अयस्क का निर्यात करने की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मूल्यवर्द्धित क्रोम उत्पादों के निर्यात में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों को क्रोम अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने से घरेलू उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में एन.टी.सी. मिलों का पुनरुद्धार

516. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) ने कपड़ा मिलों हेतु औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसरण में गुजरात राज्य में कुछ एन.टी.सी. मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) एन.टी.सी. के लिए पुनर्वास कार्यक्रम से कपड़ा, कामगार किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) बी.आई.एफ. आर. ने एन.टी.सी. (गुजरात) लि. के लिए पुनर्वासन योजना स्वीकृत कर दी है जिसमें 2 अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार और 9 गैर–अर्थक्षम मिलों को बंद करना शामिल है।

(ख) पुनर्वासन योजना की अनुमानित लागत 486.04 करोड़ रु. है।

(ग) आशा है कि पुनर्वासन योजना के कार्यान्वयन से कंपनी लगभग 1375 कामगारों को उत्पादक रोजगार देने में समर्थ होगी।

विपणन विकास सहायता योजना

517. श्री पी. करूणाकरन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 में हथकरघा क्षेत्र में छूट के स्थान पर शुरू की गई विपणन विकास सहायता योजना महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का 20 प्रतिशत छूट योजना को पुनः शुरू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना वर्ष 2000 में शुरू नहीं की गई थी। तथापि, इसी नाम की एक योजना 1988–89 में शुरू की गई थी तथा 1.4.2000 से इसे रोक दिया गया। विपणन विकास सहायता योजना ने अपनी कार्य–अवधि के दौरान हथकरघा वस्तुओं के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(ख) वर्तमान में 20 प्रतिशत छूट की योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला अनुषंगी कंपनियों में स्टाफ की कमी

518. श्री गुरूदास कामत : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड कुछ ऐसी कोयला अनुषंगी कंपनियों में जो कोयला खानों में सुरक्षा लागू करने हेतु महत्वपूर्ण हैं, स्टाफ की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसकी अनुषंगियों में कोयला खानों में सुरक्षा को

लागू करने के लिए स्टाफ की कोई गंभीर कमी नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लि. की विभिन्न अनुषंगियों में ओवरमैन तथा खनन सिरदार की श्रेणी में थोड़ी कमी है।

(ख) और (ग) रिक्तियां मुख्यतः अधिवर्षिता, मृत्यु आदि के कारण होती हैं। रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उन कर्मचारियों को प्राधिकृत/प्रोन्नत करना जिनके पास दक्षता का प्रमाण–पत्र हो/प्राप्त कर लें।

(2) ओवरमैन तथा खनन सिरदार के रूप में दक्षता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रशिक्षण देना।

(3) जहां अधिशेष हो, वहां अंतर–अनुषंगी स्थानांतरण द्वारा।

(4) बाहरी भर्ती द्वारा।

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

519. श्री बाबू लाल मरांडी : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अभी तक कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है;

(ख) इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा अभी तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया और उन्हें रोजगार दिया गया; और

(ग) शेष विस्थापित व्यक्तियों को कब तक पुनर्वासित करने/रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, विस्थापित, पुनर्वासित व्यक्तियों तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा अभी तक रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

कंपनी का नाम	विस्थापित परिवारों की संख्या	पुनर्वासित परिवारों की संख्या	रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1313	1313	11191
भारत कोकिंग कोल लि.	1573	1573	4498
सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लि.	1332	1332	4678

(ग) विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास तथा रोजगार सतत प्रक्रिया हैं और यह कंपनी के मानदंडों तथा नीति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाती हैं।

खनिजों का उत्पादन

520. श्री प्रदीप गांधी :
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनिजों का राज्यवार कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान खनिजों का उत्पादन बढ़ा है/घटा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान खनिज उत्पादन का राज्यवार मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2003–04 के लिए खनिज उतपादन का सूचकांक (आधार वर्ष 1993–94 = 100) वर्ष 2002–03 के 140.56 की तुलना में 147.00 (अनंतिम) था जो 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) खनन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी गैर–ईंधन तथा गैर–परमाणु खनिजों के गवेषण और विदोहन को, राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार निजी निवेश के

लिए खोल दिया गया है। निवेश अनुकूल माहौल बनाकर तथा ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए बाधाओं को दूर करके खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

2001–01, 2001–02 तथा 2002–03 में खनिज उत्पादन का मूल्य (परमाणु खनिजों को छोड़कर)

(मूल्य '000 रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000–2001	2001–2002	2002–2003 (अनंतिम)
1	2	3	4
भारत	587652535	608323691	635403509
आंध्र प्रदेश	47515959	52310910	55589860
अरुणाचल प्रदेश	435983	380283	415503
असम	33238238	32665952	30323068
बिहार	9822813	9798485	9787692
छत्तीसगढ़	38366432	37284528	39541388
गोवा	2944212	3963243	50323920
गुजरात	46019867	49662038	51869802
हरियाणा	1564275	1520089	1498377
हिमाचल प्रदेश	643294	833586	844738
जम्मू–कश्मीर	265462	223101	217465
झारखंड	49673380	46110953	46943331
कर्नाटक	8873723	10565171	10642762
केरल	1535328	1598073	1633378
मध्य प्रदेश	30514183	37260100	38583247
महाराष्ट्र	25203065	27894264	28607998
मणिपुर	2432	2432	2432
मेघालय	2606298	3275705	2820596
मिजोरम	922	922	922
नागालैंड	775	775	775
उड़ीसा	26897232	28509852	33664017
पंजाब	49921	144056	144056
राजस्थान	23067653	23344610	24745677
सिक्किम	20883	15321	5852
तमिलनाडु	16550208	17932416	18483503
त्रिपुरा	681116	764497	818497
उत्तर प्रदेश	21891274	22546810	23618196
उत्तरांचल	54584	60399	68509
पश्चिम बंगाल	21552451	24978871	23932599
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	64196	185418	185418
चंडीगढ़	469	469	469
दमन और दीव	86	228	228
पांडिचेरी	871	1624	1624
अपतटीय	177594950	174488510	185387610

[अनुवाद]

एन.टी.सी. मिलों का आधुनिकीकरण

521. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई स्थित एन.टी.सी. मिलों के संबंध में आधुनिकीकरण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो अर्थक्षम पाई गई एवं चालू रखने के लिए प्रस्तावित ऐसी मिलों की संख्या तथा बंद की जाने वाली प्रस्तावित मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी मिलों की संख्या क्या है जो चालू रखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं लेकिन जर्जर अवस्था में हैं एवं कामगारों के लिए कार्य करने की दृष्टि से असुरक्षित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन मिलों का नवीनीकरण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। बी.आई.एफ.आर./भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के तहत एन.टी.सी. की मुंबई स्थिति 25 मिलों में से 10 मिलों को आधुनिक बनाया जाएगा। शेष 15 मिलों को बंद किया जाना है।

(ग) से (ङ) मुंबई स्थित कोहिनूर मिल्स नं. 1 और इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1 के कुछ ब्लॉकों की जीर्णावस्था व असुरक्षित होना प्रमाणित कर दिया गया है इसलिए ऐसे क्षेत्रों में क्रियाकलाप बंद कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मुंबई स्थित फिनले मिल्स और न्यू सिटी मिल भी जीर्णावस्था में है। फिनले मिल को दिग्विजय मिल्स, मुंबई में पुनर्स्थापित करने और कोहिनूर मिल्स नं. 1 को टाटा मिल्स, मुंबई में समामेलित करने का प्रस्ताव है। इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1 और न्यू सिटी मिल्स के मामले में उनके भवनों के जीर्ण–शीर्ण भाग की आवश्यक मरम्मत करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

[हिन्दी]

निजी वायु सेवाओं पर बकाया

522. श्री राम कृपाल यादव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी एयरलाइन्स से अपने हवाई अड्डों के उपयोग हेतु कोई निर्धारित शुल्क वसूल करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशिष्ट नियम और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क की बड़ी धनराशि कतिपय एयरलाइंस पर देय है;

(घ) यदि हां, तो एयरलाइंस–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी एयरलाइनों और निजी एयरलाइनों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाईअड्डा सुविधाओं/हवाईअड्डा बुनियादी सुविधाओं के प्रयोग के लिए रूट नेवीगेशनल फेसिलिटी चार्जेज, टर्मिनल नेवीगेशन लैंडिंग चार्जेज, लैंडिंग और पार्किंग चार्जेज के रूप में हवाईअड्डा प्रभार लगाती है। यह प्रभार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाते हैं।

(ग) और (घ) जहां तक निजी अनुसूचित एयरलाइनें जो कि प्रचालन में हैं का संबंध है उनको 15 दिनों की क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऐसी एयलाइनों का 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार बकाया (करोड़ रुपये में) इस प्रकार है–जेट एयरवेज : 10.64, सहारा एयरलाइंस : 6.88, अर्चना एयरवेज : 0.39, एयर डेक्कन : 0.68, जेग्सन एयरलाइंस : 1.14 तथा यूपी एयरवेज : 0.14।

बहुत सी निजी एयरलाइनों से भी बकाया देय शेष हैं जो अपना प्रचालन बंद कर चुकी हैं, उनकी बकाया देयताओं (करोड़ रुपये में) ब्यौरा निम्नानुसार है–ईस्ट–वेस्ट एयरलाइंस : 16.22, एनईपीसी : 3.55, स्काईलाइन एनईपीसी : 1.66, एलबी एयरलाइंस : 0.96, कंटीनेंटल एविएशन : 01.84, वीआईएफ एयरवेज : 0.25 तथा मोदीलुफ्त : 045।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देयताओं की वसूली के लिए पब्लिक प्रीमीसेज इविक्सन एक्ट तथा सिविल कोर्ट प्रोसिडिंग के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की है।

[अनुवाद]

अमेरिका में आयात पर प्रतिबंध

523. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर कराधान में वृद्धि करने जैसे लगाए गए आयात प्रतिबंधों से भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) यूएसए में होने वाले भारतीय आयातों को बढ़े हुए आयात शल्क के अधीन नहीं रखा गया है। तथापि यूएसए द्वारा भारत सहित कुछ देशों

से हुए विशिष्ट उत्पादों के आयातों के लिए समय–समय पर पाटनरोधी शुल्क जैसे व्यापारिक उपायों पर विचार किया गया है। इन्हें लागू किया गया है जिनसे श्रिम्प आदि जैसे उत्पादों के हमारे निर्यात प्रभावित हुए हैं।

(ग) सरकार ऐसे व्यापारिक उपायों की लगातार निगरानी करती है, उन्हें उचित मंच पर उठाया जाता है।

यार्न की माल सूची

524. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के बुनकरों ने 100 करोड़ रुपये का परिक्रामी निधि के तौर पर सृजन करने और 25 करोड़ रु. यार्न की माल सूची इत्यादि बनाने के लिए सृजित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति की योजना के तहत उत्पाद शुल्क रहित सूत की आपूर्ति को आसान बनाने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि. (एपको) को रिवाल्विंग फंड के रूप में निर्यात विकास तथा एपको वस्त्रों के निर्यात विकास के संवर्धन हेतु 25.00 करोड़ रुपये एवं सूत की खरीद हेतु 25.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया था। इससे पूर्व भी आंध्र प्रदेश सरकार से सेनवेट योजना के तहत सूत की आपूर्ति हेतु एपको के लिए रिवाल्विंग फंड के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की अवमुक्ति हेतु अनुरोध हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश सरकार को रिवाल्विंग फंड के रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किसी योजनाओं के तहत कोई प्रावधान नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

काकीनाड़ा पत्तन पर भाण्डागार

525. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने 2003 (पी. एस.यू.) की अपनी रिपोर्ट संख्या–3 के पृष्ठ 35 पर पैरा 6.4.2 में यह उल्लेख किया है कि काकीनाडा पत्तन पर भांडागार के निर्माण पर 5.11 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय ऐसे समय में किया है जबकि वस्तुओं के निर्यात में कमी आ रही है;

(ख) क्या प्रबंधन ने भांडागार के निर्माण को इस तर्क के आधार पर जारी रखा कि कार्य को बीच में छोड़ने से न केवल वित्तीय हानि होगी अपितु इससे एस.टी.सी. की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में यह कहा है चूंकि समीक्षाधीन कंपनी के व्यापारिक/वाणिज्यिक कार्यकलाप लेन–देन से संबंधित हैं इसलिए यह कोई भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है;

(घ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मंत्रालय की मंशा को इस उल्लेख के साथ नकार दिया कि वित्तीय दूरदर्शिता के दृष्टिगत आगे हानि रोकने के उद्देश्य से कार्य को निलंबित कर देना चाहिए था; और

(ङ) यदि हां, तो निदेशक मंडल/प्रबंधन के विरुद्ध इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) मै. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेस (राइट्स) से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और वस्तु बाजार की तत्कालीन तेजी को ध्यान में रखते हुए एसटीसी के निदेशक बोर्ड ने काकीनाड़ा पत्तन में भांडागार का निर्माण करने का अनुमोदन किया था। तथापि, एसटीसी के प्रबंधन द्वारा भांडागार के निर्माण को उपलब्ध क्षेत्र के 50 प्रतिशत हिस्से तक सीमित रखने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस प्रकार निवेश की राशि सीमित कर दी गई थी और उसे नियंत्रण में रखा गया था। प्रबंधन ने यह भी निर्णय लिया था कि एसटीसी इस भांडागार को वाणिज्यिक रूपरेखाओं पर प्रचालित करेगा ताकि वस्तुओं के निर्यात में कमी आने की स्थिति में परियोजना को कार्यक्षम बनाया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मंत्रालय/प्रबंधन का तर्क स्वीकार नहीं किया। तथापि, एसटीसी ने अब यह सूचना दी है कि जून 2004 तक काकीनाडा पत्तन न्यास को पट्टा प्रभारों के रूप में और काकीनाड़ा नगरपालिका को संपत्ति कर के रूप में 34.97 लाख रुपये दिए गए थे

जबकि भांडागार को किराए पर देने से (जून, 2004 तक) 46.40 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है जिससे 11.43 लाख रुपये का अधिशेष अर्जित हुआ है।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात फर्मों का निरीक्षण

526. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मानदंडों का अनुपालन न करने वाली फर्मों की पहचान करने के लिए निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी निर्यात फर्मों की कुल संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली–सूची में डाली गई फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) निर्यात फर्मों का निरीक्षण नेमी आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि, जब कभी सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, एक्जिम नीति के उपबंधों अथवा निर्यात से संबंधित किसी अन्य अधिनियम/नियम/प्रक्रिया का उल्लंघन/अन–अनुपालन दृष्टिगत होता है/उसकी सूचना मिलती है तो राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि जैसे सरकार के संबंधित स्कंधों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जाती है। इस प्रकार की जांच में कई बार केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे अभिकरणों को भी सहयोजित किया जाता है। इस प्रकार की जांच में संबंधित निर्यात फर्मों के रिकार्डों का निरीक्षण भी शामिल होता है। ऐसी जांच/निरीक्षण के परिणाम के आधार पर चूककर्त्ता फर्मों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों/नियमों के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। चूंकि इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्यालयों को देशव्यापी नेटवर्क रखने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं इसलिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या और चूककर्त्ता फर्मों के विरुद्ध उनके द्वारा की गई कार्रवाई के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

527. श्री तथागत सत्पथी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जन प्रतिनिधियों ने देश के लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या घाटे में चल रहे तथा लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक नीति तैयार करने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यथा–उल्लिखित सरकार की विनिवेश संबंधी नीति इस प्रकार है :

सरकार एक सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को उसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन इसके लिए चयनात्मकता और एक अनुकूल फोकस की आवश्यकता होती है। सरकार, प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाली सफल, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए पूर्णप्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपने के लिए वचनबद्ध है। सामान्यतः लाभ कमाने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक मामले में समस्त निजीकरण संबंधी विचार–विमर्श पारदर्शी और परामर्शी तरीके से किया जाएगा। मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहेंगी जबकि ये कंपनियां संसाधन पूंजी बाजार से जुटाती हैं। सार्वजनकि क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, लगातार घाटे में चल रही कंपनियों के सभी कामगारों को उनकी न्यायसंगत बकाया राशियां और मुआवजे मिल जाने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार, उन कंपनियों के चहुंमुखी विकास के लिए निजी उद्योग को शामिल करेगी, जिनके पुनरुद्धार की संभावना हो।

सरकार का यह मत है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्द्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। यह किसी भी एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतियोगिता सीमित होती है। इसका यह भी मत है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए–उदाहरण के लिए निर्दिष्ट सार्वजनकि क्षेत्र की योजनाओं के लिए निजीकरण से जुटाए गए राजस्व का उपयोग करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधनों को जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम पालिसी

528. श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा 1986 में बहुत पहले व्यक्तिगत मेडिक्लेम पालिसी शुरू कर दी गई थी फिर भी इसका कवरेज संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो मेडिक्लेम पालिसी और इसके कम कवरेज के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) **मेडिक्लेम पॉलिसी :** इस पॉलिसी में भारत में अस्पताल में/घर पर रहकर इलाज कराने पर किए जाने वाले चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। बीमित राशि 15,000/– रु. से 5/– लाख रु. तक हो सकती है और यह पालिसी 15 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 3 माह से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर कवर किया जा सकता है। आयु वर्ग और बीमित राशि के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रीमियम 213/– रु. से 17,156/– रु. प्रति वर्ष तक हो सकता है।

कम कवरेज के कारण : मेडिक्लेम का कम कवरेज होने के कारणों में, अन्य बातों के अलावा, नकद रहित सुविधा का अभाव, लाभों की उप–सीमाओं का प्रावधान तथा इस योजना के पर्याप्त प्रचार–प्रसार का अभाव शामिल है।

इस पालिसी को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपाय : तीसरे पक्ष के प्रशासकों (टीपीए) के जरिए नकद रहित सेवा शुरू की गई है। लाभों की उप–सीमाएं हटा दी गई हैं। एजेंटों की भर्ती और उसके बाद उनके प्रशिक्षण का अभियान शुरू किया गया है। गहन प्रचार और विज्ञापन अभियान भी शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

529. श्री मुनव्वर हसन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त खंडपीठ को अब तक स्थापित नहीं किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) इस क्षेत्र के व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (घ) जसवंत सिंह आयोग ने तारीख 30 अप्रैल, 1986 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ, संसदीय विधान के द्वारा आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ और नैनीताल और देहरादून में उसकी

दो सर्किट न्यायपीठों की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है। आयोग ने उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की उसके प्रधान स्थान से दूर स्थापना किए जाने की शीघ्रता और वांछनीयता का निर्धारण करने में अनुपालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों तथा उक्त न्यायपीठ के स्थान का चयन करने में ध्यान में रखी जाने वाली बातों का भी सुझाव दिया है।

किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने पर तभी विचार किया जाता है जब राज्य सरकार से, संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है।

उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में सभी प्रकार से पूर्ण कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 16 सितंबर, 2001 के अपने पत्र में यह संसूचित किया है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन के विरोध में उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा दिए गए संगत विचारों को पृष्ठांकित किया है। उन्होंने यह कथन किया कि उत्तर प्रदेश का दो राज्यों में विभाजन किए जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिले उत्तरांचल उच्च न्यायालय की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन चले गए हैं। इन परिस्थितियों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन के लिए कोई न्यायौचित्य नहीं दिया है।

[अनुवाद]

विमान यात्रा सस्ती करना

530. श्रीमती कृष्णा तीरथ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विमान यात्रा को आम नागरिक की पहुंच में लाने के लिए कोई तन्त्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) विमान यात्रा को और अधिक आम आदमी की पहुंच तक बनाने की दृष्टि से सरकार ने अंतर्देशीय विमान यात्रा कर को समाप्त कर दिया है, विमानन टरबाईन ईंधन पर सीमा शुल्क कम कर दिया है तथा हवाई अड्डा प्रभारों को घटा दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरो मुद्रा

531. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डालर–राज को समाप्त करने को ध्यान में रखते हुए यूरो मुद्रा का भंडार बनाने हेतु पहल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन जैसी बड़ी परिवर्तनीय मुद्राओं में रखा जाता है। मुद्राओं के संबंध में प्रभाव पर निर्णयों को संभावित मुद्रा उतार–चढ़ाव तथा अन्य मध्यावधिक विचारणाओं जैसे मध्यवर्ती मुद्रा में भंडारों के बड़े भाग को बनाए रखने की, पद्धति का हिसाब रखने वाले विदेशी व्यापार के तालमेल से अनुरूप मुद्रा रूपरेखा को बनाए रखने की आवश्यकता और मुद्रा विविधीकरण जोखिम से लाभ, के आधार पर लिया जाता है। यूरो एक बड़ी मुद्रा है जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार रखे जाते हैं। इसके महत्त्व के परिप्रेक्ष्य में, यूरो को भी, अमरीकी डालर के अलावा, घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यवर्ती मुद्रा बनाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गबन

532. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की तीन शाखाओं में गबन के मामले प्रकाश में आए हैं और जांच के दौरान कर्मचारियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में इनमें शामिल उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए कुछ निर्दोष कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है;

(ग) क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा की जाती है किन्तु लेखा परीक्षा दल उक्त अनियमितताओं का पता लगाने में असफल रहा;

(घ) क्या सरकार को निर्दोष कर्मचारियों को बहाल करने के संबंध में जून, 2004 में संसद सदस्य से कोई पत्र मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि नई दिल्ली में उनकी चार शाखाओं में धोखाधड़ियों का पता चला था। इन मामलों में, रिपोर्टों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने तीन शाखा प्रबंधकों, दो प्रबंधकों और एक लेखाकार को निलंबित कर दिया है। उपर्युक्त में से, एक शाखा प्रबंधक और एक प्रबंधक ने जिसकी वजह से धोखाधड़ी हुई, चूक करना स्वीकार कर लिया है और एक शाखा प्रबंधक, जिसने दो शाखाओं में गंभीर अनियमितताएं की हैं, फरार है। बैंक ने पुष्टि की है कि किसी को भी बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) इन चार शाखाओं में से, तीन की समवर्ती लेखापरीक्षा चल रही है और लेखापरीक्षकों ने किन्हीं गंभीर अनियमितताओं की सूचना नहीं दी है। तथापि, दो शाखाओं में, उन्होंने कतिपय अग्रिम खातों में अधिक रकमों की अनुमति दिए जाने के बारे में सूचित किया है।

(घ) वित्त मंत्रालय को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निर्दोष अधिकारियों को बहाल करने के संबंध में जून 2004 में संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रोथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

533. श्री पी. के. वासुदेवन नायर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रोथ सेविंग्स एंड इंवेस्टमेंट्स पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है कि वर्ष 2003–04 में सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि के लिए घरेलू उद्योग का योगदान पूर्ववर्ती वर्ष के 34 प्रतिशत से कम होकर 18 प्रतिशत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 18 मई, 2004 का "2004–05 के लिए वार्षिक नीति विवरण" के साथ जारी "2003–04 में बृहत आर्थिक और मुद्रा और विकास" के संबंध में जारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए उद्योग का योगदान गत वर्ष के 34 प्रतिशत से गिरकर 2003–04 में 18 प्रतिशत रह गया है। उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति को मिलाकर) ने वर्ष 2002–03 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2003–04 में 6.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की है। उच्च वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2003–04 में उद्योग क्षेत्र के योगदान में यह गिरावट मुख्यतः कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के योगदान में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण हुई है जो वर्ष 2002–03 में सूखे के कारण कुल योगदान का ऋणात्मक 31.4 प्रतिशत था और सुधार के बाद वर्ष 2003–04 में कुल योगदान का 24.2 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र का सापेक्ष योगदान न केवल उनके अपने निष्पादन पर बल्कि अन्य क्षेत्रों के निष्पादन पर भी निर्भर करता है।

बीमा कंपनियों में मामलों के आवंटन में कदाचार

534. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में द नेशनल इंश्योरेंस, द ओरियंटल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनियों में अधिवक्ताओं को मामलों के आवंटन में कदाचार हुए हैं और मामलों का आवंटन इनमें अंतर्ग्रस्त धन के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आवंटित मामलों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इन प्रयासों के बाद क्या उपलब्धि प्राप्त की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) साधारण बीमाकर्ताओं की सरकारी क्षेत्र की एसोसिएशन (सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का समन्वयकर्ता निकाय) ने सूचित किया है कि अधिवक्ताओं को किए जाने वाले मामलों के आवंटन में ऐसा कोई कदाचार नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

देश का सामाजिक विकास

535. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कारपोरेट क्षेत्र से अत्यधिक ऋण लेने और भारी राशि के ऋण की आशंका से आवास और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज दर वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़ सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश का तीव्र और निर्बाध सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक विभिन्न किस्म के ऋणों जिनमें व्यक्तिगत/आवासीय ऋण शामिल हैं, के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की ऋणसीमाओं पर उधार देने की दर को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत/आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों का उधार देने की दरों के सामान्य स्तर तथा ऋण जोखिम की समग्र अवधारणा, जैसी वर्तमान में है, पर निर्भर रहना जारी रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 जो 5 जुलाई, 2004 से प्रचालन में आया, वह केन्द्र सरकार को राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटे को कम करने के लिए उचित उपाय करने का अधिदेश देती है ताकि राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2008 तक समाप्त किया जा सके। इसके परिप्रेक्ष्य में, केन्द्र सरकार के कुल उधारों के पिछले रुझानों के समान बहुत अधिक रहने की संभावना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कुल नकदी पर, बिना भारी दबाव डाले, ऋण प्रबंधन संचालन की आशा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट, वर्ष 2004–05 की मुद्रा नीति की कुल अवस्थिति अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि तथा निवेश समर्थन तथा निर्यात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी का प्रावधान करना है।

सामाजिक विकास का सरकार की एक प्राथमिकता बना रहना जारी है। सामाजिक क्षेत्र का विकास उचित बजटीय आवंटन तथा नीतियों को लागू करके किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

536. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नई भर्ती भी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान विभिन श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्ती के बारे में वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण–I में देखी जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण–II में देखी जा सकती है।

(च) जी, हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

विभाग	समूह–क		समूह–ख		समूह–ग		समूह–घ		कुल	
	अनु.जा.	अनु.ज.जा	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
कोयला (पीएसयू तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित)	71	39	207	170	227	474	82	447	587	1130
खान (पीएसयू तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित)	155	102	10	28	131	182	94	40	390	352

विवरण-II

विभाग/वर्ष	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य	कुल
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ		
कोयला										
2001–2002	–	–	54	29	–	–	–	2	331	416
2002–2003	–	7	140	5	–	44	57	40	93	386
2003–04	6	9	21	76	–	–	4	9	386	511
खान										
2001–2002	–	–	67	72	–	–	25	28	279	471
2002–2003	–	11	24	5	–	4	36	9	209	298
2003–04	4	15	4	3	1	9	10	4	181	231

[अनुवाद]

मोटर वाहनों का निर्यात

537. श्री सुशील कुमार मोदी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश से माडल–वार कितनी यात्री कारों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान यात्री कारों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्वोक्त अवधि के दौरान देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित यात्री कारों की संख्या नीचे तालिका 'क'

में दी गई है। यात्री कारों के मॉडल वार निर्यातों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

तालिका 'क'

वर्ष	निर्यातित यात्री कारों की संख्या
2001–02	50108
2002–03	70828
2003–04	126249

(स्रोत : सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम)

(ख और (ग) निम्नलिखित तालिका 'ख' में दिए गए आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष 2004–05 (अप्रैल–मई 04) के दौरान यात्री कारों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में बढ़ोत्तरी प्रतीत होती है :

तालिका 'ख'

वर्ष	निर्यातित यात्री कारों की संख्या	निर्यातित यात्री कारों का मूल्य
2004–05 (अप्रैल–मई)	23551	715.95 करोड़ रु.
2003–04 (अप्रैल–मई)	15928	484.21 करोड़ रु.

(स्रोत : सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम))

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समतुल्य भारतीय रुपयों में अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे तालिका 'ग' में दी गई है।

तालिका 'ग'

वर्ष	निर्यातित यात्री कारों का मूल्य
2001–02	418.28 करोड़ रु.
2002–03	897.11 करोड़ रु.
2003–04* (अप्रैल–नवंबर)	787.89 करोड़ रु.

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

*वर्ष 2003–04 के लिए निर्यात संबंधी आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

गायब हुई कंपनियां

538. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार धोखेबाज और गायब होने वाली कंपनियां कितनी हैं जिन्होंने निवेशकों को धोखा देकर उनका धन हड़प लिया और इसमें अंतर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उन कंपनियों का पता लगाने और उनसे राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) वर्तमान में 122 कंपनियों की लुप्त हुई कंपनियों के रूप में पहचान हो गई है। इन कंपनियों ने पब्लिक इश्यू के द्वारा 838 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, कंपनी कार्य मंत्रालय के सचिव की सह–अध्यक्षता में बेईमान संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक समन्वय एवं मानीटरिंग समिति स्थापित की गई है। तदनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के लिए लुप्त कंपनियों के संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। विभिन्न लुप्त हुई कंपनियों तथा उनके संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 403, 415, 418 तथा 424 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मामलों को पुलिस में पंजीकृत भी कर दिया गया है।

मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम गायब होना

539. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए लोक सभा और कुछ विधान सभाओं के आम चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदाता सूचियों में अपने नाम गायब पाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है जिससे कि मतदाता सूचियों से पात्र मतदाताओं के नाम गायब न हों?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उसे हाल ही में कराए गए लोक सभा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण

निर्वाचनों के दौरान निर्वाचक नामावलियों से नामों के गायब पाए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आयोग ने, बड़ी संख्या में नामों के गायब होने के कारण का पता लगाने के लिए एक समुचित जांच का आदेश दिया है। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई की बाबत शिकायतों की संख्या अधिक थी। चूंकि, महाराष्ट्र राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन सितंबर–अक्तूबर, 2004 में कराए जाने के लिए नियत हैं अतः आयोग ने ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके नाम गायब पाए गए थे और अन्य पात्र व्यक्तियों को अपने नाम दर्ज कराने का अवसर देने के लिए राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों से पूर्व अर्हता की तारीख अर्थात् 1.1.2004 के प्रतिनिर्देश से संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में एक और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम तारीख 15.06.2004 को नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के साथ आरंभ किया गया है ओर अंतिम प्रकाशन तारीख 11.08.2004 के लिए नियत किया गया है।

अन्य सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत, आयोग ने नामवलियों को अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2005 के प्रतिनिर्देश से पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जम्मू–कश्मीर राज्यों में पुनरीक्षण का स्वरूप गहन अर्थात् घर–घर गणना के रूप में होगा। शेष राज्यों में, पुनरीक्षा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा अर्थात् वर्ष 2004 की निर्वाचक नामावलियों को पात्र व्यक्तियों से दावे और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रारूप में प्रकाशित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में, अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2005 के प्रतिनिर्देश से पुनरीक्षण के कार्यक्रम को राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों के पूरा होने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

देय राशियों की वसूली

540. श्री विजय कृष्ण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों, निपटान आयोग, आई.ए.टी.ए. और आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा स्थगनादेश के कारण करोड़ों रुपये की राशि नहीं वसूली जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो स्थगन आदेशों को रद्द करने तथाराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार की वित्तीय स्थिति देय राशियों की वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई देने की अनुमति नहीं देती?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सांविधिक प्रावधानों के उपयोग का समावेश होता है, जिसमें ब्याज लगाना, शास्ति लगाना तथा चल और अचल संपत्तियों की जब्ती एवं बिक्री शामिल है। उन मामलों के संबंध में जिनमें वसूली के प्रति अपीलीय निकायों द्वारा स्थगनादेश पारित किए गए हैं, उनकी तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर करने अथवा मामले पर प्राथमिकता से निर्णय करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। उच्च मांगों वाले मामलों की आवधिक समीक्षा तथा निगरानी भी विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है और बकाया करों की वसूली करने के लिए समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं। देयराशि की वसूली के लिए सारे संभावित कदम उठाए जाते हैं।

कोयले की रायल्टी में संशोधन

541. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले की रॉयल्टी की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार, रायल्टी की दर की ऊर्ध्वगामी समीक्षा 3 वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं की जाएगी। कोयले पर रायल्टी दिनांक 16.8.2002 को बढ़ाई गई थी। अतः कोयले पर रायल्टी 16.8.2005 के पश्चात् ही बढ़ाई जा सकती है।

जेट एयरवेज द्वारा विमान उतारने के लिए स्थान

542. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेट एयरवेज की इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों से/तक अनुसूचित वायु सेवा चलाने के लिए नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेट एयरवेज ने नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य प्राधिकारियों से समुचित स्वीकृति लिए बिना ही उपर्युक्त देशों में संबंधित प्राधिकारियों से विमान उतारने के लिए स्थान की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ब्यौरे के प्रत्युत्तर में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है और जेट एयरवेज द्वारा क्या कारण बताए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जहां तक विदेशी मार्गों का संबंध है, सरकार ने नामन के आधार पर, निजी अनुसूचित एयरलाइनों को केवल सार्क देशों को ही प्रचालन करने की अनुमति दी है। जेट एयरवेज ने सूचित किया है कि उन्होंने स्लाट उपलब्धता के मूल्यांकन के लिए योजना प्रयोजनों के लिए अपने स्वयं के इच्छाशक्ति पर, लंदन, कुआलालम्पुर, सिंगापुर तथा बैंकॉक हवाईअड्डों पर स्लाट के लिए आवेदन किया था। जेट एयरवेज के अनुसार, यह एक स्पष्ट नजरिया था कि इस प्रकार के स्लाटों का उपयोग इस प्रकार के प्रचालनों को करने के लिए सरकार की अपेक्षित अनुमति की स्वीकार्यता के बाद ही किया जाएगा।

आईएफसीआई और आईडीबीआई का विलय

543. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आईएफसीआई का आईडीबीआई के साथ विलय के प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को देश के औद्योगिक विकास के लिए एक वृहत संस्था गठित करने के लिए डीएफआई के विलय का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सरकार ने विकास वित्तीय संस्थाओं की दीर्घकालिक धारणीयता को बनाए रखने के लिए सभी संभव विकल्पों का पता लगाया है। इस संदर्भ में, आईएफसीआई के अन्य वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय पर भी विचार किया गया है। आईएफसीआई कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और इसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है। अतः, आईएफसीआई के आईडीबीआई अथवा किसी अन्य बैंक के साथ विलय के संबंध में निर्णय विलय के बाद अधिक तालमेल प्रदान करने वाली संस्था पर निर्भर करते हुए, आईएफसीआई के निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा।

घरेलू मार्गों का वितरण

544. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस नेसरकार से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच घरेलू मार्गों का पुनर्वितरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मार्गों के पुनः निर्धारण की अनुसूची की समीक्षा करने हेतु समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच मार्ग युक्तिकरण के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस बीच, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने अपने अंतरराष्ट्रीय मार्गों का युक्तिकरण करने के लिए एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय–समय पर बैठक करने का

निर्णय लिया। सरकार द्वारा गठित समिति ने दोनों एयरलाइनों के बीच समझौता–ज्ञापन को नोट कर लिया है और केवल दोनों एयरलाइनों के बीच परस्पर विरोधी मतभेदों के होने की स्थिति में ही बैठक करने का निर्णय किया है।

गायों की तस्करी

545. श्रीमती मेनका गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दूध न देने वाली गायों के बड़े झुंडों की सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी के बावजूद वध करने के लिए राजस्थान और पश्चिमी बंगाल से लगी सीमा से नियमित रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश को तस्करी की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, इस अवैध कारोबार को रोकने हेतु, यदि कोई हो, तो क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान गायों की तस्करी के मामले तथा पकड़ी गई गायों की संख्या निम्नवत है :

वर्ष	जब्ती के मामलों की संख्या	पकड़ी गई गायों की संख्या
2002–03	2,878	12,217
2003–04	3,826	19,078
2004–05 (जून, 2004 तक)	1,737	5,166

तथापि, भारत–पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान में इस प्रकार की तस्करी के किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय तस्करी रोकने और इसका पता लगाने के लिए सतर्क और चौकस हैं।

रबड़ का आयात और निर्यात

546. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राकृतिक रबड़ का आयात करने हेतु कंपनियों को संस्वीकृति देने हेतु कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत से अन्य दूसरे देशों को प्राकृतिक रबड़ का कोई निर्यात होता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) दिनांक 1.4.2001 से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद प्राकृतिक रबड़ का आयात निर्धारित सीमाशुल्क का भुगतान करके मुक्त रूप से किया जा सकता है तथा प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए सरकार की किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2003–04 के दौरान, भारत से 39 देशों को 75,905 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया था, जिसका विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2003–04 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का देश वार निर्यात

क्र.सं	देश	निर्यातिक मात्रा (टन में)
1	2	3
1.	चीन	31226.100
2.	श्रीलंका	9994.836
3.	मलेशिया	7775.330
4.	तुर्की	4336.975
5.	स्पेन	3221.626
6.	जर्मनी	2469.400
7.	सिंगापुर	1936.000
8.	नेपाल	1797.825
9.	बेल्जियम	1650.605
10.	पाकिस्तान	1532.600
11.	इंडोनेशिया	1444.000
12.	यू.के.	1236.150
13.	ईरान	864.300

1	2	3
14.	ब्राजील	758.490
15.	यूक्रेन	648.000
16.	आस्ट्रेलिया	618.540
17.	संयुक्त अरब अमीरात	581.200
18.	सीरिया	578.256
19.	रूस	400.000
20.	मिस्र	385.000
21.	न्यूजीलैंड	365.580
22.	केन्या	321.300
23.	बंगलादेश	298.048
24.	नीदरलैंड	236.500
25.	फ्रांस	226.400
26.	कोरिया	218.000
27.	पोलैंड	145.960
28.	ताईवान	115.000
29.	दक्षिण अफ्रीका	76.000
30.	हंगरी	109.000
31.	सऊदी अरब	57.000
32.	जापान	56.000
33.	कोलम्बिया	49.832
34.	थाईलैंड	42.280
35.	अर्जेंटीना	40.000
36.	ग्रीस	38.000
37.	रोमानिया	19.000
38.	चिली	19.000
39.	यू.एस.ए.	16.400
	महा योग	75904.533
	पूर्णांकित	75905.000

नागपुर/आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हब विमानपत्तन

547. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री राज बब्बर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के मध्य स्थित नागपुर की भौगोलिक अवस्थिति के मद्देनजर और समग्र रूप से विदर्भ क्षेत्र और मध्य भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नागपुर को यात्री और कार्गो के लिए मल्टी–नोडल अंतर्राष्ट्रीय हब विमानपत्तन विकसित करने पर विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विमानपत्तन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अगस्त, 2001 से अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आगरा में भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके कब तक निर्मित होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यात्री और कारगो के लिए नागपुर हवाईअड्डे के मॉडल अंतरराष्ट्रीय हब हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में नागर विमानन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को नागपुर में हवाईअड्डा आधारभूत संरचना के अपेक्षित अध्यवसाय करने तथा संयुक्त सर्वेक्षण तथा भूमि की आवश्यकता का निर्धारण तकनीकी आर्थिक साध्यता इत्यादि जैसे किए जाने वाले सभी कार्यकलापों के लिए एक रोडमैप तैयार करने का परामर्श दिया है। अपेक्षित अध्यवसाय की रिपोर्ट तथा साध्यता अध्ययन के आधार पर आगे उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पॉलीमर मुद्रा

548. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 2004 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में पॉलीमर मुद्रा के प्रयोग से होने वाले लाभ और बचत पर प्रकाश डालने वाले 'व्हाई पुट योर मनी ऑन प्लास्टिक' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आस्ट्रेलियाई फर्म के दावों का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पॉलीमार सब्सट्रेट से भारतीय बैंक के नोटों के मुद्रण के पहलुओं की जांच करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ दल ने प्रस्ताव को अनुपयुक्त पाया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पक्ष को दोहराया है। भारत में पोलीमर नोटों के प्रयोग हेतु सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों के बीच वायु संपर्क

549. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(गं) इसको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

घाटे में चलने वाले विमानपत्तन

550. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई विमानपत्तन घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003–04 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 115 हवाईअड्डे जिसमें 38 गैर–प्रचालन हवाईअड्डे भी शामिल हैं, को कुल 274.92 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाईअड्डों को जहां तक संभव हो सके गैर–वैमानिकी राजस्व को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है और साथ ही नियंत्रण योग्य व्यय को कम कर रही है।

[अनुवाद]

मतदाता सूची में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों का शामिल होना

551. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उनके नामों को सूची से हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित

किए जाने के पात्र हैं। तथापि, कभी–कभी, घर–घर गणना के दौरान या दावे और आक्षेप फाइल किए जाने की अवधि के दौरान कुछ व्यक्तियों के नाम आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई मिथ्या जानकारी के कारण निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हो जाते हैं। आयोग ने, केवल बांग्लादेशियों, जिन्हें गलती से असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की निर्वाचक नामवलियों में सम्मिलित किया गया है, के मामलों के ब्यौरे वाला विवरण संलग्न है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। तथापि, आयोग ने यह कथन किया है कि उसके पास 2004 की विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के संबंध में उपलब्ध ऐसे मामलों के आंकड़े नहीं हैं।

(ख) आयोग ने अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2005 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है, जिसमें नए निर्वाचकों का समामेलन और नामावली में अपात्र नामों को हटाने का कार्य विद्यमान विधि के अनुसार किया जाएगा। इस कार्य के परिणामस्वरूप ऐसे नामों को ही हटाया जा सकेगा जो गलती से नामावली में सम्मिलित किए गए हो सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए विदेशियों (बांग्लादेशियों) के रजिस्ट्रीकरण के विनिर्दिष्ट मामलों का ब्यौरा

(क) असम

राज्य के 126 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में संदिग्ध राष्ट्रीयता के 2,00,930 मामलों का पता लगाया गया था औरे उन्हें सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। इनमें से अब तक 2749 मामलों की दशा में नागरिकता प्रास्थिति की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि कर दी गई है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है, 502 मामलों को अवैध प्रवासियों के मामलों के रूप में घोषित किया गया है और 197679 मामले सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित हैं।

(ख) महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस के केंद्रीय अन्वेषण विभाग की शाखा ने जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई को उपनगर को यह रिपोर्ट की है कि मुंबई उपनगरीय जिले में 39–आमदी और 49–कुर्ला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में 6 बांग्लादेशी राष्ट्रिक सम्मिलित किए गए थे (क्रमशः पांच और एक)। उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने उनकी नागरिकता की प्रास्थिति की जांच करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1960 के नियम 21 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि वे जांच के पश्चात् बांग्ला राष्ट्रिक साबित होते हैं तो उनके नाम नामावलियों से हटा दिए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ ने यह रिपोर्ट की है कि एक निर्वाचक जिसका नाम श्री पटवारे गुलाब मुस्तफा फजुमुद्दीन है, को 1995 से 13–श्रीवर्धन विधान सभा की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है। पुलिस ने जून, 2001 में 9 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध भारत में आपराधिकृत रूप से ठहरने के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीवर्धन की न्यायालय में मामला फाइल किया है। इनमें से केवल एक बांग्लादेशी राष्ट्रिक अर्थात् श्री पटवारे गुलाब मुस्तफा फजुमुद्दीन का नाम ही 13–श्रीवर्धन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में दर्ज हुआ पाया गया है। माननीय न्यायालय ने पटवारे गुलाब मुस्तफा फजुमुद्दीन के सिवाय 8 बांग्लादेशियों को सीमा सुरक्षा बल, कलकत्ता को सौंपने का आदेश दिया है। तद्नुसार पुलिस ने 17 दिसंबर, 2001 को 8 बांग्लादेशियों को उन्हें सौंप दिया है। माननीय न्यायालय ने श्री पटवारे गुलाब मुस्तफा फजुमुद्दीन को जमानत पर मुक्त कर दिया है और मामला विचारण के लिए लंबित है।

(ग) उड़ीसा

जांच के पश्चात्, वर्ष 2002 की निर्वाचक नामावली में 370 बांग्लादेशियों के नाम पाए गए थे और उन्हें हटा दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावलियों में 197 बांग्लादेशियों के नाम पाए गए थे, जिसके लिए उनके नामों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 135–सुंदरगढ़ विधान सभा की वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावलियों में 2 बांग्लादेशियों के नामों का पता लगाया गया है जिन्हें हटाया नहीं गया है क्योंकि वह माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

(घ) उत्तर प्रदेश

फैजाबाद, रायबरेली और झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने रिपोर्ट की है कि वर्ष 2002 की नामावलियों में क्रमशः 14, 3 और 1 बांग्लादेशियों के नाम दर्ज किए गए

थे। वर्ष 2002 की नामावलियों से इन नामों को हटा दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

निर्वाचक नामावलियों में कुछ बांग्लादेशियों के नाम विद्यमान पाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार के निर्वाचन विभाग को उसके गृह विभाग से बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में संबंधित विधान निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से उनके नाम (यदि विद्यमान हों) हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राप्त हुई हैं। बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची, निर्वाचक नामावलियों से उनके नामों को हटाने के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भेजी गई थीं। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक उन्होंने नामावलियों में आने वाले 75 नामों को हटा दिया है। अब यह कार्य अर्थात् बांग्लादेशी प्रवासियों की सूचियां प्राप्त करना और जांच करना/नाम हटाना एक नियमित प्रक्रिया बन गया है। अतः, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में बांग्लादेशी प्रवासियों की कुछ सूचियों के संबंध में जांच आदि का कार्य अभी तक प्रगति पर है।

[हिन्दी]

निचली अदालतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यों को सहायता

552. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निचली अदालतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक, चार महानगरों अर्थात् चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में नगर सिविल न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 17.79 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003–2004 के दौरान, राज्य की राजधानियों या उन स्थानों में, जहां उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ अवस्थित है, नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 24.24 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों को अनुमति

553. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमान कंपनियों को दक्षेस देशों को उड़ान सेवा की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत की निजी विमान कंपनियों को अपने देश में उड़ान सेवा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने यातायात अधिकारों की उपलब्धता तथा अधिक एयरलाइनों के नामन के लिए, संबंधित विमान सेवा करार में प्रावधान के आधार पर, निजी अनुसूचित भारतीय विमानकंपनियों को सार्क देशों के लिए प्रचालन की अनुमति दी है। उनके अनुरोधों के आधार पर, जेट एयरवेज तथा एयर सहारा को अब श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के लिए प्राचालन के लिए नामित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं के प्रचालनों के लिए अधिक एयरलाइनों के नामित करने के लिए वर्तमान विमान सेवा करार में संशेधन के लिए भारत सरकार के प्रस्ताव को इस समय के लिए पाकिस्तान सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवा

554. प्रो. महादेव राव शिवनकर : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2004 के दूसरे सप्ताह के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विमान–सेवा आरंभ करने का कोई निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1.12.2003 को हुई तकनीकी स्तर की वार्ता में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दोनों देशों के बीच वायु सेवाएं 1.1.2004 से बहाल कर दी गईं।

[अनुवाद]

तहलका पर छापा

555. श्री के. एस. राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान तहलका के स्वामी और उनके सहभागियों के कार्यालय और निवास पर उनके मंत्रालयाधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा कितनी बार छापे डाले गए;

(ख) प्रत्येक छापों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) छापों के परिणामों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वित्त मंत्रालय के अधीन एजेंसियों द्वारा तहलका के स्वामी, मै. बफैलो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. की कोई तलाशी नहीं ली गई। तथापि, मै. फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लि. के 4 परिसरों (मै. बफैलो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. के शेयर धारकों में से एक) तथा श्री शंकर शर्मा के 3 आवसीय परिसरों (मै. बफैलो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. के निदेशकों में से एक) की आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई।

(ख) तलाशी की कार्रवाई में 1,61,701 रु. मूल्य के आभूषणों, कंप्यूटर सर्वरों, सी डी, फ्लापियों, लेखा बहियों तथा पर्याप्त कर अपवंचन के साक्ष्य संबंधी अन्य दस्तावेजों की जब्ती की गई है।

(ग) विभाग ने श्री शंकर शर्मा तथा मै. फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लि. के मामले में ब्लॉक अवधि में क्रमशः 40.34 करोड़ रुपये तथा 682.27 करोड़ रुपये की अघोषित आय निर्धारित करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158 ख ग के अंतर्गत ब्लॉक निर्धारण पूरा किया है।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पद

556. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों की उच्च न्यायालयवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के इन रिक्त पड़े पदों को भरने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो रिक्त पड़े सभी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) रिक्त पदों की उच्च न्यायालयवार स्थिति दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच निरंतर चलने वाली परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है तथापि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्तियों, पदत्याग या उनके हटाए जाने के कारण रिक्तियां बढ़ती रहती हैं।

उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को करनी होती है। तथापि, सरकार समय–समय पर राज्यों के उच्च न्यायालयों

के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से यह अनुरोध करती रही है कि विद्यमान और आगामी छह मास के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों के भरे जाने के लिए प्रस्ताव भेजें।

विवरण

तारीख 5.7.2004 को यथा विद्यमान स्थिति

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	अनुमोदित पद–संख्या	पदासीन न्यायाधीश	रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	95	71	24
2.	आंध्र प्रदेश	39	29	10
3.	बम्बई	60	55	05
4.	कलकत्ता	50	43	07
5.	छत्तीसगढ़	08	03	05
6.	दिल्ली	33	25	08
7.	गुवाहाटी	19	12	07
8.	गुजरात	42	31	11
9.	हिमाचल प्रदेश	09	06	03
10.	जम्मू–कश्मीर	14	07	07
11.	झारखंड	12	11	01
12.	कर्नाटक	40	29	11
13.	केरल	29	22	07
14.	मध्य प्रदेश	42	25	17
15.	मद्रास	49	29	20
16.	उड़ीसा	22	11	11
17.	पटना	43	22	21
18.	पंजाब और हरियाणा	53	28	25
19.	राजस्थान	40	21	19
20.	सिक्किम	03	02	01
21.	उत्तरांचल	09	07	02
	योग	711	489	222

[अनुवाद]

पर्यावरण सुरक्षा

557. श्री गुरूदास कामत : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कंपनियां पर्यावरण सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला कंपनियां पर्यावरण की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देती हैं।

(ग) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं–

– **पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार किया जाना**–किसी खान का प्रचालन आरम्भ करने से पूर्व, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (इआईए) की सहायता से एक सुगठित ईएमपी तैयार की गई है। ईएमपी की सहायता के लिए परियोजना स्थल हेतु बेस लाइन डाटा उत्पन्न किया गया है। ईएमपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन का नियमित प्रबोधन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की अपेक्षानुसार किया जाता है। किसी खान के प्रचालन के दौरान निम्नलिखित न्यूनीकरण उपाय भी किए जाते हैं।

– **ऊपरी मृदा परिरक्षण**–ओपनकास्ट खानों में जहां भी लागू हो, ऊपरी मृदा की सावधानी से खुदाई इसका भंडारण तथा नवीनीकृत क्षेत्रों में वृक्षारोपण के दौरान इसका उपयोग किया जा रहा है। ऊपरी मृदा का संग्रहण और नवीनीकृत क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए इसके पुनः उपयोग का एक दैनिक कार्य के रूप में अनुपालन किया जा रहा है।

– **वृक्षारोपण**–कोयला खानों में एक परंपरागत क्रियाकलाप है। प्रत्येक वर्ष बड़ी ओपनकास्ट खानों में लगभग 50 लाख पौधे ओ बी डम्पों, नवीकृत पुनः

भरे गए क्षेत्रों, खाली भूमि और मार्गों पर रोपित किए जाते हैं।

— **वायु प्रदूषण**—ओपनकास्ट खानों में धूल को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है जिसमें ओपनकास्ट खानों में ड्रिलों में धूल निष्कर्षकों की स्थापना किया जाना, हाल रोड्स पर चल और स्थिर जल छिड़कावकों को लगाया जाना, कोयला परिवहन सड़कों पर काली परत चढ़ाया जाना, मार्गों के साथ–साथ वृक्षारोपण किया जाना और कन्वेयर बैल्टों को लगाया जाना, शामिल है।

— **जल प्रदूषण**—खान से होने वाले सभी प्रकार के निस्सरणों के लिए उनके प्राकृतिक जल–स्रोत में स्राकित होने से पूर्व, स्वीकार्य सीमाओं के भीतर पर्यावरणीय मानदंड बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यशालाओं से परिष्कृत उत्सर्जनों को खान के भीतर पुनः उपयोग में लाने के लिए भी कुछ परियोजनाओं में व्यवस्था की जा रही है ताकि लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त हो। इन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं–निस्सरणों को तेल तथा ग्रीस से मुक्त करने के लिए खुदाई कार्यशालाओं में तेल तथा ग्रीस ट्रैप चालू किया जाना, खान निस्सरणों के लिए तलछट तालाबों को चालू किया जाना, कार्यशाला, खान तथा साथ ही बड़ी खानों में कोयला रख–रखाव संयंत्रों के निस्सरणों से निपटने के लिए एकीकृत निस्सारी परिष्करण संयंत्र चालू किया जाना, घरेलू निस्सारियों से निपटने के लिए सीवेज परिष्करण संयंत्र चालू किया जाना तथा ऊपरी मलबा डम्पों के आस–पास बांध तथा जालीदार नालियों का निर्माण।

— **ध्वनि प्रदूषण**—ध्वनि स्तर का आकलन करने के लिए पूर्व–निर्धारित प्रबोधन स्थलों पर दिन में तथा रात्रि के घण्टों में भी ध्वनि स्तर का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, ध्वनि स्तर को कम करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

— **विस्फोट कम्पन**—जब भी खान से 500 मीटर की दूरी के भीतर आबादी होती है, विस्फोट प्रचालन का कम्पन प्रबोधन किया जाता है और कम्पन स्तर को अनुमेय सीमा के भीतर रखने के लिए तदनुसार विस्फोट प्रचालनों को नियंत्रित किया जाता है।

— **पर्यावरणीय प्रबोधन**—प्रदूषण के स्तर तथा अपनाए गए न्यूनीकरण उपायों की कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए निर्धारित कानूनों के अनुसार नियमित अंतराल पर पूर्व निर्धारित स्टेशनों पर वायु, जल तथा ध्वनि के नमूने मानकों के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं। ओपनकास्ट खानों में खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) के दिशा–निर्देशों के अनुसार कम्पनी को मापा जाता है, भूमि जल पर खनन के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए खनन क्रियाकलापों के क्षेत्र में तथा आसपास जल स्तर का नियमित रूप से मापन किया जाता है। प्रबोधन के परिणामों के अनुसार, पर्यावरणीय मानदण्ड सामान्यतः स्वीकार्य सीमा के भीतर होते हैं और जब भी किसी अपसरण का पता चलता है, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाती है।

— **भूमि प्रदूषण**—खनन प्रचालनों के दौरान ही, सभी गैर–सक्रिय बाह्य ओवर बर्डन डम्पों को नवीकृत किया जाता है और औषधीय पौधों सहित विभिन्न प्रकार के नमूनों के साथ विस्तृत रूप से पौधरोपण किया जाता है। खान की प्रगति के साथ ही साथ गड्ढों को ऊपरी मलबे से भर दिया जाता है।

— खान के खाली हो जाने के बाद, सारी नवीकृत भूमि (ओबी/शीर्ष से भरी गई) पर घना पौधरोपण कर दिया जाता है। हाल ही में, कुछ नवीकृत स्थलों का उपयोग परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा धान/सब्जियों/औषधीय पौधे उगाने के लिए किया जा रहा है। कुछ बचे हुए गड्ढों को सरोवरों में परिवर्तित किया गया है जो उन निवासियों के लिए मत्स्य पालन तथा घरेलू उपयोग हेतु जल का स्रोत बन जाते हैं, जो खान के बंद होने के बाद भी वहां रह रहे होते हैं।

[हिन्दी]

सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात

558. श्री प्रदीप गांधी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या भारत को सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात हेतु नए आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्त्रों को कब तक निर्यात किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात नीचे दिए गए अनुसार रहा है :

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
अप्रैल 2000–मार्च 2001	5087.0
अप्रैल 2001–मार्च 2002	4618.7
अप्रैल 2002–मार्च 2003	5031.5

(ख) से (घ) सरकार सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात में सीधे ही नहीं लगी है। ये निर्यात भारतीय सिलेसिलाए परिधान निर्यातकों द्वारा उनके संबंधित विदेशी क्रेताओं के साथ की गई अलग–अलग संविदाओं के आधार पर किए जाते हैं।

हालांकि, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–फरवरी, 2003–2004 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात 4946.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2002 की इसी अवधि के दौरान 4746.4 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात हुआ, इस प्रकार 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

[अनुवाद]

बीमा उद्योग

559. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा उद्योग को एक नई शक्ल देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी अनुमति देने और बीमा कानूनों का विलय करने तथा बीमा अधिनियम, 1999 में कतिपय संशोधन सहित परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मुख्य परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इनकी कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) बीमा क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा बजट भाषण में की गई है। बीमा कानूनों के विलय एवं बीमा अधिनियम, 1938 के अन्य संशोधनों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मुंबई में एन.टी.सी. मिलें

560. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में एन टी सी की कितनी मिलें जर्जर अवस्था में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिलों में कितनी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिलीं तथा इन दुर्घटनाओं में कितने कामगारों को अपनी जान गंवानी पड़ी/घायल हुए;

(ग) इन जान गंवाने वाले/घायल कामगारों में से प्रत्येक के परिवार को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(घ) इन मिलों में कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) कितने कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाई है;

(च) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के सभी मामलों को निपटा दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) एन.टी.सी. की मुंबई स्थित 25 मिलों में से चार मिलें जीर्णावस्था में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल दो दुर्घटनाएं हुईं और दो कामगारों को मामूली चोटें आईं।

(ग) जिन कामगारों का ई.एस.आई. योजना के तहत बीमा किया जा रहा है उन्हें कोई मुआवजा दिया जाना हो

तो उसका भुगतान राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(घ) 1.6.2004 की स्थिति के अनुसार मुंबई स्थित चल रही मिलों की नामावली में कामगारों/कर्मचारियों की संख्या 14016 है जिसमें से 4693 कामगार इन चार मिलों में काम कर रहे हैं।

(ङ) 1.6.2004 की स्थिति के अनुसार बंद पड़ी हुई और चल रही मिलों में मुंबई स्थित मिलों के 10626 कामगारों/कर्मचारियों ने एमवीआरएस का विकल्प चुना है।

(च) 10537 कामगारों/कर्मचारियों को वीआरएस मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और 89 कामगारों/कर्मचारियों को विभिन्न कार्य करने के लिए बनाए रखा गया है।

(छ) इन कर्मचारियों को, लेखाओं को अंतिम रूप देने और पी.एफ./ई.एस.आई. की सांविधिक देय राशि का निपटान करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए रखा गया है और जैसे ही ये कार्य पूरे हो जाएंगे उन्हें वीआरएस के तहत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

रबड़ का आयात

561. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचर अग्रिम लाइसेंस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से किया जा रहा रबड़ का आयात रोकने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इरादा राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से विनिर्माताओं को रबड़ की आपूर्ति हेतु इसके आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के स्थान पर कोई अन्य योजना शुरू करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

562. **श्री वाई. जी. महाजन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से अन्य देशों को कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार मांस के निर्यात पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह पाबंदी कब तक लगाए जाने की संभावना है और इस पाबंदी से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मांस की कुल मात्रा निम्नानुसार रही है :

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)
2001–02	248386
2002–03	305552
2003–04 (अप्रैल–03 से नव.–03 तक)	215161

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक घरानों पर बकाया कर

563. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री सुरेश चन्देल :
श्री एस. पी. वाई. रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों को आयकर, केंद्रीय उत्पाद कर, निगम कर इत्यादि सहित अन्य करों की बकाया धनराशि का कंपनीवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और ये कब से बकाया है;

(ख) बकाया धनराशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयकर के समय पर भुगतान को बढ़ावा देने हेतु किसी छूट और प्रोत्साहन की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर प्रणाली को आसान बनाने तथा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खानों में दुर्घटनाएं

564. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश की विभिन्न कोयला खानों में घायल/जान गंवा चुके व्यक्तियों की संख्या का तुलनात्मक आंकड़ा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इन मामलों में प्रत्येक घायल व्यक्ति और मारे गए व्यक्ति के परिवार को कितना मुआवजा प्रदान किया गया;

(घ) यदि हां, तो सहायता कब प्रदान की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) वर्ष 2002 से जून, 2004 तक के दौरान देश में विभिन्न कोयला खानों में दुर्घटनाओं में घायल/मारे गए व्यक्तियों की संख्या का तुलनात्मक आंकड़ा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशक (डी.जी.एम.एस) खान अधिनियम 1952, को लागू करने का अधिकार प्राप्त प्राधिकरण है, जो कोयला खानों में सुरक्षा को अधिशासित करता है। डी. जी.एम.एस. प्रत्येक घातक दुर्घटना की जांच–पड़ताल करता है और उसे खान दुर्घटना में जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग लगाने का अधिकार है। ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) खनन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे की वर्ष–वार राशि संलग्न विवरण–III में दी गई है।

(घ) समय–समय पर सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डी.जी.एम.एस. द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

30.6.2004 को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कोयला खानों में दुर्घटनाओं में घायल/ मारे गए व्यक्तियों की संख्या के कंपनी–वार आंकड़े

कंपनी	वर्ष											
	2002				2003				2004* (30.6.04 तक)			
	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गंभीर	मृत	गंभीर रूप से चोटिल	घातक	गंभीर	मृत	गंभीर रूप से चोटिल	घातक	गंभीर	मृत	गंभीर रूप से चोटिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बीसीसीएल	10	68	11	81	12	60	13	63	4	14	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सीसीएल	11	26	11	28	6	22	6	24	4	8	4	8
ईसी	9	191	12	192	13	170	13	178	9	38	10	39
एमसीएल	3	17	3	17	7	12	7	12	3	6	3	6
एनसीएल	1	9	1	9	2	18	2	18	1	1	1	1
एनईसी	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
एसईसीएल	13	111	16	119	11	90	11	94	5	25	5	25
डब्ल्यूसीएल	15	60	15	63	10	67	13	70	5	24	5	26
उप–जोड़ (सीआईएल)	62	482	69	509	61	439	65	459	33	116	34	119
एससीसीएल	14	117	23	125	19	66	44	69	5	25	7	27
इस्को	–	9	–	9	–	12	–	12	–	4	–	4
टिस्को	3	8	3	9	3	3	3	3	2	3	4	4
अन्य	1	2	1	2	–	4	–	4	1	3	1	3
कुल	80	618	96	654	83	524	112	547	41	151	46	157

*वर्ष 2003 तथा 2004 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं हेतु जिम्मेवार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

कार्रवाई का प्रकार	वर्ष		
	2002	2003	2004*
1	2	3	4
(क) डीजीएमएस द्वारा की गई कार्रवाई			
प्रमाण–पत्र निलंबित रद्द करना	0	0	0
चेतावनी दी गई	3	0	1
अभियोजन चलाया गया	28	25	0
दुर्घटना–कोई कार्रवाई नहीं	9	10	0
अन्य कार्रवाई की गई	5	1	0
(ख) प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई			
सेवा से निलंबित	37	43	0
पदोन्नति से वंचित	0	0	0
पदावनति	2	2	0
स्थानांतरित	0	0	0
वेतन–वृद्धि रोकी गई	28	9	0
सेवा समाप्त की गई	9	7	0
प्रबंधन द्वारा चेतावनी	21	17	0
विभागीय कार्रवाई	2	3	0
कुल	144	117	1

आंकड़े व्यक्तियों की संख्या हैं।

वर्ष 2003 तथा 2004 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं। वर्ष 2004 हेतु आंकड़े 30.6.2004 के अनुसार हैं।

वर्ष 2004 में हुई दुर्घटनाओं के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विवरण-III

वर्ष 2002 में सी.आई.एल. की खानों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किया गया मुआवजा

राशि रुपये में

दुर्घटना की तारीख	पीड़ित का नाम	मुआवजा
1	2	3
4.1.02	रामू महतो	113410
3.4.02	विक्रम सिंह	171000
3.4.02	अर्जुन रविदास	148000
1.5.02	बिन्देश्वरी प्रसाद	153130
4.6.02	सी. एस. इसराइल मिया	242000
13.6.02	सुकुमार सिन्हा	180000
31.8.02	दीपक कुमार दुबे	50000
28.9.02	मोहन मेहरा	320471
29.10.02	आर. बी. पाण्डेय*	
10.12.02	बुधनी भुइयां	161940
15.1.02	मनबोध	201660
2.2.02	विश्वनाथ मुण्डा	179060
10.3.02	श्रीप्रसाद सिंह	319600
10.3.02	लालजी कुमार	332580
25.3.02	निरंजन मेहतो	192140
4.4.02	नेम चंद महतो	278260
7.6.02	हरशु भुइयां	194640
19.6.02	कलपतिया कामीन	299340
11.12.02	अतवा मुण्डा	299340
21.12.02	चत्तू मेहतो	299340
9.1.02	तनिक पासवान	149670
25.1.02	कमरुद्दीन खान	135560
25.1.02	सोआनी देवी	172530
25.1.02	कमला देवी	172530
25.1.02	लक्ष्मी देवी	205950
25.3.02	बसीर मियां	278260
30.5.02	रामलखन बेलदार	124000
7.8.02	चैत्र केओटिआ	15000
19.8.02	के. के. सैनी	312940
20.09.02	आर. एन. प्रसाद	201600
27.9.02	जगदीश पासवान	139130
2.10.02	महादेव बाग्डी	50000
22.11.02	खिराओ ठाकुर	263900
4.3.02	अक्षय प्रधान	143890
26.3.02	रवि बेहरा	172520
27.4.02	दिलहरण दास	433820
25.5.02	गोलेखा भुटिया	219950
2.9.02	राम वृद्ध	4013002
3.1.02	देवनाथ	128303
24.2.02	दीपक टोंक	199400
16.3.02	श्री कबुतर	332580
20.4.02	हरि राम साहु	362740
4.5.02	शम्भु प्रसाद	345040
23.5.02	लगनसाई	181370
26.6.02	हबीब	292400
16.7.02	नाथु#	
17.10.02	नरेन्द्र के. आर. पाल	423580

1	2	3
15.11.02	बुधसेन	319600
15.11.02	भईया लाल	351080
26.11.02	बैगाराम	326140
7.12.02	सतीश कुमार	199400
17.12.02	कुवर बहादुर	292400
17.12.02	जोहान	362741
17.12.02	गोविंद	356980
30.1.02	महेश	333912
8.2.02	नरसिम्हा मूर्ति	364670
6.4.02	उसमोहम्मद महोमुदीन	131950
13.4.02	अपूर्वा सामंत	358349
13.5.02	एन. एन. जनबन्धु	292400
5.6.02	झाबू	365240
25.8.02	रामजी	55632
19.9.02	मुसाफिर जमुना	249400
30.10.02	प्रेम लाल	139130
17.11.02	सुदेश कुमार	419840
28.11.02	मैकू	285360
4.12.02	धनी राम	299340
7.12.02	एच. एल. नागले	159800
28.12.02	प्रदीप नगीना पाल	394120
29.12.02	गजराज भरोसा	121050
		16172408

ध्यान दें—आंकड़े डीजीएमएस से मिलान के पश्चात् संशोधन के अधीन हैं।

*कार्यपालक, लागू नहीं।

#पात्र नहीं

वर्ष 2003 में सीआईएल की खानों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को अदा किया गया मुआवजा

राशि रु. में

दुर्घटना तिथि	पीड़ित का नाम	मुआवजा
1	2	3
6.2.03	कैलाश महतो	149000
13.4.03	भोगेन्द्र झा	159670
13.5.03	परमहंस रविदास	159800
24.5.03	भैरव सिंह	326000
28.5.03	अनिल सिंह	278260
21.7.03	नारायण महतो	153160
26.7.03	मुस्तकीम अंसारी	209920
29.7.03	लखन नुनिया	117410
18.8.03	दर्शन महतो	175540
18.8.03	जगन्नाथ बिश्वकर्मा	128330
23.11.03	चरण मंडल	186900
7.12.03	दिलीप कुमार नोनिया	415960
11.12.03	संजय कुमार महतो	51000
25.5.03	कामेश्वर महतो	384280
29.5.03	सूरज देव महतो	135560
19.7.03	फागूलाल केवट	362740
8.12.03	लकेश्वर	436940
21.12.03	शनिचर ओरान	299340
12.1.03	राजू ढांगर	389282
26.2.03	गणेश भुइयां	242100
28.4.03	सरोज चटर्जी	319600
3.5.03	कृष्ण चौहान	362740

1	2	3
19.5.03	रामेश्वर पासवान	25000
14.7.03	सियालाल राय	138000
6.8.03	अनाथ गोरइ	142642
25.9.03	ए. के. चटर्जी	312940
22.10.03	राज कुमार गोसाईं	178490
25.11.03	सरजू यादव	271120
18.12.03	जुतिया गोरा	394120
30.12.03	रामेश्वर पासवान	249400
12.3.03	सुमन्त प्रधान	220000
14.5.03	एम. ए. हक	326000
31.5.03	आर. एन. बिस्वाल#	
7.6.03	श्याम प्रसाद	124700
24.6.03	गगन बिहारी गरनायक	175000
13.11.03	वी. वी. गिरि	225220
6.12.03	राजकुमार प्रसाद	207863
4.6.03	रामअवतार राम	157190
4.8.03	तीज राम	216896
27.8.03	सत्य प्रकाश सिंह	442400
1.2.03	मिलान सिंह	373800
24.2.03	धनीराम	159800
14.3.03	सीताराम	161328
25.3.03	चन्द्रशेखर	338800
9.4.03	सुन्दर लाल*	
4.5.03	हस्मुद्दीन	326140
5.7.03	पहाड़ू	285360
29.7.03	पन्नालाल	362740
29.10.03	सुनील सिंह	407700
25.12.03	पन्ना राम	प्रक्रियाधीन
28.1.03	अब्दुल सलाम	379120
28.1.03	रामाश्रय कुशवाह	423580
28.1.03	राजानन्द रामनाथ	373800
28.1.03	अरविन्द खाण्डेकर	398800
26.4.03	भुजा राम	312940
18.6.03	किशोर	256660
27.6.03	रमाकांत लोखंडे	319600
17.7.03	सालिकराम महादेव बेलपुडे	292400
8.10.03	अकलू झकारी	285360
28.10.03	जोखान	142680
	कुल मुआवजा	14851121

ध्यान दें–आंकड़े डीजीएमएस द्वारा मिलान के पश्चात् संशोधन के अधीन हैं।

#न्याय–निर्णयाधीन

*फोरेनसिक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या परन्तु डीजीएमएस द्वारा अभी पुष्टि की जानी है। अभी मुआवजा नहीं दिया गया है।

वर्ष 2004 में सीआईएल की खानों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को अदा किया गया मुआवजा

राशि रु. में

दुर्घटना की तिथि	पीड़ित का नाम	मुआवजा
1	2	3
27.2.04	विष्णुपडा लोहार	278260
3.3.04	परमानन्द गोस्वामी	285360
3.3.04	सुरेन्द्र प्रसाद	407700
20.5.04	तुलसी कुम्हार	70000

1	2	3
28.1.04	भूषण प्रसाद	345000
18.2.04	कैला गन्जू	338880
25.4.04	धनु ओरान	271120
20.5.04	बुधगा राम	228288
4.1.04	भगवान राम	407700
4.1.04	दिलीप बाऊरी	373800
3.2.04	गौर चन्द गांधी	306160
15.2.04	सुबोध बाऊरी	389000
26.2.04	दशरथ धंगार	प्रक्रियाधीन
28.3.04	तर्क नाथ गोपे	362740
7.4.04	बी. के. मणि मिश्रा	338880
15.4.04	एस. के. नइम	प्रक्रियाधीन
7.3.04	अजीत कुमार मल्ला	249850
19.3.04	विजय प्रधान	418460
27.5.04	ब्रज सिंह	345040
1.4.04	बी. के. चौधरी	प्रक्रियाधीन
27.2.04	मिहिर राय चौधुरी	299340
18.5.04	आर. चेनइया	398800
20.2.04	पूरन	398500
12.3.04	अवधेश कुमार	359480
14.4.04	बिजेन्द्र यादव	प्रक्रियाधीन
16.5.04	अन्त राम राठौर	256660
6.2.04	हर्षल सावले	411900
11.2.04	चन्द्रकांत खापड़े	411900
6.4.04	लतारू रामटेके	292400
22.5.04	आर. बी. मुंजेवार	प्रक्रियाधीन
अदा किया गया कुल मुआवजा		8245218

ध्यान दें—आंकड़े डीजीएमएस से मिलान के पश्चात् संशोधन के अधीन हैं।

वर्ष 2002 में हुई प्रत्येक मौत के मामले के संबंध एससीसीएल में अदा किये गये श्रमिक मुआवजे को दर्शाने वाली सूची

नाम/पदनाम सर्वश्री	तिथि	अदा किये गये मुआवजे की राशि (रुपये)
1	2	3
एम. रयामल्लू, जनरल मजदूर	9.1.02	3,19,600
1. ए. बकीहा, खनन सिरदार	25.02.02	1. 2,85,360
2. ई. इल्लया, टिम्बरमैन		2. 3,34,040
3. जे. राजय्या, कोयला फिलर		3. 3,73,800
4. पी. लिंगाई, कोयला फिलर		4. 4,23,580
5. एम. वैंकटी, टिम्बरमैन		5. 3,19,600
बी. जनार्दन राय, खनन सिरदार	18.3.02	3,01,840
एस. पी. बारथोलोमयु, जनरल मजदूर	26.3.02	3,19,600
के. राजम, लाइनमैन	6.4.02	3,53,580
1. पी. रामचन्द्र, टिम्बरमैन	15.5.02	1. 3,19,600
2. पी. रमेश सहायता मजदूर		2. 3,68,340
पी. मोगली, टिम्बरमैन	21.6.02	3,45,040
1. के. राजय्य, सपोर्टमैन	17.7.02	1. 3,13,940
2. एस. प्रकाश राव, बदली फिलर		2. 4,04,320
गुण्डा रयालिंगू, कोयला फिलर	17.8.02	3,48,677
1. जी. सांभय्या, टिम्बरमैन	17.8.02	1. 3,32,580
2. के. बकय्या, कोयला फिलर (कार्यकारी टिम्बरमैन)		2. 3,79,120
3. आई. पोशाम, कोयला फिलर (कार्यकारी टिम्बरमैन)		3. 3,62,740
अनुमंडल राघावुलू, कोयला फिलर (कार्यकारी टिम्बरमैन)	30.9.02	3,20,600
नामपल्ली रमेश कोयला फिलर (कार्यकारी टिम्बरमैन)	18.10.02	3,84,280

1	2	3
अनुमाला राजय्या, कोयला कटर	10.11.02	3,69,340
1. कोठुरी रमूलू, कोयला फिलर	12.11.02	1. 4,12,900
2. कोंदर जकय्या, कोयला फिलर		2. 3,63,740

वर्ष 2003 के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं के संबंध में एस.सी.सी.एल. में मृतक श्रमिकों के परिवारों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

पदनाम सहित व्यक्ति का नाम सर्वश्री	दुर्घटना की तिथि	अदा किया गया मुआवजा (रु.)
1	2	3
एम. रामा लिंगा मूर्ति, ई. पी. आपरेटर	10.1.03	360080
मटूरी राजअईया, कोल फिल्लर	22.3.03	408700
वर्मा जलापटी, कोल फिल्लर	25.03.03	369340
पी. नगेश्वर राव, कान्ट्रेक्टर वर्कर	21.5.03/ 29.5.03	255933
रामिल्ला राजअईया, कोल फिल्लर	31.5.03	389280
पी. कोन्डाला राव, कान्ट्रेक्टर वर्कर	3.6.03	299664
बिट्टु सिंह, कान्ट्रेक्टर वर्कर	9.6.03	प्रक्रियाधीन
कैरी मल्लईया, एच. ओ. एम.	16.6.03	333580
रामपल्ली मल्लईया, इलै.	16.6.03	385280
कुन्ता सम्मईया, फिट्टर	16.6.03	399800
थड्डूरी रायामल्लू, ट्रामर	16.6.03	300340
ईजागिरी रामचन्द्र, सामान्य मजदूर	16.6.03	339880
दसारि सत्यनारायण, सामान्य मजदूर	16.6.2003	374800
अरेली वेंकटेइया,सामान्य मजदूर	16.6.03	286360
पुलयाला नरसईया, टाईनडल	16.6.03	279260
थटीकोंड़ा श्रीनिवास, बदली फिल्लर	16.6.03	424580
कुककाला कोमाराईया, बदली फिल्लर	16.6.03	420840
लेककाला बूछईया, पम्प आपरेटर	16.6.03	327140
वावीलाला वेंकटेस्वामी, बदली फिल्लर	16.6.03	424580
काटा वेंकाटा श्रीनिवासु, बदली फिल्लर	16.6.03	440900
थाला थिरुपत्ती, बदली फिल्लर	16.6.03	416960
कोंडामुरु गोपाल रेड्डी, कोल फिल्लर	16.6.03	327140
पुली वेन्काटे, कोल फिल्लर	16.6.03	320600
रागम बापू, बदली फिल्लर	16.6.03	424580
कोसनाम रजाईया, ट्रामर	28.6.03	356980
के. यादगिरी, सामान्य मजदूर	27.8.03	351080
कलवाला दुर्गइया, कोल फिल्लर	28.8.03	351000
लाम्बू मल्लाई, वरि. माइनिंग सिरदार	16.10.03 को तीसरी शिफ्ट	315440
अदापा अशोक, कोल कट्टर	16.10.03	328640
मीनूगु चन्द्रईया, कोल कट्टर	16.10.03	287860
मामिड्डी मलेश टिम्बरमैन	16.10.03	259160
रगुला नरसिंहा राव, कोल फिल्लर	16.10.03	328640
थोटा बाबू, कोल फिल्लर	16.10.03	315449
कसेटी नारायण, कोल फिल्लर	16.10.03	359480
कनूरी रायमल्लु, कोल फिल्लर	16.10.03	353580
पिडुगु कोमारईया, टिम्बरमैन	16.10.03	396620
मंथानी रजाम, टिम्बरमैन	16.10.03	322100
इमुरला शंकर, टिम्बरमैन	14.11.03 6.11.2003 को मृत्यु हुई	285360
मुसिली सत्यनारायण, कान्ट्रेक्टर वर्कर	23.11.03 को 5.10 प्रातः की तीसरी शिफ्ट	प्रक्रियाधीन

1	2	3
चुन्चु लक्ष्मईया, सामान्य मजदूर	2.12.03 3.12.03 को मृत्यु हुई	332580
चिन्तीराला नगुलु, सरफेस सामान्य मजदूर	7.12.03 को प्रातः 1.40 की तीसरी शिफ्ट	333580
गोडीसाला मल्लईया, कोल कट्टर	10.12.03– 11.45 प्रातः– प्रथम शिफ्ट	
बी. राजालिंगु, कोल कट्टर	15.12.03	315440
वी. श्रीनिवास राव, सरफेस ट्रामर	30.12.03	

नोट–क्रम सं. 8 से 24 तक श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत अदा किए गए मुआवजे के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक के लिए आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 6 लाख रु. की विशेष अनुग्रह राशि (तीन लाख कंपनी से तथा तीन लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से) की घोषणा की गई है।

वर्ष 2004 (जून तक) के दौरान घातक दुर्घटनाओं के संबंध में एस.सी.सी.एल. में मृतक श्रमिकों के परिवारों को अदा किए गए मुआवजे के ब्यौरे

गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति का नाम तथा पदनाम सर्वश्री	दुर्घटना की तिथि	अदा किया गया मुआवजा (रु.)
एस. नरसईया, कोल फिल्लर	11.2.04	3,01,840
(1) नीलम शंकरईया, कोल फिल्लर	14.2.04	3,45,040
(2) बोडा देसाई, कोल फिल्लर	14.2.04	3,32,530
के. सत्यनारायण, ई. पी. आपरेटर	25.2.04	उ. नहीं
सुक्का, रायामल्लू, सपोर्ट मजदूर	15.5.04	3,26,140
(1) के. सम्बईया, कोल कट्टर	22.5.04	3,19,600
(2) डी. त्रिरुपत्ति गौड़, सी. सी. ट्रेनी	22.5.04	3,94,120
इन्गु हनूमंथू, कोल फिल्लर	26.6.04	3,56,980

विवरण-IV

सरकार द्वारा भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं :

खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रावधान खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में समाविष्ट हैं। सुरक्षा कानूनों की सतत समीक्षा की जाती है और समय–समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए प्रबंधन को परिपत्र के रूप में दिशा–निर्देश जारी करता है। इन प्रावधानों का खान प्रबंधन द्वारा अनुपालन अपेक्षित होता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी आवधिक रूप से सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की जांच करने और खान अधिनियम, 1952 में दिए अनुसार कार्रवाई करने के लिए खानों का निरीक्षण करते हैं।

जांच के पश्चात् की गई कार्रवाई में शामिल हैं :

(क) अपराधी को चेतावनी

(ख) प्रमाण–पत्र निलंबित करना

(ग) खनन की पद्धति में संशोधन

(घ) प्रबंधन द्वारा निलंबन, वेतन–वृद्धि रोके जाने, पदावनति तथा सेवा से निष्कासन जैसी कार्रवाई

(ङ) किसी अदालत में अभियोजन

(च) उल्लंघन इंगित करना

(छ) अनुमति वापस लेना

(ज) सुधार नोटिस जारी करना

(झ) रोजगार पर प्रतिबंध

(ण) अनौपचारिक अवरोधक

विधायी उपायों के अतिरिक्त, सरकार कई अन्य पहलों को भी बढ़ावा दे रही है, जैसे कि :

- खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन
- प्रबंधन द्वारा स्व–नियंत्रण
- सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
- विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षा

• श्रमिकों का प्रशिक्षण

• सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियान मनाना

• राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

[अनुवाद]

राजकोषीय घाटा

565. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि भारत के भारी राजकोषीय घाटे को सहन नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे भारी घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अपनी वार्षिक समीक्षा में भारत में भारी राजकोषीय घाटों के असहनीय होने के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करता रहा है। वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (अप्रैल, 2004) के हालिया अंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक बहाली के सन्दर्भ में राजकोषीय समेकन की अत्यावश्यकता पर विशेष बल दिया है। भारत में भारी राजकोषीय घाटे को बढ़ाने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ–साथ वेतन पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय, अनिधिपोषित पेंशनों, बढ़ते ब्याज भुगतानों, अनुचित लक्षित सब्सिडियों तथा कर स.घ.उ. अनुपात में गिरावट का होना रहा है।

(ग) सरकार भारी राजकोषीय घाटों की समस्या के समाधान की आवश्यकता के लिए चिंतित है। इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम जिसे 2 जुलाई, 2004 को अधिसूचित किया गया और जो 5 जुलाई, 2004 से लागू हुआ, का अधिनियमन करना है। यह अधिनियम सरकार को राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए उचित उपाय करने का अधिदेश देती है ताकि राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2008 तक समाप्त किया जा सके।

रुपये का मूल्य

566. श्री गुरुदास दासगुप्ता :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डालर और अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में लगातार रुपये का मूल्यहास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रुपये के मूल्यहास के क्या कारण हैं;

(घ) आज तक प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अप्रैल–जून, 2004 के दौरान रुपये की तुलना में अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन की औसत मासिक विनिमय दर नीचे की सारणी में दी गई हैं :

महीना	रुपया/ अमरीकी डालर	रुपया/ पौंड स्टर्लिंग	रुपया/ यूरो	रुपया/ येन
अप्रैल, 2004	43.93	79.24	52.66	40.81
मई, 2004	45.25	80.88	54.35	40.37
जून, 2004	45.51	83.21	55.25	41.59

(ग) प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपया का उतार–चढ़ाव बड़े पैमाने पर बाजार निर्धारित करता है।

(घ) मार्च, 2004 के अन्त में भारत का प्रति व्यक्ति ऋण 104.9 अमरीकी डालर था।

(ङ) भारत की विनिमय दर नीति का मुख्य ध्यान, सुव्यवस्थित ढंग से समयोपरि विनिमय दर घट–बढ़ को ज्ञात करने के लिए अंतरनिहित मांग तथा आपूर्ति स्थितियों को घटित होने देकर बिना किसी नियत दर लक्ष्य के साथ अस्थिरता

को नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश तथा विदेश में वित्तीय बाजारों में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखना तथा समय–समय पर समझे गए यथावश्यक उचित मौद्रिक, प्रशासनिक तथा अन्य उपायों के साथ इसके बाजार प्रचालनों का ध्यानपूर्वक समन्वय करना जारी है।

तस्करी रोधी कानून

567. श्रीमती कृष्णा तीरथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 2004 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "एज एंटी स्मगलिंग लॉज गो अप इन स्मोक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का तथ्य क्या है;

(ग) क्या विदेश निर्मित सिगरेटों की 'दाल–चावल' के नाम पर शिपिंग कन्टेनरों के माध्यम से तस्करी की जा रही है, जैसा कि खबर छपी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में दर्ज मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, भारत में तस्करी की गई सिगरेटों के बाजार शेयर का सही रूप से आकलन करना संभव नहीं है।

(ग) जनवरी, 2003 में मुंबई में ऐसे एक मामले का पता लगा था जहां सिगरेटों को 'ग्रीन मूंग बीन्स' के रूप में गलत घोषित किया गया था।

(घ) विदेश निर्मित सिगरेटों की तस्करी के मामलों की संख्या निम्नवत् है :

वर्ष	अभिगृहीत मामलों की संख्या
2001–2002	4749
2002–2003	461
2003–2004	565
2004–2005 (जून, 2004 तक)	138

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय विदेश निर्मित सिगरेटों सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

[हिन्दी]

मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत फल

568. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त सामान्य लाइसेंस योजना के तहत सेबों और अन्य फलों के आयात की अनुमति से हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर में फल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा फल उत्पादकों को अपने सेबों और अन्य फलों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मुहैया कराए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुसार और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सेब एवं अन्य फलों पर आयात प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तथापि, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के पश्चात् वर्ष 2000–01 के दौरान सेब के आयातों पर सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की अधिकतम वचनद्ध दर पर लाया गया था। इसके अलावा सेब एवं अन्य फलों सहित समस्त प्राथमिक कृषि उत्पादों के आयात को आयात परमिट के अधीन रखा जाता है।

(ग) सरकार ने अन्य के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सेब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अनन्नास, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आमों जैसे विभिन्न फलों से संबंधित एईजेडों की स्थापना को अधिसूचित किया है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समेकित कार्गो हैंडलिंग एवं शीतागार सुविधाओं की स्थापना जैसी अवसंरचनात्मक सहायता, रियायती दर पर ऋण आदि उपलब्ध करवाकर निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा क्रेता–विक्रेता बैठकों

का आयोजन करके सहायता स्कीमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके अथवा निर्यात संवर्धन हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाकर सेब सहित फलों के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

निवेश आयोग

569. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निवेश आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विलय निवेश आयोग में करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निवेश आयोग की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जैसा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण 2004–05 में बताया गया है, सरकार का प्रस्ताव एक निवेश आयोग की स्थापना करने का है, जिसके पास घरेलू और विदेशी व्यापारियों को भारत में निवेश करने, उन्हें नियोजित करने, उनके साथ विचार–विमर्श करने और निमंत्रण देने के लिए सरकार की ओर से व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनेक कार्यों को स्वचालित मार्ग पर रखा जा सकता है और एफआईपीबी के एक एकल स्थान सेवा केन्द्र तथा सुविधाकारक बनाया जा सकता है। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकृष्ट करने का कार्य प्रस्तावित निवेश आयोग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

570. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के अगले दौर की वार्ता में मुद्दों पर चर्चा करने हेतु कोई रणनीति तैयार की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन का ध्यान अपनी सेवाओं के निर्यात में आने वली मौजूदा अड़चनों को दूर करने की ओर आकर्षित किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश का अनुसरण करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच कोई समझौता हुआ है; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति तेयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) डब्ल्यूटीओ के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तारीखों के बारे में जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा, वैसे ही उक्त सम्मेलन हेतु रणनीति तैयार की जाएगी।

(ख) दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा व्यापार के उत्तरोत्तर उदारीकरण हेतु डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं में भारत ने प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन और सीमापार व्यापार में आने वाली बाधाओं के दोनों मुद्दों के निवारण हेतु कदम उठाए हैं। भारत द्वारा उठाए गए कदमों में व्यावसायिकों के आवागमन को उदार बनाने, दूरस्थ सेवाओं के प्रावधानों की पहुंच हासिल करने से संबंधित प्रस्ताव और कम्प्यूटर से संबद्ध सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, लेखा सेवाओं और इंजीनियरी सेवाओं जैसे भारत के निर्यात हित के क्षेत्रों में हमारे प्रमुख व्यापार भागीदारों से विशिष्ट अनुरोध करना शामिल है। इस संबंध में भारत डब्ल्यूटीओ के समान विचार वाले सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बारे में डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के उदारीकरण के संबंध में सदस्यों द्वारा ली गई वचनबद्धताएं डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच चल रही सेवा वार्ताओं के अंतिम परिणाम की देन है।

राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से देय राशि का वसूल किया जाना

571. श्री विजय कृष्ण :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) को विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 6000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वसूलनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये धनराशि कब से देय है;

(ग) इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बकाया धनराशि के किसी भाग को लेकर विवाद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, हां। राज्य विद्युत बोर्डों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोल इंडिया की सहायक कंपनियों को कोयला बिक्री देय राशि दिनांक 30.6.2004 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार 4085.76 करोड़ रु. है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों/पी.एस.यू. से दिनांक 30.6.2004 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार कोयला बिक्री देय राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उक्त बकाया कोयला देय राशि का संचय 10 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान हुआ है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) कोयला मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय ने रा.वि. बोर्डों/पी.सी. तथा सी.आई.एल. की कोयला कंपनियों के बीच उठे विवादों को निपटाने के लिए संयुक्त रूप से अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की है।

(2) भारत सरकार ने 30.9.2001 की अवधि तक रा.वि.बोर्डों की कोयला बिक्री देय राशि को निपटाने के लिए एक प्रत्याभूतिकरण योजना का प्रतिपादन किया है।

(3) नमूनाकरण, भारण तथा कोयले की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) की प्रणाली आरंभ की गई है।

(घ) और (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

30.6.2004 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में क्षेत्रवार विवादित और अविवादित देय राशि

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	रा.वि.बोर्ड/पी.सी	30.6.2004 को देय राशि		
		विवादित*	अविवादित	जोड़
1	2	3	4	5
विद्युत	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	40.86	157.39	198.25
	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	13.32	16.08	29.40
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम	32.02	50.97	82.99
	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	122.57	72.11	194.68
	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	251.72	25.74	277.46
	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि.	0.13	6.20	6.33

1	2	3	4	5
	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	15.77	78.46	94.23
	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	31.79	137.22	169.01
	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	211.03	437.28	648.31
	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	20.91	68.06	88.07
	गुजरात विद्युत बोर्ड	49.09	44.31	93.40
	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	4.11	0	4.11
	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	73.71	346.18	419.89
	आंध्र प्रदेश जनरेशन कंपनी	0	9.64	9.64
	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	0	5.38	5.38
	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	0.08	12.79	12.87
	दामोदर वैली कारपोरशन	98.11	111.89	210.00
	दिल्ली विद्युत बोर्ड	4.43	–2.35	2.08
	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	136.56	394.87	531.43
	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	80.06	282.34	362.40
	दिशेरगढ़ पावर सलई	0	1.99	1.99
	तेनतुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	0.25	51.71	51.96
	उड़ीसा पावर ग्रिड कारपोरेशन	1.14	14.57	15.71
	कुल विद्युत	1187.66	2322.83	3510.49
इस्पात	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	368.19	46.34	414.53
	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	80.72	5.00	85.72
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	9.68	8.17	17.85
	कुल इस्पात	458.59	59.51	518.10
सरकार		27.15	30.02	57.17
	सकल जोड़	1673.40	2412.36	4085.76

*ऐसा मुख्य रूप से कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा के कारण हुआ।

वायु क्षेत्र का विस्तार

572. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायु क्षेत्र प्रबंधन को अधिक लचीला बनाने पर विचार कर रही है ताकि भारतीय वायु क्षेत्र में दस से पन्द्रह प्रतिशत विस्तार करने में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में वायु क्षेत्र को असैनिक और सैनिक ऑपरेशन के बीच बांटा गया है;

(घ) यदि हां, तो सैन्य संगठनों और असैनिक विमानों को कितने प्रतिशत वायु क्षेत्र उपलब्ध है;

(ङ) क्या नागर विमानन और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने वायु सुरक्षा उपायों पर चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, हवाईक्षेत्र के लचीला उपयोग, उस हवाईक्षेत्र के प्रयोग को सिविल विमानों के लिए ही किया गया है जो विशुद्ध रूप से भारतीय हवाईक्षेत्र के ईष्टतम उपयोग के लिए सेना प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखा गया है. ऐसा किए जाने के लिए वर्तमान भारतीय हवाईक्षेत्र में विस्तार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। सेना तथा सिविल विमानों के लिए उपलब्ध हवाईक्षेत्र कुल हवाईक्षेत्र का क्रमशः 35 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत है।

(ङ) और (च) विमान सेवा सुरक्षा उपायों पर भारतीय वायु सेना के साथ विचार–विमर्श करना एक नियमित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का विस्तार

573. **श्री अनन्त नायक** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस ने अपने–अपने विमान बेड़े को बदलने के कार्य को और विस्तार कार्यक्रमों को आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी एयर–बसों को बदला गया/पट्टे पर दिया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी एयरबसों को बदले जाने और पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विस्तार योजना काफी समय से लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) से (घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान अर्जन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

उड़ानों में विलंब

574. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ानों में क्लिंब होना एक आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, विशेषकर जयपुर–जोधपुर–मुंबई उड़ानों और हाल के समय में आई.सी.–601–दिल्ली से लखनऊ उड़ानों का ब्यौरा क्या है और इनकी उड़ानों में कितनी बार विलंब हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इन उड़ानों के विलंब पर गंभीरता से विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जोधपुर से वायुसेवा की बारंबारता को बढ़ाने और अपनी उड़ानों को समय–सूची में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनवरी, 2004 से मई, 2004 की अवधि के दौरान एलांइस एयर की उड़ान सीडी–7471/7472 जो कि जयपुर–जोधपुर–मुंबई सेक्टरों पर उड़ान भरती हैं उसमें कोई भी भारी विलंब नहीं हुआ क्योंकि यह इंडियन एयरलाइंस के नियंत्रण में है।

इसी प्रकार जनवरी, 2004 से मई, 2004 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी–601 जो कि

(दिल्ली–लखनऊ) सेक्टर पर उड़ान भरती है इसमें 4 भारी विलंब हुए थे जो कि कुल भरी गई उड़ानों का 2.68 प्रतिशत था और यह उड़ानें इंडियन एयरलाइंस के नियंत्रण में थीं।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर अपनी सेवाओं को समय पर निष्पादन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। सभी विमानों और उड़ानों को रद्द किए जाने की मॉनीटर किया जाता है और इसके कारणों को जानने के लिए दैनिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है और समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्तों का पालन करते हुए मार्ग और सेवाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

धावनपट्टियों का दुरुपयोग

575. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लंबे समय से बड़ी संख्या में धावनपट्टियां उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उपयोग में नहीं लाई जा रही धावनपट्टियों का ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा इन धावनपट्टियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं का अधिक व्यावसायिक उपयोग करने के लिए इन धावनपट्टियों का अधिकतम उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) ओर (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ऐसी 33 हवाई पट्टियां हैं जो अप्रयुक्त पड़ी हैं। इन हवाई पट्टियों पर वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान किया गया कुल व्यय क्रमशः 1.30, 1.17 तथा 1.35 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग पूरी तरह से इन स्थानों पर हवाई प्रचालन आरंभ करने के लिए यातायात व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। पर्याप्त हवाई यातायात न होने के कारण, इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन हवाई पट्टियों को प्रचालनरत बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना

576. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की अनेक शाखाएं देश में विशेषकर राजस्थान और उड़ीसा में स्व–सहायता समूह (एसजीएच) को बढ़ावा दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उस राज्य में प्रत्येक बैंक द्वारा स्व–सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए राज्य–वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों की कुल 35294 शाखाएं नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित स्व–सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संयोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने में भागीदारी कर रही हैं। दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कुल 10.79 लाख स्व–सहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है जिसमें 3904 करोड़ रुपये का संचयी बैंक ऋण शामिल है।

(ख) राजस्थान और उड़ीसा में वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	2001–2002	2002–2003	2003–2004
1	2	3	4
राजस्थान			
वित्त पोषित स्व–सहायता समूहों की संख्या	6948	10178	11104
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई राशि	476.30	612.90	929.46

1	2	3	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई राशि	578.90	1375.80	1338.63
डीसीसीबी द्वारा दी गई राशि	147.20	317.10	443.73
कुल	1202.40	2305.80	2711.82

उड़ीसा

वित्त पोषित स्व–सहायता समूहों की संख्या	11665	21719	35316
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई राशि	313.30	847.40	2867.01
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई राशि	790.80	1829.60	4056.74
डीसीसीबी द्वारा दी गई राशि	155.50	359.80	720.59
कुल	1259.60	3036.80	7644.34

अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार

577. श्री ए. के. मूर्ति : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) व्यवहार्य और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अनिवासी भारतीयों (अर्थात् जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं हैं) मताधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को साध्य नहीं पाया गया है।

राज्यों के समक्ष वित्तीय संकट

578. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य वित्तीय संसाधनों संबंधी संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से इन राज्यों के वित्तीय संकट को दूर करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ राज्यों ने ऋण दबाव और नकदी असन्तुलन की सूचना दी है। सकल घरेलू उत्पाद औसत में 30 प्रतिशत अधिक ऋण रखने वाले राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों ने 1 अप्रैल, 2004 से केन्द्रीय करों अथवा सामान्य केन्द्रीय सहायता अथवा गैर–योजना अंतराल अनुदान अथवा लघु बचतों में उनके शेयर में अग्रिम शेयर जारी करने का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने ऋण को बट्टे–खाते डालने के लिए भी अनुरोध किया है।

ऐसे मामलों में भारत सरकार ने राज्यों की योजना और गैर–योजना अनुदानों की हकदारी बढ़ा दी है ताकि राज्य नकदी संबंधी अल्पकालिक अड़चनों पर काबू पा सकें। तथापि, ऋण राहत बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी) के कार्यक्षेत्र में आता है।

भारत सरकार ऋण विनिमय योजना को भी कार्यान्वित कर रही है जिससे राज्य 13 प्रतिशत अथवा इससे अधिक ब्याज दर वाले उच्च लागत ऋण का विनिमय कर सकें। विनिमय किया जाने वाला कुल ऋण 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है तथा 75273 करोड़ रुपये का विनिमय पहले ही किया जा चुका है।

विवरण

2002–03 (संशोधित अनुमान) राज्य	(प्रतिशत अनुपात) ऋण/जी.एस.डी.पी. अनुपात
1	2
आंध्र प्रदेश	31.5
अरुणाचल प्रदेश	48.0
असम	38.9

1	2
बिहार	50.1
गोवा	40.8
गुजरात	33.1
हिमाचल प्रदेश	77.9
जम्मू और कश्मीर	64.8
केरल	35.2
मणिपुर	63.5
मेघालय	36.0
मिजोरम	89.8
नागालैंड	68.1
उड़ीसा	61.9
पंजाब	45.0
राजस्थान	42.8
सिक्किम	41.4
त्रिपुरा	63.4
उत्तर प्रदेश	36.5
पश्चिम बंगाल	40.7

निर्यात ऋण

579. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश स्थित विभिन्न बैंकों की कोई नकारात्मक सूची बनायी है जिनका साख पत्र भारतीय बैंकों में मान्य नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक शाखा गैर–महत्वपूर्ण बैंकों से प्राप्त साख पत्रों पर निर्यात ऋण प्रदान नहीं करता है;

(ग) कौन–कौन से ऐसे देश हैं जिनमें 'एक्जिम' बैंक द्वारा निर्यातकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश स्थित विभिन्न बैंकों की कोई नकारात्मक सूची नहीं बनायी है जिनका साख पत्र भारतीय बैंकों में मान्य नहीं है।

(ख) बैंक की चांदनी चौक शाखा द्वारा गैर महत्वपूर्ण बैंकों के माध्यम से जारी साख पत्रों पर निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और/अथवा पोतलदानोत्तर) के अस्वीकार किए जाने का कोई मामला बैंक ऑफ इंडिया के सामने नहीं आया है।

(ग) एक्जिम बैंक की वर्तमान में एशिया अफ्रीका, लातिन अमेरिका, स्वतंत्र देशों के परिसंघ (सीआईएस), रूस एवं पूर्वी यूरोप के 61 देशों में 29 ऋण व्यवस्थाएं हैं।

(घ) भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण की आसान उपलब्धता के लिए पिछले बेहतर कार्य निष्पादन रिकार्ड के साथ ऋण दिये जाने लायक निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना, सेवा क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात सुविधा, कृषि निर्यात क्षेत्रों का सिद्धांत, मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना का प्रारंभ करना, ईपीसीजी योजना को सरल बनाना लेन–देन लागत में कमी, गैर–प्रशुल्क प्रतिबंध इत्यादि सहित कई कदम उठाए हैं।

उड़ीसा में खनन

580. श्री अनन्त नायक : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निजी क्षेत्र की विदेशी कंपनियों को कितनी बहुमूल्य और अर्धबहुमूल्य रत्न खानों को पट्टे पर दिया गया;

(ख) इन खानों को पट्टे पर देने के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) उड़ीसा राज्य बहुमूल्य और अर्ध–बहुमूल्य रत्न खानों को पट्टे पर देने से किस प्रकार लाभान्वित होता है;

(घ) क्या उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में कुछ उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट भंडार पाये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का कितना भंडार मिलने का अनुमान है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) उड़ीसा में बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न की कोई भी खान निजी क्षेत्र की विदेशी कंपनियों को पट्टे पर नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) उक्त (क) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रासायनिक और रिफ्रेक्टरी ग्रेड बॉक्साइट को उच्च ग्रेड बॉक्साइट माना जाता है और क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में ऐसे उच्च ग्रेड बॉक्साइट नहीं पाए गए हैं।

(ङ) उक्त (घ) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) क्योंझर जिले में पाये गये बॉक्साइट के भंडार अवर्गीकृत हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत 5 मिलियन टन का एक भंडार है। सुन्दरगढ़ जिले में बॉक्साइट के भंडार धातुकर्मी ग्रेड के हैं और कुल भंडार लगभग 4 मिलियन टन होने का अनुमान है।

उड़ीसा में आयकर विभाग में रिक्त पद

581. श्री परसुराम माझी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आयकर विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को कब से भरा नहीं गया है;

(ग) अभी तक इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) उड़ीसा में आयकर विभाग में 147 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) ये पद सेवानिवृत्ति, उच्च ग्रेडों में पदोन्नति तथा आयकर विभाग के पुनर्गठन के कारण उत्पन्न हुए हैं।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 16.5.2001 के का.ज्ञा. सं. 2/8/2001–पीआईसी के तहत जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इन रिक्तियों को भरा नहीं जा सका।

(घ) रिक्तियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के का.ज्ञा. सं. 2/8/2001–पीआईसी में निहित अनुदेशों के अनुसार भरा जाता है।

आयकर अपवंचन

582. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान करदाताओं द्वारा वर्ष–वार कुल कितने आयकर का अपवंचन किया गया;

(ख) उसकी वसूली के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की इस संबंध में कोई विशेष आकस्मिक योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कर बकाया की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत ली गई तलाशियों के फलस्वरूप किए गए आयकर निर्धारणों के आधार पर गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कर–अपवंचन निम्नतया पाया गया है :

वित्त वर्ष	अपवंचित कर (करोड़ रुपये में)
2001–02	1717.17
2002–03	1546.40
2003–04	5041.71

(ख) आयकर अधिनियम में ऐसे मामलों में कर देयों की वसूली के लिए विभिन्न उपायों का प्रावधान है। तदनुसार, तलाशी एवं जब्ती कार्यवाहियों के दौरान जब्त की गई नकद राशि को कर निर्धारिती की कर–मांग के प्रति समायोजित कर दिया जाता है। तलाशी एवं जब्ती कार्यवाही के दौरान जब्त की गई अन्य परिसंपत्तियों का इस्तेमाल कर–मांग की वसूली के लिए किया जाएगा, यदि कर–निर्धारिती कर का भुगतान नहीं करेगा। किसी वर्ष (वर्षों) के मामले में उद्भूत होने वाले प्रतिदेयों, यदि कोई हों, को लंबित मांगों के लिए भी विनियोजित किया जाता है। चूककर्त्ताओं की चल और अचल परिसंपत्तियों

की कुर्की एवं बिक्री भी की जाती है, जैसा कि आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों में बकाया कर की वसूली करने के लिए आयकर अधिनियम में अर्थदंड संबंधी प्रावधानों को भी लागू किया जाता है।

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कर देयों की वसूली के लिए आयकर अधिनियम में ही प्रावधानित विभिन्न उपायों को देखते हुए किसी भी विशेष आकस्मिक योजना को आवश्यक नहीं समझा गया है।

कृषि ऋण का लक्ष्य

583. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि ऋण के 18 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र को मिलने वाले कुल ऋण का केवल 13–14 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा सरकार/बैंकों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण निरपेक्ष की दृष्टि से 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 73507 करोड़ रुपये (शुद्ध बैंक ऋण का 15.3 प्रतिशत) से बढ़कर 31 मार्च, 2004 को 85872 करोड़ रुपये (शुद्ध बैंक ऋण का 15.45 प्रतिशत) हो गया। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 7 बैंकों द्वारा 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। शुद्ध बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) अन्य क्षेत्रों को बैंक ऋण में अपेक्षाकृत तीव्र दर से वृद्धि;

(ii) देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति;

(iii) कुछ कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आने से कृषि के लिए ऋण लेने पर विपरीत प्रभाव पड़ना;

(iv) कृषि में कम पूंजी निर्माण के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में ऋण खपत क्षमता का कम होना;

(v) अनुपयोजय ऋणों को बट्टे खाते डालना, जिससे कुछ बैंकों के मामले में बकाया अग्रिम राशि में गिरावट आ गई;

(vi) कृष्णि ऋण के प्रावधान को सुकर बनाने के लिए कुछ राज्यों में अद्यतन भूमि अभिलेख का न होना; और

(vii) लघु एवं सीमांत किसानों का अपेक्षित संपार्श्विक देने मे असमर्थ होना।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इनमें विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एस.ए.सी.पी.) बनाना, विशिष्ट कृषि वित्त शाखाएं (एस.ए.एफ.बी.) खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना का कार्यान्वयन, नाबार्ड में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) स्थापित करना, कृषि क्लीनिकों एवं कृषि व्यवसाय केन्द्रों को वित्त पोषित करने के लिए योजना शुरू करना, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद हेतु किसानों को वित्तपोषित करने की योजना शुरू करना, उत्पाद विपणन ऋण शुरू करना, भंडारण सुविधाओं के लिए ऋण, मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से छूट आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, कृषि ऋण संवितरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को ऋण

584. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च शिक्षा हेतु बैंकों से ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को बैंक की लंबी प्रक्रिया के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए उनसे कोई अतिरिक्त जमानत अथवा माता–पिता की गारंटी मांगे बिना बैंक को विदेशी गारंटी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घटिया कपड़ों का निर्यात

585. **डॉ. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निर्यात फर्में घटिया कपड़ों का निर्यात कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो 2001 से 2004 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा ऐसी सामग्री का निर्यात करने वाली कितनी कंपनियों को आर्थिक रूप से दंडित किया गया और उनके विरुद्ध आज तक अन्य क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चाय का उत्पादन और निर्यात

586. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री तथागत सत्पथी :
श्री सर्वानन्द सोनोवाल :
श्री परसुराम माझी :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा उत्पादित चाय की मात्रा में कमी आई है; यदि हां तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विश्व बाजार में निर्यात चाय के निर्यात के हिस्से में गिरावट आई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चाय के निर्यात के हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का सहकारिता के आधार पर चाय के छोटे किसानों के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार है; यदि हां, तो क्या सरकार का चाय के छोटे किसानों की सुरक्षा देने का इरादा है; और

(घ) क्या सरकार चाय नीलामी केन्द्रों के नेटवर्क को फैलाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) वर्ष 2001–02 के दौरान चाय के उत्पादन में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में मामूली गिरावट आई थी। तथापि, परवर्ती वर्षों 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान उत्पादित चाय की मात्रा कमोबेश निर्धारित लक्ष्य के समतुल्य रही थी। देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता गुणवत्ता तथा विपणनीयता को बढ़ाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय बोर्ड द्वारा कई विकास स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पुनर्रोपण, नवीकरण, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था, चाय फैक्टरियों का आधुनिकीकरण तथा लघु चाय उपजकर्ताओं का प्रशिक्षण जैसे विभिन्न बागान विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) जी, हां। विश्व बाजार में भारतीय चाय के हिस्से में समग्र रूप से कमी आने के मुख्य कारण हैं—श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं केन्या जैसे अन्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा, रूस, मिस्र एवं ईरान जैसे कुछ चाय आयातकर्ता देशों द्वारा लागू किए गए विभिन्न टैरिफ एवं गैर टैरिफ उपाय, उपभोक्ता अधिमानों में परिवर्तन होने के कारण रूस द्वारा कम खरीद तथा अधिक उत्पादन लागत के कारण भारतीय चाय की उच्चतर कीमतें।

चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा निजी परामर्शदाताओं के माध्यम से तैयार की गई मध्यावधि निर्यात कार्यनीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चाय बोर्ड द्वारा और भी कई कदम उठाए गए हैं जिनमें गुणवत्ता युक्त चाय, विशेष रूप से पारंपरिक प्रकार की चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विशेष स्टोरों तथा मुख्य बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना, उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए मीडिया अभियान चलाना, चाय शिष्टमंडलों को भेजना–बुलाना, इनलैंड कंटेनर डिपो, अमीनगांव के जरिए

निर्यातित चाय के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करना आदि शामिल हैं।

(ग) लघु उपजकर्ताओं को सहकारी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए चाय बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चाय बोर्ड द्वारा चाय के लघु उपजकर्ताओं को नवरोपण, पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन रोपण, नवीकरण छंटाई तथा रिक्त स्थानों की भराई, स्व–सहायता समूहों की स्थापना, अध्ययन दौरों के आयोजन, अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु नर्सरियां लगाने आदि के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं के संबंध में सलाहकार सेवाएं प्रदान करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। चाय के लघु उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित हरी पत्ती के लिए उचित आय को सुनिश्चित करने हेतु चाय बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2004 से चाय के लघु उपजकर्ताओं एवं निर्मित चाय के विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूला कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) हाल ही में उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक नीलामी केन्द्र खोलने के बारे में अनुमोदन प्रदान किए जाने के अतिरिक्त चाय बोर्ड द्वारा चाय खरीद प्रणाली की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने और सौदे के समय तथा लागत को कम करने के लिए मानव संचालित नीलामी केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक केंद्रों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की गई है। कोयम्बटूर एवं गुवाहाटी स्थिति नीलामी केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक केंद्रों में परिवर्तित किया जा चुका है।

नई नागर विमानन नीति

587. **श्री सुरेश कुरुप :**
श्री के. एस. राव :
श्री प्रदीप गांधी :
श्रीमती कृष्णा तीरथ :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नई नागर विमानन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विमानपत्तनों के निजीकरण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और हेलीकॉप्टर सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में कुछ नए विमानपत्तन स्थापित करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विमान कंपनियों विशेषकर सार्वजनिक विमान कंपनियों की परिचालन संबंधी पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) नई विमानन नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है और उसकी क्या विशेषता होगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) नई नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने कर्नाटक में देवनहाली, आंध्र प्रदेश में शमशाबाद तथा गोवा में मोपा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के नये हवाईअड्डों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है।

(ङ) देश में सभी एयरलाइनों के प्रचालन, सुरक्षा मानकों तथा लाइसेंसिंग के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय के विनियमों के आधार पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक एयरलाइनों, निदेशक मंडलों जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के अधीन प्रचालन करती हैं जिसमें सरकारी नामित व्यक्ति, नियंत्रक महालेखाकार (सीएजी), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संसद से प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(च) चूंकि सभी संबंधितों से विचार–विमर्श के बाद ही नीति तैयार की जाती है, इसलिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सीमाशुल्क विभाग का कार्यकरण

588. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न आईसीडी पर तैनात सीमाशुल्क विभाग के मूल्यांकनकर्ता शनिवार को निर्यात उत्पादन के लिए आयातित आदानों को मंजूरी नहीं देते;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कृत्य का क्या औचित्य है;

(ग) क्या निर्यातकों से इन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पंजीकरण से पूर्व जारी किए जाने वाले अग्रिम लाइसेंस हेतु संपुष्टि पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक आदानों की मंजूरी हेतु संव्यवहार लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली के तीन आयुक्तालयों, एयर कार्गो (आयात और सामान्य), एयर कार्गो (निर्यात) और आंतरिक कंटेनर डिपो में आयात शेडों को दूसरे शनिवारों को छोड़कर सभी शनिवारों को परिचालन में रखा जाता है। दूसरे शनिवारों को छोड़कर सभी शनिवारों को मूल्यनिरूपक जांच करते हैं और निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के आयात सहित आयात कार्गो की निकासी करते हैं।

(ग) जी, हां। लाइसेंसों की जालसाजी के विरुद्ध सावधानी के रूप में सीमा शुल्क द्वारा अग्रिम लाइसेंसों के पंजीकरण से पहले उनके संबंध में संपुष्टि पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

(घ) निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के लेन–देन की लागत को कम करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में ये शामिल हैं : ईडीआई प्रणाली को शुरू करना और निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या में कमी करना।

गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों का गवेषण

589. श्री अनन्त नायक : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों के गवेषण तथा दोहन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खनिजों को गवेषण तथा दोहन के लिए निजी क्षेत्र को देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) 13 खनिजों नामतः लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोम, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, निकेल और प्लैटिनम समूह के खनिज, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा विदोहन किए जाने के लिए आरक्षित थे, को 1993 में निजी निवेश हेतु खोल दिया गया। तब से सभी गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिज निजी क्षेत्रों द्वारा गवेषण और विदोहन के लिए खुले हैं।

(ग) खनन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने का कारण महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में निजी क्षेत्रों के निवेश को आकर्षित करना, उसमें विदेशी प्रौद्योगिकी का समावेश करना और विदेशी इक्विटी की भागीदारी को लाना है।

(घ) गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिज क्षेत्र को निजी क्षेत्र से वृहत स्तर पर निवेश प्राप्त हुआ है, जो देश में खनिज क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

वैश्विक खनन कंपनियों ने भारत की निवेश नीति के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अठारह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों ने देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दस राज्यों में 2,19,665 वर्ग किसी क्षेत्र के लिए 165 टोही परमिट पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु बीस देशों के निवेशकों को 73 अनुमोदन प्रदान किए हैं जिनमें 4044 करोड़ रुपये का निवेश निहित है।

शहरों की ए-1 शहरों के रूप में घोषणा

590. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शहरों को ए–1 शहरों के रूप में घोषित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हैदराबाद शहर ए–1 शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित शर्तें पूरी करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा हैदराबाद शहर को शीघ्रातिशीघ्र ए–1 शहर घोषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिककम) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित और सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार 50 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों/नगरों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन से ए–1 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मकान किराया भत्ता हेतु नगरपालिका की सीमाओं में आने वाली जनसंख्या तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता हेतु शहर की नगरीय सीमा में आने वाली जनसंख्या पर विचार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। 1991 की जनगणना में हैदराबाद की जनसंख्या नगरपालिका सीमा के अंदर 29,63,638 और इसकी नगरीय सीमा में 43,44,437 दर्शाई गई है। अतः यह ए–1 शहर के रूप में वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करती है।

(ग) शहरों के वर्गीकरण की समीक्षा भारत के महापंजीयक द्वारा नगरपालिका और नगरीय सीमा क्षेत्रों के भीतर शहरों की 2001 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ों के जारी किए जाने के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

591. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना हेतु राजसहायता राशि को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधियों को जुटाने तथा आवंटन हेतु क्या विधियां अपनाई जानी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वर्ष 2004–05 के बजट अनुमानों में, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को ब्याज–सब्सिडी देने के लिए 150 करोड़ रु. का प्रावधन किया गया है। ब्याज सब्सिडी की वास्तविक राशि का आकलन पेंशन भुगतान और एलआईसी द्वारा निधि से सृजित आय के बीच अंतर के आधार पर किया जाता है। सरकार इस योजना के लिए एलआईसी की ब्याज संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ब्याज सब्सिडी पर किया जाने वाला व्यय भारत की समेकित निधि के अंतर्गत मिलने वाली प्राप्तियों में से पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

चर्म तथा चर्म-निर्मित वस्तुओं का निर्यात

592. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चर्म और चर्म–निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या 2004–2005 के लिए ऐसी कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने अन्य उपायों के साथ–साथ बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमों के जरिए चमड़े के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों का निर्यात वर्ष 1999–2000 के दौरान हुए 1604 मिलियन अम. डालर से बढ़कर वर्ष 2003–04 के दौरान 2005 मिलि. अमरीकी डालर (अनंतिम) का हो गया।

(ग) और (घ) विभिन्न विदेशी बाजारों में बाजार संवर्धन कार्यकलापों के लिए वर्ष 2004–05 हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें प्रचार एवं छवि निर्माण अभियान, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी तथा विदेशों में डिजाइन स्टूडियो की स्थापना एवं भंडागारों/शोरूमों की स्थापना हेतु भारतीय निर्यातकों को सहायता देना शामिल है। सरकार ने लैटिन अमरीकी और कैरीबियन देशों, स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस), अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में फोकस कार्यक्रमों के तहत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों की योजना भी तैयार की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम का पुनर्गठन

593. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड के पुनर्वास/पुनर्गठन हेतु 102.68 करोड़ रुपये जिसमें केन्द्र सरकार की 25.67 करोड़ रुपये की भागीदारी है, का पैकेज देने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और राज्य सरकार को धनराशि जारी कर दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की एक शाखा खोलने की संभावनाओं पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस शाखा की स्थापना की संभावित तिथि क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा 'मूल रूप' से अनुमोदित किया गया है। तथापि, उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछेक कार्यों को पूरा करने के बाद विचार किया जाएगा, जिसे यथावत् उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में निफ्ट की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

594. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ क्षेत्रों जैसे नागर विमानन, रक्षा आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा क्या है;

(घ) अन्य एशियाई देशों की तुलना में वर्तमान में देश में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है;

(ङ) 31.3.2004 तक क्षेत्रवार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों को किस प्रकार से आकर्षित करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने एक उदार तथा पारदर्शी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति सुव्यवस्थित की है तथा एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रकों को स्वतः मार्ग के तहत रखा गया है। कुछेक क्षेत्रकों यथा रक्षा उपकरण, दूरसंचार, नागर विमानन, बीमा, हीरों तथा कीमती पत्थरों का अन्वेषण एवं खनन, प्रसारण इत्यादि को छोड़कर, जहां उच्चतम सीमाओं का निर्धारण नीतिगत एवं क्षेत्रक विचारणाओं के आधार पर किया गया है, अधिकांश गतिविधियों/क्षेत्रकों के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वतः मार्ग के तहत दी गई है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा का ब्यौरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेब साईट http://dipp.nic.in में दिया गया है।

(घ) अंकटाड द्वारा प्रकाशित डब्ल्यू आई आर के अनुसार तुलनीय एशियाई देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ङ) 1 अगस्त, 1991 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्षेत्रक–वार अंतर्वाह संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(च) सरकार ने विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां करने के लिए उपाय आरंभ किए हैं जिनमें भारत में निवेश अवसरों का जोरदार विपणन, इसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ संभावी निवेशकों के साथ सीधा संपर्क, विशिष्ट निवेश संवर्धन कार्यक्रमों का अयोजन, निवेश नीतियों एवं प्रक्रिया संबंधी सूचना का प्रसार तथा आन लाइन चैट सुविधा सहित एक जानकारीपूर्ण वेब साईट का अनुरक्षण करना शामिल है।

विवरण-I

कैलेंडर वर्ष 2002 के दौरान प्रमुख एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन डालर)

देश	2002
1. चीन	52700
2. हांगकांग	13718
3. इंडोनेशिया	–1523
4. कोरिया गणराज्य	1972
5. मलेशिया	3203
6. पाकिस्तान	823
7. फिलीपिन्स	1111
8. सिंगापुर	7655
9. श्रीलंका	242
10. थाईलैंड	1069
11. भारत	3449*

*भारत के लिए आंकड़े पूर्व परिभाषा के अनुसार हैं, जिसमें पुनः निवेशित अर्जनों, अन्य पूंजी आदि को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2001–02 के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसरण में संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6131 मिलियन अमरीकी डालर है।

विवरण-II

दिनांक 1.8.1991 से 31.4.2004 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वास्तविक अंतर्वाहों का क्षेत्रक वार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रक	अंतर्वाह की राशि (करोड़ रु.)	अंतर्वाह का प्रतिशत●
1	2	3	4
1.	धातुकर्मीय उद्योग	1280.81	1.32
2.	ईंधन (बिजली एवं तेल परिष्करण)	9883.57	10.16
3.	ब्वालर्स एवं भाप उत्पादन संयंत्र	15.93	0.02
4.	वैधुत के अलावा प्राईम मूवर्स	105.33	0.11
5.	विद्युत उपस्कर (एस/डब्ल्यू तथा इलै. शामिल है)	14115.03	14.51
6.	दूरसंचार	10727.04	11.03
7.	परिवहन उद्योग	11592.75	11.92
8.	औद्योगिकी मशीनरी	642.00	0.66
9.	मशीन उपकरण	514.95	0.53
10.	कृषि मशीनरी	273.78	0.28
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	103.44	0.11
12.	विविध यांत्रिकी एवं अभियांत्रिकी	1650.35	1.70
13.	व्यवसायिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	672.60	0.69
14.	चिकित्सीय तथा शल्यक उपकरण	417.47	0.43
15.	औद्योगिक उपकरण	77.53	0.08
16.	वैज्ञानिक उपकरण	61.05	0.06
17.	गणितीय, सर्वेक्षणीय तथा चित्रांकन	0.02	0.00
18.	उर्वरक	287.76	0.30
19.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	5710.02	5.87
20.	छायाचित्रण, कच्ची फिल्म और कागज	33.14	0.03
21.	डाई–सामान	53.78	0.06
22.	औषध तथा औषधीय सामान	2239.77	2.30
23.	वस्त्र (जिसमें डाई किए हुए तथा छपे हुए शामिल हैं)	1164.19	1.20
24.	कागज उत्पाद समेत कागज तथा गूदा	1279.40	1.32
25.	चीनी	45.33	0.05
26.	संधान उत्पाद	245.55	0.25
27.	खाद्य संसाधित उद्योग	4345.23	4.47
28.	वैजीटेबल ऑयल और वनस्पति	54.73	0.06
29.	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन एवं प्रसाधन उपक्रम	2.42	0.00
30.	रबड़ से निर्मित माल	830.67	0.85

1	2	3	4
31.	चमड़ा, चमड़े से निर्मित माल एवं पिक्र्स	190.80	0.20
32.	गोंद तथा जिलेटीन	147.58	0.15
33.	शीशा	988.45	1.02
34.	मृतिका	201.43	0.21
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	1260.71	1.30
36.	टिम्बर उत्पाद	0.92	0.00
37.	परामर्शदात्री सेवाएं	727.90	0.75
38.	सेवा क्षेत्र	8220.07	8.45
39.	होटल एवं पर्यटन	901.00	0.93
40.	कारोबार	1310.68	1.35
41.	विविध उद्योग	14892.66	15.31
42.	यूरो निर्गम (स.घ.उ.)	28303.76	
43.	शेयरों का अधिग्रहण	7278.02	
44.	अंतर्वाहों का अग्रिम	9466.22	
45.	स्टॉक अदला–बदली	256.50	
46.	अनिवासी भारतीय–भारतीय रिजर्व बैंक योजना	8426.95	@
	कुल जोड़	150999.29	

टिप्पणी :

* दिनांक 1.1.1991 से 30.4.2004 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित विशेष अनिवासी भारतीय योजनाएं।

** जून, 1994 से अप्रैल, 2004 की अवधि के दौरान एफआईपीबी द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदनों के विरुद्ध जीडीआर/एडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से एकत्रित की गई अंतर्वाह राशि।

\# भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा सूचित जनवरी, 1996 से अप्रैल, 2004 के दौरान फेमा के अंतर्गत, निवासी से अनिवासी को शेयरों का अंतरण।

@ % आंकड़े वर्तमान शेयरों के एडीआर/जीडीआर, एफसीसीबी अधिग्रहण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों की राशि के लिए शेयरों के आवंटन के लिए लंबित अग्रिम तथा भारतीय रिजर्व बैंक–अनिवासी भारतीय योजनाओं को शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका देश वार/क्षेत्रक वार वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

खजुराहो विमान पत्तन हेतु भूमि

595. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश प्रशासन ने खजुराहो विमान पत्तन के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) खजुराहो हवाईअड्डे पर 355.66 एकड़ की अतिरिक्त भूमि को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निःशुल्क भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है।

(ग) भारती विमानपत्तन प्राधिकरण ने रनवे को 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक नये टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे, कार पार्क क्षेत्र के निर्माण के लिए कार्य की सीमा तथा प्रस्ताव तथा अन्य आधारिक संरचना को अंतिम रूप दे दिया है जिससे एबी–320 प्रकार के विमानों के प्रचालनों को किया जा सके। तथापि, कार्य की प्रगति रुक गई है चूंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार को नहर का मार्ग परिवर्तन करने, पहाड़ी तथा रनवे विस्तार क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एप्रोच लिंक सड़क को हटाने की कार्रवाई अभी की जानी है।

त्वरित न्यायालय

596. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है और उन्हें कार्यशील बनाया गया है;

(ख) ऐसे त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) वर्ष 2004–2005 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने त्वरित न्यायालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) अभी तक देश में 1686 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1488 न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ख) त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य को जारी की गई रकम दर्शित करने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ग) वर्ष 2004–2005 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण–II संलग्न है।

विवरण-I

त्वरित निपटान न्यायालयों के संबंध में जारी की गई रकम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.69
3.	असम	530.10
4.	बिहार	4766.40
5.	छत्तीसगढ़	791.10
6.	गोवा	125.10
7.	गुजरात	1939.41
8.	हरियाणा	422.31
9.	हिमाचल प्रदेश	108.59
10.	जम्मू–कश्मीर	300.60
11.	झारखंड	2319.30
12.	कर्नाटक	2431.80
13.	केरल	815.25
14.	मध्य प्रदेश	2223.90
15.	महाराष्ट्र	4352.40
16.	मणिपुर	90.00
17.	मेघालय	90.00
18.	मिजोरम	90.00
19.	नागालैंड	54.90
20.	उड़ीसा	1866.60
21.	पंजाब	746.10
22.	राजस्थान	2166.30
23.	सिक्किम	29.70
24.	तमिलनाडु	1151.90
25.	त्रिपुरा	73.80
26.	उत्तरांचल	1173.60
27.	उत्तर प्रदेश	6319.80
28.	पश्चिमी बंगाल	3972.60
	योग	41254.25

विवरण-II

वर्ष 2004–2005 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	उद्दिष्ट किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	राज्यों द्वारा स्थापित किए किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86	86	0

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	3	2*
3.	असम	20	20	0
4.	बिहार	183	183	0
5.	छत्तीसगढ़	31	31	0
6.	गोवा	5	5	0
7.	गुजरात	166	166	0
8.	हरियाणा	36	15	21
9.	हिमाचल प्रदेश	9	9	0
10.	जम्मू–कश्मीर	12	12	0
11.	झारखंड	89	89	0
12.	कर्नाटक	93	93	0
13.	केरल	37	27	10
14.	मध्य प्रदेश	85	85	0
15.	महाराष्ट्र	187	187	0
16.	मणिपुर	3	2	1
17.	मेघालय	3	3	0
18.	मिजोरम	3	3	0
19.	नागालैंड	3	2	1
20.	उड़ीसा	72	72	0
21.	पंजाब	29	17	12
22.	राजस्थान	83	83	0
23.	सिक्किम	3	2	1
24.	तमिलनाडु	49	49	0
25.	त्रिपुरा	3	3	0
26.	उत्तरांचल	45	45	0
27.	उत्तर प्रदेश	242	242	0
28.	पश्चिमी बंगाल	152	152	0
29.	चंडीगढ़	1	0	1
30.	दिल्ली	20	0	20
	योग	1755	1686	69

*अरुणाचल प्रदेश राज्य ने यह सूचित किया है कि राज्य में लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण उसका शेष दो त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने का आशय नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों का ऋण बोझ

597. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के ऋण बोझ का 31 मार्च, 2004 के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने अपना ऋण बोझ कम करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) संलग्न विवरण के कॉलम (3) के अनुसार।

(ख) से (घ) राज्यों को सहायता की दिशा में भारत सरकार ने एक ऋण विनिमय स्कीम तैयार की है जिससे राज्य सरकारें 13 प्रतिशत और इससे ऊपर की ब्याज दर वाले उच्च लागत के ऋणों का समय–पूर्व भुगतान कर पाने में सक्षम हो सकेंगी और 31.3.2002 को यथाविद्यमान 1,14,000 करोड़ रुपये के ऋणों का विनिमय कम ब्याज दर वाले लघु बचतों तथा अतिरिक्त बाजार ऋणों से किया जा सकेगा। अब तक इस प्रकार से 75,273 करोड़ रुपये के ऋणों का विनिमय किया जा चुका है। इस स्कीम से राज्यों को अपना ब्याज भार घटाने में मदद मिली है।

भारत सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर एक ऋण राहत स्कीम पर भी काम कर रही है।

भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खुले बाजार से अतिरिक्त ऋणों की मदद से आर.आई.डी.एफ. के तहत राज्यों को अपनी उच्च लागत वाले ऋणों को पुनः वित्तपोषित किया जा सके।

उच्च लागत वाले ऋण विनिमय तथा ऋण राहत अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम (4) एवं (5) में दर्शाया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.2004 की यथास्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण	विनिमय किया गया कुल ऋण (1.7.2004 तक)	ई.एफ.सी. के अधिनिर्णय के अंतर्गत ऋण राहत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57574	4969.23	77.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1118	142.45	1.72
3.	असम	15043	1301.12	
4.	बिहार	49882*	3126.53	
5.	छत्तीसगढ़		920.26	
6.	गोवा	3449	362.49	
7.	गुजरात	55318	7570.75	
8.	हरियाणा	19712	2332.23	
9.	हिमाचल प्रेदश	13035	1233.72	
10.	जम्मू–कश्मीर	11916	919.59	
11.	झारखंड		1330.98	
12.	कर्नाटक	38091	3704.48	
13.	केरल	33708	2194.54	
14.	मध्य प्रदेश	40888*	2683.4	
15.	महाराष्ट्र	71759	8990	
16.	मणिपुर	2463	137.5	2.47
17.	मेघालय	1738	115.77	
18.	मिजोरम	1793	90.21	
19.	नागालैंड	2904	109.01	
20.	उड़ीसा	33756	1668.96	
21.	पंजाब	42057	4338.98	42.11
22.	राजस्थान	48714	3981.46	
23.	सिक्किम	908	54.61	
24.	तमिलनाडु	44835	4542.55	7.89
25.	त्रिपुरा	3831	250.04	
26.	उत्तरांचल		1752.21	
27.	उत्तर प्रदेश	104079*	8496.56	
28.	पश्चिम बंगाल	79575	7953.06	
	योग	778146	75272.73	131.71

*बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमशः नए बने राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल की देयताएं शामिल हैं।

कॉलम 3 के लिए स्रोत : राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक का बुलेटिन 2003–04

फलों का निर्यात

598. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत से निर्यात माल के लिए ब्रांड नाम के साथ विश्व बाजार में प्रवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फलों जैसे आम, सेब, संतरे आदि को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक और बाजारोन्मुख बनाकर उनका निर्यात करने का प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फलों के निर्यात हेतु किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं। तथापि, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास कृषिजन्य निर्यात मदों के लिए 'भारत का गुणतायुक्त उत्पाद' लोगो प्रदान करने हेतु उन पंजीकृत निर्यातकों के लिए एक स्कीम है जो स्कीम के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग) फलों के निर्यातों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धी और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए किए जा रहे कुछ प्रयास इस प्रकार हैं :

- अनेक योजना स्कीमों के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जिनका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार लाना और किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के उत्पादन की लागत को कम करना है।
- एगमार्क अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न फलों और सब्जियों के लिए ग्रेडिंग और विपणन मानदंड तैयार करना।
- निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांगों के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।
- आपूर्ति शृंखला के जरिए उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की समस्याओं से निपटने के लिए कृषि निर्यात जोन (एईजैड) की संकल्पना को कार्यान्वित करना।
- उत्पाद विशिष्ट बाजार संवर्धन अभियान चलाना अर्थात् यूरोप, मध्य पूर्व, चीन, सिंगापुर और मलेशिया में आमों के लिए।

फलों के निर्यातों के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम निम्नानुसार हैं :

- वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान आमों, सेबों और संतरों के निर्यात निष्पादन निम्नानुसार हैं :

फल	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु.)		
	2000–01	2001–02	2002–03
आम	68.60	80.99	84.19
सेब	4.17	13.39	15.71
संतरा	27.37	31.87	28.46

(स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस)

- एपीडा द्वारा चलाए गए आम संवर्धन अभियान के परिणामस्वरूप चीन ने हाल ही में आमों के आयात की अनुमति दी है। जापान को आमों के निर्यात के लिए भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है।
- महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (एमएसएएमबी) ने मध्य पूर्व को संतरों का एक परीक्षण कंटेनर भेजा है जिससे मध्य पूर्व में भारतीय संतरों का निर्यात बढ़ सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

599. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं;

(ख) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें उपर्युक्त राज्यों में सांध्यकालीन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक मजदूरों को सहायता देने के लिए अपने वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ और शाखाओं में सांध्यकालीन बैंकिंग सुविधा शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2003–2004 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली गईं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्रमशः 3836 एवं 4037 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक शाखाओं के बैंकिंग घंटे निर्धारित करने के लिए उसने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। इसका निर्णय बैंक स्वयं करते हैं। इसलिए उसने सूचित किया है कि उसके पास सायंकालीन बैंकिंग सुविधा के संबंध में कोई आंकड़ा/सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2003–04 के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देशभर में 301 नई शाखाएं खोली गई थीं।

व्यापार मुद्दों को अंतिम रूप देने हेतु पैनल

600. कीर्ति वर्धन सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार संबंधी मुद्दों विशेषकर कृषि हेतु रणनीति को अन्तिम रूप देने के लिए मन्त्रियों का एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का ब्राजील में हाल ही में हुई संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की बैठक में क्या रुख रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। डब्ल्यूटीओ से संबंधित मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है जिसमें रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री, वित्त मंत्री, वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और समुद्री विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा विश्व व्यापार संगठन से संबंधित सभी मुद्दों जिसमें कृषि भी शामिल है, पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

(ग) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 14–18 जून, 2000 तक सावोपोलो, ब्राजील में हुआ था। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिसकी चौथे वर्ष बैठक होती है, अंकटाड का उच्चतम निर्णायक निकाय है। इसके अधिदेश में स्वतंत्र नीति विश्लेषण, सहमति प्राप्त करना और तकनीकी सहायता शामिल हैं। इस प्रकार अंकटाड का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इन तीन स्तंभों में से प्रत्येक में आयोजन करने के लिए प्राथमिकताएं और दिशा–निर्देश निर्धारित करता है। 'जी–77 और चीन' के रूप में ज्ञात विकासशील देशों के समूह के एक सदस्य के रूप में भारत ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अंतर्गत विकासशील देशों की चिंताओं को सफलतापूर्वक उजागर किया है और वैश्वीकरण की किसी भी प्रक्रिया में विकास की केन्द्रीयता पर जोर दिया है। भारत ने राष्ट्रीय सरकारों की विकास कार्यनीतियों को शामिल करने के लिए नीति स्थान और नीति लोचशीलता की अनिवार्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अंकटाड जिसने अपने अधिदेश के तीनों स्तंभों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्यों से व्यापार एवं विकास के बीच आंतरिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान किया है, को अपना कार्य जारी रखना चाहिए और विकासशील देशों को आवश्यक निविष्टियां प्रदान करते रहना चाहिए।

[हिन्दी]

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

601. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2000 तक महाराष्ट्र को 'दीनयदाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत कितनी राशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा संस्थानों, प्राथमिक और महत्वपूर्ण बुनकर संगठन, गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के तहत महाराष्ट्र सरकार को योजना की शुरूआत अर्थात् अप्रैल, 2001 से कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं, क्योंकि योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएच पीवाई) के तहत 31 मार्च, 2004 तक 22 राज्यों, 1 संघ राज्य क्षेत्र एवं 2 राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को 22,114.81 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें 2934 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विपणन प्रोत्साहन घटक के तहत 12,886.40 लाख रुपये तथा आधारभूत निवेश घटक के तहत 9228.41 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

विमानन क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

602. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्रीमती कृष्णा तीरथ :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विमानपत्तनों के

निजीकरण कार्यक्रम के संबंध में संयुक्त उद्यम में 49 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना में बोली लगाने के इच्छुक भारतीय निवेशकों और फर्मों के नाम क्या हैं;

(घ) रुचि अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करने की अंतिम तारीख क्या है;

(ङ) इस संबंध में नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तारीख के अनुसार इन सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों की प्रस्तावित पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण में, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 49% तक ही सीमित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा भारत सरकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 26% इक्विटी रखेंगे। शेष 25% इक्विटी भारतीय सत्ता (भारतीय कंपनियों) द्वारा रखी जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय कंपनी की परिभाषा वह कंपनी है जो कि भारत में निगमित है तथा 100% भारतीय सत्ता के स्वामित्व में है।

(ग) और (घ) रुचि अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) की प्राप्ति की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2004 है। तथापि, रुचि–अभिव्यक्तियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) और (च) नरेश चन्द्र समिति हवाईअड्डों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है। नागर विमानन नीति को अंतिम रूप देते समय, अन्य बातों के साथ–साथ, इस समिति के दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा।

विदेश में बैंकों के कार्यालय खोलना

603. श्री प्रदीप गांधी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश में बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कार्यालय खोलने के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय समेत कार्यालय खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करता है। इन प्रस्तावों को आरबीआई द्वारा लाइसेंस देने से पहले सरकार की अंतर–विभागीय समिति इनको मंजूरी देने पर विचार करती है। हाल ही में, 2 अप्रैल, 2004 को हुई एक बैठक में, आईडीसी ने प्रतिनिधि कार्यालयों को खोलने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया :

1. भारतीय स्टेट बैंक–अंगोला
2. बैंक ऑफ बड़ौदा–थाईलैंड
3. इंडियन ओवरसीज बैंक–चीन

(ग) प्रतिनिधि कार्यालय का मुख्य उद्देश्य मूल बैंक के लिए संपर्क व प्रचार का कार्य करना होता है, क्योंकि इन कार्यालयों को मेजबान देश में कोई भी बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। जब बैंक किसी स्थान की व्यावसायिक संभाव्यता और वातावरण के बारे में आश्वस्त नहीं होते लेकिन एक प्रतिनिधि कार्यालय के अनुभव के आधार पर भविष्य में किसी तारीख को एक शाखा अथवा अनुषंगी कार्यालय स्थापित करने के विकल्प पर बल देना चाहते हैं तो इस विकल्प को तरजीह देते हैं।

(घ) बैंकों द्वारा एक प्रतिनिधि कार्यालय खोले जाने और उसे संचालित करने में खर्च होने वाली राशि उस देश/शहर पर जहां कार्यालय खुलता है और कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

ऋणों पर ब्याज दर

604. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए राज्यों को दिए गए नये ऋणों पर

प्रभारित ब्याज में 50–100 आधार बिन्दु कटौती की योजना बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनागत ऋणों पर ब्याज दर में कटौती करने से राज्यों को ऋण भार कम करने में कुछ राहत मिली है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 में नए ऋणों पर ब्याज दर में कुल कितनी कटौती करने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) ब्याज दरों में इस कटौती से राज्यों को किस सीमा तक ऋण राहत में सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस योजना से किन–किन राज्यों को लाभ हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) दिनांक 8 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2004–05 के बजट में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित निर्णय की घोषणा की है।

खनिजों की रायल्टी दर

605. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबे समय से खनिजों की रायल्टी दर पुनरीक्षित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो खनिजों की रायल्टी दर को शीघ्र ही पुनरीक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) खनिजों की दरों के पुनरीक्षण के प्रस्तावों के लंबित होने के कारण राज्यों को अंतरिम राहत देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा दसारी नारायण राव) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के अंतर्गत परिभाषित गौण खनिजों के लिए रॉयल्टी की दरों को संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। गौण खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर) के लिए रॉयल्टी की दरें खान विभाग द्वारा अंतिम बार अपनी राजपत्र अधिसूचना जीएसआर सं. 713(ङ) दिनांक 12.9.2000 के तहत अधिसूचित की गई थीं। कोयला और लिग्नाइट के लिए रायल्टी की दरों को कोयला विभाग द्वारा अंतिम बार क्रमशः राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 572(ङ) दिनांक 16.8.2002 और जीएसआर 187(ङ) दिनांक 15.3.2001 के तहत संशोधित किया गया था।

(ख) खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) के लिए रायल्टी की दरों को संशोधित करने के लिए तत्कालीन अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट को राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने के बाद सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) के लिए रायल्टी दरों के संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसे अधिसूचित किया जाएगा।

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार रायल्टी की दरों को तीन वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ा सकती है। अधिनियम के अंतर्गत यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष रायल्टी की दरें संशोधित की जाएं। अतएव, राज्यों को अंतरिम राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गारंटी शुल्क की वसूली

606. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त** मंत्री 24 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 2000 की तिथि तक सरकार गारंटी दी गई बकाया राशि का मात्र 0.33 प्रतिशत संग्रहण कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इतनी कम राशि की वसूली के क्या कारण हैं और कब तक पूरी राशि वसूली जाएगी; और

(ग) अब तक वसूली जाने वाली कुल गारंटी शुल्क राशि कितनी है और आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) गारंटी शुल्क का उदग्रहण एवं वसूली समय–समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर की जा रही है। अनेक मामलों में, गारंटी इन आदेशों के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित है और इसलिए इन्हें शुल्क

की अदायगी से छूट दी जाएगी। कतिपय अन्य मामलों में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की पुनर्संरचना के भाग के रूप में गारंटी का उद्ग्रहण न करने का निर्णय किया है। अन्य मामलों में गारंटी शुल्क रियायतें भी दी गई हैं। गारंटी शुल्क से प्राप्ति का अनुवीक्षण सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

607. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने वाले बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक बैंक में कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने को इच्छुक हैं;

(ग) क्या शेष बैंकों द्वारा इसका अनुसरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वे कब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय करों में राज्यों की भागीदारी

608. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय करों में राज्यों को बड़ा हिस्सा देने में एक प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नाल्को का विनिवेश

609. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एक लाभकारी उद्यम नाल्को के विनिवेश हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास नाल्को के आधुनिकीकरण के लिए और इसे लाभकारी बनाने हेतु आगे और निवेश के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) सरकार ने 27.7.2001 को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) में सरकारी इक्विटी का 30% खुले बाजार बिक्री करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया और इसके पश्चात् द्वितीय चरण में नाल्को कर्मचारियों के लिए 2% इक्विटी आरक्षित करके शेष इक्विटी का विक्रय स्ट्रेटेजिक भागीदार को करके सरकारी इक्विटी को घटाकर 26% तक लाया जाना था। योग्यता–प्राप्त इच्छुक पार्टियों (क्यू.आई.पी.) द्वारा अंगुल और दामनजोड़ी में दिनांक 28.10.2002 को प्रारंभ किए गए ड्यू डिलिजेंस के भंग हो जाने के कारण, बाद में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। तत्पश्चात्, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी द्वारा 15 जुलाई, 2003 को भुवनेश्वर में दिए गए वक्तव्य "नाल्को के विनिवेश की स्थिति की समीक्षा की जा रही है", के अनुसरण में, नाल्को के विनिवेश के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई है।

(ग) और (घ) नाल्को ने जुलाई, 2003 के मूल्य स्तर पर 4091.51 करोड़ रु. की निवेश लागत से अपनी बॉक्साइट खानों, एल्युमिना रिफाइनरी, एल्युमिनियम स्मेल्टर और गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.) की क्षमता के द्वितीय चरण के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसका संपूर्ण वित्त–पोषण कंपनी के आंतरिक संसाधनों और वाणिज्यिक उधारों से किया जाएगा। दूसरे चरण के प्रस्तावित विस्तार के बाद कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों की क्षमता निम्नवत होगी :

सेक्टर	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित विस्तार के बाद क्षमता
बॉक्साइट खान (टीपीए)*	48,00,000	63,00,000
एल्युमिना रिफाइनरी (टीपीए)	15,75,000	21,00,000
एल्युमिनियम स्मेल्टर (टीपीए)	3,45,000	4,60,000
गृहीत विद्युत संयंत्र (एमडब्ल्यू)**	960	1,200

*टीपीए–टन प्रतिवर्ष

**एमडब्ल्यू–मेगा वाट

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने दिनांक 6.2.2004 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है और अब यह सरकार में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

610. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को कितने हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों में भारतीय हथकरघा उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मुख्य हथकरघा वस्तुओं को व्यापक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है–सूती हथकरघा फैब्रिक के अंतर्गत मद्रासी रूमाल, लुंगियां, धोतियां, साड़ियां, शर्टिंगस्, फर्निशिंग इत्यादि और सूती हथकरघा मेड–अप्स के अंतर्गत बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट एवं किचन लिनन, परदा, कालीन एवं फ्लोर कवरिंग, बेड स्प्रेड/बेड कवर, अन्य साज–सज्जा की वस्तुएं, कपड़े की बनी वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात योग्य उत्पादों का विकास एवं उनका विपणन (डीईपीएम) नामक योजना 1996–97 से 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात योजना लगातार कार्यान्वित की जा रही है। हथकरघा निर्यात योजना में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के हथकरघा निगमों, शीर्षस्थ सहकारी समितियों एवं निजी हथकरघा निर्यातकों को निर्यात योग्य हथकरघा वस्तुओं, प्रचार एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन का विकास करने तथा मूल्य परिवर्धन/गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की स्थापना हेतु हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता दिए जाने की परिकल्पना है। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) हथकरघा निगमों एवं शीर्ष समितियों का संघ (आकाश) इत्यादि को अंतराष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनियों/क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में उनके सदस्यों के भाग लेने हेतु भी योजना के तहत सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत विभिन्न हथकरघा एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	वर्ष	दी गई वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1.	2001–02	रु. 325.02
2.	2002–03	रु. 305.90
3.	2003–04	रु. 441.68

[अनुवाद]

समान नागरिक संहिता

611. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करने हेतु एक कानून बनाने का सुझाव सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आवश्यक विधान लाने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 21 जुलाई,

2003 को जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ और अन्य [2003 (5) स्केल 384] के मामले में दिए गए अपने निर्णय में एकसमान सिविल संहिता के अधिनियमन की बाबत कतिपय संप्रेक्षण किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एकसमान सिविल संहिता लाने में, स्वीय विधियों में, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियां भी हैं, परिवर्तन अंतर्वलित हैं। केंद्रीय सरकार की यह संगत नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि ऐसे परिवर्तनों के लिए उन समुदायों के बड़े भाग से आवश्यक पहल नहीं की जाती है।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों के लिए बीमा योजना

612. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कोई नयी बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और देश में ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम के रूप में कितनी राशि दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा पहले सुझाए गए आयु वर्ग को अब बदल दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पालिसी से कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों द्वारा समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार भी शामिल हैं, के लिए दि. 14.7.2003 से सामुदायिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में 30,000/– रु. तक के अस्पताल में हुए खर्च, जो परिवार के सदस्यों द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से किया गया हो, की प्रतिपूर्ति, परिवार में मुख्य आय अर्जक की मृत्यु होने पर 25,000/– के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और अधिकतम 15 दिन तक आय अर्जक को हुई आय हानि हेतु 50/– रु. प्रति दिन की दर पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत एक व्यक्ति के लिए 365/– रु. प्रति वर्ष, 3 बच्चों सहित 5 सदस्यों के परिवार के लिए 548/– रु. प्रति वर्ष और 7 सदस्यों (3 बच्चों और आश्रित माता–पिता सहित) के परिवार के लिए 730/– रु. प्रति वर्ष का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इस योजना को कम महंगा बनाने के लिए सरकार प्रति बीपीएल परिवार 100/– रु. की प्रीमियम सब्सिडी भी देती है।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाया गया मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता के मापदंड के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के समूह के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर 1973–74 की कीमतों पर ग्रामीण इलाकों में 49.09 रु. प्रति माह और शहरी इलाकों में 56.64 रु. प्रति माह की दर पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है। वर्ष 1999–2000 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 260.3 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य–वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2003–04 के लिए बीपीएल परिवारों के लिए प्रीमियम सब्सिडी के रूप में सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों को 1.80 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों का कोई हिस्सा नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) दि. 31.3.2004 तक इस योजना में 9252 बीपीएल परिवारों सहित 4,16,688 परिवार कवर किए जा चुके हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे की राज्यवार जनसंख्या 1999–2000

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	119.01

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.98
3.	असम	94.55
4.	बिहार	425.64
5.	गोवा	0.70
6.	गुजरात	67.89
7.	हरियाणा	17.34
8.	हिमाचल प्रदेश	5.12
9.	जम्मू–कश्मीर	3.46
10.	कर्नाटक	104.40
11.	केरल	41.04
12.	मध्य प्रदेश	298.54
13.	महाराष्ट्र	227.99
14.	मणिपुर	7.19
15.	मेघालय	8.23
16.	मिजोरम	1.85
17.	नागालैंड	5.49
18.	उड़ीसा	169.09
19.	पंजाब	14.49
20.	राजस्थान	81.83
21.	सिक्किम	2.05
22.	तमिलनाडु	130.48
23.	त्रिपुरा	130.02
24.	उत्तर प्रदेश	529.89
25.	पश्चिम बंगाल	213.49
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.82
27.	चंडीगढ़	0.51
28.	दादरा और नागर हवेली	0.33
29.	दमन और दीव	0.06
30.	दिल्ली	11.49
31.	लक्षद्वीप	0.11
32.	पांडिचेरी	2.41
	जोड़	2602.40

गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा सार्वजनिक बचत

613. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक बचत तक पहुंच रखने वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्त पोषण पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थानों में कार्यकरण की संवीक्षा के लिए समय–समय पर निरीक्षण किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पीयरलेस जनरल फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमि. के मामलों के संबंध में ऐसा निरीक्षण अंतिम बार कब किया गया था और इसके परिणाम क्या रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अवशिष्ट गैर–बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख द्वारा प्राप्त शक्तियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आरएनबीसी निदेश, 1987 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) 'आरएनबीसी' का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 3 नवंबर, 2003 से 9 जनवरी, 2004 के बीच आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ढ़ के अंतर्गत कंपनी के लेखा–बहियों तथा अन्य रिकार्डों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण से पता चला कि कंपनी आरबीआई अधिनियम की धारा 45 झ क (निवल स्वाधिकृत निधि), 45 झ ख (चलनिधि आस्ति अपेक्षाएं) तथा 45 झ ग (आरक्षित निधियों में लाभ का

अंतरण) के उपबंधों का अनुपालन कर रही थी। इस निरीक्षण से कतिपय परिचालनात्मक अनियमितताओं का भी पता चला। कंपनी को तत्काल इन अनियमितताओं/खामियों को दूर करने का निदेश दिया गया है।

यूरोपीय कंपनियां

614. श्री परसुराम माझी : क्या **कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में व्यापार शुरू करने के लिए यूरोपीय कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ये कंपनियां किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 49 यूरोपीय कंपनियों को भारत में अपने व्यापार स्थान स्थापित करने के लिए सम्मिलित किया गया था। ये कंपनियां संपर्क कार्यालय, ब्रांच कार्यालय, प्रोजेक्ट कार्यालय आदि की स्थापना करने के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने की योजना बना रही हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

615. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार की बीस योजनाएं अब भी मंत्रालय के पास लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के लिए कब तक धनराशि आवंटित की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान सरकार को वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत मुहैया कराई गई सहायता के अतिरिक्त प्रदान कराई गई सहायता इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	शीर्ष	2001–02	2002–03	2003–04
1.	योजना सहायता	3628.18	4761.14	6577.65
2.	मध्यम आवधिक ऋण	0.00	463.00	0.00
3.	खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण उगाही (ऋण विनिमय के अतिरिक्त)	0.00	732.00	300.00
4.	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	198.00	0.00
	कुल	3628.18	6154.14	6877.65

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की भर्ती

616. श्री गुरूदास कामत : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलाइंस एयर में पायलट, केबिन क्रू, तकनीकी कर्मचारी इत्यादि सहित कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या प्रणाली है;

(ख) क्या एलाइंस एयर में अधिकांश कर्मचारी अनुबंध आधार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एक विशेष अवधि के बाद एलाइंस एयर के कर्मचारियों की छंटनी करती है; और

(ङ) यदि हां, तो जिन आधारों पर यह किया जाता है उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) एलाइंस एयर में पायलटों, केबिन कर्मीदल, तकनीकी स्टाफ आदि सहित कर्मचारियों की भर्ती एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया

के माध्यम से की जाती है जिसमें विज्ञापनों के माध्यम से अर्हता उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करना और विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा, समूह चर्चा तथा निजी साक्षात्कारों के द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चुनाव शामिल है। कुछ मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विशेषकर इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड से तकनीकी संवर्ग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया जाता है जो कि प्रचालनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1 जून, 2004 की स्थिति के अनुसर एलाइंस एयर में कर्मचारियों को प्रचालन–वार/श्रेणी–वार दर्शाने वाली जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है। संविदात्मक नियुक्तियां करने का कारण यह है कि यह प्रबंधन को लचीलापन प्रदान करता है और संगठन के सर्वाधिक हित में है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केवल उन कर्मचारियों के मामलों में, जिनका आचरण तथा उपस्थिति सहित निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया है, संविदात्मक नियुक्तियों को रद्द किया जाता है।

विवरण

एयरलाहन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड

(इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी)

क्र.सं.	श्रेणी		प्रतिनियुक्ति	संविदात्मक		योग
				बी–737	एटीआर	
1.	विमान चालक	पी1	0	31	13	44
		पी2	1	33	11	45
		कुल	1	64	24	89
2.	केबिन क्रू**		0	154	17	171
3.	प्रचालन विभाग* (फ्लाइट डिस्पैचर ओपरेशन टीटी एण्ड एम एफसी एस एफएस)		0	82	0	82
4.	ल।इसेंन्सड इंजीनियर्स*** एएमई		5	43	18	64
5.	तकनीशियन		0	38	44	82
6.	अन्य	आईएएल 24	62	219	21	302
		शौड 34				
		पीसीडीएफ 01				
		यूपी पुलिस 03				
7.	सुरक्षा अटैन्डेन्ट्स		0	43	0	43
	कुल योग		68	643	122	833

विदेशी ऋण

617. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री निखिल कुमार :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 के दौरान देश का विदेशी ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी ऋण कम करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। 31 दिसंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार, भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 511,861 करोड़ रुपये अथवा 112.13 बिलियन अमरीकी डालर था जो 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार ऋण स्टॉक की तुलना में रुपयों में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि या अमरीकी डालर में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अमरीकी डालरों में वृद्धि की यह उच्च दर, अन्य संघटक मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्यहास होने के कारण हुई है।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 489,168 करोड़ रुपये अथवा 112,593 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा जारी विदेशी ऋण प्रबंधन नीति में, रियायती शर्तों पर और दीर्घावधिक परिपक्वता वाले कम महंगे स्रोतों से निधियां जुटाने, अल्पावधिक ऋण के अनुवीक्षण, उच्च लागत वाले ऋणों की समय–पूर्व अदायगी करने और पूंजीगत प्रवाहों के सृजन को प्रोत्साहित करने वाले गैर–ऋण पर बल देना शामिल है।

मूल्य वर्द्धित कर

618. **श्री सुरेश कुरुप :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्रीमती कृष्णा तीरथ :
श्री पी. के. वासुदेवन नायर :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मूल्य वर्द्धित कर (वी.ए.टी.) के संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारें 1 अप्रैल, 2005 से राष्ट्र भर में मूल्य वर्द्धित कर (वी.ए.टी.) को क्रियान्वित करने पर सहमत हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या मूल्य वर्द्धित कर की शुरुआत से राज्यों को होने वाले संभावित घाटों की जांच के बारे में कोई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 18.6.2004 को एक बैठक आयोजित की गई थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मूल्य वर्द्धित कर (वी.ए.टी.) को क्रियान्वित किए जाने के संबंध में बैठक में आम सहमति थी।

(घ) मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में निवेश कर जमाओं सहित बहु–स्तरीय लक्ष्य आधारित कराधान शामिल है। यह एक राज्य–स्तरीय कर है जो कतिपय न्यूनतम स्वीकृत अभिसरण मानदंडों सहित विधायी प्रावधानों में लचीलेपन की अनुमति देता है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही मूल्य वर्द्धित कर को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप, राजस्व की हानि होने के मामले में राज्यों को सिद्धांतों के आधार पर क्षतिपूर्ति किए जाने के संबंध में आश्वस्त किया है तथा क्षतिपूर्ति के स्तर के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से निर्णय किया जाना है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

619. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड तैयार किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इन सरकारी

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दे दी जाए जिन्होंने लगातार 33 वर्ष तक सेवा की हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चूककर्त्ता कंपनियां

620. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान कानून इन चूककर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध जो छोटे निवेशकों का पैसा हड़प कर जाती हैं; सक्षम और प्रभावी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के कानूनी उपबंधों में पूर्व में जानकारी में आई अनेक कमियों को 2002 में सेबी अधिनियम में संशोधन करके हटा दिया गया है। निरीक्षण, जांच एवं प्रवर्तन के संबंध में सेबी की शक्तियों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति बाजारों के बढ़ते महत्व ने संगठनात्मक संरचना एवं सांस्थानिक क्षमता के अर्थ में सेबी पर नए दबाव डाले हैं। सेबी अधिनियम के 2002 के संशोधन में जांच एवं प्रवर्तन के लिए सेबी में उपलब्ध प्रक्रम के सुदृढ़ीकरण द्वारा इस पहलू का भी निवारण करने का प्रयास किया गया ताकि यह बाजार कदाचारों के विरुद्ध जांच करने तथा प्रवर्तन करने के लिए बेहतर सुसज्जित हो।

(ख) 1999 में सेबी तथा कंपनी कार्य विभाग के बीच एक संयुक्त प्रक्रम की स्थापना की गई थी जो निवेशकों से धन जुटाने और उनका दुरुपयोग करने वाले बेईमान प्रवर्तकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। तदनुसार, सचिव, कंपनी कार्य विभाग तथा अध्यक्ष सेबी की सह–अध्यक्षता में एक केंद्रीय समन्वयन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कृत्तिक बलों का गठन किया जाए जिसके संयोजक संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्टर हों तथा सदस्य सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंजों के क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रतिनिधि हों। इन कृतिक बलों का मुख्य कार्य गायब हो गई अथवा निवेशकों से जुटाई गई निधियों का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों की पहचान करना तथा कंपनी अधिनियम, 1956 या सेबी अधिनियम, 1992 के अनुसार समुचित कार्रवाई का सुझाव देना है।

मुद्रास्फीति की दर

621. श्री अधीर चौधरी :
श्री उदय सिंह :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धातु सहित पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों के तेजी से बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को रोकने की कोई रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। 19 जून, 2004 को थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1993–94) के अनुसार बिन्दु–दर–बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर एक वर्ष पूर्व की 5.21 प्रतिशत की तुलना में 5.87 प्रतिशत थी। वृहत समूहवार मुद्रास्फीति की दर के लिए ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (%)

(जून के तीसरे सप्ताह के अन्त में)

समूह/मद	भारांश (%)	2004–05	2003–04
1	2	3	4
सभी पण्य वस्तुएं	100.00	5.87	5.21
I. प्राथमिक वस्तुएं	22.03	1.35	7.07
खाद्य वस्तुएं	15.40	0.21	3.50
खाद्य–भिन्न वस्तुएं	6.14	3.07	17.73

1	2	3	4
II. ईंधन, विद्युत, प्रकाश एवं लुब्रीकेंट	14.23	9.79	4.77
कोयला खनन	1.75	9.22	0.00
खनिज तेल	6.99	14.96	4.29
द्रव पैट्रोलियम गैस	1.84	9.47	0.00
मिट्टी का तेल	0.69	–0.31	0.00
पैट्रोल	0.89	17.92	3.62
तीव्र गति डीजल तेल	2.02	19.43	3.91
III. विनिर्मित उत्पाद	63.75	6.44	4.55
खाद्य उत्पाद	11.54	3.61	8.14
आधार धातु, मिश्र धातु एवं धातु उत्पाद	8.34	28.30	11.46

(ग) और (घ) सरकार की मुद्रास्फीति की विरोधी नीतियों में सख्त राजकोषीय एवं मुद्रा प्रबन्धन, आवश्यक वस्तुओं के आयातों में उदारीकरण से मांग–पूर्ति का प्रभावी प्रबंधन और खाद्यान्नों के लिए सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

622. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री निखिल कुमार :
श्री विजय कृष्ण :
श्री मोहन सिंह :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या भारत में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता अन्य विकसित देशों के बराबर है;

(घ) यदि नहीं, तो स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना प्रतिशत कोयला निकाला गया?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की कीमत में हाल में की गई वृद्धि विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मामले में औसतन 81.35 रु. प्रति टन से लेकर कोकिंग कोयले के मामले में 251.82 रु. प्रति टन की रेंज में है। कोयले की कीमत में भारित औसत वृद्धि लगभग 16.7% बनती है। कीमत में वृद्धि 16.6.2004 से प्रभावी है।

इस कीमत वृद्धि को आवश्यक बनाने वाले कुछ विचारों में निम्नलिखित शामिल हैं–कोयला कीमत में पिछली वृद्धि के बाद से विद्युत, डीजल तथा इस्पात आदि जैसी प्रमुख आगतों की लागत में तीव्र वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत में तीव्र वृद्धि, देश में कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम करने के लिए अपेक्षित उभरती हुई परियोजनाओं में निवेश तथा विद्यमान खानों के आधुनिकीकरण हेतु संसाधन जुटाए जाने के लिए और उपभोक्ताओं को उनके कोयले का उचित मूल्य प्राप्त कराने के लिए कुछ सहायक कंपनियों में कोयला कीमतों का युक्तिकरण आदि। कोल इंडिया लि. की 7 सहायक कंपनियों ने 2–3 वर्ष पहले कोयले के मूल्य में वृद्धि की थी और नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ऐसा अक्तूबर, 2003 में किया।

(ग) भारत में उत्पादित कोयला कई अन्य कोयला उत्पादक देशों की तुलना में सामान्यतः खराब गुणवत्ता का है जिसका प्रमुख कारण इसका ड्रिफ्ट थ्योरी मूल है, जिसके परिणामस्वरूप बाह्य पदार्थ की पतली परतों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ–साथ कोयले में खनिज पदार्थ गहन रूप से अनुपस्थित हैं।

(घ) भारतीय कोयले की प्रकृति अनुवांशिक रूप से घटिया गुणवत्ता वाली होने के कारण इसे सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोयले के बराबर नहीं लाया जा सकता। तथापि, कोयला परिष्करण करके भारतीय कोयले के राख तत्त्व को कुछ हद तक कम किया जा सकता है तथा इसका उष्मामान बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने जरूरतमंद उपभोक्ताओं को

धुला हुआ कोयला उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कोलफील्डों में प्रचालकों द्वारा बी.ओ.ओ. (निर्माण स्वामित्व प्रचालन) आधार पर कोयला परिष्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है।

(ङ) वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 में उत्पादित कोयला क्रमशः 327.79, 341.27 तथा 361.17 मिलियन टन (अनंतिम) रहा है।

पूर्णतः परिवर्तित व्यापार नीति

623. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने व्यापार नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात/आयात संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक 25 सदस्यीय सलाहकार ग्रुप गठित किया गया है;

(ग) क्या नई नीति कृषि और रोजगार सृजन पर केन्द्रित होगी;

(घ) क्या सरकार कृषि निर्यात बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस नई व्यापार नीति को कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) से (ङ) नई विदेश व्यापार नीति तैयार की जा रही है और अगस्त, 2004 में घोषित की जाएगी। सरकार ने अभी तक किसी सलाहकार समूह का गठन नहीं किया है। नई नीति थ्रस्ट क्षेत्रों पर केन्द्रित होगी जिनमें कृषि भी शामिल है। नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य कृषि निर्यात सहित निर्यातों को बढ़ाना तथा अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है।

छठा वेतन आयोग

624. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री ए. के. मूर्ति :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग का गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आयोग के कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(घ) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसकी संभावित समय–सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शेयर बाजार में गिरावट

625. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री मोहन सिंह :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004 के लोक सभा चुनाव परिणाम की घोषणा के शीघ्र बाद शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कारणों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या शेयर बाजार में तीव्र गिरावट के पीछे कुछ लोगों का निहित स्वार्थ था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई या किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) चुनाव परिणाम 13 मई, 2004 को घोषित किए गए थे। 13 मई, 2004 को सेन्सेक्स

5399.47 पर बंद हुआ। 14 मई, 2004 (शुक्रवार) को बाजार में गिरावट आई और 14 मई, 2004 की सेन्सेक्स 5069.87 पर, 329.6 बिंदु अथवा 6.1% की गिरावट के साथ और निफ्टी 1582.40 पर अथवा 135.10 बिन्दु (–7.87) कम पर बंद हुआ।

17 मई, 2004 (सोमवार सेन्सेक्स के 4505.16 पर 564.71 बिंदु अथवा 11.14 प्रतिशत की गिरावट से और निफ्टी 1388.75 (–193.65) पर अथवा 12.24% कम पर बंद होने से बाजार में और गिरावट आई। 17 मई, 2004 को कारोबार के दौरान, बाजार दो बार लगभग 10 : 16 पूर्वाह्न पर रुक गया। ये विराम उस सर्किट ब्रेकर तंत्र के कारण शुरू हुए थे, जिनके कारण बाजार को बाजार सूचकांक के 10% गिरने पर एक घंटे के लिए और बाजार सूचकांक के 15% रिगने पर दो घंटे का विराम दिया जाता है। पहले कारोबार विराम के पश्चात् 4227.5 के निम्न स्तर पर पहुंचने के बाद अंतिम सत्र में जब कारोबार 1 : 16 (अपराह्न) पर पुनः आरंभ हुआ, तो बाजार में तेजी आई।

(ग) से (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि 17 मई, 2004 को तथा उसके आस–पास सूचकांकों में उतार–चढ़ाव को प्रभावित करने वाले कतिपय विशिष्ट लेन–देनों के संबंध में विस्तृत जांच चल रही है तथा यह कि यदि किसी बाजार भागीदार द्वारा कोई हेराफेरी किए जाने का पता चला तो उसके विरुद्ध कड़ी विनियामक कार्रवाई की जाएगी।

दो निरंतर कारोबार दिवसों (अर्थात् 14 मई और 17 मई, 2004) को सूचकांक में महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव के बावजूद निपटान और भुगतान बिना किसी बाधा के संपन्न हो गए तथा कोई दलाल चूक या दलाल असफलता नहीं हुई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की सशक्तता सिद्ध हुई है चूंकि बाजार ने प्रणालियों की सामान्य अंतःनिर्मित क्षमता की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च उतार–चढ़ाव का सामना किया है।

सेबी की जोखिम प्रबंधन नीति में कतिपय दशाओं के तहत सभी स्टॉक एक्सचेंजों में स्वतः कारोबार स्थगन की व्यवस्था है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की कुशलता, दलाल स्थिति के वास्तविक समय अनुवीक्षण, टर्मिनलों के स्वतः बंद होने की व्यवस्था तथा बाजार व्यापी सर्किट के परिणामस्वरूप बाजार बिना किसी व्यवधान या निपटान असफलता के इस परिमाण के उतार–चढ़ाव का सामना कर सका। वस्तुतः, एक्सचेंजों को निपटान गारंटी निधि से निकासी नहीं करनी पड़ी।

सेबी किसी हेराफेरी का पता लगाने तथा उसे रोकने एवं निवारक कार्रवाई करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों तथा अन्य अभिकरणों के परामर्श से पूंजी बाजारों के घटनाक्रमों पर सतत निगरानी रखता है।

कृषि ऋण पर ब्याज

626. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज दर में गिरावट का पूरा लाभ कृषि क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य क्षेत्र पर लिए जा रहे ब्याज की तुलना में किसानों के लिए कृषि ऋण पर लिए जा रहे ब्याज की दर क्या है; और

(घ) कृषि क्षेत्र तक ब्याज की निम्न दर का लाभ पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) बैंकों में ब्याज दर अविनियमित कर दी गई है और बैंक–बोर्ड दरें निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जुलाई, 2003 से 50,000 रु. तक फसल ऋणों पर अधोगामी ब्याज दरों की पुनरीक्षा की है और उसे संशोधित कर 9% कर दिया है। बाद में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने स्थिति की पुनरीक्षा की और ब्याज दर को पुनः घटाकर 8.5% कर दिया। अब कृषि ऋणों पर 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज अधिकांश बैंकों के आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से 2% से 2.5% तक कम है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बीपीएलआर 1 जनवरी/फरवरी, 2004 से 10% से 11.5% के बीच रही है। 2 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए बैंक निधियों की लागत, अनुपयोज्य आस्तियों और लेन–देन लागत को ध्यान में रखकर अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपनी दरें निर्धारित करते हैं।

[हिन्दी]

कंपनियों के विरुद्ध बकाया कर

627. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कंपनी–वार कितना कर बकाया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कंपनियां बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान किए सीधे फैक्ट्री से अपने विनिर्मित उत्पाद बेच रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा करों की शीघ्र वसूली के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है; और

(ङ) करों को कब तक वसूल किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में कुल बकाया राशि नीचे दी गई है :

(रु. करोड़ में)

प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क
87885.21	12613.00 (लगभग)	2725.63

घरेलू और बहु–राष्ट्रीय कंपनियों की बकाया राशि की जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। कंपनीवार ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देश भर में फैले सभी क्षेत्रीय संगठनों के आंकड़ों का संकलन आवश्यक होगा और इसके लिए अपेक्षित समय तथा खर्चे, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बकाया कर की देय राशि की शीघ्र वसूली के लिए किए गए उपायों में वसूली योग्य बकाया शुल्क की वसूली के लिए तेजी से कार्रवाई, विभिन्न अदालतों/अधिकरण के समक्ष पड़े मामलों की निगरानी, लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई तथा निपटान के लिए अदालतों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष याचिकाएं दाखिल करना और आयुक्तों (अपील) के पास लंबित मामलों का तेजी से निपटान शामिल है।

(ङ) मुकदमे की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कितनी समय–सीमा में बकाया देय राशि की वसूली हो पाएगी यह पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि, बकाया करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत नियमित रूप से पुरानी मांगों का परिसमापन हो जाता है और नई मांगें जुड़ जाती हैं। इसलिए, यह कह पाना संभव नहीं है कि आज की तारीख में बकाया करों की वसूली कब तक कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में आयकर बकाया

628. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में विभिन्न कार्पोरेट कंपनियों और व्यक्तियों पर आयकर बकाए के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक कार्पोरेट सेक्टर पर भुगतान के लिए आयकर की कितनी राशि देय है; और

(ग) बकाये की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय रूप से रखी गई सूचना के अनुसार पूर्वी जोन के विभिन्न प्रभारों जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, से संबंधित एक करोड़ रु. से अधिक बकाया राशि के कुल 558 मामले हैं।

(ख) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 करोड़ रु. से अधिक बकाया राशि के मामलों में 295 कार्पोरेट मामलों से संबंधित 3775 करोड़ रु. की बकाया धनराशि है। ये बकाया राशियां अपील सहित प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रत्येक मामले से संबंधित ब्यौरे के लिए क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्र करना अपेक्षित है, जिसमें पर्याप्त समय और प्रयास लगता है जो वांछित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII तथा द्वितीय अनुसूची में यथा उपबंधित तंत्र के जरिए कर की वसूली की जाती है। देय राशि की तत्काल वसूली के लिए किए गए उपाय प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करेंगे। इसके अतिरिक्त, मांग वसूली की निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण मुख्य आयुक्तालयों में विशेष एककों की स्थापना की गई है।

आयकर अपील अधिकरण तथा समझौता आयोग सहित अपीलीय प्राधिकरणों से भी अनुरोध किया गया है कि वे स्थगन मामलों तथा उच्च मांग की अपीलों के निपटान को प्राथमिकता दें।

आयात प्रतिबंध

629. **श्री बी. विनोद कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछेक वस्तुओं को आयात/निर्यात के लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इससे उनके आयात में अचानक उछाल आ गया है;

(ग) क्या आयात लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रति देश की बाध्यता का एक अंग है;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू उद्योग और पाटनरोधी निदेशालय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) उक्त निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों को बचाने और पाटनरोधी निदेशालय पर अत्यधिक कार्य बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) से (ङ) भारत अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के अनुरूप 1991 से प्रतिबंधों को हटाने की एक निरंतर नीति का अनुसरण कर रहा है। हाल में 28.1.2004 को घोषित लघु निर्यात–आयात नीति में आयात की 10 मदों और निर्यात की मदों की एक श्रेणी को मुक्त किया गया था। आयात पर सभी प्रतिबंध गैट करार के अनुच्छेद XX और XXI के अनुसार लगाए रखे जाते हैं। आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सरकार का टैरिफ और अन्य तंत्रों के प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय है कि आयातों से घरेलू किसानों और उद्योग को कोई गंभीर हानि अथवा क्षति न पहुंचे। इस कार्य के लिए अनेक मदों पर पिछले पांच वर्षों में आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 1992 से 30.6.2004 तक अनेक देशों के 169 मामलों में पाटनरोधी जांच–पड़ताल शुरू की थी।

घरेलू उद्योगों का पुनरुद्धार

630. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बहुत बड़ी राशि ऐसे घरेलू उद्योगों में फंसी पड़ी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितनी राशि फंसी पड़ी है;

(ग) इस राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) आज की तारीख में देश में राज्यवार ऐसी कितनी इकाइयां हैं जो बंद हो चुकी हैं/रुग्ण हो चुकी हैं;

(ङ) क्या सरकार राज्यों में बंद पड़ी रुग्ण हो चुकी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार तथा बंद पड़ी इकाइयों के कामगारों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उनके पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से उद्योगों के बंद होने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार रुग्ण इकाइयों (गैर लघु उद्योग एवं लघु उद्योग) तथा बंद इकाइयों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बंद लघु उद्योग इकाइयों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु, मझौले एवं बड़े उद्योगों में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना भी रुग्ण/बंद इकाइयों पर लागू है। रुग्ण इकाइयों के मामले बाइफर को पुनर्वास योजना तैयार करने की संभावना की जांच करने के लिए भी भेज

दिए गए हैं। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, बाइफर ने 627 पुनर्वास योजनाएं अनुमोदित की हैं। मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सीडीआर तंत्र के तहत 82 मामले अनुमोदित किए गए हैं जिनमें 61765.26 करोड़ रुपये का कुल कर्ज अंतर्ग्रस्त है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संभाव्य रूप से अर्थक्षम पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में कोहली कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर जनवरी, 2002 में दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में राहत एवं रियायत देने के लिए बैंकों को कुछ व्यापक पैरामीटर यथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज, निधिक ब्याज मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी मियादी ऋण, मियादी ऋण एवं आकस्मिक ऋण सहायता की सलाह दी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रुग्ण/कमजोर इकाइयों की संख्या		कुल रुग्ण इकाइयां	बंद इकाइयों की संख्या
		(गैर लघु उद्योग)	लघु उद्योग		(गैर लघु उद्योग)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	9	15	24	2
2.	असम	31	3592	3623	14
3.	मेघालय	11	119	130	3
4.	मिजोरम	4	11	15	3
5.	झारखंड	27	2766	2793	14
6.	बिहार	52	16479	16531	32
7.	पश्चिम बंगाल	240	44496	44736	121
8.	नागालैंड	17	154	171	8
9.	मणिपुर	2	1012	1014	2
10.	उड़ीसा	59	8489	8548	25
11.	सिक्किम	1	31	32	1
12.	त्रिपुरा	1	1793	1794	0
13.	उत्तर प्रदेश	208	15768	15976	129
14.	उत्तरांचल	23	467	490	12
15.	छत्तीसगढ़	24	386	410	14
16.	दिल्ली	130	1999	2129	58
17.	पंजाब	107	3022	3129	53
18.	हरियाणा	102	1515	1617	53
19.	चंडीगढ़	27	233	260	13
20.	जम्मू–कश्मीर	14	2114	2128	6
21.	हिमाचल प्रदेश	28	618	646	17
22.	राजस्थान	109	4005	4114	48
23.	गुजरात	380	4723	5103	229
24.	महाराष्ट्र	618	4762	5380	292
25.	दमन एवं दीव	14	23	37	6
26.	गोवा	14	119	133	6
27.	दादरा एवं नागर हवेली	15	12	27	8
28.	मध्य प्रदेश	138	11601	11739	60
29.	आंध्र प्रदेश	342	6589	6931	173
30.	कर्नाटक	210	3180	3390	119
31.	तमिलनाडु	358	13517	13875	158
32.	केरल	64	14133	14197	24
33.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	21	21	0
34.	पांडिचेरी	17	216	233	8
	कुल	3396	167980	171376	1711

*लघु उद्योगों की बंद इकाइयों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजना

631. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र का विकास करने तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां मिली हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सितंबर, 2003 में परिपत्र जारी किया है। एससीसी योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- योजना के अंतर्गत छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्वनियोजित व्यक्तियों रिक्शामालिकों एवं अन्य सूक्ष्म उद्यमियों को लचीले, बाधा रहित तथा लागत प्रभावी तरीके से ऋण अर्थात् कार्यशील पूंजी अथवा थोक पूंजी अथवा दोनों दिया जाता है।
- इस सुविधा में उपभोग आवश्यकताओं से संबंधित पर्याप्त घटक भी शामिल किया जा सकता है।
- एससीसी 5 वर्ष के लिए मान्य है तथा इसका नवीकरण वार्षिक आधार पर खाते के संतोषजनक परिचालन के अध्यधीन किया जाता है।
- योजना के तहत निर्धारित की जाने वाली ऋण की सामान्य सीमा 25,000/– रुपये है परन्तु योग्य मामलों में बैंक उच्चतर सीमा पर विचार कर सकता है।
- योजना के तहत हिताधिकारी स्वतः ही सामूहिक बीमे में शामिल हो जाएंगे तथा प्रीमियम बैंकों एवं हिताधिकारियों के बीच बांटा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों को कारीगर क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन के लिए परिपत्र जारी किया है। इस योजना के तहत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के पास विनिर्माण/उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े सभी कारीगर तथा स्वसहायता समूह 2 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग) नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 2004 तक 29000 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिनके तहत हथकरघा बुनकरों सहित स्वनियोजित व्यक्तियों को 64.26 लाख रुपये की ऋण राशि दी गई है।

[अनुवाद]

नई विदेश व्यापार नीति

632. श्री शिवाजी अधलराव पाटील :
श्री के. एस. राव :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई निर्यात–आयात नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह नीति कब तक लागू की जाएगी और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) क्या नई निर्यात–आयात नीति से निर्यात और आयात में वृद्धि होगी, यदि हां, तो यह वृद्धि किस सीमा तक होगी;

(घ) क्या वर्ष 2007 के अंत तक विश्व व्यापार में 1% शेयर का प्रस्तावित प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2009 तक 2% में परिणत हो जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रस्तावित लक्ष्य को किस तरह हासिल करने का है; और

(च) क्या वर्ष 2004–2005 के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है, यदि हां, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) से (ङ) नई विदेश व्यापार नीति तैयार की जा रही है और अगस्त, 2004 में घोषित की जाएगी। नई नीति वस्त्र, चर्म, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि क्षेत्रों जैसे थ्रस्ट क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। नई

विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य कृषि निर्यात सहित निर्यातों को बढ़ाना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है।

(घ) वर्ष 2004–05 के लिए निर्यात लक्ष्य में निर्यातों में वर्ष 2003–04 की तुलना में 16% की वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहनों, क्रियाविधियों के और अधिक सरलीकरण तथा विदेश व्यापार नीति में घोषित की जाने वाली नई पहलों के जरिए प्राप्त किया जाना है।

बारहवें वित्त आयोग के कार्यकाल का विस्तार

634. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवें वित्त आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) बारहवें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2004 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) लोक सभा चुनाव और कुछ राज्यों में भी चुनाव जल्दी कराए जाने, अनेक राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने के कारण वित्त आयोग की समय अनुसूची प्रभावित हुई है।

(घ) आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 30 नवंबर, 2004 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

बौद्धिक संपदा अधिकार

635. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त संरक्षण को देखते हुए व्यापार कानून के अपने उपबंध 301 की निगरानी सूची में भारत को एक बार फिर रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा पेटेन्ट में संशोधन मई, 2003 से प्रभावी हो गया है, किन्तु इसे अपर्याप्त कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार अपने पेटेन्ट कानूनों में आगे और सुधार के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के 14 दूसरे व्यापारिक साझेदारों के साथ–साथ भारत को "यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेन्टेटिव (यूएसटीआर)" की प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पेटेंट कानून अपर्याप्त हैं क्योंकि इनमें जैवप्रौद्योगिकीय आविष्कारों, कृषि और बागवानी की विधियों, मनुष्यों, जानवरों अथवा पादपों के उपचार की प्रक्रियाओं को एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए गए पदार्थों को संरक्षण से मुक्त रखा गया है।

भारतीय बौद्धिक संपदा कानून पूर्णतः "ट्रिप्स" (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू) के अनुरूप हैं। मौजूदा कानूनों के द्वारा बौद्धिक संपदा संरक्षण एवं लोक–स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जनहित के मामलों के बीच प्रभावी संतुलन व अनुरूपता की व्यवस्था की गई है। तथापि, भारत द्वारा 1 जनवरी, 2005 तक पेटेंट अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है, ताकि ट्रिप्स समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुसार खाद्यों, रसायनों और भेषजों के क्षेत्रों में होने वाले आविष्कारों के लिए उत्पाद पेटेंटों की व्यवस्था की जा सके।

ग्रामीण आवास योजना

636. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त घोषित होने वाली ग्रामीण आवास योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान किसी वर्ष में राजस्थान के ग्रामीणों को कोई ऋण दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी शाखावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में ग्रामीण आवास योजना को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र सरकार द्वारा धनराशि का उपयोग न करना

637. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विभिन्न मौजूदा विकास परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मंजूर परियोजनाओं, आवंटित धनराशि और राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार आवंटित धनराशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित समय में आवंटित धनराशि का उपयोग हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) वस्त्र क्षेत्र में निधियों का राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त तकनीकी रूप से अर्थक्षम प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित योजनाओं के अनुसार राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। हथकरघा, रेशम उत्पादन, ऊन और निर्यात क्षेत्र के संबंध में स्वीकृत योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को दी गई निधि की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है .

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृत परियोजना/योजना	2001–02	2002–03	2003–04	यू सी प्राप्त
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यशाला एवं आवास	253.96	–	92.805	66.52
2.	समूह बीमा	–	2.27	–	2.27
3.	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	744.18	469.92	1000.00	1000.00
4.	बाजार विकास सहायता योजना	262.35	70.07	499.81	332.42
5.	विपणन प्रोत्साहन (डीडीएचपीवाई)	432.64	693.38	648.45	1126.02
6.	2002–03 से 2004–05 के दौरान हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की दर से एक बार की छूट की प्रतिपूर्ति की योजना	–	–	262.31	262.31
7.	हथकरघा निर्यात योजना	6.00	–	–	–
8.	विपणन संवर्धन कार्यक्रम	52.47	61.882	42.88	156.232
9.	हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति	–	–	96.60	7.30
10.	एकीकृत भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना	239.19(1997–98 से 2002–03 तक)			184.16

1	2	3	4	5	6
11.	मशीन कटाई एवं प्रशिक्षण परियोजना	4.68(1998–99 से 2003–04 तक)			–
12.	वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना केन्द्र, वारंगल		366		–
13.	वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना केन्द्र, पशमीलरलम		1000		–
14.	वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना केन्द्र, सिरसिला		428		98
15.	अपैरल पार्क, विशाखापट्टनम		1669		–
16.	यूएनडीपी सहायित गैर–शहतूती रेशम के विकास पर उप–कार्यक्रम	18.47	10.81	–	29.28
17.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	348.68	1425.86	876.76	1755.11

क्रम सं. 12 से 15 में दी गई योजनाएं मार्च, 2002 में शुरू की गई थीं।

राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। भारत सरकार समय–समय पर आंध्र प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकार को लिखती है कि वे परियोजनाओं को समय पर पूरा करें और आगे चल रही विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि के प्रति शीघ्रता से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

विदेशी मुद्रा भंडार

638. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा भंडार के पहले के स्तर को बनाए रखने और इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अप्रैल–अंत, 2004 में, 118.5 बिलियन अमरीकी डालर था, वह 889 मिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी के बाद मई–अंत, 2004 में 119.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, तथा 25 जून, 2004 को यह 119.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो वस्तुतः मई–अंत, 2004 स्तर से कोई भिन्नता नहीं दिखाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विमान यात्रा किराए में वृद्धि

639. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री मुनव्वर हसन :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिचालित सरकारी और निजी विमान कंपनियों ने हाल में अपने यात्रा किराये और माल भाड़े में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि किराए में केवल मामूली सी वृद्धि ही हो; और

(घ) सुविधाओं में तदनुरूपी सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और एयर सहारा ने ईंधन लागत में वृद्धि को देखते हुए घरेलू रुपया किराया में 21 जून, 2004 से 10% वृद्धि की है। वहन शुल्क प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) हवाई किराया सरकार द्वारा नियमित नहीं किया जाता और एयरलाइनें अपनी वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर हवाई किराया लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) यद्यपि हवाई किराया ईंधन लागत को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार सुनिश्चित है कि एयरलाइनें अपने यात्रियों को पेश किए जाने वाले उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

विद्युतकरघा में उत्पादन

640. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे विद्युतकरघों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने हेतु राजसहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में विद्युतकरघों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) विद्युतकरघों द्वारा वस्त्रों का वार्षिक उत्पादन कितना किया जाता है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का विस्तार करके 6 नवंबर, 2003 से 60 लाख रु. तक की लागत की निर्धारित प्रौद्योगिकी की बुनाई मशीनरी के लिए लघु विद्युत-करघा एककों को 20 प्रतिशत की दर से ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी प्रदान की है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार, लघु विद्युतकरघों के तकनीकी विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करने के वास्ते किसी अन्य योजना पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) इस समय देश में विद्युतकरघों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलगन है।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्त्रों की मात्रा 27,258 मिलियन वर्ग मीटर है जो कि देश के कुल कपड़ा उत्पादन का 67% है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्युतकरघों की संख्या (30.4.2004 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2
आंध्र प्रदेश	44020
असम	2726
बिहार	2894
गोवा	122
गुजरात	320870
हरियाणा	9882
हिमाचल प्रदेश	1461
जम्मू-कश्मीर	65
कर्नाटक	81869
केरल	2731
मध्य प्रदेश	67841
महाराष्ट्र	839029
उड़ीसा	3319
पंजाब	23606
राजस्थान	32249
तमिलनाडु	334372
उत्तर प्रदेश	65934
प. बंगाल	4457
दिल्ली	1102
अरुणाचल प्रदेश	0
मणिपुर	0
चंडीगढ़ (सं.शा.क्षे.)	42
हवेली (सं.शा.क्षे.)	930

1	2
पांडिचेरी (सं.शा.क्षे.)	830
अंडमान व निकोबार, दमन व दीव, लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.)	0
कुल	1840351

महिला कल्याण हेतु कार्यक्रम

641. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के एक समूह ने हाल ही में वित्त मंत्री से मुलाकात कर महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उचित निगरानी प्रबंधक के साथ 40 प्रतिशत संसाधन आवंटित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। महिला समूहों का अभ्यावेदन सरकार को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आयोजनागत संसाधनों के आवंटन हेतु बहुत उपयोगी निविष्टियां उपलब्ध कराएगा।

[हिन्दी]

विद्युतकरघों एवं वस्त्र की उत्पादकता

642. **श्री नीतीश कुमार :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़े के निर्माण में लगे हुए विद्युतकरघों और वस्त्र मिलों की कुल उत्पादन लागत के 21 प्रतिशत का आकलन विद्युत के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं और विश्व के कपड़ा उत्पादक अन्य देशों में कपड़ों के निर्माण पर विद्युत के आधार पर आंकलित लागत कितनी है और;

(ग) क्या विद्यमान विद्युत आपूर्ति की स्थिति और विद्युत की उच्च दरों के मद्देनजर वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन कर दिए जाने की आवश्यकता है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माण संघ (आईटीएमएफ) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत की तुलना टेक्सचर्ड यार्न फैब्रिक (सिंथेटिक) ओ–ई यार्न फैब्रिक (कपास) तथा रिंग यार्न फैब्रिक (कपास एवं मिश्रित) के मामले में विद्युत लागत भारत में फैब्रिक लागत का क्रमशः 15%, 16% और 17% दर्शाती है। संलग्न विवरण में दिए गए आंकड़ों में यह देखा जा सकता है कि विद्युत लागत ब्राजील में सबसे कम है जो कि फैब्रिक लागत का 6–7% है। भारत में रिंग यार्न फैब्रिक (कपास एवं मिश्रित) (17%) ओ–ई यार्न फैब्रिक (कपास) (16%) के लिए विद्युत लागत सबसे ज्यादा है जबकि टेक्सचर्ड यार्न फैब्रिक (सिंथेटिक) के मामले में इटली में विद्युत लागत सबसे जयादा है जो कि फैब्रिक लागत का 28% है।

(ग) हस्तशिल्प मदें सामान्य औजारों का प्रयोग करके प्रायः हाथ से बनाई जाती हैं जिसके लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है अथवा बहुत कम विद्युत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस संबंध में हथकरघा क्षेत्र में किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

विभिन्न देशों में वस्त्र विनिर्माण में विद्युत लागत (2003)

(प्रति गज फैब्रिक अमरीकी डालर में)

फैब्रिक किस्म	ब्राजील	चीन	भारत	इटली	कोरिया	टर्की	यू.एस.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8
बुने–बुनाए	0.046	0.089	0.122	0.146	0.070	0.098	0.068
रिंग यार्न	7%	13%	17%	13%	9%	13%	8%
बुने–बुनाए ओ–ई	0.041	0.077	0.097	0.127	0.062	0.086	0.060
यार्न फैब्रिक	6%	12%	16%	13%	9%	13%	8%

1	2	3	4	5	6	7	8
बुने हुए टैक्सचर्ड यार्न फैब्रिक	0.033 6%	0.072 14%	0.089 15%	0.300 26%	0.055 10%	0.075 12%	0.247 27%

स्रोत : वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र संबंधी आंकड़ों का संकलन, 2004 की तालिका 66, 67, और 73

परिधान का निर्यात

643. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन देशों को परिधान निर्यात किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान परिधान के निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) भारत के सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात विश्व के सौ से अधिक देशों को किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीयन संघ के सदस्य देश, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया आदि हमारे सिलेसिलाए परिधानों के मुख्य आयातक देश रहे हैं।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात नीचे दिए गए अनुसार रहा है :

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
अप्रैल 2000–मार्च 2001	5087.0
अप्रैल 2001–मार्च 2002	4618.7
अप्रैल 2002–मार्च 2003	5031.5

(ग) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–फरवरी, 2003–2004 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात 4946.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2002 की इसी अवधि के दौरान 4746.4 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात हुआ, इस प्रकार 4.2% की वृद्धि दर्ज हुई।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के बुनकरों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांगी गई रियायतें

644. **श्री किन्जरपु येरननायडू** :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के बुनकरों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा असंगठित क्षेत्र के हथकरघों, हस्तशिल्पों और विद्युत करघों को पुनर्जीवित करने हेतु कतिपय रियायतों और उपायों की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय को आंध्र प्रदेश बुनकरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें हथकरथा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क को बंद करने तथा यार्न बैंक खोलने की मांग इत्यादि शामिल है। 1.3.2002 से हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क की छूट बंद करने के साथ भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने वर्ष 2002–03 के दौरान 299.25 लाख कि.ग्रा. निःशुल्क यार्न तथा वर्ष 2003–04 के दौरान 141.61 लाख कि.ग्रा. निःशुल्क यार्न की आपूर्ति की। इसमें से वर्ष 2002–03 में 10.35 लाख कि.ग्रा. यार्न की आपूर्ति आंध्र प्रदेश को की गई तथा वर्ष

2003–04 के दौरान 14.16 लाख कि.ग्रा. निःशुल्क यार्न की आपूर्ति आंध्र प्रदेश को की गई। बुनकरों को हैंक यार्न की आपूर्ति हेतु देश में 94 यार्न डिपो स्थापित किए गए हैं। इनमें से 15 डिपो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

काजू बोर्ड

645. श्री पी. करुणाकरन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास काजू बोर्ड गठित करने की कोई योजना है, जिसका मुख्यालय केरल में स्थित होगा; यदि हां, तो काजू बोर्ड गठित करने हेतु क्या तौर–तरीके निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास काजू क्षेत्र के लिए किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की कोई योजना है; यदि हां, तो उक्त पैकेज का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

एन.टी.सी. कामगारों के लिए वेतनमान

646. श्री बसेदुव आचार्य : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एन.टी.सी. कामगारों के वेतनमान और महंगाई भत्ते में उनके समकक्ष निगमित कार्यालयों के समान संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें कामगारों के दो वर्गों के बीच 642 प्रतिशत तक विसंगति होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) निगमित कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन के समान वेतन का दावा करते हुए लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघों द्वारा दायर 1996 की सिविल अपील सं. 14572 में माननीय उच्च न्यायालय के 14.10.2003 के आदेशों के अनुसरण में सरकार ने निम्नलिखित राहतों का निर्णय लिया है :

(1) उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावित कर्मचारियों का मूल वेतन में निम्नलिखित राशि शामिल करके 1.4.2004 से निर्धारित किया जाए।

(i) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन + तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो + एचसीए (कुछ कर्मचारियों को 30/– से 45/– प्रतिमाह की दर पर देय उच्च लागत भत्ता), यदि कोई हो।

(ii) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार तदनरूपी मंहगाई भत्ता।

(iii) यदि 1987 से कोई संशोधन न हुआ हो, तो (i)+(ii) का 20%।

(2) नया मूल वेतन संशोधित वेतनमान में मूल वेतन को रखकर निर्धारित किया जाएगा, जो एनटीसी द्वारा तैयार किया जाएगा।

(3) मंहगाई भत्ता 1708 से अधिक के तिमाही औसत सूचकांक से ऊपर प्रत्येक प्वाइंट की वृद्धि के लिए किया जाएगा जैसा कि आईडीए कर्मचारियों को 100 प्रतिशत निष्क्रयकरण आधार पर 1.4.2004 से दिया जा रहा है। मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोडो हथकरघा उत्पादों हेतु केन्द्रीय निधि

647. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य आदिवासी लोगों के हथकरघा उत्पादों और वस्त्रों को दिए जा रहे संरक्षण की तरह ही स्वदेशी बोडो (आदिवासी) हथकरघा उत्पादों और वस्त्रों के संवर्धन, विकास और निर्यात हेतु आवश्यक केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है ताकि बेरोजगार बोडो नवयुवकों की चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं को पूरा किया जा सके?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) देश के आदिवासी लोगों के हथकरघा उत्पादों एवं वस्त्रों के विकास, संवर्धन एवं निर्यात हेतु कोई विशेष हथकरघा योजना नहीं है। वर्तमान में हथकरघा क्षेत्र में संचालित निर्यात योजना सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी हथकरघा सहित सामान्यतया हथकरघा का संवर्धन एवं विकास करना है। जब इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब भारत सरकार स्वदेशी बोडो आदिवासी हथकरघा उत्पादों के संवर्धन, विकास एवं निर्यात हेतु समुचित योजना के तहत आवश्यक केन्द्रीय सहायता मुहैया करवाने पर विचार करेगी।

मुख्यालय का स्थानान्तरण

648. श्री सुनील खां :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री धमेन्द्र प्रधान :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सी.आई.एल. और डी.वी.सी. कार्यालय को कोलकाता से रांची स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे कदम के कारण राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों ने अनेकों खानों के लिए पट्टों का नवीकरण करने से इनकार कर दिया है;

(घ) क्या सी.आई.एल. का कार्यालय कोलकाता से रांची स्थानांतरित किए जाने से सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या कार्यालय स्थानांतरित करने से कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कर्मचारियों से परामर्श किया है?

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : (क) सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और एक उपयुक्त निर्णय सभी मुद्दों पर उचित विचार-विमर्श के पश्चात् लिया जाएगा।

(ख) से (छ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

व्यापार केन्द्र

650. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजरायल को देश में व्यापार केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा केन्द्र देश में कब तक स्थापित होने की संभावना है और इस केन्द्र को कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे व्यापार केन्द्र स्थापित किए जाने के क्या उद्देश्य हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हस्तशिल्प व्यापार में वृद्धि

651. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के व्यापार में राज्य-वार कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या हस्तशिल्प व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लागू की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) हस्तशिल्प के संबंध में राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि, हाथ से बुने कालीनों सहित, हस्तशिल्प निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है :

क्रमांक	वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)	%
1.	2001–02	9205.63	(–) 0.70
2.	2002–03	10933.67	+ 18.77
3.	2003–04	12765.18	+ 16.75

(ख) और (ग) हस्तशिल्प व्यापार में संवर्धन हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय "निर्यात संवर्धन" योजना कार्यान्वित करता है जिसमें निर्यात योग्य उत्पादों का विकास एवं संवर्धन, बाजारों की पहचान, मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार आदि शामिल हैं। अन्य संवर्धनात्मक उपायों में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला/कालीन एक्सपो का आयोजन तथा विदेशी क्रेताओं को पूरे वर्ष विपणन आऊटलेट उपलब्ध करवाने हेतु ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजीशन मार्ट की स्थापना करना शामिल है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 83/04]

(2) भारतीय कपास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 84/04]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश 2004 जो 27 फरवरी 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 270 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 85/04]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी–संस्करण)

(एक) पर्यावरण न्यायालयों के गठन के प्रस्ताव के बारे में 186वां प्रतिवेदन–सितंबर, 2003

(दो) मृत्युदंड के निष्पादन की विधि और आनुषंगिक विषयों के बारे में 187वां प्रतिवेदन–अक्तूबर, 2003

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 86/04)

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा 3 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2004, जो 20 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 87/04]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसंबर, 2002 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित 32वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 88/04]

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : ये दागी मंत्रियों में शामिल हैं, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और इन्हें मान्यता नहीं देते।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 3447, जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–1994 से 1995–1996 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 3448 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री अरविन्दो सोसायटी, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2004–2005 से 2006–2007 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3449 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–1997 से 1998–1999 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 3450 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3451 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इएएन–इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3452 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रोसरी मार्किट्स एंड शाप्स बोर्ड्स, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 3453 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रोसरी मार्किट्स एंड शाप्स बोर्ड्स, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3454 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर, राजस्थान" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3455 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–1998 से 1999–2000 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3456 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)

के अंतर्गत "जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन रिहैबिलीटेशन फंड, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3457 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ ाि तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एग्जीबिशन सोसायटी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3458 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री गाडगे महाराज मिशन, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3459 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ऑल बंगाल वूमेन्स यूनियन, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3460 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 3461 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992–1993 से 1994–1995 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3462 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "अन्नपूर्णा महिला मंडल, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3463 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1986–1987 से 1988–1989 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 3464 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारतके राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग इस्टब्लिस्मेंट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–1994 से 1995–1996 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 3469 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2004–2005 से 2006–2007 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3470 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल स्टाक एक्सचेंज निवेशक सुरक्षा निधि ट्रस्ट, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–1997 से 1998–1999 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 300 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ, वाशी, नवी मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–1998 से 1999–2000 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 301 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989–1990 से 1991–1992 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 302 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 303 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सदर्न हेल्थ इम्प्रूवमेंट समिति, पोस्ट आफिस भांगर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 304 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हिज होलिनेस दि दलाई लामाज चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 305 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल चिल्ड्रस फंड, 5, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–1994 से 1995–1996 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 306 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कर्नाटक चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल रिलीफ सोसायटी, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 307 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल चिल्ड्रन्स फंड, 5, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, होज खास, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–1991 से 1992–1993 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 308 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम, वर्धा (महाराष्ट्र)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 313 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 314 जो 14 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स वार हिरोज रिलीफ फंड, पंचकुला" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 702 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल चिल्ड्रन्स फंड, हौज खास, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 703 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ज्योर्तिमठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री गुरु पादुका भवन, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 704 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि हिन्दू वूमन्स वैलफेयर सोसायटी श्रद्धानंद महिला आश्रम, मटुंगा (ईस्ट) मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 705 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेंटर फार सोशल स्टडीज, सूरत' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–1996 से 1997–1998 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छतीस) का.आ. 706 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामकृष्ण अभेदनन्दा मिशन, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 715 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि बार कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–1998 से 1999–2000 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 716 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 717 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री अहोबिला मठ संस्कृत विद्या अभिवर्धिनी सभा, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 718 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंडो–जापान सेंटर, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 719 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 720 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आंध्र प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992–1993 से 1994–1995 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 721 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 722 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मराठा मंदिर मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 723 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आंध्र प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–1996 से 1997–1998 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 727 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मैसूर रीसेटलमेंट एण्ड डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 728 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मीडिया लैब एशिया, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 729 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आंध्र प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989–1990 से 1991–1992 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 730 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर (राजस्थान)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 731 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 732 जो 27 मार्च, 2004 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आगा खां रूरल प्रोग्राम सपोर्ट (इंडिया), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 733 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंस्टीट्यूट फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 169(अ) जो 6 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम की धारा 80–ाग के अंतर्गत सिक्किम राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को आयकर से छूट का लाभ प्राप्त करने संबंधी अधिसूचना के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवन) का.आ. 205 (अ) जो 19 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 169(अ) का शुद्धि–पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचपन) का.आ. 400 (अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम की धारा 80–ाग के अंतर्गत पूर्वोत्तर में औद्योगिक क्षेत्रों को आयकर से छूट का लाभ प्राप्त करने संबंधी अधिसूचना के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छप्पन) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2004 जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 434(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तावन) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2004 जो 20 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी–89/2004]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 133(अ) जो 24 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 138(अ) जो 26 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 150(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 152(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या 105/99–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 156(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 199(अ) जो 18 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 211(अ) जो 23 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 201(अ) जो 19 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मानव, पशु तथा वनस्पति जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में है तथा उनके द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के भारत में आयात और उसके भारत से बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 191(अ) जो 12 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 233(अ) जो 24 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 234(अ) जो 24 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 236(अ) जो 25 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 284(अ) जो 3 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 361(अ) जो 16 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ. 393(अ) जो 25 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 394(अ) जो 25 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 489(अ) जो 12 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 537(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 538(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 631(अ) जो 26 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 632(अ) जो 26 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 2004 जो 23 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 132(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 145(अ) जो 26 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 159(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2004 जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) (संशोधन विनियम, 2004 जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 161(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 162(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचनाओं संख्या 44/2003–सी.शु. (एनटी) से 51/2003–सी.शु. तथा 1 अगस्त, 2003 की अधिसूचनाओं संख्या 60/2003 सी.शु. और 61/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 164(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 165(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 166(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 239(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2002–सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2004

जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 240(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 242(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचनाओं संख्या 44/2003–सी.शु (एन.टी.) से 51/2003–सी.शु. तथा 1 अगस्त, 2003 की अधिसूचनाओं संख्या 60/2003–सी.शु. और 61/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 244(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि. 246(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका दिनांक 21 जून, 2004 का एक शुद्धि पत्र तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि. 293(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003–सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन नियम 2004 जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) विशेष आर्थिक जोन (सीमा–शुल्क प्रक्रियाएं) (संशोधन) विनियम 2004 जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा.का.नि. 296(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 44/2003–सी.शु. (एन.टी.) से 51/2003–सी.शु. और 1 अगस्त, 2003 की अधिसूचना 60/2003–सी.शु. और 61/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा.का.नि. 298(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा.का.नि. 300(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम 2004 जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) विशेष आर्थिक जोन (सीमा–शुल्क प्रक्रियाएं) (चौथा संशोधन) विनियम 2004 जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 306(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 307(अ) जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राजस्थान राज्य में जोधपुर में बोरानाडा विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) सा.का.नि. 308(अ) जो 11 मई. 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोलकाता में साल्ट लेक में मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनचास) सा.का.नि. 309(अ) जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद में मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचास) सा.का.नि. 81(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पुराने कम्प्यूटरों के शुल्क मुक्त आयात हेतु आदाताओं की सूची के विस्तार के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्यावन) सा.का.नि. 82(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बावन) सा.का.नि. 311(अ) जो 12 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सोने और चांदी के आयात पर रियायती शुल्क दर की अनुमति दी गई है जब डाक, कोरियर अथवा असबाब के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से इनका भारत में आयात किया जाये, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तिरपन) सा.का.नि. 314(अ) जो 14 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित सत्रह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवन) कोरियर आयात और निर्यात (क्लीयरेंस) संशोधन विनियम 2004 जो 17 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचपन) कोरियर आयात और निर्यात (क्लीयरेंस) (दूसरा संशोधन) विनियम 2004 जो 15 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छप्पन) सा.का.नि. 376(अ) जो 22 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तावन) सा.का.नि. 117(अ) जो 16 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 31/86–सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 90/04]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 102(अ) जो 6 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना

संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 153(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 157(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 210(अ) जो 23 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 144(अ) जो 26 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 163(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 167(अ) जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. और 59/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 243(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 247(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. और 59/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 297(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 301(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. और 59/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 310(अ) जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 58/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 98(अ) जो 4 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 122(अ) जो 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जो सहायक

आयुक्त के रैंक से नीचे के नही हैं, को सशक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 139(अ) जो 26 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापनं

(सोलह) सा.का.नि. 350(अ) जो 3 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 43/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 973(अ) जो 31 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इनमें उल्लिखित इंटरमीडिएट गुड्स, जो नकली जेवरात बनाने के दौरान वांछित हैं और जिन पर 1 अप्रैल, 1996 से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क नहीं लग रहा था, के संबंध में देय पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 360(अ) जो 15 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 91/04]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 108(अ) जो 9 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इथलीन प्रोपीलीन डीयने रबर पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अपनी मध्यावधिक समीक्षा में संस्तुत प्रतिपाटन शुल्क की दरों में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 109(अ) जो 9 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 सितंबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 122/2000–सी.शु. को रद्द करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 110(अ) जो 9 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चायनीज ताईपेयी में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रीन वेनीर टेप पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 127(अ) जो 20 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और ताइवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 151(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 दिसंबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 123/2001–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 250(अ) जो 2 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 267(अ) जो 19 अप्रैल, 2004 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित टाइटेनियम डाईआक्साइड–अनाटासे ग्रेड पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 268(अ) जो 19 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लास्टिक ऑप्थैल्मिक लेंसों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 269(अ) जो 19 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 सितंबर, 2003 की अधिसूचना सं. 139/2003–सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 274(अ) जो 20 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर पोलैंड, सऊदी अरब, रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आक्सो अल्कोहल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 302(अ) जो 5 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 4 जून, 2003 की अधिसूचना सं. 89/2003–सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 354(अ) जो 10 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 नवंबर, 2003 की अधिसूचना सं. 167/2003 सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 92/04]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 101(अ) जो 5 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी टूर आपरेटर द्वारा किसी टूर के लिए दी गई कर योग्य सेवाओं पर उद्ग्रहणीय सेवा कर को ऐसे ऑपेरटर द्वारा किसी व्यक्ति से प्रभारित सकल धनराशि के दस प्रतिशत पर आकलित राशि तक सीमित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 नवंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 17/2002–सेवा कर का स्थान लेना है ताकि एसईजेड डेवलपर को तथा एसईजेड में सभी इकाइयों को प्रदान की गई सभी कर योग्य सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 93/04]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 4 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2667/पीडी/एसडब्ल्यूडी/पीईएन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 23 नवंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीबीडी/पीसी/2002–03/1 में प्रकाशित हुए थे तथा उनके शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 3 मई, 2003 की अधिसूचना सं. टीबीडी/पीसी/2002–03/3 और 4 अक्तूबर,

2003 की अधिसूचना संख्या टीबीडी/पीसी/2003–04/01 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2001 जो 5 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/पीए एंड पीडी/पीईएनएस/1335 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि पत्र जो सितंबर, 2003 की अधिसूचना सं. 27 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 27 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:एचआरएम:95:ई1:आरईजी:28 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 6 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/आईआरडी/ 614/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 9 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमिन 5/7771 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 29 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीबीडी/पीसी/2003–04/02 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 17 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस:228ए:6488:पीएस में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 24 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/पीईएन/001/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 20 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईएन:1:2003 में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (5) की मद सं. (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 94/04]

(8) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्यात–आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2004 जो 29 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफसं. 11/4/95–आईआर और 11/2/98–आईआर/सं. एक्जिम/सर्विस/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 95/04]

(9) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डिपोजिट इंश्योरेन्स एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 96/04)

(10) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) साधारण बीमा अधिकारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, 2004 जो 1 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 7 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, 2004 जो 1 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 8(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) भारतीय साधारण बीमा निगम अधिकारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, 2004 जो 2 अप्रैल, 2004 के भारत के राजत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 454(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) भारतीय साधारण बीमा निगम कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, 2004 जो 2 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 455(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 97/04]

(11) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (यात्रा पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 98/04]

(12) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत 30 जून, 2001 को समाप्त हुई अवधि के लिए 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ हाउसिंग इन इंडिया' संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 99/04]

(13) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत 30 जून, 2002 को समाप्त हुई अवधि के लिए 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ हाउसिंग इन इंडिया' संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 100/04]

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : 1986 की बात अभी रखी जा रही है, 1986 का इंकम टैक्स में रियायत देने का मामला अब इतने वर्षों के बाद लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे समिति के विचारार्थ भेज दिया जाएगा। जब सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन किया जाएगा, तब आपका मामला समिति के विचारार्थ भेज दिया जाएगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : 1986, 1988 और 1989 का इंकम टैक्स का मामला अभी तक किया जा रहा है। कमेटी तो जब बनेगी, तब बनेगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, तब तक इसका उत्तर कौन देगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों को समिति के विचारार्थ भेजा जाता है। कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 101/04]

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 102/04]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 103/04]

(4) (एक) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 104/04]

(6) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 105/04)

(8) (एक) काउन्सिल फार लेदर एक्सपोर्टस चेन्नई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्टस चेन्नई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 106/04]

(9) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 107/04]

(11) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 108/04]

(13) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 109/04]

(14) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 110/04]

(15) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अण्डा उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 जो 19 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 जो 19 दिसंबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1444(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ड्रायड फिश निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2003 जो 31 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 233 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 111/04]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 12 जुलाई, 2004 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. "सामान्य राजस्व और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर" के निर्धारण हेतु एक नई रेल अभिसमय समिति (चौदहवीं लोक सभा) के गठन के लिए रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा तथा स्वीकृत करना।

3. सामान्य बजट, 2004–05 पर सामान्य चर्चा।

4. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर पुरःस्थापन, विचार और पारित करना :

(क) वर्ष 2004–05 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य);

(ख) वर्ष 2001–02 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अलगे सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय और जोड़े जायें :

1. राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये;
2. जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की स्थापना व जयपुर में पर्यटक कॉम्पलैक्स की स्थापना व झालावाड़ में बड़ा पर्यटक स्थान विकसित किया जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय और जोड़े जाएं :

1. चाय बागानों में कामगारों को होने वाली समस्याएं।
2. चालू बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक का पुरःस्थापन और उसे पारित करना।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

1. छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के चकरभाठा हवाई पट्टी का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर रेलवे जोन मुख्यालय, कमिश्नर आफिस, एस.ई.सी.एल. कोल का मुख्यालय, कोरबा विद्युत तापगृह, दगौरी स्पंज कारखाना इत्यादि के यात्रीगण अन्यत्र यात्रा की जाने से वंचित हैं।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से पौड़ी (मुगेली) मंडला राजमार्ग को नाबार्ड योजना या विश्व बैंक सहायता की राशि से स्वीकृत कर राष्ट्रीय मार्ग बनाने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ जायें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये :

1. अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के अपनाए जाने से भारतवर्ष में कृषि घाटे का मानव अध्यवसाय हो गया है। अतः इस विषय पर व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता है।
2. बदलती हुई परिस्थितियों में सरकार लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जहां एक तरफ आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे रही है वहीं भारतवर्ष में उपलब्ध मानव संसाधनों की उपयोगिता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार नहीं लागू कर पा रही है।

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय और जोड़े जायें :

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवादों के परिणामस्वरूप दोनों राज्यों के किसानों के बीच बढ़ते तनाव को सुलझाने के संबंध में काफी समय से लंबित दीक्षित पंचाट का कार्यान्वयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति। अतः केंद्र सरकार मामले में हस्तक्षेप करे तथा और आगे विलंब किये बिना पंचाट का कार्यान्वयन करें।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़ा जाये :

राज्यों में भू–सुधार नीति के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

1. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल–भराव

(जलमग्न) के कारण किसानों की खेती योग्य हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं इनमें विशेष रूप से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में बरना नदी एवं कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में अलवारा झील है।

2. उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन असिंचित है जो नहरी कमांड में है। लेकिन नहरों में पानी 35–40 वर्षों से नहीं आ रहा है। नलकूप नहीं लग सकते हैं। प्रस्तावित यमुना नदी जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में सैदपुर एवं गुशैली सिंचाई लिफ्ट परियोजना का निर्माण हो।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय और जोड़े जायें :

1. सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों उदाहरणतः एच.एस.सी.एल. दुर्गापुर एकक में 43 माह से, बोकारो एकक में पांच माह से तथा बी.ओ.जी.एल. में छः माह से कामगारों के काफी समय से बकाया वेतन और सांवधिक बकाया की आवश्यकता।

2. युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय लेने का कष्ट करें।

1. भारतवर्ष की कुल आबादी में 25 वर्ष से नीचे की आयु के 54 परसेंट नौजवान हैं जिन पर देश की आशाएं हैं। इस आयु वर्ग की रोजगार शिक्षा हेतु विशेष दर्जे की आवश्यकता है।

2. गिरता हुआ भू जल स्तर आज सर्वाधिक चिंता का विषय है। कृपया गिरते हुए भू जल स्तर को ऊपर करने हेतु सुझावों पर चर्चा कराई जाये।

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 7 जुलाई, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 जुलाई, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, कल यद्यपि बजट का दिन था तब भी आपने मेरे अनुग्रह पर मुझे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में सवाल उठाने का अवसर दिया। मैंने उस समय मांग की कि अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक स्थिति पर सरकार वक्तव्य दे कि वहां स्थिति क्या है? अब मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि आज राज्य सभा में गृह मंत्री औपचारिक रूप से वक्तव्य देने वाले हैं।

[अनुवाद]

मैंने देखा है कि राज्य सभा की कार्य सूची में यह कहा गया है कि श्री शिवराज विश्वनाथ पाटिल...

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे सदन की बात कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दूसरे सदन का उल्लेख केवल यह बताने के लिए...

[हिन्दी]

क्योंकि श्री गुलाम नबी आजाद बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री इस बात की हमेशा सावधानी बरतते हैं कि अगर कोई वक्तव्य होना है तो दोनों सदनों में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरे सदन में वक्तव्य हो और यहां न हो, खासकर जब यहां कल मांग की गई थी और मैं मानता था कि सरकार उसके बारे में वक्तव्य देगी। इसलिए मेरा दोनों बातों का आग्रह है—एक तो इस बात पर आज ही यहां वक्तव्य होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का ओमिशन कभी नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदन में वक्तव्य की घोषणा हो जाए और बाकायदा छपा हुआ है।

[अनुवाद]

यह राज्य सभा की संशोधित कार्य सूची में है कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। वहां इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। क्या वे यहां पर हैं? आप अपने आपको उनसे संबद्ध करें। आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, यहां एक वक्तव्य दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यहां एक वक्तव्य दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कल अध्यक्षपीठ ने सभा से उठने से पहले स्वतः ही सरकार को निदेश दिया कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य दें। इसलिए यह न माना जाए कि यह सरकार द्वारा स्वतः ही दिया गया है। यह निदेशानुसार किया गया। परंतु हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस सदन में भी वक्तव्य देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यद्यपि यह स्वतः ही दिया गया नहीं हो सकता तथा यह अध्यक्षपीठ के निदेश पर दिया गया है। यह एक सुस्थापित प्रथा है कि यदि किसी एक सदन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई औपचारिक वक्तव्य दिया जाए तो वह अनिवार्यतः दूसरे सदन में भी दिया जाए और विशेष रूप से तब जब यहां पर यह मुद्दा उठाया गया हो।

अध्यक्ष महोदय : वे पहले से ही सहमत हैं। मंत्री जी क्या आप आज ही वक्तव्य देंगे?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह आज ही होगा।

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य में एक गंभीर मामला सामने आया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पढ़ लेने दो। कार्य सूची पहले ही से यहां पर है। मैंने योगी आदित्यनाथ को बोलने के लिए बुलाया है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं। मैंने 'शून्य काल' में बोलने के लिए एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बुलाया है।

श्री अनंत कुमार : यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका मामला स्वीकार्य है। मैंने आपको बता दिया है।

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह उस तरह से नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पढ़ लेने दीजिए। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपको पहले मेरी बात सुनने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन नामों को देख लेने दीजिए जो पहले से ही यहां हैं। मैंने आपके दल के सदस्य को बुलाया है।

योगी आदित्यनाथ, आप मद संख्या 1 पर बोलें। मद संख्या 2 चर्चा में शामिल की जा चुकी है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान रेल मंत्रालय में भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया संगठनों के गठजोड़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका ताजा नमूना गोरखपुर का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है। पिछली सरकार ने नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह जीरो आवर है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने पहले बताया है कि यह मामला सूची में नहीं है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उस आधार पर विपक्ष के नेता को बुलाया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : स्टेशन का भवन बनकर तैयार हो चुका है, प्लेटफार्म बनकर तैयार हो चुका है लेकिन मानसून की प्रथम बारिस में ही पूरा स्टेशन ध्वस्त हो गया। रेल मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो फर्म पहले ब्लैक–लिस्टेड थी, जिस पर तमाम प्रदेशों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं के धन को गलत तरीके से आहरित करने के आरोप थे, उस फर्म को यह कार्य दिया गया जिसका परिणाम है कि पहली बारिश में पूरा स्टेशन ध्वस्त हो गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सबकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक का मामला बहुत ही गंभीर है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें विशेष बात यह है कि एक भूतपूर्व सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता तेलगी घोटाले में लिप्त हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी को बोलने का अवसर दे रहा हूं।

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : उन्होंने 20 करोड़ रुपये एकत्रित किए और वीरप्पन को दिए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही मुझे यह नोटिस मिला, मैंने विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर दिया है।

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। हमारी मांग यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस आरोप की जांच करे।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते?

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इसे देख लेने दो। माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं।

....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अति तत्कालिक मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी मामले को कम नहीं आंक रहा हूं। सभी मामले महत्वपूर्ण हैं। मैं इस मामले को भी लूंगा। कृपया धैर्य रखें। यहां सभी आपके सहयोगी हैं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हाल ही में संसद में कृषि मंत्री की ओर से एक उत्तर दिया गया था कि यह पता चला है कि केरल में किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की है। वस्तुतः जैसा कि कुछ समय पहले बताया गया था कि वायनाड जिले में 91 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कासरगोड़ जिले में मैं अत्यधिक शोक–संतप्त परिवारों से मिला हूं।

महोदय, केरल सरकार ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि वहां आत्महत्या की कोई भी घटना नहीं घटी। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। अतः प्रक्रिया नियमों के नियम 222 के अंतर्गत मैंने विशेषाधिकार की सूचना भी दी है। उस पर विचार किया जाए क्योंकि यदि केरल सरकार ने सही ब्यौरे नहीं दिए हैं तो हमें सही जानकारी होनी चाहिए। यदि सदन में दी जाने वाली जानकारी गलत है और गुमराह करने वाली है तो इस प्रकार दिए गए उत्तर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय : हम आपके निवेदन पर विचार करेंगे।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उस नोटिस पर क्या कार्यवाही की गई है या क्या कार्यवाही हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय : यह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, हम इस मामले में देखेंगे।

श्री पी. सी. थामस : नोटिस पहले ही दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : जब वह मेरे पास आएगा तब मैं उसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब ये लोग सरकार में थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन कर रहा हूं। जब ये लोग सरकार में थे तब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई थी और इस सरकार के आते ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके पीछे एक ही तर्क दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गये हैं। जैसे–जैसे दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि मिसाल के तौर पर प्रदेशों की सरकारों ने बिजली की दरें बढ़ानी शुरू कर दीं तथा भारत सरकार ने कोयले के दाम बढ़ा दिये। क्या ईंधन के स्रोतों को स्वतंत्र बाजार की दया पर छोड़ा जा सकता है? असल और बुनियादी सवाल यह है कि हमारे देश में कोई ईंधन नीति नहीं है। इसी सदन में जब श्री राम नाईक जी पेट्रोलियम मंत्री थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि पेट्रोल की जो बेसिक कीमत है, वह 13–14 रुपये प्रति लीटर है। जो कीमतों में बेशुमार वृद्धि हो रही है, उसका प्रमुख कारण यह है कि केन्द्र और राज्य सरकार के टैक्सेज इतने ज्यादा हैं कि ये कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कीमतें हैं, केन्द्र सरकार के 16 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 1.50 प्रतिशत और 6 प्रतिशत प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स हैं और राज्य सरकार के 8 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक टैक्स हैं। उसी का कारण है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, आसमान को छू रही हैं, इससे गरीब आदमी प्रभावित होता है और जो सीधा पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग भी नहीं करता है, उसको भी इसका कोपभाजन बनना पड़ता है क्योंकि जब यातायात का दाम बढ़ता है और ढुलाई का दाम बढ़ता है तो जो आवश्यक चीजें हैं, उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक ईंधन नीति तैयार करे। सरकार सुनिश्चित करे तथा इस बारे में गंभीरता से विचार करे कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के जो बेशुमार टैक्सेज हैं, उनमें कमी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि हम बहुत से विषयों पर चर्चा कर सकें।

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

तहलका टेप मामले में फोरेंसिक लेबोरेट्री, लंदन द्वारा रिपोर्ट जारी किये जाने के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, तीन वर्ष पूर्व तहलका द्वारा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। महोदय, तहलका के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि प्रयोग किए गए टेपों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। परंतु अप्रैल माह में लंदन की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया कि टेपों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने पाया कि ये टेप असली हैं।

महोदय, हमने देखा है कि 'फस्ट ग्लोबल' के पत्रकारों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किस प्रकार से बार–बार परेशान किया गया। महोदय, इस रहस्योद्घाटन के तुरंत बाद इस सदन में कार्रवाई की मांग की गई थी, परंतु उन व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो भ्रष्टाचार के इस मामले में लिप्त थे।

महोदय, मैं न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, लंदन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी जो रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' बोलेंगे।

....(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस मुद्दे का उत्तर देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसका निर्णय लेना पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, उसका क्या हुआ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सरकार को इस पर रिस्पांड करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, सरकार को मुद्दे का उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रक्षा मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। महोदय, रक्षा मंत्री को इस विषय पर उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि सरकार किसी विषय पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मैंने माननीय सदस्यों की बातों और उनकी टिप्पणियों को नोट कर लिया है और उचित समय आने पर जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें इस सम्माननीय सदन को विश्वास में लिया जाएगा। तदनुसार, सभा से सम्यक् संवाद स्थापित किया जाएगा और उन्हें इस बारे में समुचित सूचना दी जाएगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सदन के नेता इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने इस सदन में अपने बजट में यह घोषणा की थी कि बिहार को 3225 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय सम–विकास योजना में विशेष पैकेज दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मुझे भी इसी विषय पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। पहले उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सच्चाई यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रीय सम–विकास योजना में बिहार राज्य को चार हजार करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें से एक हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। हम वित्त मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि ये 3225 करोड़ रुपये की जो घोषणा उन्होंने की है, यह उन चार हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त है या उसी में निहित है? अगर यह उसी का भाग है तो यह बिहार के साथ अन्याय है, क्योंकि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जब बिहार राज्य को चार हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, तब लालू जी ने बयान दिया था कि यह पैकेज राष्ट्रीय सम–विकास योजना के तहत दिया गया पैकेज है, विशेष पैकेज नहीं है। इसलिए वही राशि विशेष पैकेज के रूप में कैसे घोषित की गई और यह करके ये लोग अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से चाहेंगे कि वह इसको स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह आप अपने आपको श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और आपको उन्हें भड़काना नहीं चाहिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विषय है। आप माननीय सदस्य को परेशान क्यों कर रहे हैं?

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया आप अपने आपको उन माननीय सदस्य के साथ संबद्ध कर दें जो आपसे पहले इस विषय पर बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय प्रश्न काल शुरू हुआ था, तब भी मैंने यह सवाल उठाया था और अभी हमारे साथी राजीव रंजन जी ने भी यह सवाल उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको भी मौका दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं अपने को उनसे संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं, एक संशय की स्थिति बनी हुई है, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह पैसा किस मद के तहत दिया गया है। पूर्व की सरकार ने जो पैसा दिया था, उसमें से कुछ खर्च भी हुआ, क्या उसी में से काटकर दिया गया है या जो स्वीकृत हुआ था, उसके अलावा दिया गया है इसलिए कृपया वित्त मंत्री जी को सदन में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, तो यह बिहार की जनता के साथ धोखा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही उग्र हो जाते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : बिहार की जनता जानना चाहती है कि वित्त मंत्री जी ने जो यह घोषणा की है, जो पैकेज दिया है, क्या वह पुराने पैकेज का ही रूप है या कोई नया पैकेज देने जा रहे हैं? वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसको स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रतिक्रिया तत्काल दी जाए या नहीं, यह पूरी तरह माननीय मंत्री पर निर्भर करता है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह बिहार की जनता के साथ सीधे धोखाधड़ी का सवाल है, इसलिए वह स्पष्ट करें कि बिहार को जो पैसा दिया है, वही पुराना है या कोई अतिरिक्त दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही माननीय सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते हैं। एक बार में कोई एक ही बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उन्हें कहें कि वे इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी को चाहिए कि इस पर स्पष्टीकरण दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुनी है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। निःसंदेह सरकार इस पर विचार करेगी। अब, मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने का मौका देता हूं। निश्चय ही, सरकार इस पर विचार करेगी, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैंने आपको पूरा मौका दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में छात्रों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मामला गंभीर होता जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में केवल श्री शैलेन्द्र कुमार की टिप्पणियां सम्मिलित की जाएंगी और इसके अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। कृपया हर मामले में खड़े न हों।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो बहुत ही अनुभवी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी बात रखी है। आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? आप उनकी बातों में अड़चनें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उससे मैं श्री नीतीश कुमार को भी संबद्ध होने की अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

....(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, हम मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या यह पैकेज केवल बिहार के लिए है या फिर इससे जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों को भी फायदा होगा और बिहार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, आपको तो प्रक्रिया मालूम है। मैंने उन्हें बोलने का पूरा अवसर दिया है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बिहार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। बगैर किसी सूचना के मैं श्री नीतीश कुमार को इस विषय पर बोलने का मौका दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय राजीवरंजन सिंह जी ने और माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने उठाया है, उसके साथ मैं अपने को संबद्ध करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अंतर्गत बिहार को विशेष पैकेज दिया गया था और जब बिहार का पुनर्गठन हुआ था तभी यह वायदा किया गया था तथा उसी के आधार पर राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने बिहार को पैकेज दिया था। उस समय माननीय लालू प्रसाद जी ने जो यहां बैठे हुए हैं कहा था कि राष्ट्रीय सम–विकास योजना तो राज्य का विषय है और अगर इसके अंतर्गत आपने कुछ दिया भी है तो वह पैकेज नहीं है।

पहली बात तो यह है कि जो एनडीए की सरकार ने राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अंतर्गत बिहार को पैकेज दिया था क्या उसी पैकेज को मान्यता आप फिर से दे रहे हैं यह घोषणा करके कि राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अंतर्गत ही पैकेज दिया गया है। एक तो यह बात स्पष्ट करें। दूसरा,

जिस पैसे की स्वीकृति की गई और जिसका कुछ हिस्सा खासकर पावर सैक्टर के लिए सब–ट्रांसमिशन के लिए दिया गया और गर मुझे फिगर्स याद हैं तो संभवतः 365 करोड़ रुपया रिलीज भी हुआ था और शायद इस पर बिहार विधानमंडल में बिहार के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र भी किया था। इसलिए माननीय सदस्यों का स्पष्टीकरण मांगना वाजिब है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह वही पैकेज है या दूसरा पैकेज है।

तीसरी बात, बिहार के विधानमंडल से पारित करके बिहार की सरकार ने मांग की थी कि 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए। उस पैकेज का क्या हुआ? बिहार में इस चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने इसे अपने कंपेन में उठाया कि हमने केंद्र सरकार से इतनी मांग की थी लेकिन हमें नहीं मिला। हमें यह जानने का अधिकार है कि 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का क्या हुआ? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये की मांग ओर ऐलान 3 हजार 225 करोड़ रुपया और उसमें भी स्पष्टता नहीं है कि यह पुराने वाला पैसा है या उसके अतिरिक्त है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। यह उचित अवसर है, इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बता दी है। यह वाद–विवाद का समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, डिबेट की बात नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने बजट भाषण में इसके बारे में पूरी चर्चा की है। अब वे इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या यह वही पैकेज है या उसके अतिरिक्त है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे बोल सकते हैं। अगर वे नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि पहले वाले की ही उन्होंने घोषणा की है।...*(व्यवधान)* अगर वे नहीं बोल रहे हैं तो साफ हो गया है कि यह वही पहले वाला पैकेज है और उनकी घोषणा एक ढपोरशंखी घोषणा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुन ली है। धन्यवाद नीतीश जी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद है। आपने हमें समय देकर पुरानी परंपरा का पालन किया है। बिना नोटिस के आप लोगों को संबद्ध करते रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जैसा चाहें समझ सकते हैं। मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने का मौका दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इसका स्पष्टीकरण दिलवाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आपको पूरा मौका दिया है और नीतीश जी को भी बिना किसी सूचना के। मैंने बिना किसी सूचना के आपको पूरा मौका दिया है क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार : सच्चाई सामने आ गई है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में आज छात्रों के लिए प्रवेश लेना कठिन होता जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह समान प्रवेश नीति को लागू करे। सर्वशिक्षा अभियान शुरू हो और चाहे गरीब बच्चे या मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के बच्चे–सब एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। पूरे देश के लिए यह एक गम्भीर मामला है। इन वर्गों के बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों या स्कूलों में जो आरक्षण लागू है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्कूलों में प्रवेश नीति को सरल बनाते हुए समान शिक्षा नीति के तहत अभियान शुरू किया जाए, जिसमें सभी को प्रवेश मिल सके और सब शिक्षा ग्रहण कर सकें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान

अपने संसदीय क्षेत्र की ओर दोबारा दिलाना चाहता हूं। तीन दिन पहले यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हुआ है। श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग संख्या 58 पर प्राकृतिक आपदा की वजह से जान व माल की क्षति हुई है। ऐसा बताया जाता है कि 30–40 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और बहुत सारी गाड़ियां नदी में बह गई हैं तथा 500 मीटर का यह राजमार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। करीब तीन से पांच हजार लोग तीन दिन पहले बद्रीनाथ में फंसे हुए थे, जिनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में ही बोलें ताकि मैं दूसरों को भी समय दे सकूं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : मैंने तो अभी शुरू ही किया है, महोदय, मुझे कुछ कहने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बोलना जारी रखिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी : महोदय, सात तारीख को मैंने पूरा विवरण प्रधान मंत्री जी के पास लिखकर दिया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वहां पर कार्यवाही शुरू हुई है। मैंने तीन बातें उनके ध्यान में लाई थीं। पहली, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था की जाए। तीसरी, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का रख–रखाव केंद्र के अधीन है, इसको दोबारा ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि यात्रा पुनः शुरू हो सके। अभी कहा गया है कि 20 दिनों के लिए यात्रा बंद कर दी गई है, लेकिन काफी लोग यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जो इधर फंसे हुए हैं। मेरा केंद्रीय सराकर से आग्रह है कि राजमार्ग के निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी धन आवंटित किया जाए। इस सड़क का रख–रखाव बार्डर सिक्योरिटी आर्गेनिजेशन द्वारा किया जाता है। इस आर्गेनिजेशन को धन आवंटित करने की व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क ठीक करके यात्रा पुनः प्रारंभ की जा सके।

श्री बचीसिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को माननीय सदस्य के कथन से संबद्ध करते हुए, बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा में भी इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई है, जिसमें 31 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बारे में मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। मेरा अनुरोध है कि दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल राहत प्रदान की जाए।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। छः तारीख को अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था में बैठे हुए लोग कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस संस्था में नियुक्ति संविधान के अनुसार हुई है, लेकिन उन लोगों को सरकार की ओर से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यह आयोग एससीएसटी लोगों से संबंधित है और इस आयोग को जो अधिकार दिए जाने हैं, उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आयोग के सामने रिजर्वेशन के सवाल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा करेगी?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अहम सवाल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोग जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग हमसे शिकायत करते हैं कि टेलीफोन विभाग में 6–7 साल पहले डिमांड दी गई थी, लेकिन आज तक टेलीफोन नहीं लगा है। टेलीफोन विभाग केंद्रीय सरकार से संबंधित है और आप संसद में बैठते हैं, लेकिन आज तक हमें टेलीफोन नहीं मिला है। कई प्राइवेट कंपनियों द्वारा टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की गई है, वे मलाई खाने के लिए तैयार हैं, शहरों में टेलीफोन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांवों में टेलीफोन लगाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

....(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं संचार संबंधी स्टैडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आपने कहा था कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 और 1999 पर पुनर्विचार किया जाए।...*(व्यवधान)* कमेटी में यह बात तय हुई थी कि गांवों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन दिए जाएं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जल्दी करना चाहिए।

....(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया सहयोग करें। सामान्यतः मैं जितने माननीय सदस्यों को समय दे पाता हूं उससे अधिक लोगों को समय देने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप संक्षेप में बोलेंगे, तो कई माननीय सदस्यों को समय दिया जा सकेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मेरा मतलब आपके माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना है। वह यह कि कृषि कार्य हेतु वनभूमि को विनियमित करने के निमित्त जो दिशा–निर्देश उन लोगों के लिए जारी किए गए हैं जो अक्टूबर, 1980 से पहले से इस भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, उनका कई राज्य सरकारों द्वारा न तो अनुपालन किया गया है और न ही उन्हें क्रियान्वित किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया जिरह नहीं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में वनों की नई सीमारेखाएं खींची जाती हैं। किसानों से भूमि खाली करा ली गई है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। भूमि–विवाद का निपटारा नहीं किया जा रहा है। इससे संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मंत्रालय के दिशानिर्देशों को क्रियान्वित न करने वाले दोषी राज्यों की स्थिति की जानकारी लें। मंत्रालय को चाहिए कि वे उन सभी लोगों के मामलों का समाधान करें जिनकी वन भूमि वैध सरकारी प्रमाण होने के बावजूद खाली करा दी गई है और उनकी वन भूमि को उनके पक्ष में विनियमित किया जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यमुना के मुद्दे पर आऊंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं उस मुद्दे पर आऊंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्राथमिकताएं हैं क्योंकि हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आप इसे जानते हैं। आप हमें पढ़ाते रहे हैं जैसा कि मंत्री जी भी।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा में मिलती है और गंगा बिहार, बंगाल होते हुए गंगासागर में पहुंचती है। दिल्ली सरकार ने भूरे लाल कमेटी बनाई और कहा कि वह यमुना में हो रहे प्रदूषण और गंदगी को दूर करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि

[अनुवाद]

> "वजीराबाद से ओखला बैराज तक 22 कि.मी. की दूरी में यमुना नदी पर 70 फीसदी प्रदूषण है, जबकि यह लंबाई नदी की पूरी लंबाई की मात्र दो फीसदी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी का यह भाग मृतप्राय है क्योंकि निजामुद्दीन ओखला क्षेत्र में नदी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह नदी मृतप्राय बन गई है। इसमें मछलियां जीवित नहीं रहती हैं। इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोग इसमें पवित्र नदी के रूप में श्रद्धा से स्नान करने के लिए आते हैं। वहां एक गंदा नाला बह रहा है। यहां 6 साल से दिल्ली सरकार सत्ता में है। जापान सरकार ने 500 करोड़ रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हजार करोड़ रुपया दिया। वह पूरी राशि खत्म हो गई। यमुना पहले से ज्यादा खराब, गंदी और प्रदूषित हो गई। वोट बैंक की वजह से वहां स्लम्स बने हैं। उसके नजदीक फैक्ट्रियां लगी हैं जिससे सारी गंदगी उसमें गिर रही है। चूंकि यह बिहार, बंगाल होते हुए गंगा सागर तक पहुंचती है, वहां लाखों–करोड़ों लोग स्नान करते हैं, वहां से पीने का पानी लेते हैं, इसलिए यमुना की

सफाई के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और उसे प्रदूषित होने से बचाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, आप इसे पहले ही उठा चुके हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। जयपुर एरोड्रम को अंतर्राष्ट्रीयय दर्जा देने की घोषणा सदन में हुई थी। मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि पिछली सरकार ने बड़ी कृपा की लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बारे में न अध्यादेश निकाला और न ही धन की व्यवस्था की। मेरा निवेदन है कि इस बारे में अध्यादेश निकाला जाए और धन की व्यवस्था की जाए जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल सके। जयपुर शहर महाराजा मानसिंह की देन है। अतः उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम का नाम रखा जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद।*...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप इनको बोलने का समय देंगे लेकिन तब तक समय समाप्त हो जाएगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने वचन दिया है, तो मैं इसे पूरा करूंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में वचन दिया है, किंतु समय के बारे में वचन नहीं दिया है। मैं अन्य माननीय सदस्यों की उपेक्षा क्यों करूं?

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय पर आऊंगा। मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं और जल्दी–जल्दी कर रहा हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि वे संक्षेप में ही बोलें ताकि इस कार्यवाही जो सूची में शामिल नहीं है, में अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकें। मैं उस पर आऊंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया वे अपनी बात संक्षेप में ही रखें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्रम भंग करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। नहीं, माफ कीजिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में श्री बीर सिंह महतो की बात के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : यह राष्ट्रीय हित का मामला*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं। आपको ऐसी आशंका करने की जरूरत नहीं है।

श्री अनंत कुमार : हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहे है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर आऊंगा और अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा झारखंड के रांची और सरायकाला जिले में बांग्लाभाषी लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें दूरदर्शन पर बांग्ला कार्यक्रमों को देखने की सुविधा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना अयोध्याहिल के मामले में है। कृपया आप उसी पर बोलिए।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, मेरा सरकार से पुरुलिया जिले के अयोध्याहिल पर एक उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाने का अनुरोध है।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, यह एक अत्यंत चिंता और दुःख की बात है कि हम लोग रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्मृतिचिह्न और नोबल पदक (पुरस्कार) तक को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। चोरी हुए पुरस्कार का एक भी सामान अभी तक नहीं मिल पाया है।

महोदय, यह बताया गया है कि पर्यावरण को नष्ट करने वाले निर्माण कार्य और अन्य कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन की सांठ–गांठ से किए जा रहे हैं, जैसा कि इस महान कवि ने अपनी कल्पना में इसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया था। यहां तक कि शोधार्थी इनकी हस्तलिपियों को कलकत्ता से बाहर ले जाते हैं और अपनी सुविधानुसार इन्हें वापस करते हैं।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इस विश्वविद्यालय के रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर होती है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वे पर्यावरण की रक्षा और रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी को तैनात करें।

अध्यक्ष महोदय : अब डा. धीरेन्द्र अग्रवाल। कृपया संक्षेप में ही बोलें और केवल विषय पर ही बोलें।

[हिन्दी]

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बेतवा नेशनल फॉरेस्ट पड़ता है, जो अपने सागवान पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं चुनाव के बाद अपने क्षेत्र का भ्रमण करने गया तो मैंने देखा कि पूरे के पूरे सागवान के पेड़ काटे जा रहे हैं। वहां जानवरों की सींगों, खालों और हाथी दांत का व्यापार किया जा रहा है। इस तरह करीब–करीब पूरा का पूरा जंगल साफ हो चुका है। मैंने 16 जून को इस आशय की एक एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई थी लेकिन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में सूचना दी थी।

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं बेतवा नेशनल फॉरेस्ट का उल्लेख कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का उल्लेख करना है। आप केवल उसी का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल : मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नेतरहाट बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां फील्ड फायरिंग रेंज बनाया जा रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत अधिक खतरा होगा। गरीब आदिवासी जनता के विस्थापन का खतरा भी बढ़ जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फील्ड फायरिंग रेंज को बसाने से रोका जाए ताकि आदिवासी लोग राहत महसूस कर सकें।

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि 100 दिनों के अंदर लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। लेकिन दिल्ली की वर्तमान सरकार अनेक लोगों को औद्योगिक ईकाइयों से विस्थापित कर रही है। इस कारण 63 हजार लोगों के सामने रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चहूंगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने कहा है कि हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे लेकिन दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ा और गंभीर संकट है जिसके कारण लोगों की रोजी–रोटी का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : अध्यक्ष जी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी औद्योगिक ईकाइयों को वहां से हटाया जाए।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र की जमीन में सैलेनियम की अधिकता के कारण अगर जानवर उस जमीन से गुजरता है या वहां का पशु उस जमीन से कुछ खा लेता है तो उसका मुंह खुर जाता है। अगर आदमी उस जमीन से उगे हुए फल, सब्जी या गेहूं खा लेता है तो उसके बाल झड़ जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सैलेनियम की अधिक मात्रा होने के कारण ऐसा होता है। यदि उस जमीन में जिप्सम डाल दिया जाए या वहां पानी की साइकिल चेंज हो जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि इस समस्या पर ध्यान देकर तुरंत इसे हल किया जाए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के

किसानों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के विदर्भ में मेरे संसदीय क्षेत्र यवतमाल में सारे आदिवासी लोग रहते हैं। वहां इस वर्ष बरसात में बीस दिन का गैप हो गया है, जिसके कारण काश्तकारों ने जो बीज बोया था, वह नष्ट हो गया है। यदि सरकार ने किसानों को दोबारा बीज बोने के लिए कोई मदद नहीं दी तो किसान बरबाद हो जायेंगे और आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो जायेंगे। यदि सरकार ने किसानों की मदद की तो किसान आतमहत्याएं करने से बच सकते हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार तुरंत किसानों की मदद करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के बीच में एक रावी–व्यास समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को 8.6 एम.एफ.ए. पानी मिलना चाहिए था। पंजाब विधान सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके इस बात की घोषणा की कि पंजाब से बहने वाली नदियों के पानी की एक बूंद भी वह राजस्थान को या अन्य किसी राज्य को नहीं देंगे। इस बात को लेकर राजस्थान के किसानों में बड़ी भारी चिंता व्याप्त है। राजस्थान का किसान जो गंगा नहर और राजस्थान कैनाल के ऊपर निर्भर करता है। इनमें जो पानी आता है वह सारा पानी पंजाब की नदियों के माध्यम से आता है। रावी–व्यास समझौते के माध्यम से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को इन हैड्स को स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, जिस पर पंजाब सरकार का नियंत्रण है। पंजाब सरकार की मनमर्जी होती है तब वह पानी देती है और जब उसकी मर्जी नहीं होती है तो वह पानी नहीं देती है। मैं अधिक समय न लेते हुए आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी और यू. पी.ए. की माननीया अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों के हित को देखते हुए पंजाब सरकार को बाध्य किया जाए कि वह राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से संबद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि केवल आप ही अपने आपको इससे संबद्ध करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सर, इसी सब्जेक्ट पर मेरा भी नोटिस है, मैं भी इस बोलना चाहता हूं।...व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कोई भाषण की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में उन सभी माननीय सदस्यों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो सूचनाएं मिली हैं। एक सूचना श्री अनंत कुमार से मिली है जिसमें उनहोंने कई राज्यों में हुए स्टैम्प पेपर घोटाले और उनमें कथित रूप से एक ऐसे माननीय मंत्री के लिप्त होने, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं, के बारे में बंगलौर में अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया है।

दूसरी सूचना श्री डी. वी. सदानन्द गौडा से प्राप्त हुई है। इसमें स्टैम्प पेपर घोटाले तथा इस घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, के कथित रूप से शामिल होने के बारे में दिए गए अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया गया है।

नियम बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे स्पष्ट करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा। कृपया इंतजार कीजिए।

आप धैर्य क्यों खो रहे हैं? मैं प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : व्यवस्था देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी है। इस समय मैं केवल नियमों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उतावले हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : हम लोग सभा के बीचोबीच नहीं आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा (मंगलोर) : जो भी हो, मामला इतना गंभीर है कि इस पर तो हम लोगों को सभा के बीचोबीच आ जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतने उत्तेजित मत होइए। आपने मुझे यहां कुछ करने के लिए बैठाया है।

श्री अनंत कुमार : हम लोगों की रक्षा करने के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए।

इस मामले में कतिपय नियम हैं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम में नियम 353 है। कौल और शकधर में भी इस मामले में साफ–साफ कहा गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे नियमों का पालन करें। यदि आप नियमों के अनुरूप चलेंगे, तभी मैं कुछ कर सकूंगा। मैं इसे अभी अस्वीकार नहीं कर रहा हूं।

किंतु, जहां तक एक ऐसे माननीय मंत्री जी से संबंधित सूचना का सवाल है, जो इस सभा के सदस्य हैं ही नहीं, तो मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। जहां तक श्री सदानन्द गौडा द्वारा दिए गए प्रस्ताव की सूचना का सवाल है, तो उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का हवाला दिया है।

कृपया नियमों का अनुसरण करें। आपकी जानकारी के लिए मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम के नियम 353 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हालांकि आप इसे जानते हैं, फिर भी यह आपको स्मरण कराने के लिए है। आप 'कौल एण्ड शकधर' की पृष्ठ संख्या 918 देख सकते हैं। इससे हमें इस मामले में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसलिए आप उसके अनुरूप चलें और इसे बाद में सभा में लाएं।

श्री अनंत कुमार की सूचना अस्वीकार कर दी गई।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : आप इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है कि सूचना अस्वीकार कर दी गई है। मैंने पहले ही कह दिया है 'नहीं' क्योंकि इतने गंभीर आरोप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हैं जो यहां उपस्थित ही नहीं है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। आप इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उल्लेख करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस सभा में सौ बार नामों का उल्लेख किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है इसका उल्लेख सौ बार किया गया हो, परंतु ऐसा एक सौ एक बार नहीं किया जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य प्रत्येक दिन श्री नरेन्द्र मोदी के नाम का उल्लेख कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो यहां उत्तर नहीं दे सकते। मैं इसकी अनुमति

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दूंगा। तथापि, जहां तक श्री डी. वी. सदानन्द गौडा द्वारा उठाये गये किसी केंद्रीय मंत्री के मुद्दे की बात है, मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं।

श्री अनंत कुमार : आप माननीय सदस्यों को श्री नरेन्द्र मोदी के नाम का जिक्र करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसकी बात सुनूं? यदि आप सब एक साथ बोलेंगे, तो मैं किसी की भी बात नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, आपने कोई सूचना नहीं दी है। आपको उनकी सहायता के लिए नहीं आना चाहिए। कृपया आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े (कनारा) : हम जिसका नाम ले रहे हैं, वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इस सरकार में मंत्री· हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : यह एक गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : प्रत्येक सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। क्या आप मुझे आदेश देंगे? कृपया मुझे आदेश मत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मेरे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कैसा अन्याय?

श्री अनंत कुमार : जब सभा में श्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, तब इसकी अनुमति दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अतिरिक्त और किसी बात के लिए बाध्य नही हूं। आप अपनी बात कह सकते हैं किंतु मैं उसकी स्वीकार्यता के बारे में निर्णय करूंगा। मैं इस संबंध में निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया वैसा मत कीजिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निर्णय करूंगा कि इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। सभा के समक्ष कोई विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का निर्णय करूंगा कि इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं इस तरह से कार्य करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : वे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो सभा में उपस्थित नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप सब अपने–अपने स्थान पर बैठेंगे? आप सब इस सभा के माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, दुर्भाग्य से कर्नाटक राज्य से दो खतरे दिखाई दे रहे हैं। पहला, स्टाम्प पेपर घोटाला है और दूसरा, वीरप्पन संकट है। दुर्भाग्य से, कांग्रेस का कुशासन इन दोनों घोटालों के लिए जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के निवेदन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : महोदय, आपको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी है कि दो दल, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से एक–एक दल, इन मामलों की जांच–पड़ताल कर रहे हैं। एक दल स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच कर रहा है तथा दूसरा दल वीरप्पन मामले की जांच कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच कर रहा है। जबकि स्टाम्प पेपर घोटाला संबंधी जांच–पड़ताल जारी है, कुछ पुलिस अधिकारी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिसाक्ष्य दे रहे हैं। जब एक पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त श्री संग्राम सिंह ने अभिसाक्ष्य दिया, तब उसने पूर्व मुख्य मंत्री, विद्यमान मंत्री और एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री के नामों का उल्लेख किया।

अध्यक्ष महोदय : आप और कुछ नहीं बल्कि अभिसाक्ष्य का ही उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। मैं स्वीकार्यता के बारे में निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। उन्होंने स्टाम्प पेपर घोटाला और वीरप्पन के मामले के संबंध में कहा है कि पूर्व मुख्य मंत्री...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं केवल यह बता रहा हूं कि...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, कृपया हमें संरक्षण दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बोलने के लिए कहा है और आप बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, कृपया मुझे बात समाप्त करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि वीरप्पन को 20 करोड़ रुपये फिरौती के रूप में दिए गए थे। पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त श्री संग्राम सिंह ने कहा है...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा। मंत्रियों के नामों को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, हमारी मांग है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसे लोगों को जिनके नामों का उल्लेख पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त श्री संग्राम सिंह द्वारा किया गया है अभिसाक्ष्य हेतु बुलाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न–भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम आइटम नंबर

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

11 और 12 शुरू करें, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश पर स्टेटमेंट देनी थी, चूंकि डिमांड आई थी। मंत्री जी दो बजे उधर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब वहां खत्म होगी तो इमीडिएटली वे इधर स्टेटमेंट देंगे।

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2004-05

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 11 और 12 अर्थात् रेल बजट पर सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेलवे) पर मतदान को एक साथ लेगी।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता आज चर्चा आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का यह पहला रेल बजट है और मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में यह जो बजट पेश किया, हिन्दुस्तान के आम अवाम, गरीब और अल्पसंख्यकों के अनुकूल है। इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं, जिनसे लगता है कि यह रेल बजट हिन्दुस्तान के वैसे लोग, जिनकी ओर कोई नहीं देखता था, वैसे लोगों का ख्याल इस रेल बजट में रखा गया है।

उन्होंने बेरोजगारों के लिए, जो इंटरव्यू में जाते हैं, जिनको पैसा देकर जाना पड़ता था, उनके लिए उन्होंने फ्री टिकट देने का इसमें काम किया है। साथ ही साथ महिला जांचकर्ता दल को भी इन्होंने मजबूत करने का आश्वासन अपने रेल बजट में दिया है और उनको प्रशिक्षित करने की भी उन्होंने कोशिश की है। जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित पद हैं, उनका बहुत बैकलॉग पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक अभियान चलाकर उस बैकलॉग को भरने का काम रेल मंत्रालय करेगा। साथ ही साथ जो किसान सब्जी, फल आदि उपजाते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि उनके परिवहन का स्पेशल इंतजाम किया जाये ताकि किसानों द्वारा उपजाये फल, सब्जी और दूध को दूसरी जगह ले जाया जा सके, जिससे उन्हें दिक्कत नहीं हो।

जो लाइसेंसधारी पोर्टर हैं, उनके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर विश्रान्तिगृह बनाने का काम करने को कहा है। रेलवे स्टेशन एवं जंक्शन के जो स्टाल हैं, उनमें इन्होंने 25 प्रतिशत आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों और विकलांगों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की घोषणा की है, जिन पर अब तक एक तरह के लोगों का कब्जा था। जिन स्टालों पर 50 वर्षों से जो आदमी आज तक काम करते आये हैं, उनके लिए इन्होंने 25 प्रतिशत गरीबों के लिए आरक्षण करने की घोषणा की है।

साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने कहा है कि जो रेल बोर्ड में भर्ती होगी, वह सी.आर.पी.एफ. की भर्ती अब रेल बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि सुरक्षा पदाधिकारियों के द्वारा भर्ती होगी। इसके साथ ही साथ रेलवे का पहिया यहां बनाकर पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने सोचा है। इन्होंने रेल बजट में प्रावधान किया है कि रेल का चक्का जो बाहर से आता है, विदेशों से आता है, उसे यहीं पर इन्होंने बनाने के लिए कारखाना शुरू करने की घोषणा की है।

रेल बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की हैं, उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं, जिनकी चर्चा नहीं की गई है। खासकर मैं कहना चाहता हूं कि इस रेल बजट में सभी प्रदेशों को समान रूप से देखना चाहिए था, उसकी इसमें कमी रह गई है। केरल के आम लोगों में इस बात का अफसोस है कि केरल पर ध्यान नहीं दिया गया और केरल में जो काम करना चाहिए था, वह इन्होंने नहीं किया है। साथ ही साथ इन्होंने केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड और कई राज्यों की उपेक्षा की है।

इसी तरह से जो महानगरों में ट्रेन से लोग चलते हैं और जो लोकल गाड़ियां चलती हैं, इनकी इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। उन लोकल गाड़ियों की हालत काफी खराब है, लोगों को आने–जाने में दिक्कत होती है। हम तो केरल में, कलकत्ता में, मुंबई में और दूसरी जगहों पर भी महानगरों में रेल में चले हैं तो देखते हैं कि हालत इतनी खराब है कि उसका कोई भी रख–रखाव के लिए, उसकी मरम्मत के लिए और फिर जो लोकल ट्रेन की सुविधा होती है, वह लोकल ट्रेन को ठीक करना चाहिए जिसमें आम लोग चलते हैं, उनमें रोज–बरोज हजारों, लाखों लोग, आम आदमी शहरों में, कलकत्ता में, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाते हैं, उनको काफी तकलीफ

होती है, लेकिन उसकी कोई चर्चा इस रेल बजट में नहीं है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि रेल बोर्ड में मजदूरों की काफी कमी है, मजदूरों की कमी के चलते जो रेल की मरम्मत होनी चाहिए, जो रेलवे पर ध्यान देना चाहिए, वह ध्यान नहीं होने से रेलवे में अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। मैं माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मजदूरों की कमी है, जिसके चलते बराबर रेलवे में घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को दुरुस्त करने के लिए, इन घटनाओं को कम करने के लिए आप रेलवे में जो मजदूरों की कमी है, उस कमी को एक अभियान चलाकर सीमित समय में भरने के काम करें, नहीं तो ये दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आप जानते हैं कि पिछले तीन–चार साल से रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हर साल 400–500 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अगर इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि दुर्घटनाएं और बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त मजदूरों की जो खाली जगह हैं, उनमें दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के लोगों को माननीय रेल मंत्री जी की घोषणा के तहत भर्ती किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड कल तक बिहार का एक भाग था। रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यहां रेल बजट पेश किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झारखंड बिहार का छोटा भाई है और छोटे भाई की हैसियत से झारखंड का भी आपको ध्यान रखना चाहिए था लेकिन आपने रेल बजट में उसकी उपेक्षा की है। यहां नयी रेल लाइन बनाने की कोई घोषणा नहीं की गई। माननीय रेल मंत्री ने बजट भाषण में खुद इसकी चर्चा की थी और कहा कि मैंने इस संबंध में सभी संसद सदस्यों को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी का हमने जवाब देकर कहा था कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय ही नहीं प्रमंडल का भी मुख्यालय है। उसके चारों तरफ कोयला और अभ्रक है। दुर्भाग्य है कि आजादी के 55 बरस बीत जाने के बाद भी हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ा नहीं गया।

आज से तीन साल पहले तक लगातार रेल लाइन के लिए आंदोलन चले। यानी 2002 तक हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए आंदोलन चला। मैंने स्वयं हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए आंदोलन किया और खुद जेल गया। इस संबंध में हजारों लोग जेल गये। इस रेलवे लाइन की स्वीकृति 1996 से पहले हो गई थी लेकिन वर्ष 2002 में माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। उस समय के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी वहां गये थे। उस पर कुछ काम शुरू हुआ था लेकिन चुनाव के छह महीने पहले ही वहां काम बंद हो गया। उसी तरह से कोडरमा से गिरिडीह जिसको जोड़ने के लिए पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा आंदोलन करते रहे, वहां कुछ काम शुरू हुआ था लेकिन अब वह भी बंद पड़ा है।

अब वहां यह हल्ला है कि इसका काम नहीं होगा क्योंकि राजग की सरकार नहीं रही। श्री यशवंत सिन्हा जी हार गये हैं इसलिए अब इस रेलवे लाइन का काम पूरा नहीं होगा, यह प्रचार बड़े पैमाने पर राजग द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मैंने रेल मंत्री जी से कहा था कि कोडरमा से रांची लाइन, जो हजारीबाग तक जाती है, उसका काम धीमा पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है कि राजग की सरकार ने हमें ठगने का काम किया। भारत सरकार ने जो खर्चा रेलवे विभाग को देना था, वह न देकर यह कहा कि दो तिहाई खर्चा झारखंड सरकार देगी और एक–तिहाई खर्चा केंद्र सरकार देगी। इस तरह से उसकी शुरुआत की गई। झारखंड में इस समय राजग की सरकार है। उसने 250 करोड़ रुपये जो उसमें जमा करने थे, वह जमा नहीं किये। मात्र पचास करोड़ रुपया जमा किया था।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो रेल बजट पेश किया है, उसमें भी इसका नाम नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हजारी बाग को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहिए। कोडरमा से रांची तक वाया कोडरमा तथा कोडरमा से गिरिडीह ये दो मुख्य लाइनें हैं, जो 55 बरस की आजादी के बाद भी उपेक्षित पड़ी हैं। इनको रेल लाइन से जोड़ने के लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया। रेल बजट में एक पैसे का प्रावधान भी नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेल बजट में हजारीबाग और झारखंड की जनता के साथ उपेक्षा की गई है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन आठ योजनाओं की चर्चा मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर की थी उसमें से केवल एक ही योजना का जिक्र बजट में किया गया है। बाकी जो सात योजनाएं हैं, उनकी चर्चा बजट में नहीं की गई। मेरा कहना है कि इन योजनाओं का काम भी आप वहां शुरू करने की कृपा करें।

धनबाद से गया तक एक ही पैसेंजर ट्रेन सिटी लिंक चलती है जिसके ठहराव के लिए कई बार आंदोलन हुए। इसके

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

तहत पचासों लोगों पर केस दर्ज हुए। कोडरमा तथा कई जगह के लोगों को रोड से वहां जाने में छह से सात घंटे लगते हैं जबकि ट्रेन से आधा घंटा ही लगता है। इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। वहां चल रहे आंदोलन के दौरान चौबे स्टेशन पर गोली चली जिसमें श्री मनोज चौधरी की मौत हो गई लेकिन अभी तक वहां सिटी लिंक एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हुआ। उसका चौबे, परसाबाद, शर्माटांड, हिरोडी में ठहराव नहीं किया गया जिसके चलते वहां के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और आक्रोश है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां इसे भी करने की कोशिश करें।

झारखंड की ग्रेन कोड लाइन मसकेडीह में रेलवे फाटक नहीं होने से दर्जनों लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। इस कार्य को भी कराने का काम करें। बरकी–पोना स्टेशन पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां ओवरब्रिज बनवाने का काम करें। राजरप्पा से देश के दूसरे प्रदेशों में रोज 7–8 ट्रेन जाती हैं। वहां भी लगातार घटनाएं होती रहती हैं।

झारखंड की राजधानी रांची है। वहां से राजधानी दो दिन चलती है जिससे झारखंड के लोगों की काफी उपेक्षा होती है। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि रांची से हर रोज एक राजधानी एक्सप्रेस चलाने की घोषणा करें ताकि वहां के लोगों की मदद हो सके।

कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा के लोग, एमपी हों या आम लोग हों, दिल्ली जाते हैं। वहां दो दिन भुवनेश्वर राजधानी रुकती है, दो दिन रांची राजधानी चलती है मगर बाकी के तीन दिन कोई राजधानी नहीं है। इसलिए सियालदाह राजधानी का स्टॉपेज तीन दिन कोडरमा में कर दिया जाए ताकि लोगों को आने–जाने में सुविधा हो।

अन्त में मंत्री जी से प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं कि बजट में झारखंड की उपेक्षा हुई है। झारखंड आपका छोटा भाई है, उसकी उपेक्षा न करें, वहां की योजनाओं को इसमें इनक्लूड करें और वहां रेल के क्षेत्र में विकास करने का काम करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे वक्ता को अपने विचार रखने के लिए बुलाने से पहले श्री श्रीनिवास पाटिल ने सभा पटल पर अपना भाषण रखने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मैं उन्हें अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं।

***श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़)** : महोदय, मैं अपनी पार्टी—राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी—की ओर से अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं जो कि वर्ष 2004–05 के लिए 6 जुलाई, 2004 को लालू प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट के बारे में है।

मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने प्लास्टिक और थर्मोकॉल से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाकर साहसपूर्ण निर्णय लिया और साथ ही उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जिससे कुम्हारों और ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके अलावा रेलवे में खादी कपड़े और यार्न स्पन अथवा करघा से बुने हों, के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने ट्रेनों में ऐसे दुग्ध उत्पादों, जो ऐसे सहकारी डेयरी फार्मों द्वारा उत्पादित हों जिसमें किसान उनके सदस्य हों, के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया है।

महोदय, मैं महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ कस्बे का निवासी हूं, यह कस्बा 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है और स्वर्गीय श्री यशवंतराव चव्हाण देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री यहां के नेता थे। यह रेलवे स्टेषन पुणे मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। दो महानगरों जैसे पुणे और बंगलौर को जोड़ने की नीति की घोषणा श्री लालू जी ने की है। उन्होंने घोषणा की है कि पुणे–मिराज और कोल्हापुर के बीच बड़ी लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। दक्षिण महाराष्ट्र में संसद सदस्यों की यह मांग काफी समय से चली आ रही है। मैं आशा करता हूं श्री लालू जी द्वारा घोषित सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने और पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। मुंबई के लिए महालक्ष्मी नामक ट्रेन कोल्हापुर से शाम को चलती है। लगभग 9 से 10 मंत्री और लगभग 40 से 45 विधायक इस ट्रेन में यात्रा करते हैं, यह ट्रेन अगले दिन सुबह तड़के मुंबई पहुंचती है और वापसी में यह ट्रेन उसी दिन शाम को मुंबई से प्रस्थान करके अगले दिन सुबह तड़के कोल्हापुर पहुंचती है। यदि आप उपरोक्त मंत्रियों और विधायकों की सुविधा के लिए वर्तमान वतानुकूलित II श्रेणी के डिब्बे के स्थान पर प्रथम श्रेणी का सवारी डिब्बा लगा देंगे तो मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। इससे इस क्षेत्र के उक्त उल्लिखित मंत्रियों और विधायकों की

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्यकुशलता में सुधार आएगा क्योंकि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उन्हें पूरी सुविधाएं मिलेंगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कराड़ प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का भवन 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है। इस स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, मूत्रालय और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफार्म पर प्रकाश व्यवस्था और ढके हुए प्लेटफार्म आदि जैसी सुविधाएं बहुत पुरानी हो गई हैं अतः मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय रेल मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करके आधुनिक और पर्याप्त सुविधाओं के साथ रेलवे सटेशन के लिए नए भवन का निर्माण कार्य आरंभ कराएं। इस स्टेशन पर प्रति वर्ष 24.50 करोड़ रुपये की कुल आय होती है।

यहां प्रमुख आमदनी माल यातायात से है और इसका प्रमुख मद चीनी है क्योंकि इस इलाके में 11 चीनी फैक्टरियां हैं। माल लदान की सुविधा अच्छी नहीं है। प्लेटफार्म पर ढके हुए शेड नहीं हैं। इसके कारण बरसात के मौसम में चीनी की बोरियों के लदान में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ढके हुए प्लेटफार्मों पर साथ–साथ कम से कम चार अथवा पांच डिब्बों में मशीनी लदान सुविधा से चीनी फैक्टरियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। पुराने प्लेटफार्म का स्तर भी नीचा है और यह इतना लम्बा–चौड़ा भी नहीं है कि यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय लालू जी ने अब इस नीति की घोषणा की है कि वर्तमान प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाएगा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी लंबाई भी बढ़ाई जाएगी।

कराड़ स्थित स्टेशन पर कंप्यूटरों द्वारा आरक्षण की सुविधा है। स्टेशन शहर से 7 कि.मी. दूर है इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कराड़ कस्बे में आरटीएस को एक अथवा दो टर्मिनल दिए जाएं। भारत में हजार से अधिक चौकीदार रहित रेल गेटों पर चौकीदार की तैनाती की नीति बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कराड़ में खलगांव के समीप शिखाडे और टारगांव रेलवे स्टेशनों के बीच दो अथवा तीन गेट हैं जो सूर्यास्त के पश्चात बंद हो जाते हैं और बाद में केवल अगली सुबह खुलता है। वहां सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले तक एक चौकीदार की आवश्यकता है।

कराड़ और शिखाडे रेलवे स्टेशन के बीच कोपार्डे गांव के समीप पुराने गेट को और चौड़ा बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां यातायात की आवाजाही बहुत अधिक है। कभी–कभी गन्ने की पिराई के मौसम में गन्ने की ढुलाई करने वाले वाहनों की अधिक संख्या के कारण इस संकरे रास्ते पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैं मंत्री जी से इस गेट का निरीक्षण करने हेतु एक दल भेजने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(क) कोल्हापुर–द्वारका एक्सप्रेस गाड़ी शुरू की जाए।

(ख) बंगलौर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में एक बार हुबली होते हुए चलाया जाये। इस पुणे शहर को भी लाभ मिलेगा।

(ग) कोल्हापुर और पुणे के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए।

कुछ कानूनी अड़चनों के कारण प्लेटफार्म पर एसटीडी बूथ आवंटित नहीं किए गए हैं। सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित भी करे कि यहां एसटीडी बूथ प्राथमिकता के आधार पर खोला जाये ताकि इससे लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित होंगे।

उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष को वातानुकूलित बनाया जाये।

उपर्युक्त बातों के साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री मेरे द्वारा उठाई गई बातों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे, और लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी के प्रति अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में देश के हजारों किलोमीटर दौरा कर हर वर्ग के लोगों की भावनाओं को जाना, समझा और उसके मुताबिक प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी से विचार–विमर्श करके एक ऐसा रेल बजट प्रस्तुत किया जिसकी भारत के निवासी और विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब बजट प्रस्तुत हुआ तो उनके पास बजट के प्रति कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और वे हमारी

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

माननीय सदस्या सोनिया जी का नाम लेकर उत्तेजित होने लगे, बजट पर भाषण या विवेचना करना भूल गए। साथ ही मैं अपनी ओर से और देश की जनता की ओर से रेल मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजादी के इतिहास में पहला मील का पत्थर जोड़ा। आज तक जितने भी बजट आए, उनमें किराए बढ़ते रहे, माल–भाड़ा बढ़ता रहा, अन्य तरह के बजट आते रहे जिनसे प्रत्येक भारतवासी पर कहीं न कहीं असर होता रहा। लेकिन इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं श्री लालू प्रसाद और हमारे पास बैठे हुए माननीय नारायण भाई राठवा, जो राज्य मंत्री हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने देशवासियों को इससे बड़ी भारी राहत प्रदान की है। हर वर्ग का व्यक्ति चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो या मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, सबको इस बजट से बड़ी राहत मिली है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिस दिन माननीय मंत्री जी ने बजट पढ़ा, उसके दूसरे दिन अखबारों में हैड लाइन छपी कि माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी जो बिहार की मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने माननीय मंत्री जी को किराया भाड़ा न बढ़ाने के निर्देश दिये और यह आग्रह किया कि बजट में किराया नहीं बढ़ना चाहिए।...*(व्यवधान)* हमारी बिहार की मुख्य मंत्री महोदया भी इसके लिए विशेष बधाई की पात्र हैं। हम अपनी ओर से, सदन की ओर से और देशवासियों की ओर से हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वह भी देश के प्रति कितनी जागरूक हैं। मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वॉर–विडो, हरिजन, अल्पसंख्यक, पिछड़ा–वर्ग, अपंग, गरीब लोगों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान अपने बजट में किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने रेल यात्राओं में भी छूट दी है। अंधे व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति को विशेष छूट के साथ यात्रा में जाने को मिलेगा, यह प्रावधान भी माननीय रेल मंत्री जी ने किया है। इसके लिए भी आप विशेष बधाई के पात्र हैं। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी जी, जो इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में रेलवे के कुली जिनको आपने इस बजट में विशेष सुविधा दी है, उनका एक सम्मेलन बुलाया था और यह प्रयास किया था कि उनको किसी तरह से राहत दी जाए। इसके लिए भी मैं माननीय रेल मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस वर्ग को जो अपने सिर पर दिन–रात सामान ढोता है, उसके लिए पेंशन का प्रावधान करके उसको राहत दी है। इसके लिए भी वह विशेष बधाई के पात्र हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उनकी पत्नी भी घूमेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : इसके लिए भी वह विशेष बधाई के पात्र हैं। आपने ग्रामीण अंचलों की ओर भी ध्यान दिया है। किसानों, गरीब मजदूरों, गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब नागरिक के लिए जो विशेष ट्रेन्स और सैनिकों के लिए जो विशेष सुविधाएं दी हैं, उसके लिए भी आज हर वर्ग आपका आभार व्यक्त कर रहा है। जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनकी संख्या देश में बढ़ती जा रही है। उनके लिए भी माननीय मंत्री जी ने अपना ध्यान उधर दिया कि जब वे सरकारी नौकरियों हेतु साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो उनको यात्रा में पूरी रियायत दी जाएगी। इस प्रकार से आपने जो उन युवकों और छात्राओं की भावनाओं का आदर किया है, हम सदन और देश की ओर से आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने मालभाड़ा के दाम नहीं बढ़ाए हैं। मालभाड़े के दाम बढ़ने से हर वर्ग जो देश में रहता है चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, मध्यम वर्ग हो या नौकरीपेशा हो, उस पर कहीं न कहीं जाकर इसका बहुत बड़ा असर होता है क्योंकि हर जरूरत की चीज और हर साधन जीवन में उपलब्ध कराने होते हैं, उन पर असर होता है। इस प्रकार मालभाड़ा न बढ़ने से जो वस्तु की कीमत बाजारों में रोज बढ़ जाया करती थी, वह नहीं बढ़ी है, उसके लिए भी हम सबकी ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जहां तक रेल की सुरक्षा का सवाल है, आपने इस विषय का जिक्र भी अपने रेल बजट में किया है। रेल असुरक्षा काफी बढ़ गई है और आपने इसे ठीक करने की बात कही है। हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं, जब इनकी सरकार थी, तब आए दिन रेलों के एक्सीडेंट होते थे। मुझे याद है कि तमाम लोगों की उन दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई थी। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ट्रेन एक्सीडेंट रुकें, इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को जो मुआवजा मिलता है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

रेलगाड़ियों में डकैती और चोरियों की वारदातें काफी बढ़ रही हैं। उसकी पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कल वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश करते हुए बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात कही थी। यह सदन इस पर गहन विचार करे कि जो बेरोजगार युवक हैं, वे गलत दिशा में न जाएं और चोरी तथा डकैती न करें। इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी

सरकार को पांच साल में इनको रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे डकैती, हत्या और चोरियों की वारदातें रुक सकें और वे युवक अच्छी दिशा में कदम बढ़ा सकें। सभी सदस्य इस पर विचार करें और कोई ऐसी योजना बनाएं, जिसकी आज के युवकों में नितांत आवश्यकत्ता है। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई जनसंख्या का भार हमारे बेरोजगार युवकों के ऊपर भी पड़ रहा है इसलिए वे गलत दिशा में भटकते जा रहे हैं।

मैं मंत्री जी से रेल व्यवस्था के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के पहले शासन काल में बंसीलाल जी और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी भी रेल मंत्री हुए और उन्होंने इस दिशा में काफी कार्य किया था। हम लोग आए दिन रेलगाड़ियों में सफर करते हैं और हम देखते हैं कि रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्मों में किस तरह की व्यवस्था है, इसको देखते हैं। आपने भी हाल ही में दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जाकर निरीक्षण किया और वहां सफाई की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा। आपने प्लेटफार्मों और रेलगाड़ियों की सफाई की जो बात कही है, वह भी स्वागत योग्य है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हम रेलगाड़ियों में सफर करते थे तो उनमें चादरें और बिस्तर गंदे मिलते थे। रेलवे रेल यात्रियों से इसका पैसा लेती है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने यात्रियों को साफ बिस्तर और अच्छा भोजन प्रदान करे। आपके समय में भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। मैंने सुना था कि पिछली सरकार के समय रेलवे में कुछ माफिया सक्रिय हुए थे, जिनको ठेकेदारी दी गई, उन्होंने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। आप इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे यात्रियों को साफ बिस्तर मिले और उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम हो सके। आपने टी.वी. में भी देखा होगा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि उन दिनों जो अच्छी गाड़ियां थीं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में भी इस तरह का खाना दिया गया, जिससे सैकड़ों यात्री बीमार हुए, क्योंकि खाना दूषित और खराब था। यह तत्कालीन रेल मंत्री और सरकार के लिए शर्म की बात है। आपको इस ओर ध्यान देना होगा। मैं अभी तीन जुलाई को अगस्त क्रांति रेलगाड़ी से मुंबई से सेकंड क्लास ए.सी. स्लीपर कोच से आ रहा था, जब मैं टॉयलट गया तो देखा कि वहां पानी गिर रहा था। मैनटेनेंस की दुर्दशा पिछली सरकार ने की है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो ट्रेनों में पानी टपकता है या ट्रेनों के डिब्बों की हालत खराब है उस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : इन लोगों ने पिछले पांच सालों में सब बर्बाद कर दिया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मैं आपसे सहमत हूं। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रिजर्वेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों को कभी–कभी इमरजेंसी में जैसे कभी स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण या ब्याह–शादियों में तुरंत जाने के कारण तुरंत गाड़ी पकड़नी होती है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए विशेष रिजर्वेशन की व्यवस्था मंत्रालय में होनी चाहिए जिससे उन्हें इमरजेंसी में यात्रा करने में असुविधा का सामना न करने पड़े।

अपनी बात को समाप्त करते हुए अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। दो बार पहले भी मैं मथुरा से चुना गया था और इस बार भी चुनकर आया हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मथुरा से चुनकर आया हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया साथ–साथ मत बोलिए।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं और मेरी ननिहाल आवागढ़ में है। इसलिए माननीय मंत्री जी मेरे मामा हुए और हम उनके भांजे हुए। इसलिए हमारा और आपका रिश्ता तो भगवान कृष्ण की भूमि के कारण भी है और इस रिश्ते के कारण भी है।

श्री लालू प्रसाद : हम आप तो एक थे बीच में लोगों ने रिश्ता बिगाड़ दिया।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : घोटाले के लिए मथुरा में ही जेल है, इसका भी ख्याल रखियेगा।

श्री लालू प्रसाद : जेल से ही बचाव हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पक्ष के 15 और सदस्यों को चर्चा में अभी भाग लेना है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। महोदया साथ–साथ मत बोलिए।

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

[हिन्दी]

लालू जी, आप ही रनिंग कमेंटरी करेंगे तो कैसे चलेगा?

श्री लालू प्रसाद : मंत्री का फर्ज बनता है बताना, सहायता करना और वही सहायता मैं कर रहा हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : माननीय मंत्री जी, लाखों लोग मथुरा देश और विदेश से आते हैं। ब्रिटिश समय से वहां एक तूफान मेल चलती है और कोलकाता जाती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया बैठ जाइए। डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, मुझे पांच मिनट का समय और दीजिए। मैंने कई वक्ताओं को सुना है जिन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री जी ने अपने ऑफिस में विश्वकर्मा जी का चित्र लगाया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपने ऑफिस में राधाकृष्ण का भी चित्र लगाएं। "मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोह, जो तन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होय"। जो भी बाधाएं आपके मंत्रालय में आएं, उनसे भगवान आपको मुक्त करे, जिससे आप अपने मंत्रालय को अच्छे ढंग से चला सकें। मेरी जो और मांगें हैं उनको लिखकर मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा और वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004–05 के रेल बजट पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। इस रेल बजट को प्रस्तुत करते हुए, मंत्रीजी ने कई आकर्षक घोषणाएं करने का प्रयास किया है। ये घोषणाएं बाहर से आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनको पूरा करने की जो समयावधि दी है और जिस प्रकार की अर्थ–व्यवस्था की रचना उनको करनी चाहिए, वह अर्थ रचना इस बजट में दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्वाभाविक है, हम इस बात को साफ तौर पर कहें कि ये घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रहने वाली हैं, शायद उनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो सकेगी।

महोदय, मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनके द्वारा एक हजार किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक हजार किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन की तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन यह परिवर्तन कितनी अवधि में होगा और कितना पैसा लगेगा, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया है। इसी प्रकार लाइनों को दोहरीकरण, सुरक्षा और पुराने सर्वेक्षणों के अद्यतन की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन पूरे रेल बजट को देखने के बाद यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि इसकी व्यवस्था करने के लिए अर्थ व्यवस्था का क्या प्रबंध करने जा रहे हैं। यह ठीक है, उन्होंने दो–तीन बातें जरूर ठीक की हैं, लेकिन उनको ठीक करने के बाद रेल मंत्रालय को जो अर्थ चाहिए, वह मेरे विचार से नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बजट में 14,498 करोड़ रुपये के व्यय की बात कही है, लेकिन व्यय की पूर्ति की दिशा में कोई विशेष लक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने रेल वित्त निगम द्वारा बाजार से ऋण लेने की बात कही है, लेकिन निगम कम ब्याज पर ऋण चाहता है। इस ऋण की उपलब्धि कैसे होगी या नहीं होगी, इस बारे में शंका बनी हुई है। मंत्रीजी जब सदन में उत्तर दें, तो वे कृपया इस बारे में स्पष्ट करें।

अब मैं आपका ध्यान कुछ अन्य तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले रेल विभाग द्वारा कहा गया था कि रेलवे ट्रैफिक प्राधिकरण बनाया जाएगा या नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। इस बारे में बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है कि यह प्राधिकरण बनाया जाएगा या नहीं। जब हम रेलवे में ट्रैफिक सुरक्षा की बात कहते हैं या संरक्षा की बात कहते हैं, तो ट्रैफिक प्राधिकरण की स्थिति के बारे में मंत्रीजी स्थिति स्पष्ट करें। मंत्री जी ने स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कारखाना लगाने की बात कही है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पूरे देश से स्क्रैप को इकट्ठा करने में कितना पैसा लगेगा तथा बाजार से जो चीज लेते हैं, उसके लागत मूल्य में और रिसाइकिल द्वारा लागत मूल्य में कितना अंतर होगा, इस बारे में मंत्री जी बताएं। इसमें मेरा अनुमान है कि कुल मिलाकर रेल मंत्रालय को घाटा होने वाला है, कोई नफा नहीं होने वाला है, भले ही आपने कारखाने लगाने की बात जरूर कही है। ठीक इसी प्रकार आपने एक अन्य कारखाना लगाने की बात भी कही है, यह कारखाना आप चाहे बिहार में लगाएं या किसी अन्य स्थान पर लगाएं, लेकिन जो वर्तमान में कारखाने लगे हैं, उनकी कार्यक्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया है। कपूरथला या चेन्नई या तमिलनाडु में जो कारखानों की क्षमता है, उनका भरपूर लाभ नहीं उठाया जा रहा है। 60 प्रतिशत से कम उत्पादन इन कारखानों में किया जा रहा है, अगर इस क्षमता को बढ़ाया

जाता है, तो रेलवे की आवश्यकता पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ हम रेलवे की आवश्यकता की पूर्ति आयात करके कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आयात करनी पड़ती हैं, यदि हम आयात न करके यहीं पर प्राप्त करने की व्यवस्था करें, तो ज्यादा ठीक होगा।

इसके साथ ही आपने अपने बजट भाषण में रेलवे पुलिस को अतिरिक्त अधिकार देने की बात भी कही है। इनके पास अधिकार तो पहले से ही हैं, लेकिन इन अधिकारों का सदुपयोग तो मैं नहीं कहूंगा, दुरुपयोग अधिक किया जा रहा है। यह व्यवस्था तो नहीं है कि वे अधिकारी सामान को चैक करने की व्यवस्था करें, टिकट यात्रियों से मांगते हैं और उनको परेशान करते हैं। उनको और अधिक अधिकार देने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा और दिए गए अधिकारों से रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों के बालकों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेलवे की तरफ से चिकित्सालय, विद्यालय और महाविद्यालय चलाए जाते हैं। लेकिन इसमें इतनी कम प्रवेश संख्या होती है कि रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के बालकों को प्रवेश नहीं मिलता है। चिकित्सालयों की बहुत दुर्दशा है। वहां विशेष प्रकार के रोगियों के इलाज की ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्हें रैफर करने के बाद जब बाहर भेजा जाता है तो वहां भी परेशानी होती है। यदि आप इन तीन बातों की तरफ ध्यान देते तो इस बजट को उपयोगी कहा जा सकता था। वर्तमान में जो बातें बतायी हैं उनसे बहुत बड़ा उपयोग होगा या कोई बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा तर्कसंगत नहीं लगता है।

मैं आमान परिवर्तन की दिशा में दो–तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने आमान परिवर्तन के बारे में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2004–2005 की समयावधि में उन्हें पूरा करने की बात कही थी लेकिन 2004–05 तक जहां–जहां आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, उनको कैसे पूरा करेंगे, कैसे लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। 2004–05 में जिन चीजों की पूर्ति होने वाली थी, यह होगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मैं दो–तीन उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नीमच से रतलाम तक आमान परिवर्तन जो पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, वह 2004–05 में पूरा होना चाहिए था लेकिन बजट में केवल 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि मैंने रेल मंत्रालय और स्वयं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करके कहा था कि आप इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं अन्यथा यह 2004–05 में यह लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। उसके लिए राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है। उस लाइन के बनने से दोहरी और वैकल्पिक लाइन रतलाम से कोटा तक मिलती है। आप एक तरफ चित्तौड़ से उदयपुर को जोड़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सर्वेक्षण के लिए रतलाम से मऊ के सर्वेक्षण की बात कही है और तीसरी रतलाम से बांसवाड़ा तक वाया डूंगरपुर की बात कही है। ये सर्वेक्षण कार्य बरसों से चल रहे हैं। नई घोषणाएं करने से पहले आप नए सर्वेक्षण की पूर्ति की दिशा में आगे क्या करेंगे और सर्वेक्षण के बाद कितनी अवधि में काम शुरू हो जाएगा, इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इससे रतलाम से सीधे चित्तौड़ तक का आमान परिवर्तन हो जाएगा। रतलाम–नीमच का काम चल रहा है, नीमच चित्तौड़ के बीच में काम हो गया है, चित्तौड़ से कोटा के बीच काम हो गया है, चित्तौड़ से उदयपुर के बीच भी होने वाला है लेकिन चित्तौड़ से अजमेर का जो खंड है अगर वह शेष रह जाता है तो मेन लाइन बनी या नहीं वह अधूरा रह जाएगा क्योंकि मऊ से लेकर अजमेर तक का जो रेल खंड है, उसका जब तक पूरा आमान परिवर्तन नहीं होता तब तक इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी।

आपने रेल सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। आपने एक आकर्षित नारा दिया है कि कैसे पैलेस ऑन व्हिल्स की तरह विलेज ऑन व्हिल्स करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। यह किस प्रकार की होगी और किस प्रकार इसका उपयोग किन–किन व्यक्तियों द्वारा या सामान्यजन द्वारा किया जाएगा इसकी क्या संरचना होगी, यह आप जानें। अभी स्थिति यह है कि सामान्य कोचेज नहीं मिल रहे हैं, लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। लोग यात्री डिब्बों के ऊपर बैठकर चलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप आरक्षित डिब्बों की बजाय ज्यादा से ज्यादा अनारक्षित डिब्बे या सामान्य कोचेज बढ़ाने की कृपा करें। गाड़ियों के अन्दर डिब्बे बढ़ाए जाएं। 22 कोचेज, 25 कोचेज, 26 कोचेज, इस प्रकार उन्हें बढ़ाएं। सामान्य यात्री जिसमें यात्रा करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाएं। अन्यथा विलेज आन व्हील्स सर्वथा निरुपयोगी होगा।

मैं अपने क्षेत्र की 2–3 बातों का उदाहरण देकर उल्लेख करना चाहता हूं। रतलाम–नीमच आमान परिवर्तन शीघ्र हो। वहां पटरियां आ गई हैं, स्लीपर डाले जा चुके हैं, साइड्स चौड़ी हो गई हैं, सिगनलिंग का काम चल रहा है, इसके लिए

[श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

थोड़ी राशि और उपलब्ध करा दी जाए। मैंने आपसे और रेलवे बोर्ड से निवेदन किया था कि इसके लिए 70–80 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया जाए। वह लाइन पूरी होने से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप इसे जल्दी से जल्दी कराएं। यह यात्री यातायात व औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से लाभप्रद होगी। उज्जैन से रामगंज मंडी तक के सर्वेक्षण को अद्यतन कराने की बात कही गई थी। यह बात पहले भी कही गई थी लेकिन अद्यतन कराकर काम शीघ्र आरंभ हो। आप इस दिशा में प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि वह लाइन ज्यादा उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो सकेगी।

कुछ ऐसे रेलवे क्रॉसिंग हैं जहां ऊपरी पुल बनाना आवश्यक है। अभी रतलाम में ऊपरी पुल बन रहा है लेकिन दूसरा ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है। जावरा के पास ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है। नीमच में रेल ऊपरिगामी पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। कई समपार तो ऐसे हैं जहां 24 घंटे आदमी तैनात किए जाने चाहिए। समपार पर कोई आदमी नहीं होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है और दुर्घटनाएं होती हैं और स्टेशन जाकर आदमी को बुलाकर ही फाटक खुलवाया जाता है। इसलिए जिन समपारों पर आदमी की आवश्यकता है, वहां यह व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में रेल आरक्षण की बात कही है जिसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रेल आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री जीं ने कंप्यूटर द्वारा रेल आरक्षण सुविधा और बढ़ाए जाने की बात कही है। ठीक है, यह व्यवस्था बढ़ रही है लेकिन जहां–जहां कंप्यूटर व्यवस्था है, वहां कर्मचारियों की इतनी कमी है कि लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आप कर्मचारियों की इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? कब तक करेंगे? इसके साथ ही उन्होंने रेल में निरंतर बढ़ रहे घाटे के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात को रेल वार्षिकी 2002–2003 में स्वीकार किया है जो उपनगरीय रेल चल रही है, उसमें काफी घाटा हो रहा है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चल रही उपनगरीय रेलों से राजस्व में करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। इस घाटे की पूर्ति वे किस प्रकार से करेंगे, कृपया बताएं ताकि उपनगरीय रेलों में चलने वाले यात्रियों को लाभ मिले और राजस्व घाटे को पूरा किया जा सके। उन्होंने वार्षिकी 2003–2004 के पृष्ठ 96 पर इस बात को स्वीकार किया है कि यह घाटा करीब 650.70 करोड़ रुपये है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेल मंत्री जी ने इस घाटे को पूरा करने के लिए किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट भाषण के पृष्ठ 3 पर उद्धृत किया है कि रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं। यह पुरानी बात है। अभी तो वर्ष चालू हुआ है और इनके समय में रेल दुर्घटनाएं और बढ़ रही हैं। अभी आपको महीना भर हुआ है। अपने भाषण में बताया है कि मानवीय भूलों के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसमें किसका दोष है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं रेलवे की अक्षमता के कारण या संरचना में कमी के कारण ये दुर्घटनाएं निरंतर घटती रही हैं। हमारे पूर्ववर्ती रेल मंत्री के प्रयास का फल है कि दुर्घटनाओं में कमी आई थी। क्या रेल मंत्री जी इन दुर्घटनाओं को घटाने का प्रयास करेंगे? मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन आज रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्हें रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आज रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा गंदगी मची रहती है। केवल कह देने मात्र से या भाषण करने से रेलवे स्टेशन पर सफाई नहीं होती है। मैं कल ही राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। ए.सी. फर्स्ट–क्लास के कोच में टॉयलट बहुत गंदा था। सामान्य श्रेणी के डिब्बों में हालत और खराब रहती है। आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। स्वच्छता कह देने से काम नहीं चलता। इसमें पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यात्रियों को सुख–सुविधा मिलनी चाहिए। मंत्री जी स्वयं स्टेशन पर जाकर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, वहां किस प्रकार की अव्यवस्था है, वह अव्यवस्था दूर कराइए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में आमान परिवर्तन, लाइन दोहरीकरण या विद्युतीकरण की बात कही है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इन सब परियोजनाओं के लिए धनराशि कहां से आएगी। केवल घोषणाएं कर देने से काम नहीं चलेगा। जब इन घोषणाओं को अमलीजामा पहना पाएंगे तभी काम हो सकेगा लेकिन केवल कह भर देने से या आकर्षक बना देने से काम नहीं चलने वाला है। इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं 2–3 बातें अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में शामगढ़, पश्चिमी रेलवे का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। मैंने इस स्टेशन पर जम्मू तवी–मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टापेज के लिए पत्र लिखकर

निवेदन किया है। इसी प्रकार जयपुर–दुर्ग व धनबाद–अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी के स्टापेज के लिए भी अनुरोध किया है, साथ ही मेरी मांग है कि निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टापेज गरोठ स्टेशन पर दिया जाए। कई स्टेशनों पर पश्चिम रेलवे में मेरे क्षेत्र में प्लेटफार्म सही कराएं तथा स्टेशन के समीप की सड़कें ठीक करवाएं। रतलाम–कोटा के मध्य एक 'ई.एम. यू.' चलाई जाए। इसके साथ ही साथ उज्जैन से लेकर चित्तौड़गढ़ तक जो मीटर गेज का खंड है, उसमें एक अतिरिक्त गाड़ी, जब तक ब्राडगेज का काम पूरा नहीं होता, चलाने की बात मैंने कही है। आशा है इन सब बातों की तरफ भी आप ध्यान देंगे तथा जैसा मैंने कहा है तथा पुनः कहूंगा कि सामान्य यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक कोचेज लगाकर या सामान्य कोचेज लगाकर' इन अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण तथा चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं देने की व्यवस्था करें। यात्री सुविधाओं की तरफ अधिक ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम।

"इलयाट्रालूम इटालूम कथ्थालूम कथ्था
वगूथ्थालूम वला थरासू।"

यह कूरल महान कवि थिरुवलूवर द्वारा लिखी गई है और किसी भी बजट की तैयारी के लिए ये शब्द सर्वथा उपयुक्त हैं।

मैं इस मौके पर अपनी डीएमके पार्टी के सर्वाधिक सम्माननीय और लब्धप्रतिष्ठित नेता माननीय डा. कलायिंगनार और हमारे प्रिय पूर्व मंत्री मुरासोलीयार के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा में आने का मौका दिया और महोदय, मैं आपका भी तहेदिल से धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे वर्ष 2004–05 के रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

सर्वप्रथम, मैं माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद और माननीय रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वेलु, आईएएस को रामेश्वरम खंड में मदुरई से मानामदुरई तक 48 किलोमीटर के लगभग आमान परिवर्तन कर बड़ी लाइन हेतु मंजूरी देने के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूं।

बजट का समाज के लगभग सभी वर्गों ने स्वागत किया है क्योंकि यह पूरी तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महान नीतियो से ओतप्रोत है। सूती की जगह खादी और खद्दर और प्लास्टिक कपों के बदले परंपरागत कुल्हड़ का इस्तेमाल शुरू करने से ग्रामीण विकास मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे विचार से रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद ने स्वयं को समाज के गरीब लोगों का चहेता नेता साबित कर दिया है।

महिला सांसद होने के कारण यह एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर नियुक्त करना एक अग्रगामी योजना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की नौकरियों हेतु बेरोजगार युवाओं को साक्षात्कार देने के लिए और आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में मारे गए रक्षा कार्मिकों को रियायत देने का कदम स्वागत योग्य है।

इस प्रकार रेल बजट में पूर्णतः संपूर्ण समाज के गरीब, कमजोर वर्ग, दबे–कुचले लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं दी गई हैं क्योंकि यात्री किराए और मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

इन सबके बावजूद, मेरे क्षेत्र, रामनाथपुरम में बड़ी लाइन की घोषणा पर शिकायत करने से स्वयं को नहीं रोक पा रही हूं। हमें वास्तव में, रामेश्वरम तक बड़ी लाइन की अत्यंत आवश्यकता है।

रामेश्वरम, जो कि बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक ऐतिहासिक केंद्र है, जहां रोजाना 7000 यात्री आते हैं, अतः यह न केवल एक सांस्कृतिक संपर्क है अपितु व्यावसायिक केंद्र भी है क्योंकि यहां से 10 करोड़ रु. प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त होता है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक, हमारे राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम रामेश्वर से हैं।

सेतु समुद्रम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रामेश्वरम तक बड़ी लाइन के विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। बड़ी लाइन न केवल हमारे पिछड़े क्षेत्रों की यातायात आवश्यकता को पूरा करता है अपितु यह विभिन्न स्थानों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी देता है। यदि परियोजना क्रियान्वित होती है तो 10 करोड़ रु. के वर्तमान वार्षिक राजस्व में 20 प्रति की वृद्धि होगी।

स्यालकुंडी और तूतीकोरीन होते हुए रामनाथपुरम और

[श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन]

कन्याकुमारी के मध्य रेलवे लाइन को बिछाना अत्यंत आवश्यक है। इससे तूतीकोरीन पत्तन में और इसके आसपास व्यावसायिक गतिविधियों का विकास होगा और साथ ही कन्याकुमारी तक व्यवहार्य व्यावसयिक और सांस्कृतिक संपर्क का विस्तार होगा। जैसा कि रामनाथपुरम और कन्याकुमारी के मध्य ईस्ट कोस्ट सड़क का कार्य चल रहा है टौर जब इसके समानान्तर बड़ी लाइन बिछाई जाएगी तो यह निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़े इलाकों की अर्थव्यवस्था और आयात–निर्यात गतिविधियों में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगी।

मैं आशा करती हूं कि रेल मंत्री द्वारा हमारी शिकायतों पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं अपनी डी.एम.के. पार्टी की ओर से इस गरीब आदमी के बजट का स्वागत करती हूं।

पुनः महोदय मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं अगले वक्ता से बोलने का अनुरोध करूं, मैं अरुणाचल प्रदेश विधान सभा को भंग किए जाने के संबंध में माननीय गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बारे में एक घोषणा करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वक्तव्य दें।

अपराह्न 2.55 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का विघटन

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : धन्यवाद, महोदय।

संविधान के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, 7 जनवरी, 2004 से छह महीनों अर्थात् 6 जुलाई, 2004 के भीतर किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या घटाकर विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक की जानी है लेकिन यह 12 से कम नहीं होगी।

अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा में कुल 60 सदस्य थे। अतः अरुणाचल प्रदेश में 6 जुलाई 2004, तक मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या घटाकर 12 की जानी थी।

6 जुलाई, 2004 को अरुणाचल प्रदेश की मंत्रिपरिषद में कुल 33 मंत्री थे। श्री कमेंग डोलो, उप–मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने 6.7.2004 को 21 सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए।

मंत्रिमंडल की संख्या घटाने के पश्चात्, मंत्रिपरिषद की उसी दिन बैठक हुई और तत्काल प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश विधान सभा को भंग करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का प्रस्ताव पारित किया और राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह देने तथा सिफारिश करने हेतु श्री गेगांग अपांग, मुख्यमंत्री को प्राधिकृत काय गया। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा को 6.7.2004 से भंग कर दिया। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट 7 जुलाई, 2004 को भेजी।

7 जुलाई, 2004 को विधान सभा के विभिन्न पार्टियों के भूतपूर्व सदस्यों का एक दल, जिनकी संख्या 25 थी, उनमें से 13 कांग्रेस पार्टी, 10 भाजपा और 2 निर्दलीय थे राज्यपाल से मिला और उन्हें एक याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने इस याचिका में, यह आरोप लगाया कि राज्य विधान सभा को भंग करना गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक है। और यह सारी प्रक्रिया उस वित्तीय घोटाले, जिसकी जांच इस प्रयोजनार्थ गठित सभा समिति (हाउस कमेटी) द्वारा की जा रही है, की जांच–पड़ताल से बचने के लिए की गई है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 356(1)(ग) के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को 7 जुलाई की शाम को एक पत्र भेजा।

बाद में, उसी दिन (7.7.2004) की शाम को, पूरा मंत्रिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि संविधान की धारा 174(2)(ख) के तहत 6.7.2004 को राज्य विधान सभा को भंग करना अपरिवर्तनीय और संपूर्ण है और इसलिए धारा 356(1)(ग) के तहत उपबंधों के कार्यान्वयन की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को पत्र भेजने का कोई औचित्य नहीं है। राज्यपाल ने तत्पश्चात् उसी दिन राष्ट्रपति को एक और पत्र यह कहते हुए लिखा कि पहला पत्र, जिसमें अनुच्छेद 356(1)(ग) के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है,

पर ध्यान न दिया जाए क्योंकि उस पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 7 जुलाई, 2004 का यह पत्र राष्ट्रपति को 8 जुलाई, 2004 को प्रातः मिला।

8 जुलाई, 2004 को, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को यह कहते हुए एक और पत्र लिखा कि उन्होंने विधान सभा के विभिन्न ग्रुपों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों और इस मुद्दे के संवैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए स्थिति की आगे और समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही अधिसूचित विधान सभा को भंग करने का निर्णय अंतिम है और भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी समीक्षा अनुज्ञेय नहीं है। उन्होंने पत्र में आगे उल्लेख किया है कि आज की तारीख तक कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा कोई भी संवैधानिक संकट नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 356(1)(ग) के अंतर्गत उनकी सिफारिश पर ध्यान न दिया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव।

(व्यवधान)

श्री खीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से इतना आश्वासन चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई प्रश्न न करें।

(व्यवधान)

श्री खीरेन रिजीजू : महोदय, मैं बस एक आश्वासन चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, चर्चा नहीं की जा सकती पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है... *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, वे अरुणाचल प्रदेश के माननीय संसद सदस्य हैं। वह कोई स्पष्टीकरण मांग सकते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : चूंकि वहां पर संवैधानिक संकट है, माननीय संसद सदस्य स्पष्टीकरण मांगने के लिए खड़े हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री खीरेन रिजीजू : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : हम कभी भी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। संसद में यह प्रथा रही है कि...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक एकपक्षीय मामला नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। हम प्रश्न पूछ सकते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, हमें स्पष्टीकरण मांगना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन माननीय सदस्य बीच-बीच में बोलकर मेरे भाषण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए मैं अपना भाषण प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप इन्हें शांत रहने के लिए कहें ताकि मैं अपना भाषण शुरू करूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है और संविधान के उल्लंघन होने की स्थिति में भी आप नहीं चाहते हैं कि हम स्पष्टीकरण मांगें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा

सुझाव है कि सोमवार को गवर्नर्स की डिसमिसल पर डिबेट हो रही है, इस विषय को तब उठाया जाए तो बेहतर रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, कृपया हमें कुछ स्पष्टीकरण पूछने दें...*(व्यवधान)*

श्री खीरेन रिजीजू : मैं एक आश्वासन चाहता हूं...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं सभा में कोई आश्वासन देने नहीं जा रहा। आपके अपने सदस्य ही कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : संविधान के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : इस प्रकार के मामलों में विस्तृत विवरण जाने बिना कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। सरकार उपयुक्त तरीके से उपयुक्त निर्णय लेगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, एकमात्र प्रश्न यह है कि गवर्नर ने कहा है कि उनसे ड्यूरैस में लैटर लिखवाया गया है। आप अपने गवर्नर को तो डिफेंड करेंगे, यह बात ठीक है, लेकिन वे कौन लोग हैं जिन्होंने गवर्नर से बलपूर्वक लेटर लिखाया?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 के अनुसार :

"लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किंतु जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।"

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, इस मामले में मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और उन्हें कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल किया गया है। अब वे यह भूल रहे हैं कि राज्य में उनके दल की सरकार थी।

वे यह भूल रहे हैं कि वहां की कामचलाऊ सरकार के उनके अपने मुख्य मंत्री थे और वे यह भूल रहे हैं कि वे ही वहां पर हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं। अब वे हमसे कार्रवाई करने और इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री खीरेन रिजीजू : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हुआ वह राज्यपाल के आवास पर हुआ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात आ गई है, हमारी बात नहीं आई है।...*(व्यवधान)* हम केवल एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* क्लेरीफिकेशन पूछने के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जब आपकी रूलिंग हो गई है तो प्रश्न पूछ ही नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : हमारी ट्रेन लेट न कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा। वे कौन सी परिस्थितियां थीं; जिन्होंने राज्यपाल को माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए बाध्य किया?...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, कृपया मुझे स्पष्टीकरण मांगने का एक अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री यादव को बुला चुका हूं। मैं श्री राम कृपाल यादव के भाषण समाप्त हो जाने के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तापिर गाव : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने किस दबाव में आकर माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखा?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, जब से यह घटना घटी है सभी प्रकार की रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसकी अनुमति नहीं है।

अपराह्न 3.07 बजे

(श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*)

रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2004-05—*जारी*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज देश के सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण रेल बजट पेश किया है।

महोदय, यह बजट संयुक्त, प्रगतिशील गठबंधन सरकार का बजट है जो वर्ष 2004–2005 के लिए है। यह देश में पहला अवसर है जब किसी रेल मंत्री जी ने पूरे देश के पैमाने पर गरीबों, वंचित लोगों, महिलाओं, पिछड़ों, अकलियतों, गांव के लोगों और जो सुविधा–भोगी लोग हैं, उनके लिए शानदार और जानदार रेल बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। एनडीए, विपक्ष के लोगों को इसका एक–मुख से वेलकम करना चाहिए था। जो पिछले छः साल से यहां राज कर रहे थे, उन छः वर्षों के रेल बजट को देखा जाए और इस साल के रेल बजट को देखा जाए तो इसी से पता चल जाएगा कि इनका दृष्टिकोण क्या था और हमारा दृष्टिकोण क्या है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है, इनका दृष्टिकोण क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा। ये रोना रोते थे, स्वदेशी का नारा देते थे, लेकिन इन्होंने सारे देश को बर्बाद कर दिया। स्वदेशी दिल से होता है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने एक–दो निर्णयों से इस देश को दिखा दिया है कि कौन स्वदेशी चाहने वाला है और कौन देशी को चाहने वाला है। आप पिछले छः सालों में देश को कहां से कहां ले गए, शाइनिंग इंडिया। आपने फील गुड सुना होगा, सारा इंडिया शाइनिंग, फील गुड इनका समाप्त हो गया। हम देश के गरीबों को चाहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने निर्णय लिया है, कुल्हड़, खादी, छाछ, दूध, लस्सी, मट्ठा, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, मैं इनकी बातों को सुन रहा था कि किसी कंपनी ने इसका टेंडर ले लिया है।

मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में धन्यवाद ज्ञापित करने गया था, पाटलिपुत्र, जो ऐतिहासिक धरती है, गुरु गोविन्द सिंह जी की धरती है, जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, अशोक और सूफी संतों की धरती रही है। मैं वहां एक गांव में गया तो कुम्हार मेरे पास दौड़ते हुए आये। हमने कहा कि आपका चक्का चल रहा है तो वे बड़े खुश थे, हमें प्रणाम कर रहे थे। हमने कहा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद जी यादव ने तो हम लोगों की जो रोजी–रोटी छिन गई थी, उसे वापस कर दिया और हमें बचाया, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं और सही बात बोल रहा हूं। मैंने कहा, लालू जी का यह एक निर्णय देश के जितने कुम्हार और मिट्टी बरतन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रोजगार जो पिछले कई वर्षों से छिन गए थे, इन्होंने उनके पेट की रोटी वापस कर दी। हम आपके नेता, आपकी पार्टी और आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमें मिट्टी नहीं मिल रही है और सारे लोग काम में लगे हैं, क्योंकि हजारों का उसे आर्डर मिल गया था। ऐसे एक नहीं, अनेकानेक एग्जाम्पल्स हैं।

मन साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। नीति बने और नीयत साफ नहीं हो तो कोई नीति सही ढंग से नहीं चलती है, 54 साल की आजादी में यही हुआ है। नये–नये कानून बनते गये, लेकिन कानून तो इम्प्लीमेंट करने से होता है न। हमारी ऐतिहासिक धरती है। इनके एक खादी के निर्णय ने जितने हैंडलूम और पावरलूम से जुड़े हुए लोग थे, गरीब और बुनकर लोग बेचारे परेशान हालत में थे, सब लोग अपनी किस्मत को रो रहे थे कि मेरा क्या होगा, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी। गांधी दर्शन को अगर किसी ने सही ढंग से सरजमीं पर उतारने का काम किया है तो लालू यादव और मनमोहन सिंह की सरकार ने किया है और आपको इससे सीख लेनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आपने सही कहा कि गांधी के दर्शन को ये क्या उतारेंगे।...* इनके मन में गांधी के प्रति कोई ममता नहीं है। हम माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इस शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाए। माननीय सदस्य ने जो इस शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाए, हमारा इतना ही निवेदन है। इन्होंने जो शब्द बोला है, उसे कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : यह शब्द कार्यवाही में रहना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सदस्य ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले : ...*

यह शब्द रिकार्ड में रहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : अनपार्लियामेंटरी वर्ड को कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय : जो ऑब्जेक्शनेबल शब्द हैं, वे कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

श्री राम कृपाल यादव : आज जो गरीब, दलित, शोषित और आदिवासी लोग हैं, जिनकी तरफ आप लोगों में से किसी ने ध्यान देने का काम नहीं किया, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, 81 प्रतिशत लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी के बजट का देश के लोगों ने स्वागत किया है। यह इनका आंकड़ा है, जिस पर ये विश्वास करते हैं, वह हम लोगों का आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह अच्छा बजट है, इसका गरीब तबके के लोगों ने, सब वर्गों के लोगों ने वैलकम किया है, स्वागत किया है। वे कहते हैं तो इनको खराब लगेगा ही। शेयर बाजार का सूचकांक चढ़ गया, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा है, लगेगा भी नहीं। पूरे देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने कहा कि यह बिहार का बजट है। इस देश में यह सबसे पहले रेल मंत्री हैं जिन्होंने बिहार की तरफ कुछ झांका है, बिहार को कुछ दिया है। बिहार को अभी भी अपना वाजिब हक नहीं मिल पाया है।

मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बिहार को बहुत छोटा–सा अंश दिया है। इससे बिहार का काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* बिहार के साथ–साथ जितने अन्य पिछड़े राज्य हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने इस रेल बजट में उन पर कुछ ध्यान दिया है लेकिन उससे उनका काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, आप उड़ीसा राज्य से आते हैं, वह भी गरीब राज्य है। बिहार के साथ हमेशा अन्याय ही हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार की हकमारी हुई है। बिहार एक गरीब, शोषित और पिछड़ा हुआ राज्य है। मैं समझता हूं कि अगर देश का संचालन करना होगा, देश को समान रूप से आगे बढ़ाना है तो आपको बिहार और बिहार जैसे गरीब राज्यों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* ये लोग क्या समझेंगे?...*(व्यवधान)* बोल बम, तौल कम वाले लोग हैं। इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। इनको केवल अयोध्या नजर आ रही है, राम मंदिर नजर आ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले : इनका ध्यान रेल पर नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : यह तो आप लोगों को पता चल जाएगा।...*(व्यवधान)* भगवान राम के साथ धोखा कीजिएगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ...*(व्यवधान)* आपने सारा देश बर्बाद कर दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री रासा सिंह रावत : आप रेल बजट पर बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : मैं रेल बजट पर ही आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य विषय से हटकर बोल रहे हैं। कृपया इन्हें रेल से संबंधित विषय पर बोलने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हम आप पर भी आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* क्या रेल अयोध्या नहीं जाती है? बिना रेल के आप अयोध्या चले जाते हैं। हम माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने अयोध्या के लिए एक नयी ट्रेन दी है। असली राम भक्त तो हम लोग हैं। आप जैसे लोग नहीं हैं जो राम के नाम पर कत्लेआम करने का काम करते हैं।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम आप जैसे लोग नहीं हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। भगवान राम कर्मयोगी रहे हैं और हम काम में विश्वास करके दिखाना चाहते हैं। जो वर्तमान सरकार है, वह दिखाना चाहती है कि इस देश का जो अवाम है, गरीब तबके के लोग हैं ...*(व्यवधान)* जो सही में राम हैं, उसे भी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। "अल्लाह–ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।" इस देश का अवाम तरस रहा था। बिहार की धरती ऐतिहासिक धरती है जहां से महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी।

सभापति महोदय, शायद आपको याद होगा। इन लोगों को इतिहास याद नहीं है। उसी बिहार की धरती से एक लाल श्री लालू प्रसाद यादव जी निकले हैं जिसने देश को परिवर्तित करने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : हमने लाठी भी उठाई थी।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : यह ठीक है कि आपने लाठी उठायी थी, लाठी रैली भी निकाली थी और इन लोगों का सफाया किया था।...*(व्यवधान)* बिहार की ऐतिहासिक धरती पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। आज तक उनको इसकी पीड़ा है इसलिए इन लोगों ने श्री लालू प्रसाद को प्रताड़ित करते रहने का काम किया है।... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : खानदानी लड़ाई चल रही है।... *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : यह खानदानी लड़ाई चल रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरफ ध्यान देकर बड़ी कृपा की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरफ आज तक किसी ने नहीं देखा। जो कुली हैं, पोर्टर हैं, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अभी तो मैंने शुरू किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, कृपया मुझे सहयोग दें।

सभापति महोदय : आपको भी मेरे साथ सहयोग करना होगा क्योंकि अन्य सदस्यों को भी बोलना है। अन्य सदस्य पंक्ति में हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं पहले भूमिका बता रहा था, अब बजट पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं हाथ जोड़ता हूं।...*(व्यवधान)* आपने न सिर्फ कुली, वैंडर्स, पोर्टर्स की तरफ ध्यान दिया बल्कि उनकी पत्नियों और उनके मां–बाप की तरफ भी ध्यान दिया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। गांव के बड़े–बूढ़े जो असहाय हैं, आपने उनके लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक बड़े लोगों की सुविधाओं का ही ध्यान रखा जाता था लेकिन गरीब लोगों की तरफ देखने वाला कोई नहीं था। रेल मंत्री जी ने गरीब लोगों की आशाओं को पूरा करने का काम किया है। बेचारे गरीब लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी वे भी तीर्थयात्रा करेंगे, आपने उनकी तरफ भी ध्यान दिया है। जिन लोगों के पास पिंड दान करने के लिए पैसा नहीं था, आपने उनको कम रेट में गया जैसे पिंडदान स्थान के लिए, अजमेर शरीफ और कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में भिजवाने की व्यवस्था की है। हम आपको कोटि–कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : आप मुझे संरक्षण दीजिए।... *(व्यवधान)* आपने माल–भाड़े में वृद्धि नहीं की है। ये कहते हैं कि पैसा कहां से लाएंगे। हममें इतनी क्षमता है कि हम अपने कार्यरूप से, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से व्यवस्था

[श्री राम कृपाल यादव]

कर लेंगे। हम लोग आम जनता को कोई तकलीफ देने का काम नहीं करना चाहते। आपने माफियागिरी को खत्म कर दिया। इतिहास साक्षी है कि 54–55 सालों में जिस पर बड़े–बड़े माफिया लोगों का आधिपत्य था, बड़े–बड़े सेठ लोग गुंडों के माध्यम से उस पर कब्जा कर औने–पौने रेट में उसे बेचने का काम करते थे, आपने उसे खत्म करने का काम किया। क्या ऐसा ऐतिहासिक काम किसी ने किया है? आपने ठेकेदारी में पारदर्शिता लाने का काम किया और करप्शन को दूर करने का काम किया। आप लोहे के बदले लोहा बनाकर, चक्का बनाकर जनता के बीच देना चाहते हैं। विदेशों से जो परचेजिंग होती थी, यदि उसके घपले की जांच की जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। रेल मंत्री जी देख रहे हैं कि उसमें क्या–क्या गड़बड़ी होती थी।

आपने छपरा में कारखाना खोलने के लिए जो काम किया है, वह भी स्वागत योग्य है। लोगों ने कहा कि छपरा में क्यों कारखाना खुल गया। क्या दिक्कत है कि छपरा में कारखाना नहीं खुलेगा? छपरा नैगलैक्टेड रहा है। आपने जमालपुर के बंद कारखाने को पुनर्जीवित कर दिया। यह भी स्वागत योग्य है। बिहार, मुजफ्फरपुर, मोकामा, जहां रेल के सामान बनते थे, एक साजिश के तहत उनको भंग कर दिया गया तथा बिहार के साथ अन्याय करने का काम किया गया। रेल मंत्री को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिहार और पूरे देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। आपसे लोगों को बहुत आशा है। व्हीलर किताब के माफिया को आपने खत्म कर दिया। आपने बैकवर्ड क्लास, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यक और शोषित लोगों को जो रिजर्वेशन दिया है, वह भी स्वागत योग्य है। हमारे यहां जनसंख्या रोज बढ़ रही है। रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने जो निर्णय लिया है, वह बेरोजगार नौजवानों के लिए स्वागत योग्य है। जो गरीब लोग इंटरव्यू देने के लिए शहर से बाहर जाते हैं, उनके लिए आपने फ्री टिकट कर दी है। यह एक ऐतिहासिक काम है। इसका स्वागत करना चाहिए लेकिन कोई करने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* पेसेंजर ट्रेन जो आम लोगों की ट्रेन है, उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। आपसे बड़ी आशा है। आपने मंत्री बनते ही सफाई की व्यवस्था करवाने का काम किया। पेसेंजर ट्रेनों की हालत बहुत ही खराब है। हम निवेदन करेंगे कि आप पेसेंजर ट्रेन का मुआयना कीजिए, चलकर देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। हमारे बिहार में कई ऐसी पेसेंजर ट्रेन हैं। देश के दूसरे भागों में भी पेसेंजर ट्रेनों की वही दुर्दशा होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पेसेंजर ट्रेन्स को ठीक कीजिए जिसमें देश की जनता चलती है। देश की जनता ए.सी. में नहीं चलती है और सॉफिस्टिकेटेड लोग भी इसी में चलते हैं। गरीब जनता भी इसमें चलती है। आपने जो ट्रेन गरीब लोगों के लिए शुरू करवाई है, वह कदम भी स्वागत योग्य है। आपने सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपने 8000 सिपाहियों की बहाली के लिए व्यवस्था की है और कई तकनीकी रूप से जो गड़बड़ियां थीं, उनकी ओर भी आपने ध्यान देने का काम किया है।...*(व्यवधान)* आप कह रहे हैं कि बिहार में ही सिर्फ अपराध हो रहा है। देश के जितने राज्य हैं...*(व्यवधान)* आप आकलन कर लीजिए कि बिहार में ज्यादा हैं या महाराष्ट्र में। ...*(व्यवधान)* और आप कह रहे हैं कि बिहार में घटना घटी है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य मान जाएं, तो मैं यही कहना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पिछली रा.ज.ग. सरकार ने रेलवे में सुरक्षोपायों की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया रेल मंत्री के भाषण के पृष्ठ 3 का पैरा 9 देखें। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि "विभिन्न सुरक्षोपायों तथा सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप 2000–01 में हुई 473 रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम होकर 2001–02 में 414 रह गई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री देव, वे नहीं मान रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : आगे यह भी कहा गया है कि 2002–03 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 351 तथा पुनः 2003–04 में घटकर 325 रह गई है। उस समय रा.ज.ग. की सरकार थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : सभापति जी, ये बीच में कहां से बोलने लगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री देव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। वे बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)* वस्तुतः, सुरक्षा पहलुओं पर रेल मंत्री ने पूर्व सरकार की प्रशंसा की है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री देव, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। वे बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, केवल राम कृपाल यादव जो बोलेंगे उसके अतिरिक्त कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर में समाप्त करने वाला हूं। राजधानी एक्सप्रेस जो सप्ताह में तीन दिन पटना से चलती है। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप इसे प्रतिदिन कर देंगे। इस पर बहुत लोड है। इस राजधानी एक्सप्रेस को डेली चलवाने का काम करें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बिहटा से लेकर औरंगाबाद तक रेल बिछाने का सर्वेक्षण का काम पूरा करवाने का काम कीजिए। इससे चार जिले लाभान्वित होंगे। उस इलाके में गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। पटना, अरवल, जहानाबाद तथा औरंगाबाद जिला होकर अगर ये लाइन बिछ जाती है तो इससे गरीब लोगों को बहुत सुविधा होगी। आप कृपा करके इस पर ध्यान देने का काम करें। हमारा आपसे निवेदन होगा कि सदीसोपुर स्टेशन हमारे यहां कांस्टीट्यूएंसी में है। वहां बहुत दुर्दशा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि पटना में मैट्रो ट्रेन चलवा दीजिए। आपने स्वयं एहसास किया है कि पूरे गंगा किनारे से लेकर पूरे पटना तक बहुत लोड है। बहुत आबादी अफैक्टेड हो रही हे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.28 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मैं दो–तीन प्वाइंट्स कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। वहां मेट्रो ट्रेन चलवा दीजिए। बंकाघाट वहां पर है। वहां पर बड़ा मल्ला का क्षेत्र है। वहां रेलवे वाइन प्रभावित होती है। पटना साहिब स्टेशन से चलवा दीजिए। आपने पटना दीघा से डीएमयू शुरू करवाई है परंतु वह पटना सिटी तक रह जाती है। पटना जंक्शन से पटना सिटी होते हुए पटना घाट मालसलामी तक करवा दीजिए ताकि अवाम को सुविधा मिल सके और गरीब लोग यात्रा कर सकें। इससे आपकी बड़ी जय–जय होगी। बंकाघाट स्टेशन के समीप मल्ला क्षेत्र है। वह भी बहुत जरूरी है। इससे करीब–करीब 50,000 किसानों को मदद मिलेगी। विक्रमशिला–दिल्ली–भागलपुर ट्रेन में पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं है, वह करवा दीजिए। जनशताब्दी ट्रेन के सभी दिल्ली–हावड़ा में जो कोचेज लगे हुए हैं, वे बहुत रद्दी हैं, उनको चेंज करवा दीजिए। भागलपुर से दिल्ली ट्रेन चेंज करवा दीजिए। जमालपुर का आधुनिकीकरण करवा दीजिए।

मैं एक और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहटा स्टेशन की व्यवस्था को मंत्री जी दुरुस्त करा दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे यहां गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके साथ ही मुंगेर में जो पुल बन रहा है, उसका भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन पुलों के कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण अब समाप्त हो गया है। धन्यवाद अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इसके साथ ही मैं पुनः रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो रेल बजट पेश किया है, उससे सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे देश का विकास होगा और देश के बेरोजगार युवकों को नौकरियां भी मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य।

अब कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी और सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुरःस्थापित

[अनुवाद]

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004**
(नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित*** करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

(दो) आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004**

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का निरसन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(तीन) मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्युदंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में मृत्युदंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004*
(अनुच्छेद 155 का संशोधन)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(छह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35½ बजे

[अनुवाद]

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004*

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[हिन्दी]

(आठ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन), 2004*

(अनुसूची का संशोधन)

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

[हिन्दी]

(नौ) परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2004*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसंकटमय नियोजन में बालक–श्रम का उत्सादन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम का उत्सादन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

[हिन्दी]

(दस) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

[हिन्दी]

(ग्यारह) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक, 2004*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38½ बजे

[अनुवाद]

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004*

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीजिए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, में विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[हिन्दी]

(तेरह) प्राकृतिक आपदा पीड़ित (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2004*

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि और भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास तथा वित्तीय सहायता और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि और भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास तथा वित्तीय सहायता और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

[अनुवाद]

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004*

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

[अनुवाद]

(पन्द्रह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2004*

(नए अध्याय चार 'क' का अंतःस्थापन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

[अनुवाद]

(सोलह) इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2004*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद में एक अध्यापन तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे चलाने एवं उससे संबंधित विषयों संबंध विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद में एक अध्यापन तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे चलाने एवं उससे संबंधित विषयों संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, में विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प–विचाराधीन

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एस. अजय कुमार द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में पेश किए जाने वाले गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा करेगी। इस संकल्प पर चर्चा शुरू करने से पहले हम इसके लिए समय निर्धारित करेंगे। आमतौर पर पहली बार दो घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। यदि सभा की सहमति हो, तो इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जा सकता है।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनिवेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, सरकारी सेवाओं में कटौती और सरकारी विभागों में भर्ती न होने के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर हो गई है जिससे कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लाभ अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार में आरक्षण दिए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए।"

देश में बेरोजगारी की स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसरों में मांग की अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई है और कई क्षेत्रों में तो यह रुझान, विशेषकर अंतिम दशक के दौरान नकारात्मक रहा है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (नेशनल सॉपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन) की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार में वृद्धि की दर वर्ष 1993–94 में जहां प्रतिवर्ष 2.70 फीसदी थी वहीं यह वर्ष 1999–2000 में घटकर प्रतिवर्ष 1.07 फीसदी रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारों की संख्या वर्ष 1993–94 में जहां 20 मिलियन थी वहीं यह वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 27 मिलियम हो गई और साथ ही बेरोजगारी की प्रतिशतता 1993–94 में 5.99 थी जो वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 7.32 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1996 के अंत तक भारत के रोजगार कार्यालय में दर्ज लोगों की संख्या 36 मिलियन से अधिक थी। यह संख्या वर्ष 2002 में बढ़कर 94 मिलियन हो गई। संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर 1971–81 के दौरान 2.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1981–91 के दौरान 1.6 प्रतिशत और 1991–95 के दौरान 0.8 प्रतिशत हो गई जिसका मूल कारण उत्तरोत्तर सरकार द्वारा बिना सोची–समझी अपनाई गई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक रुग्णता थी और यह बात औद्योगिक विकास दर से अच्छी तरह स्पष्ट होती है जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2003–04 में बताया गया है। कृषि क्षेत्र में भी स्थिति अत्यंत निराशाजनक है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार 1993–94

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 9.7.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

के 60 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 57 प्रतिशत ही रह गया है।

रोजगार में कमी उत्तरोत्तर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक दशक से अधिक समय से अपनाई गई एलपीजी नीति से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को इस स्थिति से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां और केंद्र तथा राज्य सरकारें रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों और अन्य पिछड़े वर्गों को मौजूदा आरक्षण नीति के कारण ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता था। परंतु, सरकारी क्षेत्र के एककों का निजीकरण किए जाने की नीति, सरकारी सेवाओं में पदों की संख्या कम किए जाने और भर्ती पर रोक के कारण इन वर्गों के लिए रोजगार पाने के अवसर काफी कम हो गए हैं।

कृषि क्षेत्र देश में कुल रोजगार का लगभग 60 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराता है। 70 प्रतिशत से अधिक लोग इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। उपर्युक्त नीतियों के कारण इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा आयात प्रशुल्क कम किए जाने वाली वस्तुओं की सूची में कृषि उत्पादों को भी शामिल किए जाने के निर्णय से कृषि क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा हो गया है। साथ ही, सरकार का इस क्षेत्र में सरकारी निवेश कम करने के कदम के साथ–साथ देश के कई हिस्सों में कई वर्षों से निरंतर गंभीर सूखे की स्थिति के कारण भारतीय कृषि की स्थिति चरमरा गई है। इस स्थिति के कारण कृषि संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक कमी आई है जिससे लाखों कृषि श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और उनकी आजीविका छिन गई है एवं उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है।

अधिक सर्वेक्षण 2003–2004 के अनुसार :

"58 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है पर इस क्षेत्र में जीडीपी के केवल 22 प्रतिशत का ही उत्पादन हो रहा है। जबकि कृषि विकास में 4 से 4.5 प्रतिशत की तेजी अनिवार्य है परंतु इतनी विकास दर के बावजूद जीडीपी में कृषि का हिस्सा और कम होने की संभावना है। इसलिए अधिशेष कृषि श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में खपाए जाने की आवश्यकता है।"

महोदय, यहां पर यह नोट किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के श्रमिक वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग हैं। इसलिए इन वर्गों को रोजगार दिए जाने के लिए नए अवसरों की खोज और उनकी पहचान की जानी चाहिए। चूंकि निजी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है और चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, मौजूदा आरक्षण सुविधाओं का विस्तार निजी क्षेत्र में भी किया जाना अनिवार्य है।

मैं सरकार से उपरोक्त विचार को सक्रिया रूप से सुलभ बनाने का आग्रह करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई स्पष्ट घोषणा को निश्चित समय–सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाना है।

इस सन्दर्भ में, मैं इस संबंध में विभिन्न और क्षेत्रों द्वारा इसमें विलंब और इसे टालने तक की संभावना के बारे में अपनी आशंका व्यक्त करना चाहता हूं। निगमित निजी क्षेत्र कार्यकुशलता के नाम पर इस विचार के विरोध में आगे आ चुका है और प्रभावशाली सामंतवादी विचारधारा भी तेजी से कार्य कर सकती है। सरकार के दृढ़ निश्चय को इच्छा शक्ति से ही हम इस महान राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनिवेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, सरकारी सेवाओं में कटौती और सरकारी विभागों में भर्ती न होने के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर हो गई है जिससे कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लाभ अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार में आरक्षण दिए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री एस. अजय कुमार ने इस सदन के समक्ष विचार के लिए

[श्री मोहन सिंह]

जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या को, जो इस समाज का सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग है, उससे जोड़कर सरकार और पूरे इस देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत सही समय पर यह प्रस्ताव आया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अपने 80 साल के संघर्ष के अनुभव से इस बात को समझा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, यदि उनकी तरक्की के लिए राजकीय प्रयास नहीं हुए तो हमारा समाज कई हजार वर्षों पहले जितनी दूरी पर खड़ा हुआ था, आज भी उसी स्थिति में खड़ा रहेगा। उन लोगों की तरक्की के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दो तरह के प्रावधान किए। पहला प्रावधान यह किया है कि हिन्दुस्तान के उन गरीब और दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया और दूसरे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेंगे और भारत सरकार उस कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार उन वर्गों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेगी। सन् 1953 में पं. जवाहर लाल नेहरू के समय काका कालेलकर कमीशन की स्थापना की गई थी जिसने तीन साल में अपनी संस्तुतियां दे दी थीं लेकिन उन पर धूल पड़ी रही। उसके बाद भारत सरकार ने उन संस्तुतियों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वचन और आश्वासन देश की जनता को दिया कि यदि हमारी पार्टी इस देश की हुकूमत में आई तो वह काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी। लेकिन पार्टी के भीतर भी पार्टियां थी, अंतर्द्वंद्व था और ऐसे वर्ग, जो हजारों वर्षों से या उससे भी अधिक समय से, जब से जातिप्रथा का उद्भव हमारे देश में हुआ, समाज के बहुसंख्यक वर्गों की हिस्सेदारी को लूटने का काम करते थे, उन लोगों के दबाव में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को जनता पार्टी की सरकार लागू नहीं कर सकी और किन्हीं परिस्थितियों में यह कहा गया कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पुरानी पड़ गई है, अब एक नया कमीशन बनाया जाना चाहिए। वर्ष 1978–79 में मंडल कमीशन की नियुक्ति हुई और 1982 तक उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई लेकिन वह भी धूल चाटती रही, आठ वर्षों के संघर्ष के बाद उसकी संस्तुतियों को 1990 में इस देश में लागू किया गया। उसके लागू होने के बाद निजीकरण के सिलसिले की एक बहार पूरे हिन्दुस्तान में चली। जब भूमंडलीकरण और निजीकरण का वातावरण इस देश में बना तो आरोप लगाया गया कि यह षड्यंत्र है कि संविधान के द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका हम किस तरह से अपहरण करें। निजीकरण के बारे में अभी भारत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में और सरकार संचालन का जो प्लेटफार्म तैयार हुआ है, उसमें एक अपील की गई है कि, हम सभी वर्गों से परामर्श करके निजी क्षेत्र में भी इन वर्गों की तरक्की के लिए आरक्षण के कानून को पास कराएंगे और उसे लागू कराना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप समाचार पत्रों पर ध्यान दें तो उन सभी वर्गों ने, जिनके हितों पर चोट पहुंचने वाली है, एक स्वर से सरकार के इस पक्ष को मानने से इनकार कर दिया और जो आज निजी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी ओर से, उनके जो बड़े संगठन हैं, उन्होंने सरकार के इस निश्चय को एक तरह से चुनौती दी है और कहा है कि हमें सुयोग्य व्यक्ति चाहिए, हमें आरक्षण लागू करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों का अपहरण करने के लिए सुयोग्य का प्रश्न हमेशा से और शुरू से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं आपके जरिए से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें दृढ़ता से काम करे। आज माननीय लालू प्रसाद जी की इस बात के लिए सराहना हो रही है कि उन्होंने एक अच्छा रेल बजट पेश किया है, लेकिन हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि रेलवे का कारोबार बढ़ रहा है, आज से दस साल पहले रेलवे में 21 लाख कर्मचारी काम करते थे और आज जबकि रेलवे का कारोबार बढ़ा है लेकिन इन कर्मचारियों की संख्या 16 लाख हो गई है। इसका असर किसके ऊपर पड़ता है। हिन्दुस्तान के पढ़े–लिखे नौजवानों को सबसे अधिक खपाने की क्षमता भारत के वाणिज्यिक और व्यावसायिक बैंकों में थी। आज से दस साल पहले उनमें दस लाख लोग काम करते थे। लेकिन आज उन बैंकों में आटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटकर आठ लाख रह गई है। इस तरह से दो लाख पढ़े–लिखे नौजवान का रोजगार अकेले बैंकिंग सेक्टर में इन दस वर्षों में कम हुआ है।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आहलूवालिया कमीशन की योजना आयोग के जरिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का कहना है कि इस देश में आज की तारीख में साढ़े चार करोड़ पढ़े–लिखे नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। अभी जो दस्तावेज हमारे सामने आया है, उसके अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारों की तादाद 18 प्रतिशत के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर 14 प्रतिशत के हिसाब से केरल राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है और सबसे कम बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ रही है। महोदय, क्या इन सरकारी आंकड़ों पर यकीन किया जा सकता है। बिहार में गरीबी के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और केरल में बढ़ती हुई बेरोजगारी के जो लंबे–चौड़े आंकड़े हैं, उसके दो खास बुनियादी कारण हैं। पहला बुनियादी कारण यह है कि केरल में महिलाओं, नौजवानों और पुरुषों में करीब–करीब शत–प्रतिशत साक्षरता है। पश्चिम बंगाल में नौजवानों में जागरूकता है। इसलिए जो भी पढ़े–लिखे लोग सरकार से रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं, वे सरकार के रोजगार कार्यालयों में जाते हैं, इसलिए इन दो राज्यों में बेरोजगारों की बढ़ती हुई रफ्तार का प्रतिशत हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है। लेकिन जिन राज्यों में आज भी पिछड़ापन है, जागरूकता नहीं है, अशिक्षा है, उन राज्यों में बेरोजगारों की रफ्तार बढ़ने के बावजूद आंकड़ों और कागजों में बेरोजगारों की रफ्तार कम दिखलाई पड़ती है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर इन सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के संवैधानिक और संविधान के अंतर्गत बने हुए सारे कानूनों को लागू करने का दायित्व जिस पक्ष के ऊपर है, वह है हिन्दुस्तान की ज्यूडीशियरी, और हिन्दुस्तान की जो सीनियर ज्यूडीशियरी है, जिसको हम अपर ज्यूडीशियरी कहते हैं, उसमें आरक्षण का कानून आज की तारीख तक लागू नहीं है। नतीजा यह है कि अदालत के दरवाजे पर भी समाज का कमजोर और गरीब, दलित और पिछड़ा अपनी दर्ख्वास्त लेकर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। इकोनॉमिक ऑफेन्डर्स को हिन्दुस्तान की ज्यूडीशियरी न्याय देती है। प्राकृतिक न्याय के नाम पर इस तरह के लोगों को खुली छूट मिलती है, लेकिन हमारा जो जायज अधिकार है संविधान के तहत, उसकी दर्ख्वास्त लेकर ज्यूडीशियरी के सामने जाते हैं तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए यदि न्याय की गुहार के लिए हम आना चाहते हैं तो जिस प्रकार भारत के संविधान में जितनी प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं, चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, जिस तरह से इनके अंदर आरक्षण का कानून लागू है, उसी तरह का आरक्षण का कानून न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए, यह हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं।

उसी के साथ एक यूनिवर्सल लॉ बनाकर जितनी भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की संस्थाएं हैं, चाहे निजी क्षेत्र की हों या सार्वजनिक क्षेत्र की हों या बाहर से आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, भारत के अपने सामाजिक विकास के दौर को देखते हुए उन सभी संगठनों में आरक्षण का कानून अनिवार्यतः लागू होना चाहिए जिससे हमारे सामाजिक परिवर्तन का जो माइलस्टोन है, भारत के महान राजनेताओं ने, जिन्होंने हजारों वर्ष का हिन्दुस्तान के इतिहास का अध्ययन करके भारत की पिछड़ेपन की, सामाजिक असमानता और विषमता की जो परिस्थिति थी, उसका अध्ययन करके सामाजिक परिवर्तन की दिशा से एक महान कानून भारत के संविधान को दिया था, उस कानून को व्यापक बनाकर, उसके दायरे को व्यापक बनाकर हिन्दुस्तान में काम करने वाले सभी पक्षों में इसको अनिवार्य बनाना चाहिए।

इस आग्रह के साथ आपने मुझे दो बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अजय कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सही मौके पर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष उन्होंने विचारार्थ प्रस्तुत किया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं कि देश के अंदर बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ रही है और इस संबंध में मुझे रामचरितमानस का एक किस्सा याद आता है। तुलसीदास जी ने लिखा है :

> "जस–जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।"

एक पौराणिक कथा है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम समुद्र को पार करने के लिए उसके किनारे पर पहुंचे, उससे पहले हनुमानजी उनके दूत बनकर लंका जाने के लिए समुद्र को लांघ रहे थे। उस समय हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की देवी सुरसा आई और उसने हनुमान जी को रोकने के लिए मुंह फैलाया। जैसे–जैसे सुरसा ने अपना मुंह

[प्रो. रासा सिंह रावत]

फैलाया, हनुमान जी आकार में उससे दोगुने होते गए। परिणाम यह हुआ कि सौ योजन का मुंह हुआ तो हनुमान जी दो सौ योजन के हो गए।

इसी प्रकार से आजादी के बाद से हमारे देश में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने जब–जब बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास किए, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं कि प्रत्येक सरकार ने प्रयत्न किए, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बढ़ता है एक, दो, तीन, चार, पांच के हिसाब से और आबादी बढ़ती है दो, चार, आठ, सोलह और बत्तीस के हिसाब से। परिणामस्वरूप उसमें तालमेल नहीं बैठा और बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमें इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और बेरोजगारों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।

भारत के संविधान में दलित वर्गों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और सदियों से जिनको दबाकर रखा गया था, जिनको अवसर प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत आरक्षण प्रदान किया गया, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हों या नौकरियों के क्षेत्र में। वह प्रारंभ में दस वर्ष के लिए था। फिर धीरे–धीरे उसका समय बढ़ता गया और वह निरंतर बढ़ता गया। उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ओबीसी जो थे, उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप केंद्रीय नौकरियों में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और लगभग 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कहीं 21 प्रतिशत और कहीं कुछ और भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भू.पू. सैनिकों के लिए, अपंगों के लिए, अपाहिजों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरक्षण किया जा रहा है। इससे आरक्षण की सीमा बढ़ती चली जा रही है। अब माननीय श्री अजय राज जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें पहले इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि डिस–इनवेस्टमेंट के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण होने, सरकारी सेवाओं में कटौती करने और सरकारी विभागों में भर्ती नहीं होने के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति और भी गंभीर हो गई है जिससे कमजोर वर्ग विशेषकर एस.सी. और एस.टी. के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। एस.सी., एस.टी. और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार और आरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव यहां लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धांत की दृष्टि से और सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे वोट की राजनीति काम कर रही है। कहीं न कहीं आरक्षण की कोई सीमा बनानी पड़ेगी, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वर्तमान प्रधान मंत्री, जिस समय श्री नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति और डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर करने की नीति अपनाई थी। हम उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं। जब कंपटीशन करना है और कंपटीशन में हमें ठहरना है, तो केवल आरक्षण से काम नहीं चलेगा। आखिर आरक्षण के साथ–साथ हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, योग्यता और दक्षता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन वर्गों को हमें नौकरी देनी है, पहले उन्हें दक्ष बनाना होगा, योग्य बनाना होगा। योग्यता और दक्षता के बाद ही उन्हें निजी क्षेत्रों में स्थान देने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट और बड़े–बड़े संस्थान खुले हुए हैं जहां से हजारों योग्य विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं। उनमें सभी कौमों, सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग योग्यता और दक्षता प्राप्त करने के बाद बैंकों और अन्य नौकरियों में भेजे जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। चाहे वह अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, शोषित हो या दलित हो, उन्हें नौकरियां प्रदान की जाती हैं। ये नौकरियां उन्हें किस आधार पर प्रदान की जाती हैं, योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर उन्हें नौकरियां प्रदान की जाती हैं। यदि क्षमता प्रदान करने के बाद उन्हें नौकरियां दी जाती हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इसलिए जहां मैं इसका सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करता हूं वहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें नौकरियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से यू.पी.ए. की सरकार बनी है, तब से इसके कुछ घटक अपनी बात को मनवाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने की बात पर अड़े हुए हैं। यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण इतना ही आवश्यक था, तो हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री,

श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चन्द्र शेखर, श्री देवेगौडा जी, श्री गुजराल जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इतने बड़े–बड़े लोगों के हाथ में देश की हुकूमत आई, उन्होंने कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात नहीं कही। अब चूंकि कहीं नौकरियां बची नहीं और अच्छी नौकरियां केवल प्राइवेट कंपनियों में दिखाई दे रही हैं। इसलिए अब ये निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में आरक्षण देने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य बैठें और मुझे अपनी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप कृपया बैठिए। आपको भी इस पर बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा। जब आपको बोलने के लिए टाइम मिले, तब आप बोलें।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक उपक्रमों में क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। उनके केस बी.आई.एफ.आर. में चल रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के हजारों कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत नौकरी से निकाला जा रहा है। अधिकांश सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। यही कारण है कि हमारे वामपंथी रुग्ण इकाइयों के रिवाइवल के लिए हमेशा कोई न कोई प्रस्ताव लाते रहते हैं कि वे लाभदाई हों, वे कंपनियां लाभ के अंदर चलें, उनमें मुनाफा हो, लेकिन जो कुछ कंपनियां निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं उन्हें वर्ल्ड कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह चीन हो, अमरीका हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो। इनकी कंपनियां हिन्दुस्तान में आ रही हैं और यहां की वहां जा रही हैं। यहां के लोग अपनी दक्षता के आधार पर इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अन्यान्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी भेदभाव के किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कैसा भी व्यक्ति, अगर वह योग्य एवं दक्ष हो, प्रबंधन में कुशल है, उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वह आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे अवश्य ही निजी क्षेत्र में भी स्थान दिया जाना चाहिए, परंतु केवल जाति के नाम पर, कि यह केवल एससी, एसटी एवं ओबीसी का है और उसने दक्षता एवं कुशलता भी प्राप्त नहीं की तो हमारी वे कंपनियां कैसे उत्पादन कर सकेंगी, कैसे विश्व प्रतिस्पर्द्धा के पटल पर समर्थ हो सकेंगी, यह मैं आपके माध्यम से सदन के सामने सवाल रखना चाहता हूं। जब से निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात चली है तब से हमारे उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में काम करने वाले जो बड़े–बड़े उद्योग संघ हैं–सीआईआई, इंडियन चेम्बर्स एंड कामर्स और जो दूसरे बड़े–बड़े संगठन हैं, फिक्की, इन सारे बड़े–बड़े लोगों ने मिलकर इन सबके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। "एक तरफ इधर अति, एक तरफ उधर अति," अति हमेशा बुरी होती है। हर चीज की अति उचित नहीं कही जा सकती। ये एक तरफ कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये जितने भी उद्योगों को प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं और दूसरी तरफ जिनके हाथ में बागडोर आई है, उनके कुछ घटक, उनके दबाव और निजी क्षेत्र में आरक्षण के बाद, उनके बीच में कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। उद्योग परिसंघों ने कहा कि हम प्रशिक्षण देने को तैयार हैं। हम उनके लिए आवश्यक सुविधाएं, जो दलित शोषित वर्ग हैं. ..*(व्यवधान)* मुझे अपना पक्ष पूरा प्रतिपादन करने दें, मैं थोड़ा से हट करके बात कर रहा हूं। मैं सिद्धांततः इस बात का समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर वे उन्हें सुविधाएं प्रदान करने को तैयार हों, दक्ष, कुशल, कौशलता प्रदान करने को तैयार हों, उनके लिए सारी आर्थिक सुविधाएं जुटाने को तैयार हों, जो ऐसी स्थिति में ट्रेंड, प्रशिक्षित होकर आएं तो उन्हें लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हमने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान कीं और सारी सुविधाएं प्रदान करने के बाद जब वे कंपीटिशन में आएं तो उन्हें नौकरियां भी धड़ाधड़ मिलने लगें। सब जगह उन्हें स्थान मिले तो वे आरक्षण का लाभ और भी ज्यादा उठा सकेंगे, मेरी व्यक्तिगत मान्यता इस बारे में यह है।

महोदय, इस बारे में मैं आपकी आज्ञा से कुछ कोट करना चाहूंगा, जो यहां के उद्योग परिसंघ और दूसरे लोगों का कहना है। वह भी एक दृष्टिकोण है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें लिखा है–"सीआईआई के अध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह एक गंभीर और जटिल मुद्दा है और किसी ठोस समाधान के लिए इसकी तह में जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आखिर हम भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के युग में जी रहे हैं। ऐसे में देश में योग्यता और दक्षता के साथ किसी तरह का

[प्रो. रासा सिंह रावत]

समझौता कैसे किया जा सकता है। कंपीटिशन के मामले में उन्होंने कहा कि कैसे समझौता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकताओं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के मद्देनजर उद्योगों अथवा पिछड़े वर्गों के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बनाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग तैयार हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण के खतरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक फोरम की वर्ष 2003–04 की रिपोर्ट के मुताबिक विकास की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारत पहले ही आठ पायदान नीचे खिसककर 56वें स्थान पर आ गया है, जबकि औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में यह अभी भी 37वें स्थान पर है।" पहले भारत का स्थान ऊंचा था और अब वह 56वें स्थान पर आ गया है, जबकि औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में अभी भी 37वें स्थान पर है। औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में हमारा देश 37वें स्थान पर है, लेकिन वैश्विक दृष्टि से हम लोग उस प्रतिस्पर्द्धा में नीचे आ गए हैं। इसलिए इस मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। यही नहीं, प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत के विभिन्न राज्यों के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इस प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए हमें व्यावहारिक कदम उठाकर इस समस्या का निवारक हल खोजना होगा ताकि हम शोषित वर्गों को निजी क्षेत्र में भी सेवा का अवसर प्रदान कर सकें और विश्व में आर्थिक युग के अन्दर अपने अस्तित्व को बनाए रखकर भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना साकार कर सकें।

आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्दप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं बीजेपी की ओर से दिए गए भाषण को सुनकर हैरान रह गया था। इससे मुझे अफ्रीका के लोगों पर रंगभेदी नेताओं द्वारा दिए गए तर्कों की याद आ गई जिसमें कहा गया था कि "तुम लोग अभी इतने सभ्य नहीं हुए हो, तुम अभी इतने शिक्षित नहीं हो और इसीलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते हो, जबकि हम शिक्षित और सभ्य हैं और हम हजारों वर्षों तक तुम लोगों पर शासन करेंगे।" मुझे पता नहीं इस तरह के तर्क यहां पर कैसे दिए जा सकते हैं।

हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। वहां पर ऐसे कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिसके आधार पर हम कह सकें कि वहां पर कितने लोग बेरोजगार कुछ कहते हैं कि चार करोड़ बेरोजगार हैं और कुछ कहते हैं कि छः करोड़ बेरोजगार हैं, किंतु असली बात यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है, जैसा कि संकल्प के प्रस्तावक ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि ऐसे विभिन्न क्षेत्र भी हैं जहां रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में भर्ती ना किए जाने के नाम पर रोजगार के अवसर नहीं दिए गए हैं। कर्मचारियों की संख्या कम करने के नाम पर सरकारी और निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर नहीं दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पददलित वर्ग को रोजगार अवसरों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि इनका निजीकरण अथवा विनिवेश कर दिया गया है। इससे देश में निश्चित रूप से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त, यह बेरोजगारी की गंभीर समस्या से निपटने का प्रश्न है।

इन नई नीतियों से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण, अब उन्हें रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अब, वर्तमान बजट प्रस्तावों को ही देखिए। बजट में, यह प्रस्ताव किया गया है कि जीवन बीमा निगम, नागर विमानन एवं दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर विनिवेश किया जाएगा। मेरे विचार से ये प्रस्तावित तीन क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसे लोगों को आरक्षण के आधार पर रोजगार मिला करता था। अब यह चाहे फिक्की द्वारा दिया गया तर्क हो अथवा सीआईआई द्वारा दिया गया तर्क हो कि ये प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा रंगभेद के समर्थक तर्क देते थे कि ये लोग इतने सभ्य नहीं हैं और ना ही इतने शिक्षित हैं।

इस देश का संविधान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिल सके, उन्हें सार्थक प्रयास करके मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम उन्नति करते हैं, समाज उन्नति करता है तो हम चाहते हैं कि वे लोग भी हमारे साथ उन्नति करें। यदि आपका तर्क मान लिया जाए कि उन्हें पहले प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए तब तो उन्हें रोजगार पाने के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा। आप आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, किंतु आपका यह समर्थन दिखावा मात्र होगा। हमारा कहना है कि आरक्षण होना चाहिए। भारत की

इन परिस्थितियों में जब संविधान में आरक्षण को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है, सरकार की नीतियों के कारण नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में विनिवेश और निजीकरण हो रहा है, उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण किया जाए।

एक अन्य प्रश्न यह है कि भारत 57 साल पहले स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्रता के बाद 57 साल बीत गए हैं।

वर्ष 1947 में पैदा हुआ बच्चा अगले तीन सालों में 60 साल का हो जाएगा; किंतु हम अभी तक पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के साथ उचित न्याय नहीं कर पाए हैं। आज भी ऐसे अनेक घृणित उदाहरण दिए जा सकते हैं। केरल में आश्रय और नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले आदिवासियों पर गोली चलाई गई थी। इसमें जो आदिवासी मारा गया उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को मुआवजा दिया गया। ऐसा मुथांगा की घटना में हुआ था। सरकार की ओर से आदिवासियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 साल बाद भी ऐसी घटना हुई। यह स्थिति गरीबों विशेषकर सामाजिक रूप से उपेक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है। इस तरह हम संविधान निर्माताओं द्वारा की गई प्रतिज्ञा को किस प्रकार कार्यान्वित कर पाएंगे? इस बारे में यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य को थोड़ा–बहुत अवश्य चिंतित होना चाहिए। यदि वास्तव में ऐसा करना है तो इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे जिसके द्वारा पिछली कमियों को दूर किया जा सके।

एक प्रस्ताव यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मांग में कोई बुराई है, किसी को इस बात की चिंता नही करनी चाहिए कि फिक्की ने इस बारे में क्या कहा है। फिक्की और अन्य संगठन अपने व्यवसाय में केवल और अधिक मुनाफा कमाने के बारे में ही सोचते होंगे, किंतु इस सभा को देश की स्थिति, उसके भविष्य और समाज के अत्यंत दलित वर्गों के भविष्य के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह एक गंभीर प्रस्ताव है जिस पर इस सभा में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव बिल्कुल सही वक्त पर आया है क्योंकि अधिक निजीकरण का अर्थ है सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों को अधिक से अधिक नौकरियों से वंचित करना। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए। यदि हम अभी इस संकल्प को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इस प्रस्ताव की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन करने पर विचार कर सकते हैं जो इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ताकि यह सभा इस प्रतिवेदन पर चर्चा और निर्णय कर सके।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, अजय कुमार जी ने इस हाउस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का मुद्दा उठाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो वर्ग हजारों सालों से सोशली, इकोनामिकली, एजुकेशनली वीक हैं, ऐसे लोगों को सहायता देकर इस वर्ग को ऊपर उठाना चाहिए। अगर उनको ऊपर उठाकर ताकत नहीं दी जाएगी तो उन्हें ऊपर उठाने का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, हमारी आरपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी तथा बाकी सभी पार्टियों ने इस इलेक्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का मुद्दा उठाया था। अगर फिक्की और सीआईआई के लोग योग्यता की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान श्री बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था। बाबासाहेब अम्बेडकर जी दलित वर्ग के थे। इसी तरह रामायण लिखने वाले महर्षि बाल्मीकि भी शैड्यूल्ड कास्टस के थे। महर्षि व्यास भी बैकवर्ड क्लास के थे। इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, वे भी दलित वर्ग के थे। उन्होंने देश को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। उप प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम जी भी दलित वर्ग के थे। उनकी बेटी श्रीमती मीरा कुमार आज यहां मंत्री हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी दलित वर्ग के हैं। आज आप हाउस को चला रहे हैं। इसी तरह स्टेट्स में भी बहुत से मुख्य मंत्री दलित वर्ग के हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि योग्यता हर किसी में होती है। रिजर्वेशन पालिसी का मतलब है कि यदि 100 लोगों से कोई फैक्टरी चलने वाली है, तो रिजर्वेशन देने का मतलब 20 प्रतिशत सीट बढ़ाना नहीं है। यदि आपने सौ सीटें भरनी हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से एससी, एसटी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देना होगा। अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हमारे देश के इंडिस्ट्रयलिस्ट्स को इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए। वे भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की भलाई चाहते

[श्री रामदास बंडु आठवले]

हैं तो उनको ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें आश्वासन दिया था। डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री बन गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को इसका विरोध करना है, उनको विरोध करने दीजिए। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। आप कानून बना दें। जिन लोगों को फैक्ट्री चलानी है, उनको रिजर्वेशन देना होगा। मेरा सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जिन उद्योगों को प्राइवेट बनाना है, उनमें 51 प्रतिशत शेयर सरकार के होने चाहिए और 49 प्रतिशत शेयर प्राइवेट सेक्टर के होने चाहिए। इस तरह उनमें ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी।

जब संविधान बना था, तब शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जनसंख्या 15 प्रतिशत थी। लेकिन 54 सालों में उनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है और उसमें कुछ और जातियां भी जुड़ी हैं। पहले 15 प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए और साढ़े सात प्रतिशत शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसमें साढ़े पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने की भी आवश्यकता है। हमारा यह कहना नहीं है कि दूसरे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। 54 सालों में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन अभी तक सब कैटेगरीज का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। क्लास वन, क्लास टू में भी अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि बाकी लोगों को निकालकर एससी, एसटी के लोगों को भरती करना है। जैसे–जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे, उनकी जगह ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक ही नई फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन देना चाहिए। हम सरकार के जमाई हैं, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। साढ़े बाइस प्रतिशत और साढ़े पांच प्रतिशत के अलावा 3 प्रतिशत रिजर्वेशन ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों के लिए होनी चाहिए। बाकी जातियों के लोगों को पौपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देने में हमारा कोई विरोध नहीं है।

महाराष्ट्र प्रदेश में एक घुमांदू जाति है। उनकी पौपुलेशन कम से कम 10 प्रतिशत है। हमारा सुझाव है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिलने वाली सुविधाएं इस कम्युनिटी के लोगों को भी मिलनी चाहिए और इसके लिए थर्ड शैड्यूल बनाने की आवश्यकता है। उनको एजूकेशन के क्षेत्र में और सर्विसेज में यह सुविधा मिलनी चाहिए। पोलीटिकल रिजर्वेशन, पार्लियामेंट, असेंबली, जिला परिषद और पंचायत आदि में भी उन कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। इसी तरह का हमारा सुझाव है। हमारा एक और सुझाव है कि ई–रिजर्वेशन को मीरा कुमार जी, नौवें शैड्यूल में डालने की आवश्यकता है। यदि यह रिजर्वेशन संविधान के नौवें शैड्यूल में आ जाता है तो कोर्ट में जाने के लिए कानूनी तौर पर भी पाबंदी आ जाएगी और रिजर्वेशन को प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसलिए इसे संविधान के नौवें शैड्यूल में डालना चाहिए।

इसके साथ–साथ यदि रिजर्वेशन को पूरा प्रोटेक्शन देना है तो एक रिजर्वेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी के सही इम्पलीमेंटेशन में 54 साल लग जाते हैं। तो यह अच्छी बात नहीं है। रिजर्वेशन एक्ट बन जाता है तो रिजर्वेशन एक्ट के तहत हरेक ऑफिसर को रिजर्वेशन भरने की आवश्यकता होगी चाहे वह सुप्रीम कोर्ट है या हाईकोर्ट है। वहां जजेज हैं। यदि हमारे जजेज वहां आ जाते हैं तो केसेज के जजमेंट जल्दी आ सकते हैं। इसीलिए उनकी क्वालिटी के बारे में किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिए। उसके साथ–साथ जो पांच ऑफिस मेमोरेंडम थे, उनमें से तीन ऑफिस मेमोरेंडम विदड्रॉ हो गए हैं लेकिन उनका अभी तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाया है। उसके बारे में भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यू.पी.ए. की सरकार को पेंडिंग ऑफिस मेमोरेंडम विदड्रॉ करने की आवश्यकता है। उसके पेपर्स मंगाकर आप उस पर विचार कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इम्पलीमेंट करने के लिए अगर संविधान ने दिशा दी है, कानून अगर बना है तो रिजर्वेशन भरना ही चाहिए। अजय कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। जिन्हें विरोध करना है, उनको विरोध करने दो। हमें विरोध पर जयादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रावत जी, मैं समझ रहा था कि आप उधर से सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब इधर थे तब इधर से अच्छा बोलते थे।

प्रो. रासा सिंह रावत : हम सिद्धांततः समर्थन कर रहे हैं।

श्री रामदास बंडु आठवले : आपने समर्थन तो किया लेकिन आप जब इधर थे तब ठीक था लेकिन उधर जाकर थोड़ा गड़बड़ लगता है। जब दलितों का कोई इश्यू आता था और मैं आपका भाषण सुनता था तो आप बहुत अच्छा बोलते थे। आपने सपोर्ट भी किया है। अब उधर ही ठीक हैं। हाउस

में दो तरह का मत नहीं होना चाहिए। आदिवासी और दलित वर्ग को ऊपर उठाना चाहिए। आज भी इन वर्गों पर बहुत अत्याचार होते हैं। आज भी उनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। देहातों में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए इन वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। यूपीए की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग और दलित वर्ग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है तभी हम सत्ता में आए हैं। इसलिए इस वर्ग को यदि बाजू में रखेंगे तो अच्छा होगा। चाहे हमें मंत्री पद मिले या न मिले लेकिन इस वर्ग को न्याय मिलना चाहिए और सरकार इस वर्ग के लिए काम करे। मेरा विश्वास है कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है, वह प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन के बारे में विचार करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अजय कुमार जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। अब हम सभी को पता है कि आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में इसका प्रावधान केवल दस वर्षों तक किया गया था। डा. अम्बेडकर का इस संबंध में स्पष्ट विचार था कि आरक्षण के लिए स्थायी अधिकार का नियम नहीं बनना चाहिए। यह प्रावधान लंबे समय के लिए नहीं है और यह केवल थोड़ी ही अवधि के लिए है। स्थायी अधिकार के कानून से आरक्षण आगे लागू नहीं किया जा सकता है। परंतु, दुर्भाग्यवश आज देश की स्थिति उल्टी है। हमने आरक्षण के संदर्भ में संविधान का 5–6 बार संशोधन किया है। इस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य आरक्षण की अवधि को बढ़ाना था। संविधान के निर्माताओं ने इसका प्रावधान दस वर्षों के लिए किया था, किंतु इस तथ्य के बावजूद देश की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों है।

मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मैं अभी जीवित हूं और उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आज भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति वैसी ही है जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थी, निःसंदेह कुछ सतही परिवर्तन हुए होंगे, परंतु यह बुनियादी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका। हमने सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से शेष अन्यों के समकक्ष लाने की सोची वे अगड़े समुदाय के समतुल्य हो जाएं यही लक्ष्य था किंतु हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। देश पर शासन करने वाली सरकारों में आरक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त करने के प्रावधान को प्रभावी बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसे किया नहीं जा सकता।

यह कहा जा सकता है कि नेहरू काल में सार्वजनिक उपक्रमों की नीति का अनुपालन किया गया। हमने बैंकिंग, रेलवे और दूरभाष जैसी लगभग सभी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन सभी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और इनमें पिछड़ी जातियों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था।

अब यह युग वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का है और इसे सुधार प्रक्रिया नामक एक अच्छा नाम दिया गया है। इस बदलाव को सुधार प्रक्रिया का नाम दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम क्या हुआ है? दिन–प्रतिदिन सार्वजनिक क्षेत्र और साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण कोटा कम होता जा रहा है, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं और बेरोजगारी आज सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो जाएगी।

न्यायपालिका का विचार क्या है? निःसंदेह न्यायपालिका ने अपने फैसलों के द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की है परंतु सामूहिक अधिकारों के मामले में न्यायपालिका प्रतिगामी कदम उठा रही है। न्यायपालिका सामूहिक अधिकारों के संबंध में, अर्थात् श्रमिकों की सामूहिक मांगों जैसी स्थिति की मांग पर खरी नहीं उतरी है। वे कहते हैं कि श्रमिकों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध निर्णय दिया है। श्रमिकों को काम के दौरान हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल को गैर–कानूनी घोषित किया है ऐसा क्यों है? क्योंकि वे भी व्यावसायिकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं और इन नीतियों ने न्यायपालिका को भी प्रभावित किया है। न्यायपालिका भी समाज में वैश्वीकरण और निजीकरण जैसे रुझान से प्रभावित है।

इस प्रतिस्पर्द्धा के युग में न्यायपालिका भी इसका एक भाग है। परंतु वे यही कहेंगे कि व्यक्तिगत अधिकारों के लिए तो यह ठीक होगा परंतु सामूहिक अधिकारों के लिए न्यायपालिका

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

का फैसला नकारात्मक होगा। आज यही प्रवृत्ति देखने में आ रही है। जुलूस निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आप सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। किस उद्देश्य के लिए लोग जुलूस निकालते हैं? ताकि नागरिकों की शिकायतों को दूर किया जा सके, न्यायपालिका द्वारा वैश्वीकरण के समर्थन में नकारात्मक रवैया अपनाकर इससे वंचित रखा जा रहा है। वैश्वीकरण ने भारतीय न्यायपालिका को भी प्रभावित किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत ने अनेकों अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हम विश्व व्यापार संगठन संघ के भी सदस्य हैं। हम विश्व व्यापार समझौते का अंग हैं; हम भी एक सदस्य हैं या हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून ने खासतौर पर नियम बनाया है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के विरुद्ध निर्णय दिया है। अपनी शिकायतों को निपटाने हेतु श्रमिकों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करके भारत इस फैसले के द्वारा एक असभ्य देश बन गया है। वह न्यायपालिका जो स्वतंत्रता की पक्षधर रही है वह न्यायपालिका जिसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है वही न्यायपालिका सामूहिक अधिकारों से वंचित रखने की हद तक पहुंच गई है। यही आज की प्रवृत्ति है।

सामाजिक पिछड़ापन किसी की गलती के कारण नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन भारत में व्याप्त कुछ सामाजिक–प्रणाली के कारण है, वह है वर्णाश्रम धर्म जो उस समय की प्रथा थी। अ.जा./अ.जा. के लोगों को अछूत समझा जाता था। उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने से वंचित रखा जाता था। डा. अम्बेडकर को भी स्कूल में अलग दल और अलग जगह पर बैठना होता था। उन्हें अपने सहपाठियों के साथ उसी कक्षा में भोजन करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें उनके साथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अलग जगह पर बिठाया जाता था। भारत में यह उस समय की परिस्थिति थी। इन लोगों को अछूत समझा जाता था और उन्हें मनुष्य नहीं समझा जाता था। भारत में यह उस समय की परिस्थिति थी। यह एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो किसी व्यक्ति की देन नहीं है। चूंकि वे सामाजिक रूप से पिछड़े थे, चूंकि वे अछूत थे, इन लोगों को मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमने संविधि बनाई और आज अस्पृश्यता एक अपराध है। इन तथ्यों के बावजूद अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को आज भी उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

सरकारी सेवाओं में स्थिति क्या है? यहां तक कि हमारे रेल मंत्री ने जब परसों रेल बजट प्रस्तुत किया, यह बताया गया कि रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में भी वे अ. जा./अ.ज.जा. के आरक्षण कोटे के रिक्त स्थानों को भर नहीं पाए हैं क्योंकि पात्र अभ्यर्थी या अर्हक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। रेलवे में भी अ.जा./अ.ज.जा. कोटा को भरने के संबंध में बैकलॉग है। सरकारी सेवाओं में भी उन्हें लंबे समय से रोजगार पाने के मौके से वंचित रखा जा रहा है। इस अन्याय को अभी तक रोका नहीं गया है। अब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां लगभग सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है और उसमें अ.जा. और अ.ज. जा. के लिए रोजगार पाना बहुत दुष्कर हो गया है। इसे केवल सांविधिक उपाय के जरिए ही दूर किया जा सकता है। इन अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को तबाही से बचाने के लिए कुछ राजनैतिक इच्छा–शक्ति होनी चाहिए। उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का विचार भिन्न हो सकता है परन्तु किसी भी निजी उपक्रम या निजी फर्म की स्थापना हेतु जब भी लाइसेंस जारी किए जाएं, यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे रोजगार के मामले में आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। यह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। मूलभूत अधिकारों पर युक्तियुक्त रोक लगाई जा सकती है। अतः जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नए निजी उपक्रम को लाइसेंस जारी करती है तो ऐसी पूर्ववर्ती शर्त होनी चाहिए कि उस विशेष फर्म में सभी श्रेणियों के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। लाइसेंस जारी करते हुए सरकार की यह पूर्ववर्ती शर्त अवश्य होनी चाहिए। इसमें कठिनाई क्या है?

यदि उच्चतम न्यायालय को यही लगता है कि यह मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है तो इस प्रावधान को संविधान की नौवीं सूची के अंतर्गत लाकर इसे संवैधानिक सुरक्षा दी जा सकती है। हम इसे प्रभावी बनाने के लिए इसे भिन्न खण्ड में शामिल कर सकते हैं और जब भी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से एक निजी फर्म द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है इसे लागू कर सकते हैं। इसमें कठिनाई क्या है? जहां चाह है वहां राह है। यदि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के पास अ.जा. और अ.ज.जा. की नियुक्ति संबंधी इस प्रावधान को कार्यान्वित करने की दिली इच्छा है तो इस विधान को, जिस

पर चर्चा की जा रही है संवैधानिक सुरक्षा देकर किया जा सकता है। हम इस प्रकार विधान बना सकते हैं।

सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए, रेलवे दूरसंचार सुविधाएं इत्यादि की शुरुआत करने के लिए लाइसेंस जारी कर रही है। जब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या मान्यता दी जाती है तो यह शर्त रखी जानी चाहिए, इसे आवश्यक बनाया जाना चाहिए कि आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि हम ऐसा कर पाए तो इस संबंध में कुछ किया जा सकता है।

इसीलिए प्रारंभ में, मैंने जोर देकर कहा था कि जहां राजनैतिक इच्छाशक्ति है वहां राह है। यदि अ.जा. और अ. ज.जा. को संरक्षा प्रदान करने की इच्छा है तो हम संकल्प को प्रस्तुत करने वाले की मांग का सही उत्तर देने के लिए कोई आसान उपाय ढूंढ़ सकते हैं, और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं, जिसका इस देश के साधनहीन समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास पर दूरगामी असर होगा। यह संकल्प निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण की आवश्यकता के बारे में है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में कहा जा रहा है।

भाजपा पक्ष के माननीय सदस्य मेरे विचार से इस दुविधा में हैं कि इस संकल्प का समर्थन करें या इसका विरोध करें। अंततः वे असमंजस में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि योग्यता महत्वपूर्ण है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) इसका विरोध कर रही है। निजी क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी और संपूर्ण विश्व की गतिविधि भी रुक जाएगी। भाजपा सदस्य या इस देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा दिए जा रहे इस तर्क में जरा भी सच्चाई नहीं है।

योग्यता की परख उस तरह नहीं की जा सकती है जिस तरह वे परखना चाहते हैं। यह कहना कि अ.जा., अ.ज.जा. और पिछड़े वर्गों के लोगों में योग्यता नहीं है, यह देश के दो सबसे बड़े वर्गों का अपमान है। वे ऐसा कैसे मान सकते हैं कि इन लोगों में योग्यता नहीं होती है? आप उन्हें पढ़ाइए, प्रशिक्षण दीजिए और फिर नौकरी दीजिए, और सबको नौकरी दीजिए। हमारे अनुभव ने हमें क्या सिखाया है?

हम यह नहीं कह रहे हैं कि पिछड़े समुदाय, अनुसूचित जातियों से संबंधित लोग किसी भी प्रकार से अन्यों से कम हैं। इन समुदायों से वैज्ञानिक हैं, इन समुदायों से महान प्रशासक हैं, इन समुदायों से शिक्षाविद् हैं। कौन से क्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिभा नहीं दिखाई है? किस क्षेत्र में इनकी योग्यता में कमी पाई गई है? क्या आप समझते हैं कि निजी क्षेत्र में इनकी कार्यकुशलता में कमी आएगी?

आज निजी क्षेत्र की उत्पादकता में कौन योगदान कर रहा है? यह योगदान उन कामगारों का है जो अ.जा., अ. ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के हैं। विभिन्न निजी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन और उत्पादकता में कौन योगदान कर रहा है? वे इन समुदायों के श्रम का शोषण कर रहे हैं तथा लाभ दर्शाते हैं और कहते हैं कि योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वे लोग योग्य नहीं हैं जो ऐसे उत्पादन में योगदान कर रहे हैं जिसका विदेशों में निर्यात किया जा रहा है जिसके द्वारा आप अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं? योग्यता का प्रश्न कहां उठता है? उनमें इसकी कमी नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता कि यदि निजी क्षेत्र इन समुदायों के लोगों को नियुक्त करें तो उनकी लाभप्रद स्थिति में कमी आएगी। वे समान रूप से सक्षम हैं; समान रूप से योग्य हैं; समान रूप से समर्थ हैं तथा समान रूप से कार्यकुशल हैं। अतः, आप यह तर्क नहीं दे सकते कि यदि इन लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है तो हरेक कार्य में सुस्ती आ जाएगी।

दूसरा, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र का संघटक क्या है। निजी क्षेत्र में निजी क्या है? वहां का सब कुछ सार्वजनिक है। निजी क्षेत्र में आप किसी भी बड़े उद्योग को लें। अब किसी मध्यम स्तर के उद्योग को लें अथवा निजी क्षेत्र की किसी संस्था को ही लें। निजी क्षेत्र में इन उद्योगों को वित्तपोषित कौन कर रहा है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो एक सरकारी निगम है, इन उद्योगों का वित्तपोषण कर रहा है। वाणिज्यिक बैंक ऋण दे रहे हैं। सरकार ऋण दे रही है। सरकार द्वारा हरेक व्यवस्था की जाती है। इसलिए, निजी क्षेत्र के रूप में ऐसी कोई बात नहीं है। निजी क्षेत्र के लोग और उद्योगों के कैप्टन जो अपनी पूंजी का पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत खर्च करते हैं, स्वयं को अपनी सृजित संपत्तियों के स्वामी के रूप में नहीं मान सकते। मैं महात्मा गांधी की भाषा में कहूंगा कि वे सरकारी संपत्ति के न्यासी ही हैं। निजी क्षेत्र सरकारी संपत्ति का न्यासी ही है। इसलिए, इस देश के

[प्रो. एम. रामदास]

लोगों के प्रति जो बहुत बड़ी संख्या है, उनकी सामाजिक जिम्मेवारी है। इस मामले में, जिन लोगों की संख्या अधिक है, वे अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं जो इस देश की जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत भाग है। यदि निजी क्षेत्र के लोग भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते; यदि वे इन लोगों के पिछड़ेपन को नहीं समझ सकते, यदि वे लोगों को आजीविका प्रदान नहीं कर सकते और यदि वे उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो हमें इस देश में इस प्रकार के निजी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि वे इस देश में मिलकर रहना चाहते हैं, यदि वे विशेषाधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं और यदि वे भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों की उन रियायतों का लाभ उठाना चाहते हैं, जो करदाताओं के खर्च पर प्रदान किए जाते हैं–सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को दिया जाने वाला हरेक पैसा अप्रत्यक्ष रूप में इस देश के करदाताओं का धन है–उनकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है और उन्हें इन लोगों को नौकरियां प्रदान करनी ही होंगी। अतः, वे इस बात से नहीं मुकर सकते अथवा ऐसा नहीं कह सकते कि वे उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं।

यह बात वास्तव में बड़ी आश्चर्यजनक है कि भारत की संसद को इन लोगों के विचारों पर ध्यान देना पड़ता है जिनका वित्तपोषण स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्य इस सभा में आते हैं और कहते हैं कि इस देश के भाग्य और नियति का निर्णय करने में सीआईआई का संकल्प अधिक महत्वपूर्ण है।

मुझे जवाहरलाल नेहरू का वह श्रेष्ठ वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि हरेक भारतीय की आंखों से आंसू पोंछना हमारा लक्ष्य रहा है। यह कार्य हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। परंतु जब तक आंखों में आंसू हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। यह भारत का उद्देश्य था। यह स्वतंत्रता का उद्देश्य था।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी भारतीयों की आंखों के आंसू नहीं पोंछे गए हैं। इसका अर्थ है कि हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। किन लोगों की आंखों में आंसू हैं? अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों की आंखों में आंसू हैं जो विकास के सोपान पर सीधे नहीं चढ़ पाए हैं। अनेक स्थानों में, समस्तरी तरक्की है परंतु उन्होंने वस्तुतः जनसंख्या के आकार के अनुपात में तरक्की नहीं की है। इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तरक्की की है और जहां भी गए हैं, वहां अपनी योग्यता सिद्ध की है। अतः, महोदय, वर्तमान परिस्थिति में हम निजी क्षेत्र में अ. पि. वर्गों, अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षण के मामले को कम करके नहीं आंक सकते हैं।

यदि सरकार ने समाजवादी ढांचे का मार्ग अपना लिया होता जैसी कि भारत के संविधान में परिकल्पना की गई है और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वीकार किया गया है और डा. अम्बेडकर द्वारा समर्थन किया गया है जो कि इस देश के महान पूर्वज हैं, और यदि सरकार ने सरकारी क्षेत्र का निर्माण करने में समाजवादी ढांचे का मार्ग अपनाया होता, तो हमें नौकरियों में आरक्षण हेतु निजी क्षेत्र के समक्ष अनुरोध नहीं करना पड़ता। परंतु दुर्भाग्यवश, हमने विकास पथ को उलट दिया है। हमने वर्ष 1951 से समाज के समाजवादी ढांचे को अपनाया है और हमने वर्ष 1986 तक इसे अपनाए रखा। वर्ष 1986 से हमने निजी क्षेत्र को महत्व देना आरंभ किया। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हम इस देश के लिए पथों और प्रगति को अत्यधिक विवक्षाओं के साथ उलटी दिशा प्रदान कर रहे हैं और आज आर्थिक सुधारों के नाम पर हम निजी क्षेत्र का समर्थन करना चाहते हैं, हम निजी क्षेत्र का पोषण करना चाहते हैं। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। आर्थिक सुधारों के नाम पर हमने अपने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या में कमी की है; हमने सरकारी विभागों के लिए निर्धारित व्यय में कमी की है, हमने सरकारी क्षेत्र में विनिवेश किया है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन लोगों को आरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वहां आरक्षण के सिद्धांत का पालन होता था परंतु अब सभी द्वार बंद हो रहे हैं। आप निजी क्षेत्र के द्वार खोल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप कलह का कारण ढूंढ़ रहे हैं किंतु आप निजी क्षेत्र के द्वार खोल रहे हैं और निजी क्षेत्र को सामाजिक जिम्मेवारी स्वीकार करनी होगी तथा उन्हें इन लोगों को नौकरियां प्रदान करनी होंगी।

यही कारण है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिस पर सभी सहयोगी दलों ने सहमति व्यक्त की है, में इस विचार की पुष्टि की गई है कि निजी क्षेत्र में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षण होना चाहिए। सौभाग्य से, संकल्प पेश करने वाले ने अन्य पिछड़ा वर्गों को भी शामिल किया है। इसलिए, जब संकल्प स्वीकार किया जाए, तो इसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें संपूर्ण मुद्दे का सावधानीपूर्वक अध्ययन

करने के बाद आरक्षण की संबंधित प्रतिशतता प्रदान करनी चाहिए। इसलिए, हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए तथा यही इन उत्पीड़ित लोगों को आगे लाने के तरीकों में से एक तरीका है। उन लोगों का क्या होगा जो इन समुदायों में शिक्षित लोग हैं जो संयोगवश प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। महोदय, मैं आपको इस बात का स्मरण कराना चाहूंगा कि वे दूसरी पीढ़ी के शिक्षार्थी नहीं हैं। वे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्ययन कर बहुत मेहनत से डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इन बच्चों के माता–पिता अनेक वित्तीय परेशानियां झेलते हुए उन्हें शिक्षित करते हैं और वे अपनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। जब आप यह कहते हैं कि निजी क्षेत्र में कोई नौकरियां नहीं हैं और यदि आप कहते हैं कि वे पिछड़े समुदायों के हैं, इसलिए, निजी क्षेत्र में उनके लिए कोई नौकरियां नहीं हैं, तो वे कहां जाएंगे? ऐसी स्थिति में वे हताश हो जाते हैं तथा हताश लोगों में आमूल परिवर्तन चाहने वाले लोग अलग प्रकार के लोगों के रूप में ढल जाते हैं। जब माता–पिता ऐसा पाते हैं कि उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो वे अपने बच्चों को शिक्षित करने पर दुःख व्यक्त करते हैं। दूसरे लड़के या लड़की को शिक्षित नहीं किया जाता और उन्हें उनके परंपरागत व्यवसायों को पुनः अपनाने को कहा जाता है। यदि वह किसी कृषि श्रमिक का पुत्र है तो उसे कृषि श्रमिक ही बनना होगा। यदि वह किसी मछुआरे का लड़का है, तो उसे मछुआरा ही बनना होगा। तत्पश्चात्, वह सामाजिक गतिशीलता कहां है जिसकी बात भारत के संविधान में की गई है? इसलिए यह इस सम्मानित सभा का संवैधानिक कर्तव्य है कि हमें सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करने और एक विधेयक लाने अथवा संविधान में संशोधन करने का निर्णय करना चाहिए। किसी भी हैसियत से–मैं कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं हूं जो उस तरह की बात कहे–इसकी आवश्यकता है। इसे लाया जाना चाहिए और सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह प्रस्ताव सदन में लाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अब समय थोड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सदस्य पांच–पांच मिनट बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारी पार्टी के 23–24 सदस्य हैं। मैंने अभी एक मिनट भी नहीं बोला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह हमारे लिए बेहतर होगा।

[हिन्दी]

मैं चाहता हूं कि सभी एकोमोडेट हो जाएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम तो बराबर आसन का सहयोग करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अजय कुमार जी को यह गैर सरकारी संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं चूंकि यह संकल्प पूरी तरह से संविधान सम्मत है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में साफ लिखा है :

[अनुवाद]

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों .....या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए .....।

[हिन्दी]

यानी इन लोगों को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा प्रोविजन करने वाला विशेष अवसर का सिद्धांत संविधान में है। उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि इनमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं। आजादी के 56 साल बाद जो निजीकरण हो रहा है, जो इकोनॉमिक बदलाव आ रहा है, जो आर्थिक सुधारीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तथा विनिवेश की नीति के तहत जो रोजगार के अवसर घटे, आखिर इनको कैसे संतुलित किया जाएगा। निजी क्षेत्रों के

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

उपक्रमों में एस.सी., ओ.बी.सी. को आरक्षण देने का प्रावधान होना लाजिमी है। रासा सिंह रावत जी पुराने सदस्य हैं और शायद पांचवीं बार निर्वाचित होकर आए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैं उनकी बात सुन रहा था। तकलीफ इसलिए हुई कि यहां मानसिकता का सवाल है। इस देश में जब अपलिफ्टमेंट होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है, उसका होगा। महात्मा गांधी जी इस देश के सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया। उनका सपना था अंत्योदय का–अंतिम आदमी का उदय करना। समाज के अंतिम आदमी को अपलिफ्ट करने का उद्देश्य कब पूरा होगा? संविधान भरा पड़ा है। संविधान में मूल अधिकारों में दिया है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, लेकिन उन वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? जिस तरह की बातें रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा, कंपीटेन्सी नहीं होगी, योग्यता की बात है, दक्षता की बात है, मैं रासा सिंह रावत जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपकी यह मानसिकता कैसी हो गई? आज बदली हुई परिस्थितियों में जहां निजीकरण चल रहा है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं। ये लोग कहां जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी कहां जाएगी? यदि रोजगार नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्रों में आप इनको रोजगार के अवसर नहीं देंगे तो ये कहां जाएंगे? जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, ऐसे वर्गों को जो दलित वर्ग हैं, वंचित हैं या ओबीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे कहां जाएंगे? समाज में पिछड़े वर्ग के 54 प्रतिशत लोग हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मिला लें तो 24 प्रतिशत हैं। अभी जो सेन्सस 2001 का हुआ है, उसको यदि बेसिस बनाया जाए तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की और भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की गरीबी का कारण क्या है–बेरोजगारी है इसीलिए वे गरीब हैं। जो इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, आज वे दो वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आप कंपीटेन्सी की बात करते हैं। सारी स्मरण शक्ति इनके पास है। हजारों वर्षों से जो मिट्टी से, खेत से, गिट्टी से, लकड़ी से, खलिहानों से जुड़े हुए हैं, मरे हुए चमड़े से जिनकी तकदीर जुड़ी हुई है, उनको क्या आरक्षण निजी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या समरस समाज बनाने की कल्पना बीजेपी की नहीं है? रासा सिंह रावत जी की बात सदन में सुनकर मैं निजी रूप से आहत हुआ। मैं आमतौर पर इन बातों की चर्चा नहीं करता, लेकिन रासा सिंह रावत जी का भाषण गुणवत्ता के नाम पर फ्यूडल मानसिकता के तहत, ऊंच–नीच की खाई को बढ़ाने वाला है। आप हमें तैरने के लिए अवसर दें तो पता चलेगा कि हम अच्छे तैराक बनते हैं या नहीं। हिन्दुस्तान में साबित हुआ है। कहां चली गई प्रतिभा? आजादी के समय जिस समय कांस्टीट्यूशन बन रहा था, क्या डा. अंबेडकर की प्रतिभा का कोई मुकाबला था? उस समय बुद्धि और प्रतिभा आप लोगों की कहां चली गई? सबसे बड़ा बुद्धिमान आपने डा. अंबेडकर को माना। आप तैरने का मौका दीजिए, तब देखिए हम कंपीट करते हैं या नहीं, हम अच्छे तैराक हैं या नहीं? पहले तैरने तो दीजिए। तैरने का अवसर नहीं देंगे और कहेंगे कि कंपीटेन्ट नहीं हैं, दक्ष नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, योग्यता का परिचय तब होगा जब हमें योग्य पदों पर बैठ कर विशेष अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्गों को विशेष अवसर देने की बात कही गई है। डा. लोहिया जी ने भी यही कहा था और अवसर के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था। जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें यदि विशेष अवसर दिए जाएं तभी उनकी योग्यता का पता चल पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है–जहां चाह वहां राह। इस सरकार की चाह है। इसीलिए यू.पी.ए. सरकार का जो राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसमें साफ–साफ कहा गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों को, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को निश्चित रूप से आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उसमें यह संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो सरकार है, उसकी इच्छा है और जब इच्छा है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि संविधान की दसवीं अनुसूची में इसका प्रावधान होना चाहिए कि एस.सी., और ओ. बी.सी. हेतु आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और आरक्षण का परसेंटेज पापुलेशन की बेसिस पर होना चाहिए। जिसकी जितनी पापुलेशन होगी, उसे उतने परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, यह फिक्स कर दिया जाए। यदि एस.सी. की पापुलेशन ज्यादा है, तो उसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा और यदि एस.टी. की पापुलेशन कम है, तो उसे कम आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से ओ.बी.सी. की जितनी पापुलेशन है, उसके हिसाब से उन्हें भी आरक्षण दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां दक्षता और क्षमता की बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन उसकी सोशल रेस्पांसिबिलिटी होती है। प्रत्येक सरकार का सामाजिक दायित्व होता है कि जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रो. रासा सिंह रावत जी ने इसका विचार नहीं किया और उन्होंने दक्षता और क्षमता की बात कही कि दक्षता और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा क्षमता के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी की भी यही नीति होगी कि समाज में जो पिछडे लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनका उत्थान किया जाए।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने इस प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया हैं और समर्थन करते हुए, व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है, ताकि इस संकल्प की जो भावनाएं हैं, उनकी भी पूर्ति हो और हमारे देश की जो आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही कहावत हो गई कि 'गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें।' देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जब तक आप उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका उत्थान कैसे होगा। इसमें व्यावहारिक पहलू की बात कहां से आ गई? यह साहित्यिक टर्मिनॉलॉजी ही शोषण का जरिया है। इसमें क्या व्यावहारिकता है, इसका क्या प्रेक्टीकल आसपेक्ट है, इसमें व्यावहारिक पक्ष का क्या मतलब है? क्या संपूर्ण देश के लिए दौलत कमाने का काम ये कमेरे नहीं करते? खेती से लेकर हर काम यही वर्ग करता है और आज उसी को नीचे दबाया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, आप पंजाब से आते हैं। आप जानते हैं कि मंडियों में गेहूं की बोरियां उठाने, उन्हें सिलने, उनकी ढुलाई करने का काम इसी वर्ग के लोग करते हैं। देश के जो अमीर लोग हैं, वे पैसे और रुपये तो खा नहीं सकते। वे गेहूं खाएंगे या चावल खाएंगे। इन्हें उगाने का काम यही वर्ग करता है। सब्जियां उगाने का काम गरीब लोग ही करते हैं। यही वर्ग है जो अमीर वर्ग को भोजन खिलाने का काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्ग सभी को भोजन खिलाने का काम करे और वही भूखा बैठा रहे, यह कैसे हो सकता है। मेरे उस पक्ष के लोग देश को कैसा देश बनाना चाहते हैं। समाज में असंतुलन बढ़ रहा है, उसे दूर करके ही देश का समग्र विकास किया जा सकता है। संतुलित समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब निम्न वर्ग को ऊपर उठने का अवसर दिया जाएगा और समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। डाक्टर साहब ने सही कहा कि गरीब के आंसू पोंछने का काम करना होगा। प्रो. रासा सिंह रावत जी, मुझे माफ करेंगे, मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, वह थोड़ा कठोर है। यदि समाज की इसी प्रकार की मानसिकता रही, गरीब के आंसू नहीं पोंछे गए और उसे ऐसी मानसिकता के रहते दबाया गया, तो वे आंसू सूख जाएंगे और सूखकर तेजाब बन जाएंगे। तब तेजाब बाहर आएगा तो वह देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए एस. सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के जो आंसू हैं उन्हें हमें पोंछने का काम करना चाहिए, उन्हें तेजाब नहीं बनने देना चाहिए। जिस वर्ग की जितनी पापुलेशन है, उसे उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए, यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : मैं अपने सहयोगी श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। पूर्व वक्ताओं द्वारा प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया गया है। मैं उन्हें दोहराने के क्रम में सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि परिस्थिति की मांग है कि हम यह संकल्प पारित करें। मैं सभा को अपने देश की वर्तमान समय की व्याप्त स्थिति के बारे में अवश्य बताऊंगा। संविधान में सरकारी क्षेत्र और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े समुदायों को कतिपय प्रतिशत आरक्षण देने संबधी प्रावधान है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा बताए गए अनुसार, पिछले दस वर्षों से न केवल केंद्रीय सेवाओं में बल्कि राज्य सेवाओं में भी भर्ती पर पूर्ण रोक लगी हुई है। जो हो रहा है, वह सबके ध्यान में है। जब कोई व्यक्ति किसी पद से सेवानिवृत्त होता है तो उसकी सेवानिवृत्ति के साथ ही वह पद भी समाप्त हो जाता है। अनुकम्पा के आधार पर भर्ती सहित कोई नई भर्ती

[श्री एन. एन. कृष्णदास]

नहीं हो रही है। इस सभा में, मैं समझता हूं कि वर्ष 2002 या 2003 में, बजट प्रस्तुत करते समय बैंकिंग भर्ती बोर्ड पर रोक लगाने संबंधी घोषणा की गई थी। उसे समाप्त कर दिया गया। रेलवे अथवा सरकारी क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं की जा रही है। हमारा सरकारी क्षेत्र लगभग विलुप्त हो रहा है। विदेशी पूंजीवादी हमारे देश में आ रहे हैं। वैमानिकी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी विदेशियों की है। हमारा सरकारी क्षेत्र लगभग विलुप्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को प्रदान किए जाने का क्या अर्थ है? हमारे संविधान में कोई ऐसा उपबंध रखने का क्या अर्थ है जबकि सरकारी क्षेत्र या केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में कोई भर्ती नहीं ली जा रही है?

यही वास्तविकता है। इसलिए, परिस्थिति की मांग है कि हम इस संकल्प को पारित करें। हमें अपने संविधान में इस उपबंध को अधिनियमित और अंतःस्थापित करना होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रो. रासा सिंह रावत मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। इस संकल्प का समर्थन करते हुए उन्होंने कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया था। मैं एक बार पुनः यह कहता हूं कि जहां चाह है वहां राह है। हमें इन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करने की राह तलाशनी होगी और ऐसा विधान अधिनियमित करना होगा। हमारा संपूर्ण सरकारी क्षेत्र विलुप्त हो रहा है। हरेक जगह भर्ती पर पूर्ण रोक लगी है। इसलिए, स्थिति की मांग यही है और इस संकल्प को पारित करने का औचित्य यही है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। पहले के वक्ताओं द्वारा सभी वैध मुद्दों पर चर्चा की गई है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्मानित सभा को श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए। हमें इन संवैधानिक बारीकियों का सामना करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इस सम्मानित सभा से इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ अत्यावश्यक कार्य निपटाने हैं। चूंकि सभापति यहां उपस्थित नहीं हैं, अतः मैं श्री हन्नान मोल्लाह से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ समय के लिए पीठासीन हों।

अपराह्न 5.16 बजे

(श्री हन्नान मोल्लाह *पीठासीन हुए*)

डा. बाबू राव मिड़ियम (भद्राचलम) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रेल बजट पर बोलना चाहूंगा।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, ये रेल बजट पर बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : हम निजी क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण संबंधी संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इस पर बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। आप नए सदस्य है परंतु आपको दूसरे विषय पर आना होगा।

डा. बाबू राव मिड़ियम : महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। यह इस समय की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश की परिश्रमी जनता में अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। उन्हें इस समय नौकरियां नहीं मिल रही हैं। निस्संदेह, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। परंतु निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग दलित वर्ग से संबंधित होते हैं अतः उनकी वित्तीय स्थिति और मान–सम्मान में सुधार करने के लिए एक अधिनियम बनाना अत्यंत आवश्यक है। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी इन समुदायों का पिछड़ापन दूर नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इस प्रकार के अधिनियम की अत्यंत आवश्यकता है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड) : सभापति महोदय, सभी वरिष्ठ सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण के विषय पर अपने विचार रखे हैं। मैं नागालैंड से निर्वाचित होकर आया हूं। हम पूर्वोत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण के बारे में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम नहीं है। यदि हम आरक्षण पर चर्चा करते हैं तो यह निरर्थक होगी। नागालैंड में सार्वजनिक

क्षेत्र का एक भी उपक्रम नहीं है। परंतु मैं वस्तुतः इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र श्री अजय कुमार ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर से आए मेरे एक वरिष्ठ मित्र यहां बैठे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण पनप रहा है। यद्यपि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियां होती भी हैं तो उसका विज्ञापन उन तक संचार संबंधी समस्याओं के कारण देर से पहुंचता है। यही नहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद के लिए परीक्षा देने के बाद भी उनका नाम मेरिट सूची के अंत में ही आता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। यद्यपि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण की व्यवस्था है तथापि वे इस सुविधा का वास्तविक रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है।

महोदय, देश में मिजोरम की साक्षरता दर सर्वाधिक है। मणिपुर राज्य के स्नातकों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और इसके परिणामस्वरूप अपनी जीविका कमाने के लिए वे रिक्शा चला रहे हैं और उनमें से कुछ भूमिगत गतिविधियों से जुड़ते जा रहे हैं। नागालैंड राज्य में हजारों स्नातक एक पद के लिए साक्षात्कर हेतु आते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है वे असामाजिक गतिविधियों से जुड़ते जा रहे हैं और समाज के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। यह करना आसान होता है क्योंकि उग्रवादी समूहों में शामिल होने के लिए कोई भर्ती नीति नहीं है। बेरोजगारी के कारण ही पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या अत्यधिक पेचीदा बनती जा रही है।

महोदय, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैंड राज्य में पदों के सृजन पर पिदले छः–सात वर्षों से रोक लगाई हुई है। वहां नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। वहां से शिक्षित युवक कहां जाएं? उनके पास राष्ट्र–विरोधी गुटों में शामिल होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। नागालैंड में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मात्र 5000/– रु. की राशि आवंटित की गई है। हमने इस राशि को बढ़ाकर 15,000/– रुपये तक करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। परंतु हमारा अनुरोध नहीं स्वीकार किया गया। वहां कोई रोजगार नहीं हैं। 5,000/– रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार 50,000 शिक्षित युवाओं को मात्र 5000/– रुपये की राशि से रोजगार के अवसर कैसे प्रदान कर सकती है? हमने केंद्र सरकार से इस राशि को बढ़कार कम से कम 10,000/– रुपये तक करने का अनुरोध किया। परंतु उस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया।

महोदय, दूसरी बात यह है कि सभी भाषणों में पूर्वोत्तर का एक राज्य के रूप में उल्लेख किया जाता है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के अलग–अलग राज्यों की समस्याएं अलग–अलग हैं। प्रत्येक मामले में पूर्वोत्तर को एक इकाई के रूप में माना जाता है। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की तुलना देश के किसी एक राज्य से नहीं की जा सकती क्योंकि एक अकेली इकाई के रूप में हम बहुत कम राशि पा रहे हैं।

महोदय, अतएव, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर में पदों के सृजन पर लगी रोक हटा ली जाए। दूसरे, प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोटे में वृद्धि की जाए तथा पूर्वोत्तर के लिए एक विशेष रोजगार पैकेज की घोषणा की जाए। ऐसा इसलिए किया जाए क्योंकि पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं के पास राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के अतिरिक्त कोई अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : मैं श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 57 वर्षों बाद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं। यह भी बड़े दुख की बात है कि संसद में हमारे कुछ विद्वान सहयोगी कह रहे हैं कि यह व्यावहारिक और उचित नहीं है। यह योग्यता का प्रश्न नहीं है। जैसा हमारे अन्य कामरेड और विद्वान सहयोगियों ने कहा कि यह सामाजिक न्याय का प्रश्न है। जैसा कि श्री अजय कुमार और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा, हम यह जानते हैं कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है।

जब हम कुछ निजी उद्यमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सोचते हैं, कुछ वर्ष पहले तक ये सरकार के स्वामित्व में थीं। अतः सरकार की नीतियों के कारण ही अनेक सार्वजनिक

[श्री पी. करुणाकरन]

फैक्टरियों और संस्थाओं का आज निजीकरण हो गया है। अतएव, यह कहना उचित ही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध कराना सरकार का कर्त्तव्य है क्योंकि इन संस्थाओं का प्रबंधन सरकार द्वारा सृजित बुनियादी सुविधाओं, परिसंपत्तियों और अन्य सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। वे सरकार द्वारा सृजित सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें ये सुविधाएं उस समय उपलब्ध कराई थीं जब वे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थे। वे निजी क्षेत्र के लोगों के अधिकार में नहीं थीं। वे सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में थीं और उनकी परिसंपत्तियों पर सरकार का वास्तविक अधिकार था।

एक ओर, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन करे। जब हम किसी संस्थान का निजीकरण करते हैं, तो वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए। निजी संस्थानों की कुछ शाखाएं, यद्यपि उन्हें हम निजी संस्थान कहते हैं फिर भी उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है। वे सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। केरल में कुछ शैक्षणिक संस्थानों का ही उदाहरण देखिए। वहां प्राइवेट स्कूल अथवा सहायता प्राप्त स्कूल हैं। किंतु वेतन और अन्य सभी सुविधाएं निजी मालिकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा दी जा रही हैं। वे छात्रों को प्रवेश देते हैं और शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं किंतु वेतन सरकार द्वारा ही दिया जाता है। परंतु, इन प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अनेक मित्रों के लिए यह एक नई जानकारी हो सकती है। यह निजी क्षेत्र का एक भाग है जिसे हमने देखा है।

आरक्षण को कार्यान्वित करने के मामले में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसे लागू करने का यही उचित समय है और अब इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यही उचित समय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए सरकार की ओर से स्पष्ट निदेश जारी किए जाएं। इस विषय पर और चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि जब हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरी देते हैं, तो वे फैक्टरियों अथवा सरकारी कार्यालयों में केवल आराम करने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि वे वहां काम करने जाते हैं। वे समाज का एक हिस्सा हैं। जैसा कि हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, वे दलित और कृषि कामगार हैं। वे खानों में काम करते हैं और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। समाज का यह कर्त्तव्य है कि वह बेहिचक और दुविधा रहित होकर आरक्षण उपलब्ध कराए। हम सभी संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं एक और मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। केरल में स्व–वित्तपोषित स्कूल और कॉलेज हैं। किन्तु वे सरकार द्वारा सृजित अनेक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति अथवा छात्रों को प्रवेश देने में आरक्षण के मामले पर प्रबंधन पर कोई बाध्यता ही नहीं है। हालांकि इसके लिए कोटा निर्धारित है किंतु इसकी संख्या में वर्ष दर वर्ष लगातार कमी की जा रही है।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले, मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तावित संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि श्री अजय कुमार के सुप्रमाणित प्रस्तुतीकरण और इस संकल्प का समर्थन करते हुए माननीय सदस्यों के ज्ञानवर्धक भाषणों को सुनने के बाद यह सम्मानित सभा इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार कर सकती है। यह इस सम्मानित सभा की परम्परा के अनुकूल ही होगा। शुरू से ही हम सामाजिक न्याय के नाम पर, दलित और वंचित लोगों के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए संविधान में आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास रहा है कि इसका लाभ अन्य कमजोर वर्गों को भी मिले। लेकिन आधी सदी बीत जाने के बाद भी, हम जानते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। इन दलित, वंचित जिन्हें दलित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा समुदाय कहा जाता है, का बहुत बड़ा वर्ग आज भी गरीबी, उपेक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन में जी रहा है। उन्हें अपने बहुमूल्य सांविधिक अधिकारों मानवाधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें सशक्त करने के लिए ही हमने आरक्षण की परिकल्पना की थी। हमने उन्हें शक्ति और प्राधिकार में भागीदारी के लिए अवसर प्रदान किया है। लेकिन क्या हो रहा है?

यह एक सच्चाई है जिसे हम सभी जानते हैं, हम सभी सहमत हैं कि वैश्वीकरण के आगमन के बाद से सरकार सेवा

क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से धीरे–धीरे अलग हो रही है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से कम हो रहे हैं। इन लोगों को आरक्षण उपलब्ध कराना एक सांविधानिक गारंटी है। लेकिन यह गारंटी कुछ समय के बाद केवल कागजों में ही रह जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तव में कोई रोजगार नहीं रह जाएगा जिसका ये लोग हिस्सा बन सकें। अतः रोजगार सृजन कार्यकलापों को हटा लेने के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति में सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन लोगों को उनका उचित हक मिले जिससे वे निजी क्षेत्र में विश्वव्यापीकरण के फलस्वरूप वंचित हो गए हैं। अब निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान ले रहा है।

जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे निजी क्षेत्र में निजी कहा जा सकता है। यह तो सार्वजनिक क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। अथवा यह कह सकते हैं कि तथाकथित निजी क्षेत्र की संपत्ति भी लोगों की, देश की संपत्ति है। संसाधन देश उपलब्ध कराता है। इस बदले हुए संदर्भ में, विश्वव्यापीकरण के संदर्भ में, हम यह मांग कर रहे हैं कि समाज के इस वंचित वर्ग को अपना हिस्सा मिलना चाहिए जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति का एकमात्र उपाय यह सुनिश्चित करना है कि इन वर्गों को निजी क्षेत्र में अपना उचित हिस्सा मिल सके। चाहे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी हो अथवा भारतीय निजी कंपनी हो अथवा कोई अन्य फर्म हो, वह धर्मार्थ के रूप में यह सब उपलब्ध न कराए। ये लोग न्याय की गुहार कर उनके द्वार तक पहुंच गए हैं। परंतु वे इसे नहीं मानेंगे। अतः, यह सुनिश्चित करना संसद का कर्त्तव्य है कि वे जिससे वंचित रहे हैं वह उनके लिए सुनिश्चित किया जा सके।

मैं विनम्रतापूर्वक यह अपेक्षा करता हूं कि यह सम्मानित सभा इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकृत करे ताकि सरकार देश की संपदा में इन लोगों को अपना हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानून ला सके अथवा लाने के लिए बाध्य हो जाये।

इन शब्दों में साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : माननीय सभापति जी, श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तावित संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है। यहां लगभग जितने भी सदस्य अभी तक बोले हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सभी की भावना एक है। इसलिए सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि एसी, एसटी और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो आज इस सेक्टर में रोजगार नहीं मिल पा रहा है वह रोजगार मिले। इस भावना से जब हम विचार करते हैं तो सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि आज सरकार को इस दिशा में कानून बनाने की आवश्यकता है और यूपीए सरकार की इच्छा भी यही है तो सरकार की तरफ से इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आज प्राइवेट मैम्बर बिजनेस है, इसलिए आज हम यहां विचार कर रहे हैं लेकिन इस पर निर्णय सरकार की तरफ से हाउस में लेने की आवश्यकता है। किसी भी मैम्बर को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि सारे ही सदस्यों ने इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैम्बर्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज हम जिस ओर जा रहे हैं और दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का लाभ गरीबों को, एससीएसटी के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी इस भावना से वे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसलिए इस पर आज नहीं तो कल, निर्णय जरूर होना चाहिए और कोई ठोस कानून बनना चाहिए जिससे एससीएसटी और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मदद हो सके। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं और अपनी महान नेता से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें। केवल हम यहां पर अपनी बात को कह दें, अपनी भावना को व्यक्त कर दें तो कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सबकी सहमति से ऐसा बिल सरकार की तरफ से आना चाहिए जिससे इस कमी की भरपाई हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया। साथ ही मैं अपने साथी श्री एस. अजय कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह बिल लाए। सभापति जी, अभी तक मैं अपने माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग

[श्री वीरचन्द्र पासवान]

हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर निजी क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रावधान करने के लिए यूपीए की सरकार ने भी संकल्प लिया है और अपने एजेंडे में इसको शामिल किया है। सदन में जब एक राय व्यक्त होती है, तो बीच में कुछ इस प्रकार के विचार सुनने को मिलते हैं, जिससे मन उद्वेलित हो जाता है। आज यह चिंतन का विषय है कि दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की माली हालत खराब क्यों है। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में समयाभाव के कारण मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

अपराह्न 5.42 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, आज उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। आज योग्यता और अयोग्यता के सवाल पर इन लोगों को बदहाली में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं आपको महाभारत का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन को लगा कि इस पृथ्वी पर उससे महावीर कोई नहीं है। जब इस भावना को उसने श्रीकृष्ण के समक्ष प्रकट किया, तो श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम वीर नहीं, मूर्ख हो। आज लोग योग्यता और अयोग्यता के सवाल पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम वीर नहीं मूर्ख हो। इस पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं जब बाण चलाता हूं, तो कर्ण का रथ साढ़े सात हाथ पीछे चला जाता है और जब कर्ण बाण चलाता है, तो मेरा रथ साढ़े तीन हाथ पीछे जाता है। इसलिए मैं उससे ज्यादा महाबली हूं। फिर श्रीकृष्ण ने कहा कि कर्ण से ज्यादा कोई महाबली नहीं है। जो लोग योग्यता और अयोग्यता के सवाल को उठाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रथ पर मैं तीन लोकों के भार के साथ हूं और ऊपर हनुमानजी हैं, इस पर भी जब कर्ण बाण चलाता है, तो रथ साढ़े तीन हाथ पीछे चला जाता है। यदि मैं इस रथ से उतर जाऊं, तो तुम्हारे रथ का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए योग्यता अंदर होती है, जैसे हमारे पूर्ववक्ता, माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि उन्हें तैरने का मौका दो, वे अपने को बेहतर तैराक सिद्ध करके बताएंगे। योग्यता और अयोग्यता का सवाल उन्हीं लोगों ने उठाया है, जिन लोगों ने जमीन हथियाने का काम किया है, अधिक भूमि पर कब्जा किया है, जिनको खुरपी चलाना नहीं आता, कुदाल चलाना नहीं आता, ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। इस तरह से सवाल उठाकर उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर उनको मौका मिलता है, तो वे ज्यादा अपने आपको बेहतर सिद्ध करके दिखाते हैं। चाहे कम्प्यूटर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो–हर क्षेत्र में वे अपने आपको बेहतर दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने योग्यता और अयोग्यता का सवाल उठाया, उन्हीं लोगों ने दावा किया कि ये उनसे ज्यादा काबिल नहीं हैं, ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को बदहाली हालत में रखा हुआ है। जिन मुट्ठी भर लोगों ने देश की रक्षा का भार लिया, उन्हीं ने इन लोगों को समाज से वंचित करने का काम किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरचन्द्र पासवान, कृपया एक मिनट रुकिए। घोषणा के बाद आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

इस संकल्प पर चर्चा के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है। अभी चार माननीय सदस्य इस संकल्प के बारे में अपनी बात रखने के लिए शेष रह गए हैं।

क्या कोई हस्तक्षेप करेगा? प्रस्तावकर्ता को वाद–विवाद का उत्तर देने का अधिकार है। यदि सभा सहमत हो तो इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय आधे घंटे और बढ़ा दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है और इस विषय पर सार्थक चर्चा की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो समय इसके लिए आवंटित हुआ है, वह अपर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि यह चर्चा आज ही समाप्त हो। इतने संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार इस विषय पर चर्चा करें। हम इस विषय में बोलना चाहते हैं। अभी चार सदस्यों के नाम और हैं और दूसरे सभी सदस्य इस विषय में बोलना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि इसे अगली बार लें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आधा घंटा पूरा होने दें, फिर देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले के महत्वपूर्ण होने के नाते इस संकल्प को अगली बार भी लिया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्यगण कह रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप भी इससे सहमत होंगे। इस पर भरपूर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत सुन्दर सुझाव आ रहे हैं। सरकार की इच्छा है कि इस विषय में जितने ज्यादा सुझाव आएं उतना अच्छा रहेगा। सबका यही सुझाव है कि इसे अगली बार लेना पड़े तो आप उसकी अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी 6 बजे तक चलेगा और इसे आगे फिर ले लेंगे।

श्री वीरचन्द्र पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा कि उनकी काबलियत और योग्यता उस समय कहां थी जब एक–एक करके विदेशी देश में आक्रमण कर रहे थे और देश गुलाम हो रहा था। जब सिकंदर आए, जब मुगल आए और लास्ट में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां शासन करके देश को गुलाम बनाने का काम किया। तब इनकी काबलियत और योग्यता कहां थी? आज मुझे फख्र और गौरव है कि हिन्दुस्तान की सरहद पर हर जाति और धर्म के लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इनमें दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। यहां हर तबके के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। आज हमारी सरहद सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। दुश्मन हमारी तरफ तिरछी नजर से देखने का साहस नहीं करते क्योंकि हमारे लोग सीमा की रक्षा कर रहे हैं। जब इन लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा का भार था तब इनकी काबलियत और योग्यता कहां थी? उस समय विदेशी आते थे और पददलित करके चले जाते थे। इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का काम किया। इसलिए जब यह योग्यता की बात करते हैं तो हमारे दिल में हलचल होती है और विभिन्न बातें उमड़ती हैं। मैं अहसास दिलाता हूं कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूं। यह सृष्टि को भूल गए हैं। मैं सृष्टि को भूलने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि सृष्टिकर्ता एक ही है। आज जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वे सारे एक ही सृष्टिकर्ता की संतानें हैं। आपने हमारे भाइयों को बदहाली की जिंदगी देने का काम किया। मैं आज बदला लेना नहीं चाहता, आपने अतीत में जो गुनाह और पाप किया, उसे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो स्थिति होगी उससे समाज खंडित हो जाएगा, देश बचने वाला नहीं है। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, देश को एक रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, समरस समाज की स्थापना करना चाहते हैं, देश में सभी के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं और रोजी–रोटी देना चाहते हैं तो आपको बड़े व्यापक हृदय से देश के लिए सोचना होगा। आपने संकीर्ण भावनाओं से सोचने और अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया। आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। आप आज जिंदा हैं और अपने लिए सोच सकते हैं, अपने बेटे और पोते के लिए सोच सकते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो उसके बाद कोई सोचने वाला नहीं रहेगा। आप जो बनाएंगे सब नष्ट हो जाएगा। आपके द्वारा अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाएगी, अच्छा वातावरण नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि आज हम सब मिल करके देश को अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छे विचार और संस्कार देंगे तो आने वाले दिनों में आप रहें न रहें लेकिन जो व्यवस्था होगी, जो कानून होगा, अच्छी विचारधारा और संस्कार होंगे, उसके तहत हमारी आने वाली संतानें महफूज और सुरक्षित रहेंगी। ऐसे में सभी को रोजी–रोटी मिलेगी। इसलिए, यदि आप देश की बात करते हैं, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास की बात करते हैं तो उनकी सृष्टि की मूल भावना को समझना होगा। मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं लेकिन समय की कमी है। इसलिए कुछ बातों का जिक्र करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों को मानसिक बदहाली दी गई है, जब हम गांव में जाते हैं और आप लोगों की दी हुई हीन भावना को पाते थे तो उन्हें जगाने का काम किया और उन लोगों से कहा कि आगे बढ़ो और मन की हीन भावना दूर करो। उनमें कोई खुरपी चलाता, कोई कुदाल चलाता या कोई रिक्शा चलाता, मेहनत–मजदूरी करता था। वे लोग अपने कर्मों के बल पर खाते हैं और उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो भीख मांग कर खाते हैं और उस पर भी वे कहते हैं कि

[श्री वीरचन्द्र पासवान]

वे श्रेष्ठ कुल से हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। इसलिए मैं उनसे कहा करता था कि अपने कर्मों के आधार पर अपने बाजुओं के बल पर खाने का काम करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें आरक्षण का कोई सवाल नहीं है। इसमें एक मानसिकता परिलक्षित होती है। समाज में गरीब या अमीर होना योग्यता का पैमाना नहीं होता। जैसे कोई महलों में रहने वाला या जमींदार के यहां पैदा हुआ आदमी जानता है कि महल का गुसलखाना या रनिवास कहां है, महल की बैठक कहां है लेकिन जो वहां पैदा नहीं हुआ, उसे क्या मालूम? उसे महल की जानकारी के अभाव में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बार संसद में आया हूं। यहां के गलियारे मैं नहीं जानता। जो लोग गांवों में या खलिहानों में काम करते हैं, वे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, वे इन लोगों से ज्यादा योग्य और काबिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि दलित, गरीब, पिछड़े या आदिवासी गरीब हो सकते हैं लेकिन वे देश के प्रति उदासीन नहीं हो सकते क्योंकि आज देश उन्हीं के बल पर बचा हुआ है। इसलिए हर क्षेत्र में उन्हें वाजिब हक मिलना चाहिए। नौकरी पर जाने में कोई अमीर नहीं हो जाता। नौकरी पर जाने का लक्ष्य यह है कि जहां पालिसी बनती हैं, पालिसी कार्यान्वित की जाती हैं तो ये लोग वहां रहें और देखें कि इन लोगों के लिए क्या काम हो रहा है। क्या इन लोगों के साथ बेईमानी तो नहीं हो रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने कोई गुनाह किया है जो इन्हें हक नहीं दिया जाता? ये लोग फाइल लेकर टहलते रहते हैं और लिख दिया जाता है कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है और फाइल बंद कर दी जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि लाखों नौकरियां न केवल भारत सरकार में बल्कि राज्य सरकार में तीन साल तक नहीं दी जाती हैं। इसलिए विज्ञापन नहीं निकाले जाते और चौथे साल कह दिया जाता है कि चूंकि तीन साल हो गए हैं, कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए डी–रिजर्व की जाती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यह स्पष्ट निर्देश है कि न केवल तीन साल बल्कि 10–15 साल तक भर्ती के लिए विज्ञापन दिए जाने चाहिए। लेकिन आज यह कहकर गुनाह किया जाता है कि तीन साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये स्थान अनारक्षित किए जाते हैं। इस कार्य से लाखों लोगों को नौकरी से वंचित किया जाता है। उन्हें रोजी–रोटी मिल सकती थी। इसमें बहुत सारे लोग समाहित हैं, बहुत सारे लोगों ने पाप किया है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पाप किया है, जिन लोगों ने गुनाह किया है, वे बड़े हृदय के साथ इसे स्वीकार करते हुए प्रायश्चित करने का काम करें, इसे सुधारने का काम करें। हिन्दुस्तान कैसे बचेगा, हिन्दुस्तान कैसे अखंड रहेगा, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि यदि इस तरह से किसी को दबाने, छलने और ठगने का काम होता रहेगा तो यह देश नहीं बचेगा। क्योंकि इस देश में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब और हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। यदि राष्ट्रीय भावना को जगाना है तो हरेक समाज को इज्जत देनी होगी, बराबर का अवसर देना होगा। हर समाज की खुशहाली के लिए सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज तक उस समाज का अकथनीय शोषण हुआ, अकथनीय धोखा इस समाज के साथ हुआ, इन सब चीजों को दूर किया जाए और आरक्षण में जो अनियमितता रही है, जिसके आधार पर लाखों लोगों की रोजी–रोटी छीनने का काम किया गया है, उसे कैसे पुनर्स्थापित किया जाए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वर्ष 1990 से पूर्व कालेजों और यूनिवर्सिटीज में लैक्चररशिप की जब नियुक्तियां होती थीं तो आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित थे और सामान्य कोटे के लोगों के लिए 52.5 प्रतिशत अंक निर्धारित थे। लेकिन उस समय यू.जी.सी. ने इसे एकदम से 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का काम किया और सामान्य लोगों का 52.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि जिनके लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित थे, उनके लिए एक साथ 10 प्रतिशत अंक बढ़ाए जाते हैं और जिनके 52.5 प्रतिशत अंक निर्धारित थे, उनके लिए केवल ढाई परसेंट अंक बढ़ाए जाते हैं, यह कहां का इंसाफ है। जो योग्यता और अयोग्यता की बात करते हैं, यह उन्हीं लोगों की चालबाजी का एक शिकंजा है, जिसके द्वारा लोगों को नौकरियों और उनके हकों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज और कालेजों में नौकरियां पाने संचित रह गए हैं, क्योंकि जब वे पी.जी. का एग्जाम दे रहे थे तो उनके

मन में यह भावना थी कि 45 प्रतिशत अंक लाकर वे इसमें आ जाएंगे। लेकिन उन पर कुठाराघात किया गया और एक साथ दस परसेंट अंक बढ़ा दिए गए। लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और 55 परसेंट को वर्तमान में 50 परसेंट पर लाया गया है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि इस साजिश के दौरान कितने पद दबाए गए, कितने अनारक्षित किए गए और कितने लोगों को नौकरियां नहीं दी गईं, सरकार इन सब बातों पर भी विचार करे तथा जो पद छीन लेने का काम किया गया है, सप्रेस करने का काम किया गया है, उसे चिह्नित करके इनके बैकलॉग को पूरा करने का काम किया जाएं। एक स्पेशल अभियान के तहत सरकार इसे करने का काम करे।

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि योग्यता और अयोग्यता के सवाल को उठाने वाले लोगों में कालेज यूनिवर्सिटिज में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके 50, 55 या 60 परसेंट मार्क्स आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके 70, 75 से 80 परसेंट तक मार्क्स आते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यह मेरा व्यावहारिक अनुभव है और हमने इसे देखने और समझने का काम भी किया है कि यह एक कटु सत्य है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग्यता और अयोग्यता की चर्चा करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके 40 परसेंट मार्क्स मुश्किल से आते हैं। लेकिन उनके चाचा, दादा, भाई और मामा यूनिवर्सिटीज और कालेजों में बैठे हुए हैं जो 40 परसेंट को 80 परसेंट करने का काम करते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो 55 या 60 परसेंट अंक लाते हैं तो यह उनकी योग्यता है, जो उनसे कहीं बेहतर हैं। इस तरह से जो योग्यता का पैमाना है, इसके कारण समाज में बहुत तरह से इन्हें हर पग पर दबाने का काम किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो जातियां हिन्दुस्तान में हैं, उन्हें चिह्नित किया जाए, उनका प्रतिशत निर्धारित किया जाए और सभी जातियों को उनकी आबादी के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि आज आरक्षण का जो लाभ दलित और पिछड़े समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, यह अघोषित रूप से उन लोगों को मिल रहा है जो आरक्षण की चर्चा करते हैं, वही लोग इसका लाभ उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह भी एक परिपाटी है जो हर सरकार में चली आ रही है और जो हमें देखने को मिल रही है, जो हमारे मन को बड़ा दुखी करती है।

सायं 6.00 बजे

यदि गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तो एक लाख लाभान्वितों का नाम लिया जाता है और इतने बड़े मोटे–मोटे पन्ने समाज के सामने और मीडिया के सामने उपस्थित किए जाते हैं। यहां हजारों हजार करोड़ रुपये एक–एक आदमी लेकर बैठा हुआ है मगर उन लोगों की चर्चा भी कहीं नहीं होती है। इसलिए एक लाख लोगों पर एक करोड़ खर्च करके, इस तरह से लाखों लोगों का नाम लेकर, इस समाज को ठगने का काम न करें। यह जो प्रस्ताव आया है जिसमें निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए अगले नियत दिन इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

अब लोक सभा सोमवार, 12 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 जुलाई, 2004/ 21 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री गिरधारी यादव	61
	श्री कैलाश मेघवाल	
2.	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	62
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	63
	श्री दुष्यंत सिंह	

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
4.	श्री सुरेश कुरुप	64
	श्री सी. के. चन्द्रप्पन	
5.	श्री एन. एन. कृष्णदास	65
	श्री निहाल चन्द	
6.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	66
	श्री ए. के. मूर्ति	
7.	डा. एम. जगन्नाथ	67
8.	श्री परसुराम माझी	68
	श्री अनन्त नायक	
9.	श्री सुनील खां	69
10.	श्री अजय चक्रवर्ती	70
11.	श्री शिवराज सिंह चौहान	71
	श्री बी. विनोद कुमार	
12.	श्री राजनारायण बुधौलिया	72
13.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	73
	श्री पी. एस. गढ़वी	
14.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	74
	श्री बीर सिंह महतो	
15.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	75
16.	श्री अधीर चौधरी	76
	श्री उदय सिंह	
17.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	77
	श्रीमती निवेदिता माने	
18.	श्री अनंत गंगाराम गीते	78
	श्री आनंदराव बिठोबा अडसुल	
19.	श्री के. एस. राव	79
20.	श्री प्रबोध पाण्डा	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
आचार्य, श्री बसुदेव	543, 646
अजय कुमार, श्री एस.	523
आठवले, श्री रामदास बंडु	526, 564, 607, 610, 627
बब्बर, श्री राज	547
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	509, 556, 574, 615, 651
बुधौलिया, श्री राजनारायन	550, 596, 650
बैसीमुथियारी, श्री सामछुमा खुंगुर	513, 647
चन्देल, श्री सुरेश	502, 532, 563, 568
चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	583, 608, 621
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	501, 586
चौधरी, श्री निखिल कुमार	510
चौहान, श्री शिवराज सिंह	549, 595, 619, 631
चौधरी, श्री अधीर	579, 588, 621
दासगुप्त, श्री गुरुदास	528, 566, 594
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	586, 643
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	507, 509, 527, 630
गढ़वी, श्री पी. एस.	516, 572
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	547
गांधी, श्रीमती मेनका	545

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
गांधी, श्री प्रदीप	520, 558, 587, 603
हसन, श्री मुनव्वर	529, 639
जगन्नाथ, डा. एम.	498, 524, 548, 644
झा, श्री रघुनाथ	499, 563, 606, 626
जोगी, श्री अजीत	505
कलमाडी, श्री सुरेश	544, 574
कामत, श्री गुरुदास	518, 557, 616
कनोडीया, श्री महेश	507
करुणाकरन, श्री पी.	517, 645
खैरे, श्री चंद्रकांत	539, 611, 624, 638
खां, श्री सुनील	648
कृष्ण, श्री विजय	540, 571, 618, 622, 634
कृष्णदास, श्री एन. एन.	546, 594
कुरुप, श्री सुरेश	587, 618
महाजन, श्री वाई. जी.	562, 586
माझी, श्री परसुराम	581, 586, 614
माकन, श्री अजय	512
मंडल, श्री सनत कुमार	541, 648
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	618, 639
माने, श्रीमती निवेदिता	618, 622, 634, 639
मरांडी, श्री बाबू लाल	519
मेघवाल, श्री कैलाश	569, 570, 587, 632
मेहता, श्री आलोक कुमार	509
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	514

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
मोदी, श्री सुशील कुमार	520, 537
मोहले, श्री पुन्नू लाल	536
मूर्ति, श्री ए. के.	577, 624
नायर, श्री पी. के. वासुदेवन	533, 618
नायक, श्री अनंत	573, 580, 589, 628
निखिल कुमार, श्री	617, 622
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	593
नीतीश कुमार, श्री	642
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	497, 575, 590, 625, 637
पाण्डा, श्री प्रबोध	556, 571, 602, 632
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	648
परस्ते, श्री दलपत सिंह	537
पासवान, श्री सुकदेव	531, 587, 596
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	542
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	511
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	551, 597, 620, 632
पाटील, श्री श्रीनिवास	539, 584, 599, 602
प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	648
प्रसाद, श्री हरिकेवल	534, 552
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	641
राजेन्द्रन, श्री पी.	504
राव, श्री के. एस.	555, 587
राव, श्री रायापति सांबासिवा	506, 559, 604, 623, 635
रावले, श्री मोहन	521, 560
रेड्डी, श्री एस. पी. वाई.	503, 563, 582, 613

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
सत्पथी, श्री तथागत	527, 565, 586, 609, 619
सेन, श्रीमती मिनाती	538, 625
सेठ, श्री लक्ष्मण	566, 625
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	552, 598
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	585, 591
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	515, 554, 601
सिंह, श्री दुष्यंत	576, 605, 624, 636
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	553, 600, 622, 634
सिंह, श्री मोहन	622, 625
सिंह, श्री प्रभुनाथ	525
सिंह, श्री उदय	621
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	507, 617
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	586
सुब्बा, श्री एम. के.	500
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	639
थामस, श्री पी. सी.	508, 561
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	530, 567, 587, 602, 618
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	535, 570, 602, 648
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	640
वीरेन्द्र कुमार, श्री	586, 592, 617, 630
विनोद कुमार, श्री बी.	509, 578, 612, 629
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	534
यादव, श्री राम कृपाल	522
येरननायडू, श्री किन्जरपु	496, 570, 644

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	65, 71, 75
कोयला और खान	62, 72, 77
वाणिज्य और उद्योग	66, 79
कंपनी कार्य	
वित्त	61, 63, 64, 69, 74, 76, 78, 80
विधि और न्याय	73
वस्त्र	67, 68, 70

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	513, 522, 530, 542, 544, 547, 549, 550, 553, 554, 572, 573, 574, 575, 587, 595, 602, 616, 639
कोयला और खान	514, 518, 519, 520, 536, 541, 557, 564, 571, 580, 589, 605, 609, 622, 633, 648
वाणिज्य और उद्योग	496, 497, 498, 502, 503, 504, 507, 509, 510, 515, 523, 525, 526, 537, 546, 561, 562, 568, 570, 586, 592, 598, 600, 623, 629, 632, 635, 645, 650
कम्पनी कार्य	538, 614
वित्त	499, 506, 508, 511, 512, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 540, 543, 545, 548, 555, 559, 563, 565,

566, 567, 569, 576, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 588, 590, 591, 594, 597, 599, 603, 604, 606, 607, 608, 612, 613, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 634, 636, 638, 641	विधि और न्याय	500, 501, 505, 529, 539, 551, 552, 556, 577, 596, 611
	वस्त्र	516, 517, 521, 524, 558, 560, 585, 593, 601, 610, 637, 640, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 651

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार 9 जुलाई 2004 / 18 आषाढ़ 1926 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

*****

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
382	18	आदेश (संशोधन)	आदेश (संशोधन) विधेयक
384	पाद टिप्पण	जोड़िए	**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।